खण्ड-360, अंक-10
गुरूवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(3 मार्च, 1983 ई0)

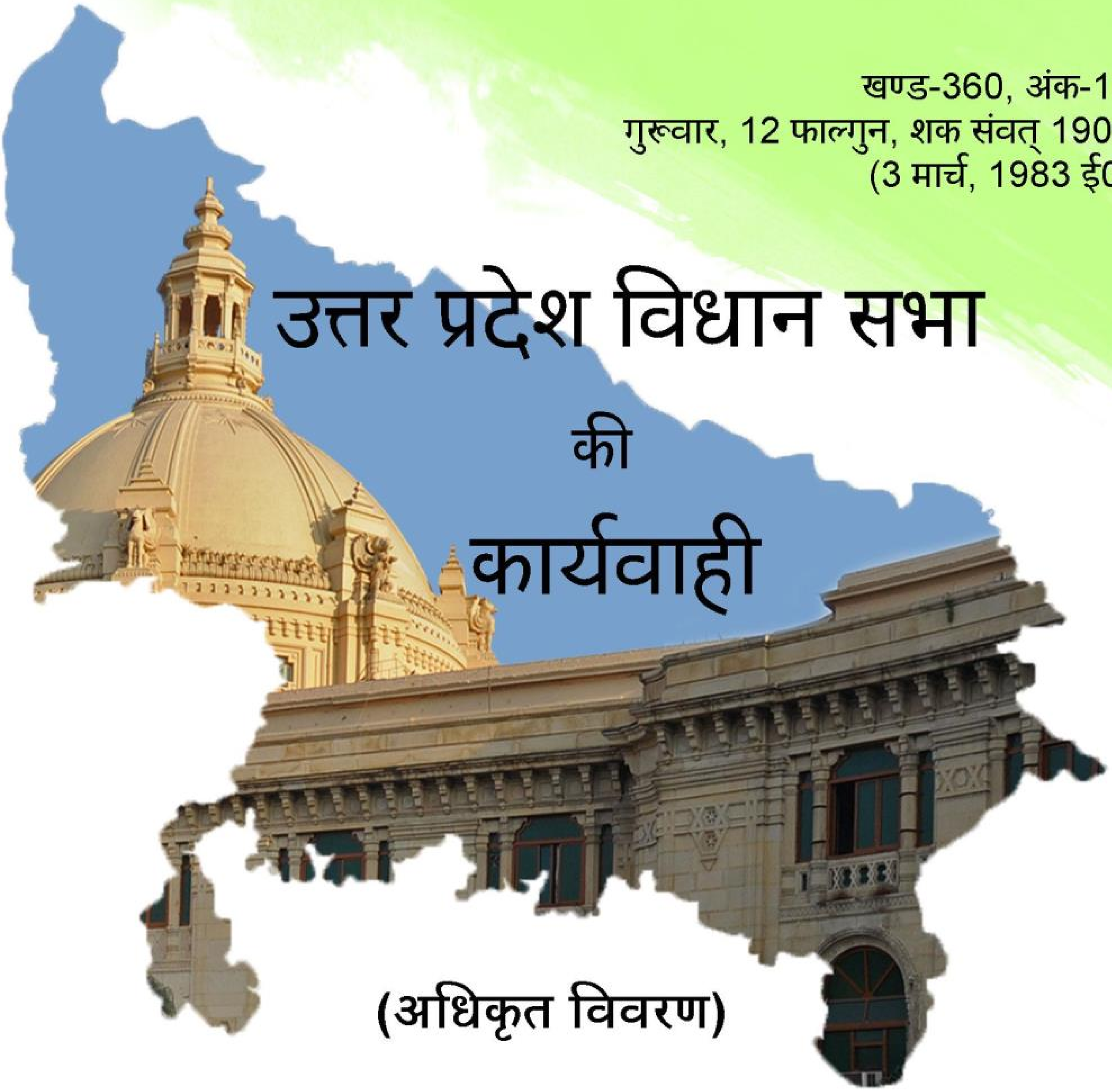

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 360 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1729–1732
प्रश्नोत्तर ..	1733–1809
भूतपूर्व सदस्य श्री जैदत्त सिंह के निधन पर शोकोद्गार ..	1809–1811
कलक्टरगंज बस स्टेशन (कानपुर) पर बसों के खड़ी होने का समुचित स्थान तथा शौचालय आदि की सुविधा न होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1811–1812
ग्राम सहसपुर और ननोइया (सीतापुर) के 6 नलकूपों के बेकार पड़े रहने से सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1812
आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा नई गंज गृह स्थान योजनान्तर्गत (जौनपुर) से 40 दलित परिवारों के समक्ष उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1812–1813
ग्राम रनकीपुरवा, थाना गिलौला (बहराइच) में हुए गोहत्या कांड को लेकर लूटपाट एवं आगजनी की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1813
बकुलाही नदी (प्रतापगढ़) की चपेट से हर वर्ष हजारों एकड़ भूमि के बरबाद हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1814
दिनांक 2 मार्च, 1983 को इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब होने सम्बन्धी वक्तव्य के स्थगित होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	1814–1817
श्री यदुनाथ सिंह की गिरफ्तारी की सूचना ..	1818
भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी के धंधे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य (जारी) ..	1818–1820
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (जारी) ..	1820
भारत–नेपाल सीमा पर तस्करी के धंधे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1820–1826
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) ..	1826–1830
श्री अकबाल हुसैन के सदन की सेवा से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	1830

विषय	पृष्ठ सं0
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाय ..	1831–1832
1983–84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 78—सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	1832–1859
अनुदान संख्या 28—निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29—न्याय विभाग (स्वीकृत) ..	1859–1874
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें ..	1874–1875
दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना ..	1875–1881
जनपद इलाहाबाद में लगभग 200 राजकीय नलकूपों के खराब होने के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1881–1884
जनपद आजमगढ़ के कस्बा कोपागंज में अनेक दुकानों को नष्ट किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1884–1888
कानपुर के मगरासा गांव में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा ..	1888–1909
नत्थियां ..	1907–1926

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 3 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—350

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ (अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
इन्द्रजीत सिंह, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी श्री (गाजियाबद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बार बंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोबर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)

छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदा लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जगदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन द्विवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर गंगवार, श्री, (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दलगंजन सिंह श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीपनरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भन्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)

बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माण्डवी प्रसाद सिंह श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्र, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायन (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)

राम स्वरूप निगम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियाजत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विनोद प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमल राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कटयाल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन, तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुडिया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स सिंह, रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 3 मार्च, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त प्रश्न]

जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा एवं अहिरौरी की साधन सहकारी समितियों द्वारा शक्कर एवं मिट्टी के तेल का वितरण

*1--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के ब्लाक सुरसा एवं अहिरौरी की साधन सहकारी समितियों ने पिछले 6 माह से ग्रामीण जनता को वितरण करने के लिए शक्कर एवं मिट्टी का तेल नहीं उठाया है ? क्या यह सही है कि उक्त वितरण प्रणाली 20 सूत्रीय कार्य-क्रम का एक अंग है ? यदि हां, तो शासन ने इस वितरण प्रणाली को ठीक प्रकार से न चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ दिनांक 17-8-82 तक क्या कार्यवाही की ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

पिछले 6 माह (जनवरी, 1982 से जून, 1982) में जनपद हरदोई के विकास खंड सुरसा एवं अहिरौरी में से प्रत्येक विकास खंड में साधन सहकारी समितियों को 1,640 कुन्तल चीनी वितरण करने के लिए आवंटित की गई थी। इसमें से विकास खंड सुरसा तथा अहिरौरी में साधन सहकारी समितियों द्वारा क्रमशः 916 तथा 335 कुन्तल चीनी को उठान करके उसे वितरित किया गया।

विकास खंड सुरसा में माह फरवरी, 1982 में केवल 400 लीटर मिट्टी का तेल उठाकर वितरित किया गया। उक्त अवधि के अन्य शेष माहों में विकास खंड सुरसा में किसी भी साधन सहकारी समिति द्वारा मिट्टी का तेल नहीं उठाया गया। उक्त अवधि में विकास खंड अहिरौरी में किसी भी सहकारी समिति द्वारा वितरण हेतु मिट्टी का तेल बिल्कुल नहीं उठाया गया।

यह सही है कि उक्त वितरण प्रणाली 20-सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है।

उक्त दोनों विकास खंडों में चीनी तथा मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था ठीक प्रकार से न चलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि हमारे खाद्य मंत्री जी इस प्रदेश के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। जवाब दिया कि 1,640 कुन्टल चीनी वितरण करने के लिए आवंटित थी जिसमें विकास खंड सुरसा तथा अहिरौरी में साधन सहकारी समितियों द्वारा क्रमशः 916 तथा 335 कुन्तल चीनी वितरित की गयी। मिट्टी का तेल न उठाने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा कि वितरण व्यवस्था ठीक प्रकार से न चलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, इसका पता लगाया जा रहा है। पिछली बार जब यह स्थगित किया गया था तब भी कहा था पता लगाया जा रहा है और इस बार भी यही जवाब आता है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मैं पूछना चाहता हूं कि जिन-जिन समितियों ने शकर और मिट्टी के तेल को नहीं उठाया उनको भंग करके प्राइवेट कोटेदारों को देंगे ? शासन की नीति है कि पहले मिलिटरी वालों को और उसके बाद अन्य को देते हैं । तीन अधिकारी होते हैं, डी० एम०, ए० आर० ओ०, डी० एस० ओ०, माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं । इनमें कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य ने ज्ञानी बताया । ज्ञान से ही उत्तर दे रहा हूं । साधन समितियों ने नहीं उठाया, सही है, स्वीकार कर रहा हूं । साधन सहकारी समितियों के बारे में, माननीय सदस्य जैसा समझते हैं, वह नहीं है । मैं दिखवा रहा हूं यह जो कमी रही, इसके क्या कारण थे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न पूछा माननीय मंत्री जी ने पूरा जवाब नहीं दिया । मैंने पूछा इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार थे । उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरी चीज यह वितरण प्रणाली प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का एक अंग है, इसको माननीय मंत्री जी ने माना । प्रधान मंत्री ने स्पष्ट लिखकर भेजा है कि प्रत्येक दो हजार की आबादी पर कोटा होना चाहिये। वर्तमान में 10 हजार, 15 हजार की आबादी पर है । लगता है मंत्री जी प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास नहीं करते जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों विश्वास करते हैं । यदि विश्वास करते हैं····

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, दो हजार की आबादी पर कोटेदार होना चाहिये । ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की 20 सूत्री कार्यक्रम की नीतियों को मुझसे ज्यादा जानते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि 4 हजार पर····

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये प्रश्न के उत्तर से सम्बन्धित वितरण व्यवस्था का विषय है, वितरण प्रणाली का नहीं । वितरण प्रणाली तो दूसरे के मंत्रिमंडल में आता है । यदि वितरण प्रणाली में कोई गड़बड़ी होती है तो इसका जवाब ये कैसे दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री वासुदेव सिंह--

आवंटन समय-समय पर हुआ है जैसा कि मैंने निवेदन किया कि कहीं-कहीं पर नहीं हुआ । इसके बारे में जिलाधिकारी को लिखा गया और जिलाधिकारी ने ए0 आर0 ओ0 को लिखा किन्तु ए0 आर0 ओ0 के यहां से कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया । यह मामला जरूरी है जिसे हमें देखना है और ए0 आर0 ओ0 हरदोई के विरुद्ध जरूर कुछ कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि साधन सहकारी समितियों ने समय पर निकासी नहीं ली, निकासी न लेने के कारण उनसे सम्बद्ध लोगों को खाद्य का अभाव हो जाता है, तो निकासी लेने वाले अधिकारी जिनका यह दायित्व था, उनके विषय में माननीय मंत्री जी ने क्या किया है ।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, 8 हजार 201 साधन सहकारी समितियां हैं और इनको व्यवस्था धन की है लेकिन कहीं-कहीं समय पर धन की व्यवस्था नहीं हुई । इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं इन सारे सवालों को हम देख रहे हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह देखते हुए कि चीनी का भाव काफी गिर गया है इस वजह से कोई उपभोक्ता, आपके जो दो-दो सेल-पाइन्ट्स हैं, वहां नहीं जाते हैं और इसी वजह से तेल भी नहीं ले जायेंगे । तो क्या आप साधन सहकारी समितियों में तेल के वितरण हेतु 4-4 सेल पाइन्ट्स से काम कराने या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी एक को देने की बात करें जो उपभोक्ताओं को तेल दे सके, पर विचार करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा वह उचित है । जहां तक संलग्न प्रश्न है, 35 हजार केन्द्रों से वितरण हो रहा है, आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा दी जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाया जा रहा है। किन्तु अभी माननीय मंत्री जी ने सप्लीमेन्टरी उत्तर में कहा कि डी० एम० को लिखा गया और डी० एम० ने ए० आर० ओ० को लिखा किन्तु ए० आर० ओ० ने जवाब नहीं दिया। अब इस प्रकार एक भ्रम पैदा हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? सदन में घोषणा करें कि दो हजार आबादी के बीच में एक सस्ते गल्ले की दुकान खोलेंगे जैसा कि प्रधान मंत्री जी के आदेश हैं।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, जब जानकारी हासिल करेंगे तभी तो कार्यवाही शुरू करेंगे। दूसरी बात 2-4 हजार के बीच दुकान की व्यवस्था देहाती क्षेत्र में है तथा 2 हजार यूनिट के बीच शहरी क्षेत्र में दुकानों की व्यवस्था है और लागू है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन सारी चीजों की व्यवस्था करेंगे जहां नहीं है वहां भी व्यवस्था करेंगे मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां कोआपरेटिव सोसाइटी द्वारा वितरण ठीक से नहीं हो पा रहा है तो क्या उनकी जगह पर अन्यत्र दुकान खोलने की व्यवस्था करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त परिपत्र जो होते हैं निर्गत कर दिये गये हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मेरी स्पष्ट जानकारी है कि जहां पर चीनी या तेल का वितरण कोआपरेटिव के माध्यम से सुचारु रूप से नहीं हो रहा है वहां पर भी आज तक प्राइवेट दुकानों का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य जहां-जहां कहेंगे कि व्यवस्था नहीं है, वहां-वहां विचार करेंगे।

[बृहस्पतिवार, 3 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

श्री बेनीदास राम गोपाल द्वारा हजरतगंज रोड पर तीसरी, चौथी व पांचवीं मंजिल पर अनधिकृत निर्माण

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि श्री बेनीदास राम गोपाल ने हजरतगंज रोड पर लखनऊ मास्टर प्लान के प्रस्तावों व मानदन्डों का उल्लंघन कर इस वर्ष

तीसरी, चौथी व पांचवीं मंजिलों का निर्माण कर लिया है और उनके सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सरकार से लखनऊ मास्टर प्लान के उक्त प्रस्तावों व मानदन्डों से छूट देने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्म को छूट देने पर विचार कर रही है ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)---

तीसरी, चौथी व पांचवीं मंजिलों पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण अक्तूबर-दिसम्बर, 1981 की अवधि में किया गया ।

शासन को यह प्रकरण संदर्भित किया गया था परन्तु शासन ने उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को विधि और नियमों के अनुकूल उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये । तदुपरान्त प्राधिकरण ने विचारोपरान्त सम्बन्धित पक्ष का शमन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो अनधिकृत निर्माण हुआ था, जिसको माननीय मंत्री ने मान भी लिया है, उसके खिलाफ कोई डिमालीशन की कार्यवाही की गयी थी या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सिफारिश सम्बन्धित मालिक के पक्ष में शासन को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो वह क्या थी और वह अधिकारी कौन था ?

श्री राम सिंह खन्ना--

यह जो माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि उन्होंने क्या सिफारिश की।

श्री राम आसरे वर्मा--

डिमालीशन के आदेश दिये गये थे या नहीं, यह बता दें ?

श्री राम सिंह खन्ना--

डिमालीशन के आदेश नहीं दिये गये थे, अब आखिर में हो चुके हैं । उस समय उन्होंने अपना एक नक्शा दाखिल किया था। यह नक्शा अधिशासी अभियन्ता ने अनधिकृत पास कर दिया। जो आदेश कर दिया जब वह उसके भी खिलाफ बना रहे थे, तब इनको रोकने की बात की गयी। जब डिमालीशन और इसके लिए जाने की बात आयी तब उन्होंने शासन के लिए कानूनी प्रार्थना-पत्र दिया । वह उन्होंने अग्रसारित कर दिया सरकार को, जो नहीं करना चाहिये था । सरकार ने आदेशित कर दिया कि आपको यह निर्णय स्वयं ले लेना चाहिये, आप इसके लिए सक्षम हैं । उन्होंने शासन के प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर दिया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने यह जानना चाहा था कि जिस अधिकारी ने अपनी सिफारिश के साथ उनके प्रार्थना-पत्र को शासन के पास भेजा था, वह अधिकारी कौन है ? माननीय मंत्री जी ने इस बात को भी मान लिया है कि उन्हें सिफारिश नहीं करनी चाहिये थी । अवश्य ही उन्होंने किसी न किसी दबाव में आकर या निहित

स्वार्थ से प्रेरित होकर सिफारिश की होगी, माननीय मंत्री जी ने मान लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अधिकारी कौन हैं और जो नहीं करना चाहिये था, वह किये जाने के विरुद्ध उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वह विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने किया था। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक यह है कि कोई काम बदनीयती से किया गया, एक यह है कि चूंकि प्रजातांत्रिक पद्धति में कानून सबसे ऊपर है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर कोई अधिकारी किसी काम को नहीं करता है या जल्द कर देता है तब भी परेशानी होती है...

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरा यह कहना है कि...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री राम सिंह खन्ना--

जब वह बैलेंस्ड तरीके से काम करता है लेकिन कुछ मौकों पर कोई कार्यवाही करने में इसलिए दिक्कत पड़ जाती है कि कुछ लोग जो समझदार किस्म के होते हैं, वह सिविल प्रोसीजर का इस्तेमाल ऐसे ढंग से करते हैं, जिस पर सीधे ऐक्शन लेने में दिक्कत महसूस होती है। यह बिल्डिंग बहुत पुरानी सन् 39 की है तीन मंजिली। इस पर एक मंजिल और बनवाने के लिए अधिशासी अभियन्ता से अनधिकृत रूप से नक्शा ले लिया, शासन की जानकारी में आते ही मामले की कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ हो गयी, उस मंजिल को गिरवाने के लिए उसे नोटिस दे दिया गया है और अब आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री हुकम सिंह--

जिसका उल्लेख आपने अभी किया कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा गलत नक्शा दे दिया गया तो इस अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई? दूसरे जो गलत नक्शा दिया है, दुबारा निरस्त किये जाने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता व अन्य कर्मचारी जो इससे सम्बन्धित हैं, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, लखनऊ में इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग अनधिकृत रूप से बनाई गई हैं। शासन की इन बिल्डिंगों के प्रति स्पष्ट नीति क्या है ? क्या सरकार इन बिल्डिंगों को कम्पाउन्ड करने जा रही है या उन्हें गिरवाने जा रही है ?

श्री मोहन सिंह--

मुद्रा लेकर उसको न्यायोचित कर दिया जायेगा ।

श्री राम सिंह खन्ना--

जो लोग कानून का अपनी ताकत से जानबूझ कर उल्लंघन करना चाहते हैं, उनके लिए या कोई और हो चाहे जितना पैसे वाला, ताकत वाला हो, उन्हें किसी प्रकार छूट देना या बख्शना शासन के लिए सम्भव न होगा, इसे आप देखेंगे ।

श्री केदार नाथ सिंह--

मान्यवर, मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह जो हलवासिया वाला मामला है, बिल्डिंग सम्बन्धी, जिसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था तो क्या इस संशोधन के खिलाफ पार्टी द्वारा कोर्ट में कोई अपील की गई है? दूसरी बात यह कि क्या स्थगन आदेश तो नहीं लिए गए बिल्डिंग के गिराये जाने के बारे में ? यदि नहीं लिये गये हैं, तो इसके गिराये जाने में कितना समय लगेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अभी कोई अपील पार्टी द्वारा नहीं की गई है और गिराने सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु पार्टी को नोटिस दे दिया गया है, जिसका जवाब अभी तक समय निकल जाने के बावजूद नहीं आ सका है तथा अब आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

सन् 1980 में इसी प्रकार का एक मामला हलवासिया से सम्बन्धित विधान परिषद् में आया था, जिसे देखने के लिए वहां के अध्यक्ष चंदेल जी तथा नगर विकास अधिकारी आदि गये थे तो क्या यह मामला उसी समय का है, या उसके बाद का ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की आपको इजाजत नहीं देता, विधान परिषद् में क्या होता है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है अगर कोई और सूचना आपके पास इससे सम्बन्धित हो तो अलग से लिख कर दीजिये ।

*2--श्री राजकुमार राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*3--श्री रियासत हुसैन--

[दिनांक 18-3-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित]

*4--श्रीमती गौरी देवी--

[दिनांक 17-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 168 द्वारा उत्तरित]

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[दिनांक 10-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 6 द्वारा उत्तरित]

जिला सहकारी बैंक, हरदोई में की परसोनेल वर्ग पद पर कर्मचारियों के अनुमोदन की अर्हतायें

*6—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जिला सहकारी बैंक हरदोई में 'की परसोनेल' वर्ग-1 पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी अनुमोदन की अर्हतायें पूरी नही करता है ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों का क्या औचित्य है तथा विभाग द्वारा इन नियुक्तियों के करने के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)—

जिला सहकारी बैंक हरदोई में 'की-परसोनेल' वर्ग-1 पद पर नियुक्त तीन कर्मचारियों के अनुमोदन का मामला सहकारी संस्थागत सेवा मन्डल के विचाराधीन है। सेवा मन्डल अनुमोदन देने के पूर्व अर्हताओं पर भी विचार करते है। सेवा मन्डल के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, इसके पहले मैंने इसी विषय का एक अतारांकित प्रश्न किया था पिछले बृहस्पतिवार को, उसका जवाब मेरे पास मौजूद है, उसमें स्वीकार किया गया है कि नियुक्तियों में धांधली हुई है और आज जो मन्त्री जी का जवाब आया है, वह घुमाफिरा कर आया है। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि 'कीपरसोनेल' अधिकारी की नियुक्ति की क्या-क्या शर्तें हैं और क्या किसी अधिकारी ने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है ? माननीय मन्त्री जी भविष्य में इस पद की नियुक्ति शीघ्र करा देंगे, क्या ऐसा आश्वासन वे इस सदन में देंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो पहला सवाल है, उसमें सीधी भर्ती 50 प्रतिशत जगह के लिये है जो कि विभागीय होती है और 50 प्रतिशत भर्ती बाहरी लोगों के लिए है जो कि बाहर के लोगों को दी जाती है। जो भी पदोन्नति की जाती है, उन अभ्यर्थियों का स्नातक होना आवश्यक है और साथ ही 7 वर्षों का उन्हें अनुभव भी होना चाहिये और आयु उस समय उनकी 28 से 50 वर्ष तक की हो। यदि इसकी नियुक्ति नहीं हुई होगी या कोई कमी होगी, तो इसको हम देख लेंगे और उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

श्री मारकण्डेय चन्द—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जो नियुक्ति में 50 प्रतिशत संस्था देती है तो क्या उसके लिये संस्थागत सेवा मण्डल से अनुमोदन कराना आवश्यक है कि 50 प्रतिशत का अनुमोदन हो गया हो और शेष नियुक्तियां सेवा मण्डल द्वारा की गई हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, जो नियुक्ति होती हैं, उसके लिये सेवा मण्डल के उसका अनुमोदन लेना होता है। यह मामला भी सेवा मण्डल को भेजा गया है, परन्तु अभी तक अनुमोदन नहीं हुआ है। अनुमोदन हो जाने के उपरान्त ही नियुक्तियां की जायेंगी।

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध में उच्च न्यायालय का निर्णय

*7.—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद राजकीय चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस को स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पुनः प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबन्दी लगाने की सोच रही है ?

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह)—

सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाये गये प्रतिबन्ध के विषय में उच्चतम न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पेटीशन पर अभी निर्णय होना बाकी है ।

प्राइवेट प्रैक्टिस पर पुनः पाबन्दी लगाने का शासन का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करते हैं । वे प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या शासन उनको नानप्रैक्टिसिंग एलाउन्स देने पर विचार करेगी ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, अभी सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है ।

श्री धर्मवीर सिंह—

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में दो तरह के डाक्टर्स हैं, जैसे एक मेडिकल कालेज के हैं, जिन्हें सब सुविधायें प्राप्त हैं और दूसरे जैसे मलेरिया के, फाईलेरिया के या स्मालपाक्स के या फेमिलोप्लानिंग के डाक्टर्स हैं, उन लोगों को दवाई के नाम पर केवल इतना ही करना होता है कि वे मलेरिया आदि के इंजेक्शन लगा दें, परन्तु उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का मौका नहीं है । तो उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुये, जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, क्या माननीय मन्त्री ऐसे डाक्टरों को जिनके पास प्रैक्टिस करने का मौका नहीं है, उनको नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स देने की घोषणा करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस तरह का शासन का अभी कोई विचार नहीं है ।

डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल—

मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सारे डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की छूट दे दी गई है । श्रीमन्, मैं इसी सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि जो डाक्टर्स आपके डाइरेक्टोरेट में काम कर रहे हैं, जैसे एडीशनल डाइरेक्टर, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर या और दूसरे प्रकार के डाइरेक्टर्स, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कौन सा समय निर्धारित किया गया है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, यह जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय है, वह बाकायदा गजेट के अनुसार घोषित किया गया है। सुबह आफिस आवर्स के पहले और बाद में उनके प्रैक्टिस करने का समय है।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जब एक नियम बना दिया गया, तो कुछ लोगों को छूट दी गई और कुछ को नहीं दी गई उनके पास समय नहीं है, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों की छूट दी गई है, तो क्या इस बात की जानकारी माननीय मन्त्री जी करने की कृपा करेंगे कि आफिस आवर्स में या ड्यूटी आवर्स में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या मरीजों को दवा देते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह बहुत ही व्यापक सवाल है। मैं इसकी आज्ञा नहीं देता।

श्री मारकण्डेय चन्द--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है

श्री राजेन्द्र कुमार कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि आपके विभाग ने मेडिकल कालेज में बहुत ऐसे डाक्टर्स हैं, जिनको सेवा में लेते समय अनुबन्ध किया गया था कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे ? यदि हां, तो शासन की क्या नीति है ? उनका नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स बन्द करने का क्या कारण है ? इंडियन मेडिकल काउन्सिल और भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन ने जो नीति अपनाई है, उसके खिलाफ निर्देश दिए हैं कि डाक्टरों की निजी प्रैक्टिस को बन्द कर देना चाहिये तो इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने क्या नीति अपनाई है ?

श्री हरि सिंह--

इंडियन मेडिकल काउन्सिल और केन्द्रीय सरकार के ऐसे कोई आर्डर या आदेश नहीं हैं, बल्कि वह एडवाइजरी है, कोई पाबन्दी नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह सवाल किया था कि जो डाक्टर्स सर्विस में आते समय यह अनुबन्ध किया था कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनका नान प्रैक्टिसिंग एलाउन्स बन्द किये जाने का क्या कारण है ? जो भी भारत सरकार के निर्देश हैं, वह क्या हैं और उनके बारे में शासन की नीति क्या है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा जो इस तरह का एग्रीमेन्ट हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। केन्द्रीय सरकार का जो डाइरेक्टिव है, वह केवल एडवाइजरी मात्र है, कोई हमारे ऊपर पाबन्दी नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

अध्यक्ष जी, अभी आपने माननीय विधायक डाक्टर की बात सुनी, अब आप डाक्टर पति की बात भी सुनें । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस एलाऊ करने के कारण देहातों में और शहरों में जो डाक्टर लगे हुये हैं उन्होंने वहां पर अपनी दुकानें खोल दी हैं और अस्पताल के सारे मरीजों को वे अपनी दुकानों में ही देखते हैं । ऐसी परिस्थिति में शासनादेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुये कौन सी ऐसी कठिनाई है जिसके कारण सरकार इस प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द करना नहीं चाहती है ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा डाक्टर लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें । यदि इस तरह की हमें कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप रोज 20 सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड हैल्थ आरगनाइजेशन और यूनेस्को से जो पैसा आपको मिलता है जिनके जरिये आप अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चला रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हम उन्हें वहां से पैसा लेकर फ्री चलायेंगे तो जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दे देंगे तो किस तरह से आप उनको चला पायेंगे जब आपको वहां से पैसा मिलना बन्द हो जायेगा ?

श्री हरि सिंह--

मान्यवर, जो हमारे डाक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटीज के आवर्स निश्चित हैं । यूनेस्को और वर्ल्ड हैल्थ आर्गनाइजेशन से हमें जो धनराशि मिलती है उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और सुचारू रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और देहातों में उसका लाभ भी पहुंच रहा है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह तो आप [* * *] ।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपकी हिदायतों के बावजूद भी माननीय मंत्रीगण यहां पर तैयार होकर नहीं आते हैं और जब यहां पर प्रश्न किये जाते हैं तब वे फाइलों को टटोलते रहते हैं और जब गैलरी से उनके सेक्रेटरी कोई स्लिप भेजते हैं तब वे जवाब दे पाते हैं मैं चाहता हूं कि आप नियमों में यह प्राविधान कर दें कि मंत्रियों के साथ यहां पर उनके सेक्रेटरी भी बैठ जाया करें । वैसे तो प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द करने की इनकी कोई इच्छा नहीं है ।

नोट :--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

में इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, में मंत्री जी से पुछना चाहता हूं कि जब से प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट डाक्टरों को मिली है तब से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में जो डाक्टर हैं वे अस्पतालों में मरीजों को नहीं देखते हैं । मरीजों के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि जब तक हम प्राइवेटली डाक्टरों को नहीं दिखलायेंगे तब तक हमारा इलाज नहीं हो सकेगा । इस तरह से मरीज प्राइवेट प्रैक्टिस के माध्यम से अपना इलाज करवा रहे हैं । इसके अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री जी के मन में यह शंका पैदा नहीं हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में अधिकारी लगे हुये हैं या जो ज्वाइन्ट डाइरेक्टर या एडीशिनल डाइरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य में लगे हुये हैं यदि वे 10 बजे से पहले और पांच बजे के बाद, क्या प्रशासन के कार्यों में उन्हें बाधा नहीं पड़ेगी ? क्या माननीय मन्त्री जी के दिमाग में यह बात है ?

(व्यवधान)

कृपया सुन लें । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जब ये डाक्टर जो कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जब वे प्राइवेट प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो प्रशासन का कार्य रुकेगा, तो क्या यह बात भी आपके दिमाग में है ?

श्री हरि सिंह—

जो शंका प्रकट की गई है, ऐसी बातें हमारे एक्सपीरियेन्स में नहीं आयी है । शासन का काम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि प्राईवेट प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही है । आदरणीय सदन की भावना का आदर करते हुए और मेरी सुनिश्चित जानकारी को मानते हुए प्राईवेट प्रैक्टिस चल रही है तो इस सम्बन्ध में शासन की स्पष्ट नीति क्या है और उसको बन्द करने की घोषणा मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरि सिंह—

मैंने निवेदन किया कि ड्यूटी आवर्स में कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है अगर किसी सदस्य को जानकारी में कोई शिकायत है तो उसे मुझको दे दें मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा ।

धान की खरीद का मूल्य निर्धारण

*8—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ी हुई खाद की दर और बढ़ी हुई मजदूरी की दर को ध्यान में रखते हुए खरीफ की बुआई से पहले विविध प्रकार के धानों के मूल्य 200 रुपए प्रति कुन्तल करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि खाद्यान्न के खरीद मूल्य निर्धारण का अधिकार भारत सरकार को है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा गठित कृषि मूल्य आयोग को, वर्ष 1982-83 में धान का समर्थन मूल्य रुपये 160 प्रति कुन्तल निर्धारित करने की संस्तुति की गयी थी। परन्तु भारत सरकार ने वर्तमान वर्ष के लिये धान का समर्थन मूल्य रुपये 122 प्रति कुन्तल ही घोषित किया है।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपने प्रश्न में रबी की फसल के पहले धान के दाम दो सौ रुपये प्रति कुन्तल करने के लिए कहा था। इस बीच 83 में दूसरी चीजों के दाम बढ़ गये हैं रासायनिक खादों के दाम बढ़ गये हैं, बिजली के दाम बढ़ गये हैं। आपने कृषि मूल्य आयोग ने जो 160 रु0 की सिफारिश की है उसको इन बढ़े हुए दामों को देखते हुए 200 रु0 प्रति कुन्तल करने की संस्तुति करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

धान की खरीद के बारे में माननीय सदस्य का प्रश्न है इस वर्ष चावल की खरीद साढ़े चार लाख कुन्तल से ऊपर हो गयी है अब अगले वर्ष के लिए आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दाम रखे जायं। अगर आप 1980-81 और 1981-82 की जो हमारी संस्तुति है वह जानना चाहते हैं तो वह हमारी संस्तुति हमेशा ज्यादा रहती रही है। दाम भारत सरकार निर्धारित करती है अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे पास पूरा विवरण है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 160 रु0 की संस्तुति आपने भेजी परन्तु भारत सरकार ने 122 रु0 प्रति कुन्तल तय किया। तो उस समय जब संस्तुति की गयी किन-किन बिन्दुओं को ध्यान में रख कर 160 रु0 तय किया और क्या भारत सरकार ने उनको न मान कर 122 रु0 कर दिया ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, ऐसा होता है कि हम जो संस्तुति करते हैं उसका कुछ आधार होता है आंकड़ों को ध्यान में रख कर समर्थन मूल्य क्या हो इस विषय में अपने कृषि विभाग से संस्तुति प्राप्त करते हैं। कृषि विभाग ने जो हमको उत्पादन लागत भेजी है वह 131.88 प्रति कुन्तल भेजी है तथा कामन श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 158.25 पैसे रखने की संस्तुति की। हमने तो उससे ज्यादा की ही संस्तुति की। कृषि मूल्य आयोग और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 17 अप्रैल, 1982 को बातचीत हुई। समय ज्यादा नहीं था, इसलिये खाद्य मंत्री की हैसियत से इस प्रत्याशा में कि कैबिनेट हमारी बात मान लेगी, लेकिन मंत्रि परिषद् ने हमारी बात को माना और 160 रुपये की संस्तुति किया।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे खाद्य मंत्री बहुत उदार हैं और किसानों का ध्यान रखा और उनकी संस्तुति को मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया, जैसा

कि उन्होंने बताया है । तो केन्द्रीय सरकार ने उस सिफारिश को नहीं माना, तो क्या मंत्री जी ने अपनी तरफ से पुनः कोई इसमें असंतोष व्यक्त करते हुए पत्र केन्द्रीय सरकार को लिखा है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी नहीं । अब नहीं लिखूंगा ।

कानपुर में गंगा नदी में जल प्रदूषण को रोकने हेतु उठाये गये कदम

*9—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इन्वाइरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर जोन द्वारा किए गये सर्वेक्षण की आख्या के अनुसार कानपुर में गंगा नदी के पानी में अत्यधिक प्रदूषण की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है तथा यह समस्या जन-स्वास्थ्य के लिए भयंकर खतरा बन गयी है ? यदि हां, तो इस गम्भीर खतरे से निपटने के लिए सरकार तत्काल क्या प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नेशनल इन्वाइरनमेन्ट इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कानपुर द्वारा किये गये सर्वेक्षण की आख्या के अनुसार कानपुर में गंगा नदी के जल में मुख्यतः जीवाणुओं और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई गयी । बिना शुद्धिकरण के एसे जल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए अहितकर है ।

जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) प्रमुख नालों को सीधे गंगा नदी में गिराने के बजाय सीवेज फार्म में ले जाने की व्यवस्था,

(2) विभिन्न सीवेज पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता बढ़ाये जाने की व्यवस्था,

(3) घरेलू सीवेज से बायोगैस प्राप्त करने की योजना,

(4) जाजमऊ स्थित टेनरियों के दूषित उत्प्रवाहों के लिए एक संयुक्त शुद्धिकरण प्लान्ट की व्यवस्था, तथा

(5) अन्य उद्योगों द्वारा छोड़े जाने वाले दूषित उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण के उपाय ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नेशनल इन्वाइरनमेन्ट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कानपुर द्वारा जो आख्या दी गयी उसके अनुसार प्रदूषण की भयंकर समस्या है और हजारों व्यक्ति रोज गंगा जल के पानी को पवित्र मानकर पी रहे हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं । इसमें जो प्रथम दो उपाय उत्तर में बताये गये हैं उनको किस अवधि में पूरा किया जायेगा और इसके लिये कितनी धनराशि की तात्कालिक व्यवस्था की गयी है ? बाकी तीन मुद्दों में कबतक पूरा कराने के आदेश दिये गये हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह अक्तूबर, 1982 में इन्होंने सर्वेक्षण करके रिपोर्ट प्राप्त हुई है और जैसा बताया कि यह वह उपाय सोचे गये हैं, तो योजना उसकी बनेगी, कितना रुपया लगेगा, इन बातों पर विचार करके उचित कार्यवाही उचित समय पर शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, अभी हाल में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भी प्रदूषण के सम्बन्ध में एक गोष्ठी हुई थी और जो उपाय मंत्री जी ने बताये कि यह करना है । इसके अलावा क्या यह सही है कि गंगा नदी में हजारों लाखों की तादाद में मनुष्यों और मरे हुये जानवरों की लाशें रोजना फेंकी और बहा दी जाती हैं जिससे उसमें वह सड़ती हैं और गंदगी पैदा होती है, तो यह तात्कालिक व्यवस्था इसके बारे में सरकार कानून बनाकर इसको रोकने की व्यवस्था करेगी कि मरे हुए मनुष्यों और जानवरों की लाशें उसमें न बहायें ।

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, यह भी एक बड़ा प्रदूषण का कारण है, जो आपने बताया है, और प्रदूषणों के जितने कारण हैं, उन सबके...

श्री ऊदल--

जो मैंने बताया है, उसको रोकने के लिये आपने क्या किया है, या करेंगे क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

एक समय ऐसा था जब यह मान्यता थी कि गंगा में प्रवाह करने से स्वर्ग मिलता है, आज यह हुआ कि इसके जरिये से प्रदूषण होता है, तो आज इस बात पर विचार करके इस पर पूरी समझदारी है कि इससे नुकसान होता है और जनमत संग्रह करके इस के लिये पूरे उपाय करने की सरकार कोशिश करेगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि योजना बन रही है और उचित समय पर उचित व्यवस्था की जाएगी, पूरे प्रदेश में एक भयंकर प्रदूषण की समस्या है, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सरकार इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करेगी, ताकि लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हो सके ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पूरी कोशिश की जाएगी और गम्भीरता से शासन पूरी तरह से जागरूक है । कुछ कोशिश की भी गई है । इंडस्ट्रीज के लोगों को भी समझाया गया है, वह लोग भी सहयोग दे रहे हैं । इस पर नियन्त्रण किया जा रहा है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने का पूरा प्रयास हो रहा है और उसके बाद ही वह गंगा में जाये । यह योजनाएं काफी कीमती हैं, 30 करोड़ रुपया जल संस्थान इसके लिए समझता है, तो इसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष जी, मैं ही गंगा के किनारे नहीं रहता हूं, करोड़ों लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि कभी गंगा स्वर्ग का साधन रही है और आज हम लोगों की सभ्यता और निष्क्रियता ने उसे नर्क का साधन बना दिया है। यह हम लोगों की सभ्यता को बहुत बड़ी चुनौती है कि जो गंगा उत्तर प्रदेश की सीमा में हरिद्वार से बनारस व बलिया तक करोड़ों लोगों के खाने, नहाने तथा जल पीने का साधन बनी हुई है, आज उसका जल इतना प्रदूषित हो रहा है, तो क्या इसके रोक के लिए कोई निश्चित-योजना मंत्री जी के पास विचाराधीन है और उसको लागू करेंगे ? क्योंकि मैं समझता हूं कि यह समझाने बुझाने से कुछ नहीं होगा।

श्री राम सिंह खन्ना—

इस योजना पर इसी लिए विचार विमर्श हो रहा है और संसाधन जुटाकर इसकी गरिमा और महत्व को समझते हुए पूरी प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को किया जाएगा।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

क्या मंत्री जी जानते हैं कि असली गंगा में कितना पानी आ रहा है और कितना कैनालों में ले जा रहे हैं ? मेरी सूचना है कि गंगा में जो असली पानी आता है वह कैनाल में डाईवर्ट होता जा रहा है, और गंगा म सारा के सारा फ्लूटेड जल ही आ रहा है। वह बहुत कम हो गया है, तो गंगा में जबतक कैनाल का पानी डाइवर्ट नहीं होगा, यह प्रदूषण जा नहीं सकता है तो क्या मंत्री जी इसकी इंक्वायरी और उसके उपाय करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

यह भी एक कारण है, इस गंगा से सिंचाई के लिए जो नहरों में पानी जाता है, उससे उसमें पानी की सख्त कमी रहती है, जिसके बारे में भी उपाय विचाराधीन है।

डा0 एस0 सी0 जैन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलाना, गाजियाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच

*10—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10 सितम्बर, 1982 या इसके आसपास डा0 एस0 सी0 जैन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र, धौलाना, जिला गाजियाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच के बारे में कुछ तथ्यों का हवाला देते हुए एक रजिस्टर्ड पत्र स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को भेजा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

जी हां, यह पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच की जा रही है।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध जांच आप करवा रहे हैं, इस जांच को आपका कौन सा अधिकारी कर रहा है और किस तारीख से यह जांच प्रारम्भ की गयी है ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, यह जांच कर रहे हैं गाजियाबाद के डिप्टी सी0 एम0 ओ0 डा0 आर0 एस0 अग्रवाल ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, किस तारीख से कर रहे हैं ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, तारीख आपको निश्चित बताता हूं । 12 जनवरी, 1983 को जांच के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद को भेजे गये थे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने 10 जनवरी, 1982 को प्रश्न किया था, उसके साल भर के बाद ही मान्यवर, आपने जांच प्रारम्भ कराया । मान्यवर, इस प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध मुख्य आरोप क्या हैं और इस जांच को सम्भवतः कब तक पूरी करा देंगे ?

श्री हरि सिंह—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य का आरोप है, उसे ही मैं पढ़ कर सुना देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य-मुख्य बता दें ।

श्री हरि सिंह—

(1) मान्यवर, वर्ष 1981-82 में महेन्द्रा प्रोडक्ट गाजियाबाद नामक फर्म से डा0 जैन ने कुछ सामान की खरीद सरकारी पैसे से की जबकि ज्ञात हुआ है कि इस नाम की कोई भी फर्म गाजियाबाद में नहीं है, इस प्रकार डा0 जैन ने सरकारी पैसे गबन कर गम्भीर कूट रचना की है ।

(2) वर्ष 1980-81 में डा0 जैन का स्थानान्तरण स्टेट डिस्पेंसरी जिला गाजियाबाद से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौलाना को हुआ था, इन्होंने यात्रा भत्ता तौड़ी से धौलाना तक सरकार से वसूल किया परन्तु डा0 जैन पिलखुवा में ही अन्य स्थान पर रहते हुए भी साथ ही भवन भत्ता धौलाना का वसूल करते आ रहे हैं ।

(3) मार्च, 1982 में ग्राम धूटी की दाई के नाम से डा0 जैन ने पैसा निकाला परन्तु वही पैसा दूसरी दाई ग्राम पिपलैंडा को दे दिया ।

(4) कु0 नरगिस शफीक ए0 एन0 एम0 बहेडा कला पी0 एच0 सी0 धौलाना तथा श्रीमती कुंवरा बेगम दाई बहेडा ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद को डा0 जैन के विरुद्ध चारित्रिक गड़बड़ का आरोप लगाते हुए शिकायती प्रार्थना-पत्र दिये परन्तु डा0 जैन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं हुई, ये चार शिकायतें मान्यवर हैं।

इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग की स्थापना तथा देय धनराशि एवं कार्यरत अधिकारी

*11--श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में राज्य सरकार के कुछ रिटायर्ड आई0 ए0 एस0 अधिकारियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मिल कर एक कोआपरेटिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, निराला नगर, लखनऊ में खोला है? यदि हां, तो इस इन्स्टीट्यूट को अब तक राज्य सरकार ने इस ट्रेनिंग के नाम पर कितना धन दिया है तथा इस इन्स्टीट्यूट में कौन-कौन रिटायर्ड अधिकारी कार्यरत हैं?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं। वर्ष 1978 में राज्य सरकार ने कुछ शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं के सहयोग से एक इन्स्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव मैनेजमेंट, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग की स्थापना की, जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज ऐक्ट, 1860 के अधीन दिनांक 21 अक्तूबर, 1978 को हुआ। राज्य सरकार इस इन्स्टीट्यूट को दो लाख रु0 सदस्यता शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष देती है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में 10 लाख रु0 और वर्ष 1979-80 में 5 लाख रु0 इन्स्टीट्यूट के एन्डाउमेंट फण्ड में राज्य सरकार द्वारा जमा किया गया। इन्स्टीट्यूट में निम्नलिखित रिटायर्ड अधिकारी कार्य करते हैं--

(1) श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना, सेवा निवृत्त आई0 ए0 एस0 निदेशक।

(2) श्री ओम प्रकाश शर्मा, सेवा निवृत्त अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, संयुक्त निदेशक।

*12--श्री भीखा लाल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

(तारांकित प्रश्न संख्या 11 पुकारे जाने पर, श्री छत्तर सिंह के अनुपस्थित होने पर, श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 13 के पुकारे जाने पर।)

श्री प्रियदर्शी जेतली--

मान्यवर, प्रश्न संख्या 11 में दिलचस्पी है।

श्री अध्यक्ष--

तो फिर खड़े क्यों नहीं हुए? अब मैंने प्रश्न संख्या 13 ले लिया।

उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा के स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट का वितरण

*13--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 13-6-82 को यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक लखनऊ ने अपनी साधारण सभा में आये एक सौ आठ प्रतिनिधियों में वितरण हेतु 200 स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट/टी सेट मुरादाबाद से मंगाये

थे ? यदि हां, तो 108 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शेष सेट किन-किन अधिकारियों को वितरित किये गये ? क्या वह अधिकारी/कर्मचारियों नियमानुसार शासन की बिना स्वीकृति के इस प्रकार की भेंट स्वीकार कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक की वार्षिक साधारण सभा के 80 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 116 सेट बैंक द्वारा सम्मानित ग्राहकों, विशिष्ट व्यक्तियों प्रेस प्रतिनिधियों तथा अपने और जिला सहकारी बैंकों के अधिकारियों एवं अन्य सरकारी अधिकारियों को वितरित किए गये। 4 अवशेष सेट बैंक के गेस्ट हाउज में अतिथियों के सत्कार में प्रयोग हेतु सुरक्षित हैं।

जिन सरकारी अधिकारियों ने उक्त उपहार प्राप्त किया है उन्हें निदेशित किया जा रहा है कि यदि उन्होंने उक्त उपहार प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं की तो उसे नियमानुसार प्राप्त कर लें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस बात को स्वीकार किया है कि 200 स्टेनलेस स्टील के डिनर सेट/टी सेट मुरादाबाद से मंगाये गये थे। जिन सरकारी अधिकारियों ने उक्त उपहार प्राप्त किया है, उन्हें निदेशित किया जा रहा है कि यदि उन्होंने उक्त उपहार प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं की तो उसे नियमानुसार प्राप्त कर लें। मान्यवर, इस जवाब से यह सिद्ध हुआ कि नियमों के अनुकूल यह काम नहीं हुआ है। इस प्रकार का कोई नियम नहीं है, अगर है, तो माननीय मंत्री जी वह नियम बतावें, जिस नियम में प्रजेंटेशन स्वीकर किया। माननीय मंत्री जी वह नियम बता दें, मान्यवर। साथ ही साथ मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि जिन अधिकारियों ने बगैर अनुमति प्राप्त किए हुए यह उपहार ले लिया है, तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, ऐसी परंपरा रही है कि बैंकों में जब ए0 जी0 एम0 होती है तो नियम से ऊपर उठकर एक परंपरा रही है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, तो उसमें गिफ्ट दिया जाता है। उसी के अनुरूप यह गिफ्ट दिया गया है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो डिनर सेट दिये गये तो प्रत्येक डिनर सेट की कीमत कितनी थी। यह सेट देने का निर्णय बोर्ड के अन्तर्गत लिया गया, अगर बोर्ड ने यह आर्डर नहीं दिया तो किस अधिकारी के आदेश से यह दिया गया। अगर यह आदेश नियम विरुद्ध है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

मान्यवर, यह उस समय जो प्रशासक थे उनकी अनुमति से गिफ्ट दी गयी। प्रत्येक टी सेट की कीमत लगभग 200 रुपये है।

श्री भोला पाण्डेय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह राजधानी में नाक के नीचे सम्मेलन हुआ। उसमें मंत्री जी भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुये थे। क्या शासन से इसकी स्वीकृति मिली थी तब वितरण किया गया। मंत्री जी स्वतः वहां उपस्थित थे तो उनको भी भेंट प्राप्त हुयी कि नहीं ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, यह कोई सरकार की संस्था नहीं है। यह एक संस्था है और संस्था निश्चित करती है कि किस तरह से ए0 जी0 एम0 की जाय।

श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, बैंक एक संस्था है यह हम मानते हैं। लेकिन जितने सरकारी अधिकारियों ने उपहार प्राप्त किया उनको इस बात की जानकारी है कि उनको उपहार प्राप्त करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी चाहिये। वह जानते हुए भी जिन अधिकारियों ने उपहार प्राप्त किया और उपहार प्राप्त करने के लिए हेड आफ डिपार्टमेंट से अनुमति प्राप्त नहीं की। तो क्या उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? कितने ऐसे अधिकारियों को उपहार दिए गए ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा है नियमों के आगे भी परंपरा के अनुसार जो ए0 जी0 एम0 होती हैं उसमें गिफ्ट दी जाती है। अधिकारियों को गिफ्ट दी गई है तो जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है अगर अधिकारियों ने अनुमति नहीं प्राप्त की है तो अनुमति प्राप्त कर लें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, वह संस्था है उसमें सरकार का बहुत लंबा शेयर है। क्या सरकार ने अपना शेयर गिफ्ट के रूप में लुटवाने के लिए दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 200 सेट आये उनकी कुल कीमत कितनी थी ? क्या इतना बड़ा उपहार क्रय करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, जो टी सेट आये तो 200 रुपये प्रति सेट के हिसाब से कुल 43,500 रुपये का सामान खरीदा गया।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों का नाम यह डिनर सेट देने के लिए चयनित किया गया तो चयनित करने का मापदंड क्या था ?

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, जैसा मैंने पहले कहा यह एक शीर्षस्थ संस्था है। जो बैंक के अधिकारी होते हैं वह ए0 जी0 एम0 में शामिल होते हैं।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह परंपरा रही है। तो आज से 2–3 साल पहले जनता पार्टी के शासनकाल में ऐसे अधिवेशनों में सामान वितरित हुआ था कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

अधिशासी अभियन्ता अतिरिक्त निर्माण शाखा, रानीखेत द्वारा अल्मोड़ा एवं बागेश्वर शाखाओं को इम्प्रेस्ट के रूप में दी गई धनराशि

*14—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता अतिरिक्त निर्माण शाखा, जल निगम, रानीखेत द्वारा 1981–82 का 20 लाख रुपया अपने रानीखेत क्षेत्र के निर्माणाधीन योजनाओं में से अल्मोड़ा निर्माण शाखा एवं बागेश्वर निर्माण शाखा को स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1981–82 में रानीखेत शाखा द्वारा अल्मोड़ा एवं बागेश्वर शाखाओं को वास्तविक रूप से केवल 2.40 लाख रुपया स्थानान्तरित किया गया। जल निगम की कार्य प्रणाली के अनुसार धनराशि शाखाओं को योजनाओं के आधार पर नहीं, बरन् इम्प्रेस्ट के रूप में दी जाती है। जल निगम की कार्यप्रणाली के अनुसार यह धनराशि इम्प्रेस्ट के रूप में दी गई धनराशि में से दी गई थी।

जनपद गोरखपुर के साधन सहकारी समिति, दुबौली के सचिव के विरुद्ध आरोपों की जांच

*15—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के साधन सहकारी समिति, दुबौली (खुटहा) के सचिव के विरुद्ध गबन व लूट करके 2 डीजल जीप, ट्रक, मोटर साइकिल, 10 एकड़ खेत, दो मंजिला लगभग 2 लाख का मकान आदि अपने परिवार के नाम खरीदने से संबंधित जनता व प्रश्नकर्त्ता की कितनी शिकायतें शासन एवं स्थानीय अधिकारियों को माह जनवरी, 1982 से माह अगस्त, 1982 तक प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इससे संबंधित जांच व कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधिशासी अधिकारी, श्री एम0 एल0 चतुर्वेदी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*16—श्री मुख्तार अनीस तथा श्री रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अधिकारी (श्री एम0 एल0 चतुर्वेदी) जब नगर पालिका, फरीदपुर, जिला बरेली में कार्यरत

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरांत तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

थे उस समय उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायत की जिलाधिकारी, बरेली द्वारा जांच कराये जाने पर उन पर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के आरोप सही पाये गये ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच जिलाधिकारी, बरेली द्वारा कराये जाने पर उक्त अधिकारी द्वारा नगरपालिका, फरीदपुर की पानी की टंकी वाली भूमि का प्रयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करने तथा उस पर अनधिकृत रूप से पालिका संसाधनों का उपयोग कर फसलें उगाने की शिकायतें प्रथम दृष्टया सही पाई गई, जिसके लिए उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत उन्हें आरोप पत्र दिया जा चुका है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण

*17--श्री राम लाल वर्मा--

क्या स्वस्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ में निर्माणाधीन था तथा जिसका शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया था को अब अमेठी क्षेत्र मे स्थानान्तरित किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य तथा रसद विभाग के लेखा संगठन में कार्यरत सम्प्रेक्षकों/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों का कार्य

*18--श्री राम गोविन्द--

क्या खाद्य मन्त्री को ज्ञात है कि खाद्य विभाग में कार्यरत सम्प्रेक्षण/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षण के निरीक्षण का कार्य न कराकर उनसे कार्यालय के अन्य अनुभागों में कार्य लिया जा रहा है, जिसका फल यह है कि विभाग का सम्प्रेक्षक का कार्य गत कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

खाद्य तथा रसद विभाग के लेखा संगठन में कार्यरत सम्प्रेक्षकों/ज्येष्ठ सम्प्रेक्षकों से मुख्यतः निरीक्षण का ही कार्य लिया जाता है । कार्याधिक्य के कारण कुछ एक ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक/सम्प्रेक्षकों निरीक्षण के अतिरिक्त अन्य अनुभागों का कार्य भी देखते हैं । अपर्याप्त स्टाफ के कारण सम्प्रेक्षण कार्य अद्यावधिक नहीं है, जिसके लिये अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

स्वर्गीय डा0 एच0 आर0 टन्डन की पेन्शन तथा दूसरे देयों का भुगतान

*19--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 एच0 आर0 टन्डन, जो सहारनपुर जेल के डाक्टर थे, की मृत्यु हो गई है ? यदि हां, तो उनकी पेन्शन

तथा दूसरे देय धन अब तक उनके परिवार वालों को क्यों नहीं दिया गया ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र भी माननीय स्वास्थ्य मन्त्री को 9 अगस्त, 1982 को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से भुगतान सम्बन्धी आदेश प्राप्त न होने के कारण अभी तक मृतक के परिवार वालों को भुगतान नहीं हो पाया है। प्रश्नकर्त्ता का 9 अगस्त, 1982 का लिखा पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतएव उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

केशवपुर साधन सहकारी समिति लि0, के सचिव श्री राम उजागर वर्मा तथा विक्रेता श्री आज्ञा राम के विरुद्ध चीनी के घोटाले के आरोपों की जांच

*20—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र, टाण्डा में 'केशवपुर साधन सहकारी समिति लि0 के सचिव श्री राम उजागर वर्मा तथा विक्रेता श्री आज्ञा राम के विरुद्ध समिति से चीनी में घोटाला करने के आरोप थाना इब्राहीमपुर में दिनाक 7-2-82 को अपराध संख्या 25 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई थी ? क्या उक्त दोनों कर्मचारियों को जेल जाना पड़ा था ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और अभी तक दोनों कर्मचारियों को निलम्बित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां।

दिनांक 18-3-1982 को श्री आज्ञाराम, विक्रेता तथा दिनांक 27-4-82 को श्री राम उजागर वर्मा, सचिव ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और वे दोनों जिला कारागार फैजाबाद भेज दिए गए। दिनांक 3-4-82 को श्री आज्ञाराम व दिनांक 5-5-82 को श्री राम उजागर वर्मा की जमानत सत्र न्यायालय, फैजाबाद द्वारा स्वीकृत की गई और उसी दिन दोनों अभियुक्त जेल से रिहा हो गये। इस प्रकार श्री आज्ञाराम, दिनांक 18-3-82 से 3-4-82 तक तथा श्री राम उजागर वर्मा 27-4-82 से 5-5-82 तक जिला कारागार फैजाबाद में बन्द रहे। श्री आज्ञाराम, विक्रेता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। विभागीय जांच में श्री राम उजागर वर्मा, सचिव के विरुद्ध दोष सिद्ध न होने के कारण उन्हें निलम्बित नहीं किया गया। प्रशासनिक दृष्टि से उनका वहां से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गेहूं की खरीद हेतु खरीद केन्द्रों की स्थापना तथा आवश्यक सामग्री की व्यवस्था

**1—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस वर्ष की गेहूं की फसल की खरीद के लिये आवश्यक सभी खरीद केन्द्रों की स्थापना 31 मार्च, 1983 तक कर दी

जायेगी और इसी तिथि तक गेहूं खरीद के लिए सभी आवश्यक सामग्री और उसके तुरन्त मूल्य भुगतान हेतु समुचित धनराशि का प्रबंध भी कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वासुदेव सिंह--

आगामी रबी मार्केटिंग वर्ष 1983-84 में गेहूं की खरीद के लिए आवश्यक संख्या में खरीद केन्द्रों की स्थापना तथा खरीद के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने के बारे में आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी व्यवस्था यथा-सम्भव दिनांक 31 मार्च, 1983 तक हो जायेगी ।

चूंकि गेहूं की खरीद अप्रैल, 1983 से प्रारम्भ होती है, अतः मूल्य के भुगतान हेतु समुचित धनराशि का प्रबन्ध अप्रैल, 1983 में ही समय से कर लिया जाएगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि गेहूं खरीद के समय छोटे असंगठित किसानों का शोषण दो कारणों से होता है । एक तो यह कि खरीद केन्द्र पर स्टाफ और बोरियों की कमी का बहाना लेकर गेहूं की खरीद की रफ्तार में कमी करते हैं । दूसरी तरफ किसान को इस समय सामाजिक खर्चों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसको पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उसे बिचौलियों को सस्ते दाम पर गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या वे यह सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे कि आपके आदेशानुसार 31 मार्च, 1983 तक प्रत्येक जिले में खरीद केन्द्रों की स्थापना, जितनी बोरियों की आवश्यकता है, जितने स्टाफ की आवश्यकता है, यह सब व्यवस्थायें पूर्ण हो जायं ? क्या वे 31 मार्च तक प्रत्येक जिले से यह सब व्यवस्थायें पूरी होने की रिपोर्ट मंगवा लेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, इसमें बहुत अधिक हो गया है, कुछ शेष है । जितनी माननीय सदस्य को जानकारी है, उससे अधिक शासन भी जानकारी रखता है । इस सम्बन्ध में पूरी तैयारी की गयी है और स्पष्ट आदेश कर दिये गये हैं । माननीय सदस्य ने जो बोरी के बारे में कहा है, उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि यह अनुमान है कि गेहूं की आगामी खरीद के लिए 1 करोड़ 50 लाख बोरों की आवश्यकता पड़ेगी तथा वर्तमान चावल क्रय के लिए 60 लाख बोरों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार कुल 2 करोड़ 10 लाख बोरों की आवश्यकता थी और यदि इसमें 10 प्रतिशत और जोड़ दिये जाते हैं तो कुल 2 करोड़ 30 लाख बोरों की आवश्यकता होगी । इनमें से दिनांक 1 अक्तूबर, 1982 को उपलब्ध 1 करोड़ 85 लाख बोरों को घटा देने पर वास्तविक आवश्यकता 45 लाख बोरों की होती है जिनके लिए भारत सरकार को 6 जनवरी, 1983 को इन्डेन्ट भेज दिया गया है और आशा यह है कि बोरों की प्राप्ति समय से हो जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इन्होंने रुपये की व्यवस्था कर दी, आवश्यक बोरियों के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर, इन्होंने यह नहीं बतलाया कि कीमत की घोषणा, जो

केन्द्र सरकार करता है, उस सिलसिले में आप कब तक घोषणा कर देंगे। आपने क्या भाव या ए0 पी0 सी0 ने क्या भाव रिकमेंड किये हैं और सरकार से इस सिलसिले में आपकी क्या बात हुई है ?

श्री वासुदेव सिंह--

गेहूं खलिहान में आने के पूर्व ही यह घोषणा कर दी जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि गेहूं खलिहान में आने के पहले ही घोषणा कर दी जायेगी। मान्यवर, मैं केवल इतना माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूबे की सरकार ने केन्द्र सरकार को, जिसका भाव निर्धारण का काम है, भाव के लिए क्या सिफारिश दी है ? इस साल गेहूं के, सारी चीजों को देखते हुए, भाव क्या होने चाहिये, इसके लिए सूबे की सरकार ने क्या सिफारिश भेजी है ?

श्री वासुदेव सिंह--

यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। माननीय सदस्य को मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भाव परसाल हमने दिए थे, 140, 142, 138 रुपये, उससे निश्चित ही इस बार ज्यादा होंगे।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का अनुभव यह है कि वसूली नाम के लिए सीधे किसान से होती है लेकिन वास्तविकता यह है कि वसूली बीच के बिचौलियों से होती है फायदा बिचौलियों को जाता है। सीधे किसान से वसूली नहीं होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुये इसकी रोक-थाम के लिये क्या कोई कार्यवाही हुई है।

श्री वासुदेव सिंह--

पिछले अनुभव का पूरा-पूरा फायदा उठाया जायगा। जो त्रुटियां थी परसाल उनका निराकरण कर दिया जायेगा। दूसरा सवाल जो है कि किसानों के पास जितना गेहूं है सारे प्रदेश में हम सभी नहीं खरीदते हैं। यह तो मूल्य समर्थन के अन्तर्गत खरीद की जाती है ताकि किसानों का शोषण न हो सके उनको बचाया जा सके।

श्री अकबाल हुसैन--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले साल का अनुभव था कि समर्थन मूल्य गेहूं की खरीद का कम था जिसके कारण किसानों ने केन्द्रों पर गेहूं नहीं दिया जिसकी वजह से गेहूं का अभाव हो गया और उसी का परिणाम यह है कि 3 सौ रुपया कुन्तल गेहूं बिक रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के इक्सपीरियन्स से फायदा उठाते हुये इस साल गेहूं के समर्थन मूल्य को तय करेंगे जो भाव है बाजार का उसी के अनुसार इसको भी तय करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य की जो इच्छा है उस इच्छा की पूर्ति की दिशा में कदम उठायेंगे। जो गेहूं का भाव परसाल था आप स्वयं जानते हैं कि किसान का गेहूं

खेत से खलिहान और घर तक 4-6 दफा भीग गया था जिसके कारण वह खराब हो गया था। इसलिए 138 में खरीद की गयी यह किसानों के हित में था। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये 142 और 140 के अलावा 138 में खरीद की। अच्छा गेहूं जिस मात्रा में उपलब्ध होगा, खरीदेंगे, अभाव की स्थिति नहीं होने पायेगी।

श्री जयदीप सिंह बरार--

श्रीमन्, मैंने पूछा था बोरों आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में और मंत्री जी ने बताया कि लिखा गया है मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि 31 मार्च तक प्रत्येक जिले के प्रत्येक केन्द्र से क्या व्यवस्था पूर्ण करने की कम्पलायंश रिपोर्ट मंगवा लेंगे। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि जो खरीद होती है उसका टारजेट पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जो एजेन्सी पी0 सी0 एफ0 या सोसाइटी आदि खरीद करते हैं उनको बोनस का प्रावधान करेंगे कि जो अधिक खरीद करेंगे उनको बोनस दिया जायेगा।

श्री वासुदेव सिंह--

प्रोत्साहन और पुरस्कार की बात माननीय सदस्य ने व्यक्त किया है यह दिया जाता है। थोड़ा दिया गया है। उनकी इच्छा है तो ज्यादा देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जो वास्तविक प्रश्न है माननीय मंत्री जी उस जवाब को टालते जा रहे हैं। मूल प्रश्न केन्द्र सरकार को कितना रुपया देने की सिफारिश की गई है यह है। इसको बता दें। परसाल से ज्यादा देंगे यह प्रिजमशन की बात है। इन्होंने केन्द्र मूल्य आयोग को क्या सिफारिश भेजी है।

श्री वासुदेव सिंह--

मूल प्रश्न सारे सदन के समक्ष है। मैंने उत्तर दिया कि बातचीत कर रहे हैं विचार कर रहे हैं और समय से भारत सरकार से इसका दाम तय करा देंगे और यह परसाल से ज्यादा होगा।

श्री भीखा लाल--

मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गेहूं की कीमत गेहूं के खलिहान में आने से पहले आप गेहूं की कीमत घोषित कर देंगे। यह प्रश्न बराबर उठता रहा है धान के सम्बन्ध में गेहूं के सम्बन्ध में कि फसल बोने के पहले उसकी कीमत घोषित कर दी जाय। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार को इस बात की संस्तुति करेगी कि फसल बोने से पहले उसकी कीमत घोषित कर दी जाया करें और आप अपनी भी संस्तुति भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, निश्चय ही।

श्री केदार नाथ सिंह--

प्रदेश के अन्दर सरकारी फार्म भी गेहूं पैदा करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य सरकारी फार्मों पर आ रहा है उसी के आधार पर किसानों को दिये जाने पर विचार करेंगे कि उससे कम न दिया जाय ?

श्री वासुदेव सिंह--

मैं इस पृष्ठ भूमि में माननीय सदस्य को तो समझा सकता हूं लेकिन इस सदन में समझाना मान्यवर,....

(हंसी)

श्री किरनपाल सिंह----

खरीद के समय किसानों की जो बहुत बड़ी लूट ठेकेदारों, बिचौलियों द्वारा की जाती है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पाती क्योंकि वे सब लोकल आदमी होते हैं और उनका प्रभाव रहता है। तो क्या कोई दस्ता तैनात करेंगे खरीद केन्द्रों पर छापा मारने के लिए ?

श्री वासुदेव सिंह--

शासन को इसका पूरा-पूरा एहसास है। हम क्या करेंगे, इसको पहले नहीं बतायेंगे।

श्री धर्मबीर सिंह--

क्रय केन्द्रों पर अनाज खरीदने के बाद बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और उसके उठवाने की व्यवस्था नहीं रहती। तो क्या अन्य सालों के मुकाबले में इस साल कोई खास व्यवस्था की गई है कि आपका गेहूं सड़ने से बच जाये और जो फ्लोर मिल्स को आप सड़ा हुआ देते हैं, वह बच जाये ?

श्री वासुदेव सिंह--

इसकी तरफ शासन शुरू से सचेत है और क्या मैं आपके माध्यम से मान्यवर, सदन को बता सकता हूं कि 15-15, 20-20 दिन मुतवातिर जहां-जहां मैं गया हूं, इतने सम्पूर्ण लोगों में से कोई खुद नहीं पहुंचा होगा।

लखनऊ-रामतीर्थ मार्ग स्थित गोपाला एपार्टमेंट के आवासीय भवनों की नजूल भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु कार्यवाही

**2--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ राम तीर्थ मार्ग स्थित गोपाला एपार्टमेंट के 8 मंजिले आवासीय भवनों को अनियमित तरीके से नजूल लैंड पर बनाने के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जून, 1982 से पहले गिराने के एवं उस जमीन पर सरकार का कब्जा लेने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उक्त विषय पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां। शासन द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र दिनांक 26-6-82 तथा 15-7-1932 में नजूल भूमि का पट्टा निरस्त करने तथा पट्टागत भूमि पर

पुनः प्रवेश करने के आदेश दिये गये थे । शासन के इन आदेशों के पूर्व ही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नजूल भूखंड पर अनधिकृत तरीके से निर्मित होने वाले भवनों का निर्माण कार्य रोके जाने तथा गिराने के आदेश दिये गये थे । उनके विरुद्ध श्रीमती फरीज रबाब बेगम तथा श्रीमती मेंहदिया बेगम एवं मेसर्स कामर्शियल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर दी थी और उच्च न्यायालय ने दिनांक 21-5-1981 को रिट एडमिट कर ली थी तथा स्थगन-आदेश दे दिये थे । नजूल पट्टे को निरस्त करने के सम्बन्ध में जो आदेश दिये गये थे उनके सम्बन्ध में भी इन लोगों के द्वारा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये । इसलिए कब्जा लेने तथा भवन गिराने की कार्यवाही रुकी हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया ध्यान रखें । यह न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल---

मान्यवर, न्यायालय का यह नियम है कि जब कोई रिट की जाती है तो जो पार्टी रिट करती है, एफीडेविट दाखिल करती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें 21 मई, 1981 को जो स्टे-आर्डर पार्टी ने लिया तो क्या उसने लिखित दिया है कि हमारी इमारत 4 मंजिला है और इस समय 8 मंजिला हो गई ? तो मैं जानना चाहता हूं कि 4 मंजिल के लिए स्टे लिया और हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दिया, उसके बाद जो 4 मंजिलों का निर्माण हुआ वह किसके आदेश से हुआ और कब हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, हाई कोर्ट से जो उन्होंने स्टे लिया उसमें हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नक्शे के मुताबिक जो उन्होंने बना लिया है उसके अन्दर रिपेयर्स करने की उनको इजाजत रहे । जितना बन चुका है उसके बाद उसको रोक दिया गया है । अपनी तरफ से शासन ने आदमी भी नियुक्त कर दिया है । हाई कोर्ट का कमीशन भी उसको देख आया है । अब मरम्मत की आड़ लेकर वे कुछ कोशिश करते रहते हैं । अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस केश का निस्तारण हो । हमने एडवोकेट जनरल को भी लिखा है कि वे इसे देख लें ।

श्री हुकम सिंह---

हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद इन लोगों ने कुछ निर्माण कार्य कर लिया । क्या यह तथ्य शासन की जानकारी में है कि उन्होंने हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद निर्माण कार्य कराया, यदि हां, तो उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो उन्होंने कार्यवाही की है, निर्माण कराया है, उसके लिये शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जिस वक्त यह देखा गया कि हाई कोर्ट की आर्डर की आड़ लेकर वे लेबर आदि को भेजने का कार्य कर रहे हैं, उसी वक्त हमने अपने एक आदमी को

वहां लगा दिया और एक पुलिस का आदमी भी रहता है जो निरीक्षण करता रहता है। यदि उन्होंने कुछ निर्माण कार्य हाई कोर्ट के बाद कर लिया होगा तो वह कायदे कानून के खिलाफ होगा और उसके लिये कार्यवाही की जायेगी। मगर हाई कोर्ट का निर्णय हो जाने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जैसा कि माननीय सदस्य हरदोई ने कहा है, उसने जो एफीडेविट दाखिल किया है उसमें 4 मंजिला इमारत बनना बताया है, अब वह 8 मंजिला तक बन गयी है। ऐसा लगता है कि आपके अधिकारियों और कर्मचारियों से मिल कर उन्होंने उसको 8 मंजिल तक बना लिया। इसीलिये आपको वहां पुलिस तक को लगाना पड़ा। तो क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि किन अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से उसने ऐसा किया, किसने ऐसा होने दिया, और दोषी पाये गये लोगों के खिलाफ कार्यवाही मन्त्री जी करेंगे?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिसने भी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कार्यवाही की है उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हम छानबीन करके देखेंगे कि इसमें किन-किन लोगों का हाथ था, किसने उदासीनता बरती है। श्रीमन्, अभी हमारे माननीय मुख्य मन्त्री, श्री श्रीपति मिश्र जी ने जैसी कि घोषणा की है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी उदासीनता बरतेगा उसे बख्शा नहीं जायेगा, उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही की जायेगी। मैं भी यही कहना चाहता हूं, गलत काम करने वालों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी, शासन माफ कत्तई नहीं करेगा, पर अभी इसको आप उलझायें नहीं, मामला चूंकि हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट का कृपया फैसला पहले हो जाने दें।

श्री मोहन सिंह—

आपने बताया कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि नक्शे के मुताबिक वे भवन बना लें, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह नक्शा पास था और अगर पास था तो उसे पास करने का क्या आधार था?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, नक्शा इसका पास था। पहले के अधिकारी द्वारा वह पास किया गया था। अब इन सब चीजों पर विचार करने के लिये मैं चाहूंगा कि आप हाई कोर्ट के निर्णय के बाद देखें। मैं यह आश्वस्त करता हूं कि उसके बाद जिस किसी भी की शिकायत होगी उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के बाद प्रश्नोत्तर का कमरा समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

गाजीपुर जनपद को सीमेंट का आवंटन

1--श्री राम नारायन एडवोकेट--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्धारित कोटा था और कितना सीमेंट इस अवधि में गाजीपुर को दिया गया ? कितने व्यक्तियों को एक साथ 40 बोरी से अधिक सीमेंट और किस आधार पर दिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जनवरी, 1981 से दिसम्बर, 1981 तक गाजीपुर जनपद को कुल 11,700 मी0 टन सीमेंट का आवंटन किया गया था और कुल 8,728.80 मी0 टन इस जनपद में फैक्ट्रियों से प्राप्त हुआ था।

एक साथ 40 बोरी से अधिक सीमेंट की आपूर्ति 24 व्यक्तियों को उक्त अवधि में दी गई है।

सम्पूर्ति का आधार निर्माण कार्य का नक्शा एवं प्राक्कलन था।

नगरपालिका, खैराबाद, सीतापुर में दिये गये दाखिल खारिज के मुकदमें व उसका निस्तारण

2--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, खैराबाद, सीतापुर में 1 जनवरी, 1978 से 31 अक्तूबर, 1982 तक कितने व्यक्तियों ने दाखिल-खारिज के प्रार्थना-पत्र दिए ? कितनों के दाखिल-खारिज हुये ? कितने शेष रह गये ? उनके शेष रहने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

596 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

241 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

355 प्रार्थना-पत्र अवशेष हैं। जनता की आपत्ति हेतु मुश्तहरी और बयान आदि की कार्यवाही की जा रही है तथा विवादित मामले जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

महानगर, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत कब्जे को हटाने के विरुद्ध कार्यवाही

3--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उप सचिव, नगर विकास ने प्रशासक महापालिका, लखनऊ को प0 सं0 6849/ए0/म0 पा0-96/80 द्वारा आदेश दिया था कि श्री एस0 पी0 मिश्र, 152-बी, सेक्टर 4-6 के 'ए' महानगर, लखनऊ के मकान के सामने ल0 वि0 प्र0 की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाकर तुरन्त शासन को अवगत करायें ? यदि हां तो क्या आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या दोषी लोगों पर शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, अतिक्रमण दो प्रकार का है। एक समीप स्थित भूखंड पर जो अवंटित हो चुका है दूसरा सड़क पर व्यक्तिगत आवंटी के आवंटित कब्जे का मामला इस व्यक्ति एवं अनधिकृत कब्जेदार के बीच का पारस्परिक मामला है जिसमें विधिवत् कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। सड़क के ऊपर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए अनेक बार तिथियां निर्धारित की गईं। अतिक्रमण कर्ता हैं और बिना पुलिस मदद के हटाया जाना सम्भव नहीं है। अतः पुलिस मदद के लिए निर्धारित तिथियों को सहायता के लिए लिखा गया किन्तु पुलिस सहायता उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित तिथियों पर कब्जा नहीं हटाया जा सका।

4--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या यह सही है कि दिनांक 3-9-82 को श्री एस० पी० मिश्र ने नगर विकास मंत्री को दूसरा प्रार्थना-पत्र दिया था जिस पर सचिव, नगर विकास को 6-9-82 को 511/न० वि० म०, 82 को आदेश दिया गया था कि तुरन्त अवैध कब्जा हटाया जाय ? यदि हां, तो उक्त पत्र कहां है तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सड़क पर हुए अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही करने के लिए निदेशित किया गया था। इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए महापालिका द्वारा दिनांक 19-1-1983 की तिथि निर्धारित की गई थी परन्तु पुलिस सहायता उपलब्ध न होने के कारण कब्जा नहीं हटाया जा सका।

राशन विक्रेता श्री चन्द्र प्रकाश जैन तथा श्री जगन प्रसाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5--श्री बदन सिंह--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा नगर के एक नागरिक (सीरमल पुत्र खूबचन्द्र एफ-763/6, कमला नगर, आगरा) का दिनांक 24 जून, 1982 को लिखा एक शिकायती-पत्र माह नवम्बर, 1980 से जून, 1982 तक राशन न मिलने के सम्बन्ध में राशन विक्रेता चन्द्र प्रकाश जैन तथा जगन प्रसाद ई-ब्लाक कमला नगर, आगरा के विरुद्ध प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त राशन विक्रेता के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। शिकायत पर आवश्यक जांचोपरान्त श्री चन्द्र प्रकाश जैन, राशन विक्रेता को चेतावनी दी गयी है और श्री जगन प्रसाद राशन विक्रेता की जमानत की धनराशि से 100 रु० (सौ रुपये) जब्त कर लिए गये हैं।

उप निदेशक होम्योपैथी की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता में परिवर्तन एवं छात्रों द्वारा आन्दोलन के कारण शिक्षा में व्यवधान

6--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार उप निदेशक, होम्योपैथी की नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता में परिवर्तन

करने जा रही है ? यदि हां, तो निर्धारित योग्यता में परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति--

उप निदेशक होम्योपैथी की नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हताओं में संशोधन किया गया है क्योंकि यह पद अब सीधी भर्ती से नहीं बल्कि प्रोन्नति से करे जाने का विचार है ।

7--श्री खैरुल बशर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत होम्योपैथिक छात्र आन्दोलन के कारण होम्योपैथिक छात्रों की शिक्षा में कुल कितने वर्ष का व्यवधान उत्पन्न हुआ है ? क्या राज्य सरकार विगत होम्योपैथिक छात्र आन्दोलन से प्रभावित छात्रों को सरकारी नौकरी में लिए जाने एवं सेवा निवृत होते समय जितने समय का व्यवधान विगत छात्र आन्दोलन के कारण उनकी शिक्षा में पड़ा उतने समय की विशेष छूट उनकी उम्र में देने की कृपा करेगी ?

श्री लोकपति--

होम्योपैथिक छात्रों के 1977 के आन्दोलन के कारण उनकी शिक्षा में लगभग दो वर्ष का व्यवधान हुआ ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है और प्रत्यक्षतः उसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ।

सेवा निवृति की आयु में भी छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका खैराबाद तथा लहरपुर द्वारा क्रय किए गये विद्युत सामान

8--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका खैराबाद और नगर पालिका, लहरपुर (सीतापुर) के अन्तर्गत विद्युत् से सम्बन्धित कितना सामान (बल्ब, राड इत्यादि) 1-1-81 से 31 अक्तूबर, 1982 तक खरीदा गया ? क्या यह सामान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनी से ही खरीदा गया ? यदि नहीं, तो वह सामान किस अधिकार से खरीदा गया ? जिन अधिकारियों ने खरीदा है क्या उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

दिनांक 1-1-1981 से 31-10-1982 तक नगरपालिका, खैराबाद तथा लहरपुर द्वारा क्रय किये गये विद्युत् सामान का विवरण संलग्न है ।

शासकीय आदेशों के अनुसार उक्त विद्युत् सामान प्रमुख उत्पादक कम्पनियों के प्राधिकृत फर्मों से ही क्रय किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 1907 पर)

9--श्री हरगोविन्द वर्मा--

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 102 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूमि विकास बैंक से जमीन पर लिये हुए कर्जों की वसूली का प्राविधान

10--श्री ऊदल--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास बैंक, उ0 प्र0 में ऐसा प्राविधान किया गया है कि जिस जमीन पर कर्जा लिया जा रहा है उसको बेंच दिया जाय तो जो खरीदार हैं उससे रुपया वसूल किया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक, अधिनियम (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 16,1984 का) की धारा 22 में यह प्राविधान है कि ऐसा कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, गिरवी या बन्धक किया गया हो, प्रभार, गिरवी या बन्धककर्त्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायगी जब तक कि उसके द्वारा भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिये गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा। अतः ऐसी भूमि के क्रेता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और वसूली के लिये बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन या उसके किसी भाग का भुगतान न होने की दशा में, बैंक को उपलब्ध किसी अन्य प्रत्युपाय के अतिरिक्त बन्धकग्रस्त या प्रभारित सम्पत्ति को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विक्रय करने का अधिकार है।

नई बस्ती, सीतापुर के नागरिकों को पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में पत्र

11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 30 अगस्त, 1982, जिसमें मो0 नई बस्ती, सीतापुर के नागरिकों की पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में मोहल्ला नई बस्ती, सीतापुर में पेयजल आपूर्ति की समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया है। सीतापुर पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत 1400 कि0 ली0 के अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके कार्यरत हो जाने के उपरान्त मोहल्ला नई बस्ती के निवासियों को जलापूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

नगरपालिका, खैराबाद, लहरपुर में पानी की टंकी का निर्माण

12--श्री हरगोविन्द वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नगरपालिका खैराबाद और नगरपालिका लहरपुर के लिए पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी है उनके लिए प्रदेश सरकार ने पैसा भी स्वीकार किया है ? यदि हां, तो अब तक टंकी न बनने के क्या कारण हैं ? पानी की टंकियों का निर्माण कब तक हो जायगा और जनता को पानी की सुविधा कब तक प्राप्त होगी ।

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

नगरपालिका खैराबाद में पानी की टंकी का निर्माण किया जा चुका है परन्तु, नगर पालिका लहरपुर पानी की टंकी का निर्माण कार्य भूमि के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका ।

लहरपुर में भूमि के उपलब्ध हो जाने के उपरान्त टंकी का निर्माण प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

खैराबाद में टंकी के निर्माण के पश्चात् यांत्रिक कार्य अभी अपूर्ण हैं, जिसके पूर्ण हो जाने पर जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

लहरपुर में टंकी का निर्माण एवं यांत्रिक कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जनता को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ।

नगरपालिका, लहरपुर और खैराबाद में सड़कों के निर्माण पर व्यय

13--हर गोविन्द वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में नगरपालिका, लहरपुर और नगरपालिका, खैराबाद में कितनी सड़क 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1982 तक बनी ? दोनों नगरपालिकाओं को अलग-अलग कितनी पैसा इस कार्य हेतु दिया गया और उसका इस्तेमाल क्या सही रूप में हुआ ? क्या इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी ने की ? यदि हां, तो कब और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

वांछित सूचना निम्नवत् है :--

नगरपालिका लहरपुर

प्रश्नगत पालिका ने उक्त अवधि में 2 डामर सड़कों तथा 20 पटपरों का निर्माण कराया तथा 4,38,000 रु० धन स्वीकृत किया गया ।

नगरपालिका, खैराबाद

प्रश्नगत पालिका ने उक्त अवधि में 54.279 किलोमीटर लम्बी सड़क पर क्षतिग्रस्त डामर सड़कों की मरम्मत, पक्की नाली तथा खड़ंजा का निर्माण कार्य कराया तथा 9,22,150 रु० धन स्वीकृत किया गया ।

धन का उपयोग शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही हुआ है तथा बिलों का भुगतान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य का सन्तोषजनक होने का प्रमाण पत्र देने के पश्चात् किया गया है ।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में डाक्टर तथा उनकी आवश्यकता

14--श्री रेवती रमण सिंह तथा श्री मुख्तार अनीस--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेज में कितने डाक्टर हर वर्ष निकलते हैं और कितनों की प्रदेश में आवश्यकता है ?

श्री लोकपति--

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में लगभग 814 छात्र प्रति वर्ष भर्ती होते हैं । लगभग इतने ही प्रति वर्ष डाक्टरी प्रशिक्षण पाकर निकलते हैं ।

प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 600 डाक्टरों की आवश्यकता होती है ।

हबीबपुरा आवास योजना के सम्बन्ध में जारी की गयी अधिसूचना

15--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकसित आवास योजना के सम्बन्ध में हबीबपुरा आवास योजना, परगना देहात अमानत, तहसील वाराणसी जिला वाराणसी के सम्बन्ध में आवास अनुभाग 2 संख्या 6607/37-2-81-12 एल0-ए0-81, लखनऊ, दिनांक 30 नवम्बर, 1981 अधिसूचना जारी की गयी है और गजट भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस स्थान की जांच की गयी और इसका नक्शा बनाया गया तथा लैंड एक्वीजीशन की प्राथमिक कार्यवाही किए बिना ही भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अधीन कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

शासन द्वारा यह अधिसूचना वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित प्रस्ताव पर भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूरी करने तथा विधिवत छानबीन के पश्चात् प्रकाशित की गयी है ।

नगर महापालिकाओं को सड़कों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

16--श्री मुख्तार अनीस--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर महापालिकाओं को कितना पैसा वर्ष 1980-81 के लिए सड़कों की मरम्मत हेतु आवंटित किया गया है ? क्या कारण है कि नगर महापालिकाओं की प्रायः सभी सड़कें खराब हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर महापालिकाओं को वर्ष 1980-81 में स्वीकृत सड़क अनुदान की धनराशि निम्न है :--

नगर महापालिका का नाम	स्वीकृत की गयी धनराशि
	रु0
कानपुर	1,37,61,000
आगरा	70,23,000
वाराणसी	78,42,000
इलाहाबाद	80,96,000
लखनऊ	1,38,79,0000

नगर महापालिकाओं की प्रायः सभी सड़कें खराब नहीं हैं। हां, यह अवश्य है कि कतिपय सड़कें रोड कटिंग, पुरानी पाइप लाइन का लीकेज होना, भारी यातायात, सड़कों का टुकड़ों में बनना इत्यादि कारणों से क्षतिग्रस्त हैं।

17--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

पेयजल नलकूप स्थान सिधोरा, जिला वाराणसी की टंकी में जल आपूर्ति की जांच

18--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल नलकूप स्थान सिधोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की टंकी में आज तक पानी नहीं भरा गया और न तो उसका चार्ज ही जल आपूर्ति निगम (पेयजल) ने लिया है? क्या यह सही है कि पानी की सप्लाई डायरेक्ट की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

जी हां।

जांच की जा रही है।

19--श्री ऊदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

20--श्री ऊदल--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद चमोली के राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों के रिक्त पद

21--कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में एक नवम्बर, 1982 तक सभी राजकीय चिकित्सालयों में डाक्टरों के कितने पद रिक्त थे ? इन रिक्तियों की पूर्ति कब तक हो जायगी ?

श्री लोकपति--

जनपद चमोली में 1 नवम्बर, 1982 को 68 पद रिक्त थे। लोक सेवा आयोग से पर्वतीय क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त सूची में से 340 डाक्टरों की नियुक्तियां पर्वतीय क्षेत्र में रिक्त स्थानों, जिनमें चमोली जिला भी सम्मिलित है, पर कर दी गई हैं। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

22--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

केदार नगर सहकारी संघ टांडा, फैजाबाद से उर्वरक व्यवसाय पुनः लागू किया जाना

23--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि केदार नगर सहकारी संघ टांडा, फैजाबाद से उर्वरक वितरण व्यवस्था पुनः लागू किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4-10-82 को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र सहकारिता मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उर्वरक वितरण व्यवस्था बिना किसी कारण के समाप्त किए जाने सम्बधित मामले की जांच करायी गयी व जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां। सहकारी संघ, केदारगंज, जनपद फैजाबाद द्वारा उर्वरक व्यवसाय को समाप्त करने की जांच कराई गई। इस जांच से यह विदित हुआ कि सहकारी संघ उर्वरक का व्यवसाय प्रादेशिक सहकारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा कन्साइनमेन्ट आधार पर करता था। दिनांक 1-4-81 से कन्साइनमेन्ट आधार को कैश एन्ड कैरी आधार में परिवर्तित किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश निबन्धक द्वारा प्रसारित किए गए। तदनुसार प्रादेशिक सहकारी संघ द्वारा केदारगंज संघ को उधार व्यावसाय के अन्तर्गत उर्वरक की आपूर्ति बन्द कर दी गई और उससे कैश एन्ड कैरी व्यवस्था के अन्तर्गत इस व्यवसाय को भविष्य में करने की अपेक्षा की गई। इस व्यवसाय के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को मार्जिन मनी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह संघ धन के अभाव एवं आवश्यक मार्जिन मनी अपने जनपद के सहकारी बैंक को भुगतान करने में असमर्थता के कारण बैंक से उर्वरक नकद क्रय करने के लिए ऋण प्राप्त न कर सका। अब औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद ने दिनांक 10-2-83 को संघ को एक लाख रुपए की ऋण सीमा निर्धारित कर दी है तथा दिनांक 21-2-83 से संघ ने उर्वरक का व्यवसाय कैश एन्ड कैरी आधार पर पुनः आरम्भ कर दिया है।

माननीय संसद सदस्य श्री राम अवध द्वारा डांडा भूमि विकास बैंक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

24--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद, श्री राम अवध, संसदीय क्षेत्र, अकबरपुर, जनपद फैजाबाद द्वारा डांडा भूमि विकास बैंक के विरुद्ध शिकायत विषयक स्मरण-पत्र दिनांक 2-11-81 व 1-3-82 तथा 6-9-82 मुख्य मंत्री को सम्बोधित, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? क्या सरकार उपरोक्त पत्रों में अंकित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर उचित कार्यवाही कर चुकी है ? यदि हां, तो कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । माननीय संसद सदस्य, श्री राम अवध के पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं ।

माननीय संसद सदस्य के पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की विभागीय जांच से भिन्न जांच के हेतु पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता), लखनऊ को लिखा गया है । अन्तरिम जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । अन्तिम जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1908 पर) ।

डा0 श्रीकान्त शुक्ला, सेवानिवृत, उप मुख्य चिकित्साधिकारी की पेंशन से प्रस्तावित कटौती तथा जी0 पी0 एफ0 का भुगतान तथा दिया गया कारण बताओ नोटिस

25--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 178 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 श्रीकान्त शुक्ला के पेन्शन से कितनी कटौती प्रास्तावित थी ? डा0 श्रीकान्त शुक्ला का अनन्तिम् पेन्शन तथा जी0 पी0 एफ0 उनके सेवानिवृत्त होने के कितने समय पश्चात स्वीकृत की गयी ? इसमें विलम्ब का क्या कारण था ?

श्री लोकपति--

डा0 श्रीकान्त शुक्ला, सेवा निवृत्त, उप मुख्य चिकित्साधिकारी की पेन्शन से 7313·55 रु0 की कटौती अनन्तिम रूप से प्रस्तावित थी । जी0 पी0 एफ0 के अन्तिम भुगतान हेतु डा0 शुक्ला का आवेदन पत्र तथा पेंशन प्रपत्र मुख्य चिकित्साधिकारी, जालौन के माध्यम से 1 दिसम्बर, 1980 को स्वास्थ्य सेवा निदेशक को प्राप्त हुए । अपेक्षित परीक्षण के उपरान्त उन्हें अनन्तिम पेंशन उनकी सेवा निवृत्ति के लगभग 5 वर्ष 9 माह बाद दिनांक 19-12-81 को स्वीकृत की गयी तथा जी0 पी0 एफ0 के अन्तिम भुगतान हेतु उनका प्रार्थना-पत्र 3 मार्च, 1981 को उनकी सेवा निवृत्ति के लगभग 5 वर्ष बाद महालेखाकार, उ0 प्र0 को अग्रसारित किया गया । उपर्युक्त विलम्ब उनके पेन्शन तथा फण्ड के कागजात विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ ।

26--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि डा० शुक्ला को कारण बताओ नोटिस कब दिया गया ? सेवा निवृत्त होने के कितने समय पश्चात् तक किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है ? क्या दिया गया नोटिस नियम में दी गई अवधि के अन्दर है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है और सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति--

डा० शुक्ला पर कारण बताओ नोटिस 31 जनवरी, 1982 को तामील हुआ । सी० एस० आर० के० अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्बन्धित घटना के चार वर्ष के अन्दर विहित है, किन्तु डा० शुक्ला के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा रही है वरन उन्हें उनके सेवाकाल में हुई अनियमितताओं से शासन को हुई हानि के कारण सी० एस० आर० के० अनुच्छेद 470 के अन्तर्गत असंतोषजनक सेवा के आधार पर पेंशन में कमी करने के लिये उक्त कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिसके लिये समय की बाध्यता नियम में नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय फतेहगढ़ तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहगढ़ के कार्यालय से रेफ्रीजरेटर्स के मोटर्स की कथित चोरी

27--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, फतेहगढ़ तथा मुख्या चिकित्साधिकारी, फतेहगढ़ के कार्यालय के दोनों रेफ्रीजरेटर्स की मोटर काफी समय से गायब है और यह रेफ्रीजरेटर्स बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इस चोरी का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जिला चिकित्सालय, फतेहगढ़ तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहगढ़ के कार्यालय के रेफ्रीजरेटर्स के मोटर्स गायब नहीं हुए हैं बल्कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के दो रेफ्रीजरेटर्स के मोटर खराब होने के कारण मरम्मत हेतु भेजे गये हैं । अतः चोरी के सम्बन्ध में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि०, फतेहगढ़ की विभिन्न शाखाओं में धारा 409 के अधीन अभियुक्त कार्यरत कर्मचारी

28--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि० फतेहगढ़ की विभिन्न शाखाओं में अनेक ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो धारा 409 के अभियुक्त हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है तथा इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां ।

शाखा कन्सिल के तत्कालीन कर्मचारी श्री सुराज प्रकाश शर्मा शाखा प्रभारी श्री राम नरेश खजांची एवं श्री शिशु पाल, लिपिक को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जा चुका है तथा अन्य मामलों में विशेष अनुसंधान शाखा (सहकारिता) से सूचना प्राप्त होने पर अभियुक्त पाये जाने पर तदनुसार कार्यवाही की जायगी ।

जिला अस्पताल फतेहगढ़ में पेयजल आपूर्ति

29--श्री विमल प्रसाद तिवारी --

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल फतेहगढ़ में मरीज तथा अन्य लोगों को पानी मिलने में अत्यधिक कठिनाई होती है तथा पानी बाहर से लाना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अस्पताल के विभिन्न वार्डों की सफाई व्यवस्था भी अत्यधिक शोचनीय है ? यदि हां, तो क्या इस अस्पताल के लिए एक नलकूप स्वीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं । कभी-कभी बिजली गुल हो जाने के कारण नलों से पानी न मिलने से व्यवस्था में कठिनाई होती है । वैकल्पिक व्यवस्था हेतु चिकित्सालय प्रांगण में दो स्वच्छ पानी के कुएं तथा एक पानी की टंकी है ।

ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

30--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामों में कब तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी ? सन् 80-81 में कितनी ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था की गई है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वच्छता दशक (1981-91) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अवशेष ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है । वर्ष 1980-81 में कुल 1546 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था की गई ।

यू० पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों की छंटनी तथा प्राविधिक पदों पर पुनर्नियुक्तियां

31--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के 379 कर्मचारी दिनांक 25 अप्रैल, 1981 को छंटनी किए गए ? यदि हां, तो उसका आधार क्या था ? क्या इसके बाद 75 कर्मचारी नये पुनः नियुक्त किए गए ? यदि हां तो पुराने कर्मचारियों को हटाने और पुनः न नियुक्त किए जाने के कारण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक---

जी हां। निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार निगम के कार्य में कमी आने तथा फालतू स्टाफ को हटाने के सम्बन्ध में शासन के मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए परिपत्र में निहित निर्दिष्ट नीति निर्देशों एवं डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन द्वारा स्टाफ के सम्बन्ध में निर्धारित नार्म्स की सीमाओं के आधार पर दैनिक मजदूरी पर रखे गए सरप्लस आकस्मिक लिपिको तथा श्रमिकों की छंटनी की गई थी।

इसके बाद 70 व्यक्तियों को कनिष्ठ प्राविधिक सहायक के पद पर साक्षात्कार-टेस्ट लेकर नियुक्ति आदेश जारी किए गए परन्तु केवल 56 व्यक्तियों द्वारा ही कार्यभार ग्रहण किया गया। ये नियुक्तितां प्राविधिक पद हेतु थी। जिनकी निगम की आवश्यकता थी। जो डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन द्वारा निर्धारित नार्म्स के अनुसार की गई।

कृषकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित चावल मिल से लेवी

32--श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जो नियम एवं शा0नादेश हैं, उनके अन्तर्गत 10 से अधिक कृषक मिलकर एक चावल मिल की स्थापना कर सकते हैं जो चावल का व्यापार नहीं करेगी केवल अपने सदस्यों का धान कूट कर चावल वापस कर देगी ? यदि हां, तो क्या ऐसी सहकारी मिल से भी लेवी ली जा रही है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, संयुक्त रूप से चावल मिल की स्थापना की जा सकती है। लेवी आदेश के अनुसार नगरीय क्षेत्र से भिन्न अन्य स्थान पर चलने वाली सिंगिल हलर वाली मिल से लेवी नहीं ली जाती है। अन्य क्षेत्र की सिंगिल हलर वाली मिल द्वारा किसी कृषक द्वारा स्वयं उत्पादित धान में से या किसी भूमिहीन कृषि मजदूर द्वारा एक कैलेन्डर मास में अधिकतम दो क्विंटल के अधीन रहते हुए एक बार में पचास किलोग्राम तक धान को कूटकर प्राप्त किए गए चावल पर भी कोई लेवी नहीं ली जाती है।

प्रदेश के अस्पतालों के लिए दवा खरीद हेतु औषधि निर्माताओं की सूची

33--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री राम गोविन्द--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 81-82 में प्रदेश में किन-किन औषधि निर्माताओं से अस्पताल के लिए दवा खरीदने का समझौता हुआ है ? क्या यह सच है कि कुछ ऐसे निर्माता हैं, जिन्हें पहले ही शासन ने काली सूची में अंकित किया है ? यदि हां, तो इन काली सूची में सम्मिलित निर्माताओं से दवा खरीदने का क्या औचित्य है।

श्री लोकपति--

वर्ष 1981-83 में केन्द्रीय औषधि भण्डार द्वारा जिन औषधि निर्माताओं से अस्पताल के लिए दवा खरीद हेतु समझौता किया गया था, उसकी सूची संलग्न

है । इस सूची में अंकित औषधि निर्माताओं में से किसी को भी शासन द्वारा काली सूची में अंकित नहीं किया गया था । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1914 पर ।

34--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

आगरा जनपद की अछनेरा नगरपालिका में हुआ प्रदर्शन तथा मुख्य मांगें

35--श्री बदन सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि आगरा नगर जनपद की अछनेरा नगरपालिका पर दिनांक 7 जून, 82 व 9 जून, 82 को स्थानीय जनता द्वारा प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें क्या-क्या थी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां। मुख्य मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1917 पर ।)

झांसी में पुलिया नं0 9 पर शिरोपरि जलाशय की मरम्मत

36--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिया नं0 9 शिरोपरि जलाशय में लीकेज के मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

पुलिया नं0 9 झांसी में शिरोपरि जलाशय में लीकेज के मरम्मत का कार्य माह नवम्बर 1982 में पूर्ण करके दिनांक 2 दिसम्बर, 1982 से कार्यरत कर दिया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की हाता लक्ष्मण दास मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना में विस्थापितों को निर्मित भवनों के आवंटन की प्रक्रिया

37--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाता लक्ष्मन दास मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना शिवाजी मार्ग, लखनऊ नगर में विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा योजनानुसार कुल कितने एल0 आई0 जी0 एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण किया गया है तथा उसमें भवनों के आवंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गयी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

हाता लक्ष्मण दास मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना शिवाजी मार्ग, लखनऊ में विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दुर्बल आय वर्ग के लिये 75 भवन खण्डों का निर्माण किया गया है और ये भवन खण्ड वहां के विस्थापितों को ही लाटरी द्वारा आवंटित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है ।

38--राधे श्याम पटेल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरण, लखनऊ की हाता लक्ष्मन दास मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना के अन्तर्गत कितने प्रभावित निवासियों को एल0 आई0 जी0 भवन आवंटित करने का निर्णय शासन ने लिया है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

विस्थापितों को बसाने के लिए अभी तक कोई एल0 आई0 जी0 के भवन नहीं बनाये गये हैं । शासन ने वहां के विस्थापित एक व्यक्ति को दुर्बल आय वर्ग के भवन/भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया है और विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें एक भूखण्ड दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

झांसी नगर में आवास व्यवस्था सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

39--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28-9-82, जो झांसी नगर में आवास व्यवस्था के संबंध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

चूंकि भूमि कैन्टूनमेंट बोर्ड की है इसलिए बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

जिला सहकारी बैंक, चमोली में तदर्थ नियुक्तियों को नियमित किये जाने की मांग

40--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, चमोली गोपेश्वर के अधीन तदर्थ नियुक्तियों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग सरकार के विचाराधीन है ? क्या सहकारिता विभाग में भी अन्य विभागों की भांति तीन वर्ष की सेवा के बाद नियमितीकरण किये जाने का नियम लागू करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक--

जी नहीं ।

अभी ऐसी कोई योजना नहीं है ।

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में सहकारी समितियों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां

41--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग को गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में कितने फैक्टरियां हैं ? इनमें से कितनी फैक्टरियां बन्द पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों में सहकारिता विभाग द्वारा कोई फैक्टरी स्थापित नहीं की गई है। सहकारी समितियों द्वारा कुमायूं मंडल में 6 एवं गढ़वाल मण्डल में 2 फैक्टरियां स्थापित हैं। इनमें एक लीसा फैक्टरी रानीखेत में कच्चा माल न मिलने एवं धनाभाव के कारण बन्द है।

वाराणसी महायोजना में महापालिका सीमा क्षेत्र से संलग्न ग्रामों को सम्मिलित किया जाना

42--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर का एक मास्टर प्लान बनाया गया है जिसमें शहर से 5 कि0 मी0 बाहर के क्षेत्र को भी शामिल किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि खेती की जमीन को तथा बाग आदि, जो रेवेन्यू रिकार्ड में भी दर्ज है, उसको नहीं देखा गया? क्या सरकार उस प्लान की जांच मौके पर अधिकारी भेज कर कराने पर विचार करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां। महायोजना में नगर महापालिका सीमा तथा उससे संलग्न 136 ग्रामों का क्षेत्र सम्मिलित किया गया था।

वाराणसी महायोजना स्वीकृत होने से पूर्व, जनता की आपत्तियों एवं सुझावों हेतु प्रकाशित की गई थी तथा उस पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों तथा तथ्यों पर लिये निर्णय के प्रकाश में ही महायोजना को अन्तिम रूप दिया गया था अब जांच कराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती।

43--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

भूतपूर्व काशी नरेश को नदेसर पैलेस, जिला वाराणसी की भूमि धारण करने हेतु दी गयी छूट का परिपालन, भूमि का मूल्यांकन, हाउस डेवलेपमेन्ट की योजना की कथित एग्रीमेन्ट एवं समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को दुकान का आवंटन

44--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू0 पू0 काशी नरेश व उनके परिवार तथा संस्था की जमीन नदेसर पैलेस, जिला वाराणसी की शहरी सीमा (भूमि) के अन्दर आ जाने से उक्त कानून की धारा 21/1 के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को आवास बनाकर देने के नाम पर छूट दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उस छूट का परिपालन किया जा रहा है?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, छूट दी गई। शर्तों के परिपालन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण द्वारा जांच की जा रही है।

45--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नदेसर पैलेस शहर वाराणसी की दोनों तरफ की जमीनों का एग्रीमेन्ट आवास विकास परिषद् ने श्री सुरेन्द्र मोहन सरीन के नाम हाउस डेवलपमेन्ट की योजना का एग्रीमेन्ट किया है और आठ हजार के एक-एक फ्लैट बनाकर कमजोर वर्गों को देने के लिये आवास विकास परिषद् को शपथ-पत्र (घोषणा पत्र) दिया था ? क्या यह सही है कि शपथ-पत्र दे देने व एग्रीमेन्ट कर लेने के बाद मूल्य तेईस हजार से 65 हजार रखा है और अब पैंसठ हजार से पचहत्तर हजार कर दिया और पुरानी स्कीम में चार सौ से आठ सौ माह तथा पांच हजार एडवान्स था ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आवास विकास परिषद् द्वारा ऐसा कोई एग्रीमेन्ट नहीं किया गया है और न ही कोई शपथ-पत्र एवं घोषणा-पत्र श्री सरीन द्वारा आवास विकास परिषद् को दिया गया है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

46--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि कुछ दुकानें बनाकर बड़े-बड़े लोगों को दे दी गयी हैं और फैन्सी शो-रूम खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने कमजोर लोगों को दी गई हैं ? क्या 77 दुकानें बन गयी हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

कुछ दुकानें बनाकर उनमें शो रूम खोले गये हैं । भू-धारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि समाज के दुर्बल वर्ग के लोगों को ही दुकानें आवंटित की गई हैं । कुल 62 दुकानों का निर्माण किया जाना था जिसमें 57 बन गई हैं तथा शेष निर्माणाधीन हैं ।

47--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने भू0 पू0 काशी नरेश, वाराणसी की नदेसर पैलेस की दोनों तरफ की जमीन को प्रति वर्ग फीट तीस रुपया तथा 60 रुपए प्रति वर्ग फीट का मूल्यांकन किया था ? क्या यह सही है कि उसका वाराणसी हाउस डेवलपमेंट के एग्रीमेंट करने वाले 100 रुपया प्रति वर्ग फीट ले रहे हैं ? क्या सरकार यह बतायेगी कि यह एग्रीमेंट वाराणसी हाउस डेवलपमेंट के नाम पर क्यों और कैसे दिया गया इसको आवास विकास परिषद्, वाराणसी को क्यों नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार सभी तथ्यों की जांच कराकर एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा भूतपूर्व काशी नरेश की नदेसर पैलेस के दोनों ओर की भूमि का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया । नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 21 (1) के अन्तर्गत भूतप्र

काशी नरेश, उनके परिवार एवं संस्था को नदेसर पैलेस स्थित कतिपय सीमाधिक्य रिक्त घोषित भूमि धारण करने की छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें इस शर्त पर दी गयी है कि वे उक्त भूमि पर समाज के दुर्बल वर्ग हेतु निवासी एक दुकान एवं गोदामों का निर्माण करायेंगे तथा उन्हें आउटराइट सेल, हायर परचेज अथवा किराये पर दुर्बल वर्ग को देंगे। धारा 21 के अन्तर्गत भू-धारक पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध आरोपित नहीं किया जा सकता कि वह निर्माण कार्य किस माध्यम से करायें। आवास विकास परिषद् द्वारा निजी भू-धारकों के लिए इस प्रकार का निर्माण किया भी नहीं जाता है। वाराणसी हाउस डेवलपमेंट को एग्रीमेंट करने वाले भूमि का मूल्य 100 रुपये प्रति वर्ग फीट ले रहे हैं, इसकी कोई सूचना या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

वाराणसी जनपद के ग्राम बरहीं नेवादा में हाजी रज्जब अली मेमोरियल हास्पिटल के निर्माण हेतु कार्यवाही

48--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन चिकित्सालय की स्थापना हाजी रज्जब अली मेमोरियल हास्पीटल के नाम से बरही नेवादा ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी ने निदेशक, चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश को एक पत्र अपने पत्र संख्या डी-55-82, दिनांक 7-10-82/19/10 के द्वारा भेजा है ?

श्री लोकपति--

जी हां।

49--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एम0 ओ0, वाराणसी ने लिखा है कि हाजी रज्जब अली के पुत्र श्री सगीर अली ने 22 सितम्बर, 1982 के पत्र द्वारा लिखा है कि एक लाख रु0 का दान चार किश्तों में देने की सुविधा दी जावे ? यदि हां, तो इस मामले में शासन ने क्या निर्णय लिया और एक किश्त में रुपया न जमा कर चार किश्त कितने दिनों में पूरा किया जायगा ? क्या शासन ने किश्त बना दिए हैं ? वह क्या है ?

श्री लोकपति--

जी हां

किन्तु अब दानकर्त्ता ने दान की धनराशि एकमुश्त दिये जाने का आश्वासन दिया है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

50--श्री ऊदल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरही नेवादा, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी ने भी अस्पताल के लिए जमीन देने का प्रस्ताव पास करके सी0 एम0 ओ0, वाराणसी को भेज दिया है ?

श्री लोकपति--

जी हां।

51—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्मार रिजवी, सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, उत्तर प्रदेश ने 21 अगस्त, 1982 को उक्त अस्पताल के बारे में स्वास्थ्य मन्त्री को पत्र लिखा है जिस पर स्वास्थ्य मन्त्री ने अपने पृष्ठांकन संख्या 3581-एम0, दिनांक 27 अगस्त, 1982 द्वारा यह टिप्पणी दी है कि जमीन के साथ एक लाख रुपया हाजी के परिवार वाले दें ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता ने एक पत्र स्वास्थ्य मन्त्री को दिनांक 9 नवम्बर, 1982 को लिखा है ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1982 प्राप्त हुआ था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी को भेज दिया गया था ।

अधीक्षक, जिला अस्पताल, फतेहगढ़ के विरुद्ध एक माननीय विधायक के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

52—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र संख्या 626/का/82, दिनांक 11 अक्तूबर 1982 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहगढ़ से शिकायत की थी कि जिला अस्पताल, फतेहगढ़ से 13 सितम्बर, 1982 को जारी स्लिप पर आवश्यक दवा प्राप्त नहीं हुई तथा अस्पताल की स्लिप भी पत्र के साथ संलग्न कर दी थी ? यदि हां, तो क्या मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहगढ़ ने पत्र पाने के तत्काल बाद पत्रकर्त्ता को आवश्यक दवाएं भिजवायीं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इस लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां ।

अधीक्षक, जिला अस्पताल द्वारा दवायें दिनांक 24 नवम्बर, 1982 को माननीय विधायक को भेजी गयीं इस लापरवाही के लिए अधीक्षक, जिला अस्पताल, फतेहगढ़ को भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है ।

आजमगढ़ जनपद में मधुबन को टाउन एरिया घोषित किए जाने की अधिसूचना

53—श्री राजकुमार राय—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 अक्तूबर, 1982 को घोसी चीनी मिल, आजमगढ़ के शिलान्यास के समय उन्होंने मधुवन आजमगढ़ को टाउन एरिया घोषित किया था ? यदि हां, तो मधुवन कब तक टाउन एरिया गजट कर दी जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने पर मधुवन को टाउन एरिया बनाने की अधिसूचना जारी की जाएगी ।

गंगाराम द्वारका प्रसाद ट्रस्ट, लखनऊ के एक ट्रस्टी द्वारा अस्पताल के लिए भवन निर्मित कराकर देने का प्रस्ताव

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के उपरिपत्र के साथ गंगाराम द्वारका प्रसाद ट्रस्ट, लखनऊ के एक ट्रस्टी श्री रामकिशोर गुप्त द्वारा हस्ताक्षरित कोई इस आशय का पत्र अगस्त, 1982 के दूसरे पखवारे में मिला कि वह 10 शैय्याओं वाले अंतरंग तथा बहिरंग कक्षों सहित एक भवन बनवा कर शासन को देना चाहते हैं ? यदि सरकार उसमें अस्पताल खोल सके ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि वे वित्तीय वर्ष 1983-84 हेतु इस प्रस्ताव को जिले की योजना में शामिल कराने के उद्देश्य से कार्यवाही करें ।

राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ के सी-ब्लाक के भवनों का आवंटन तथा सीवर लाइन, वाटर लाइन तथा विद्युत् आदि की व्यवस्था तथा किश्तों का निर्धारण

55--श्री राधेश्याम पटेल--

क्या सरकार को जानकारी है कि राजाजीपुरम् आवास विकास परिषद्, लखनऊ में दुर्बल आय वर्ग के भवनों का आवंटन माह फरवरी, 1982 में किया था ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में उक्त माह में आवंटित 'सी' ब्लाक में माह नवम्बर, 1982 तक सीवर लाइन, वाटर लाइन और विद्युत् आदि की व्यवस्था नहीं की गई थी ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

आवंटन माह फरवरी, 1982 में किया गया था जिसमें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की राजाजीपुरम् योजना, लखनऊ में सी-ब्लाक में 1050 दुर्बल आय वर्ग के भवन सम्मिलित हैं । आवंटन के समय इस क्षेत्र की सीवर लाइन तथा बाह्य विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया था केवल वाटर लाइन का थोड़ा सा भाग वांछित माप का पाईप उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था । यह कार्य दिसम्बर, 1982 तक पूर्ण किया जा चुका है । आवंटन तथा भवन के वास्तविक कब्जा देने में लगभग 3-4 मास का समय लग जाता है क्योंकि आवंट

को अनेकों औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती हैं। परिषद् द्वारा सामान्य रूप से जब लगभग 75 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण हो जाते हैं, भवनों का आवंटन कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत क्षेत्र के विकास कार्य पूर्ण करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है और न ही कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है।

56—श्री राधेश्याम पटेल—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त ब्लाक के आवंटियों से माह जून, 1982 से ही किश्तें ली जा रही हैं ? इस प्रकार अपूर्ण, सुविधा रहित मकानों के लिए माह जून, 1982 से किश्तें लेने का क्या औचित्य है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

माह जून, 1982 से किश्तें ली जा रही हैं। किश्तों का निर्धारण, आवंटन पत्र जारी होने के एक माह के अन्दर किया जाता है, अतएव नियमानुसार किश्तों का निर्धारण सही हुआ है।

मानसिक चिकित्सालयों में अटेंडेंट की जिम्मेदारी में रखे गये रोगी

57—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के मानसिक चिकित्सालयों में एक अटेंडेंट की जिम्मेदारी में अधिक से अधिक कितने रोगी रखने का प्राविधान है तथा कितने वार्डों का ?

श्री लोकपति—

मानसिक चिकित्सालय में एक अटेन्डेन्ट की जिम्मेदारी में कितने रोगी रखे जायेंगे तथा एक अटेन्डेन्ट कितने वार्ड देखेगा, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। यदि किसी वार्ड में उग्र रूप से विक्षिप्त रोगी होते हैं तो केवल 4 से 8 रोगी ही एक अटेन्डेन्ट की जिम्मेदारी में रखे जाते हैं तथा यदि किसी वार्ड में ऐसे रोगी होते हैं जो दीर्घकालीन मानसिक रोग से ग्रसित होते हुए भी कोई व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं तो 8 से अधिक रोगी भी एक अटेन्डेन्ट के चार्ज में रखे जाते हैं।

जल निगम में संगणकों (डिप्लोमाधारी) को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति

58—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की जल निगम में संगणकों (डिप्लोमाधारी) की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की क्या नीति निर्धारित है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल निगम में संगणकों (डिप्लोमाधारी) की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति, उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा विनियमावली, 1978 के विनियम 5(1) (क) में दी गई शर्तों के अनुसार की जाती है जो निम्न प्रकार है :—

(1) भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्र विभाग और/या जल निगम की सेवा में ऐसे संगणकों की पदोन्नति द्वारा जो उस कलेन्डर वर्ष के,

जिसमें भर्ती की जाय, पहली जुलाई को यथास्थिति संगणक के रूप में कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा, जिसमें भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग और/या जल निगम अथवा प्रदेश के किसी अन्य अभियंत्रण विभाग में तदर्थ, अस्थायी एवं स्थानापन्न सेवा शामिल है, पूर्ण करते हों ।

(2) जो जल निगम द्वारा विहित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर लें ।

(3) सहायक अभियंता के 25 प्रतिशत अस्थायी रिक्त पदों पर अवर अभियंता एवं संगणकों के संवर्ग से पदोन्नति की जाती है ।

पदोन्नति में अवर अभियंता एवं संगणकों का अनुपात उनके स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में किया जाता है ।

फैजाबाद व लखनऊ मंडल के जनपदों में पूर्ति निरीक्षकों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरण आदेश निरस्त अथवा स्थगित कर दिये जाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

59--श्री फखरे आलम--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े दो वर्षों में फैजाबाद व लखनऊ मंडल के जनपदों में कार्यरत किन-किन पूर्ति निरीक्षकों के तबादले मंडलायुक्त, फैजाबाद व लखनऊ द्वारा किए गए और तत्पश्चात् आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेशों को निरस्त अथवा स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

वर्ष 1981 में फैजाबाद मंडल में 21 पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया गया, जिनमें से कोई भी स्थानांतरण खाद्यायुक्त द्वारा निरस्त अथवा स्थगित नहीं किया गया । वर्ष 1982 में फैजाबाद मंडल में किसी भी पूर्ति निरीक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ । लखनऊ मंडल में वर्ष 1981 में 17 पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण मंडलायुक्त द्वारा किया गया जिनमें से सर्वश्री जे0 एस0 रैकवार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, पी0 सी0 शुक्ला, व आर0 पी0 त्रिपाठी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर खाद्यायुक्त के निदेश पर मंडलायुक्त द्वारा रोका गया । वर्ष 1982 में लखनऊ मंडल में 10 पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण मंडलायुक्त द्वारा किया गया जिनमें से श्री एस0 एम0 आब्दी एवं श्री आर0 एन0 सक्सेना पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों से रोका गया ।

60--श्री फखरे आलम--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में फैजाबाद व लखनऊ मंडलों के किन-किन पूर्ति निरीक्षकों ने स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने के लिए मंडलायुक्त, फैजाबाद व लखनऊ अथवा आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ को अपने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और किन-किन पूर्ति निरीक्षकों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये और किन-किन पूर्ति निरीक्षकों के प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करके स्थानान्तरण आदेश निरस्त अथवा स्थगित कर दिये गये ? इसके निरस्त अथवा स्थगित करने का क्या माप दंड था ?

श्री वासुदेव सिंह--

. वर्ष 1981 में फैजाबाद मंडल में चार पूर्ति निरीक्षकों सर्वश्री जावेद अख्तर (गोंडा), राम आसरे पाल(बहराइच), मेडई लाल(बहराइच), उदयभान (बहराइच) ने स्थानांतरण रोकने के लिये मंडल युक्त, फैजाबाद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मंडल युक्त, फैजाबाद ने सर्वश्री जावेद अख्तर एवं उदयभान, पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया एवं सर्वश्री राम आसरे पाल तथा श्री मेंडई लाल का स्थानांतरण प्रार्थन पत्र इस कारण अस्वीकृत कर दिया क्योंकि प्रतिस्थानों के आ जाने से पूर्ति निरीक्षकों की संख्या आवंटित पदों से अधिक हो जाती वर्ष 1982 में फैजाबाद मंडल में किसी भी पूर्ति निरीक्षक का स्थानान्तरण नहीं किया गया। वर्ष 1981 में लखनऊ मंडल में तीन पूर्ति निरीक्षकों सर्वश्री आर0 एन0 तिवारी, एस0 एन0 आब्दी एवं बी0 के0 तिवारी ने स्थानांतरण रोकने के लिये मंडलायुक्त लखनऊ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त तीनों पूर्ति निरीक्षकों के प्रार्थना-पत्र उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं जिलाधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत किये गये। किसी भी पूर्ति निरीक्षक का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया। वर्ष 1982 में सर्वश्री आर0 सी0 त्रिपाठी, एस0 एम0 आब्दी व राजेन्द्र प्रसाद ने स्थानांतरण रोकने के लिये मंडलायुक्त, लखनऊ को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया। उक्त तीनों पूर्ति निरीक्षकों का स्थानांतरण उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों एवं जिलाधिकारियों की संस्तुति पर रोक दिया गया। किसी पूर्ति निरीक्षक का प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों में स्थानांतरण रोकने हेतु खाद्यायुक्त स्तर पर फैजाबाद तथा लखनऊ मंडल के किसी पूर्ति निरीक्षक का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

61--श्री यदुनाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा तथा उच्चीकरण हेतु निर्णय

62--श्री हरीशंकर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की किन तहसीलों के अस्पताल में एक्सरे आदि की सुविधा नहीं है? इनके उच्चीकरण हेतु शासन की क्या नीति है?

श्री लोकपति--

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा नहीं है। विकेन्द्रित योजना के अनुसार इन अस्पतालों के उच्चीकरण हेतु निर्णय जिला योजना समिति द्वारा ही लिया जाता है।

63--श्री हरीशंकर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि शासन द्वारा समस्त तहसील स्तर के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के उच्चीकरण का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो जनपद हरदोई में कितने अस्पतालों का उच्चीकरण किया जा रहा है?

श्री लोकपति--

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका समथर, जिला झांसी के अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कार्यवाही

64—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता के द्वारा दिनांक 19-10-82 को आयुक्त, झांसी की नगरपालिका समथर, जिला झांसी के अधिशासी अधिकारी द्वारा कराये जा रहे अवैध निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जो पत्र द्वारा सूचना दी गयी है उस पत्र पर क्या कोई कार्यवाही हुई ? यदि हां तो क्या ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी गयी । जांचोपरान्त अवैध पाये गये निर्माण कार्य को गिरवा दिया गया है ।

ग्राम सैदनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

65—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खंड, दरियाबाद के ग्राम सैदनपुर में एक प्रा० स्वा० केन्द्र की स्थापना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रा० स्वा० केन्द्र की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री लोकपति—

जनपद बाराबंकी के ग्राम सैदनपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कर दी गयी है ।

श्री गोरख प्रसाद, जिला हलवाई संघ का कथित शिकायती पत्र

66—श्री जनार्दन प्रसाद अग्रहरि—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्हें श्री गोरख प्रसाद, जिला हलवाई संघ, गोरखपुर का कोई शिकायती पत्र दिनांक 7-11-82 का मिला जिसमें उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी पर यह आरोप लगाया है कि वे गत तीन वर्षों से ग्रामीण अंचल के दूकानदारों को सूजी, मैदा, चीनी आदि का वितरण नहीं किये हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बासुदेव सिंह—

श्री गोरख प्रसाद जिला हलवाई संघ, गोरखपुर का पत्र दिनांक 7-11-82 उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में हलवाई होटल आदि को मैदा उपलब्ध कराए जाने का प्रश्न है, गोरखपुर जनपद के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित हलवाइयों, होटल एवं बेकर्स आदि को उन संघों के माध्यम से मैदा का वितरण क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर द्वारा प्राप्त आवंटित मैदों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता रहा है तथा वर्तमान समय में भी यही व्यवस्था लागू है । चीनी तथा सूजी दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री अवध नारायण सिंह, सेवा निवृत्त फार्मेसिस्ट की पेन्शन, ग्रेच्युटी का भुगतान

67—श्रीमती गौरीदेवी—

प्रथम सत्र 82 के 5वें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवध नारायण सिंह पु० श्री शिव प्रसाद सिंह (सेवा निवृत्त फारमेसिस्ट), निवासी मु० छोटे काजीपुर, जनपद गोरखपुर के वेतन निर्धारण के बाद उनको मिलने वाली सभी प्रकार की धनराशि ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी तथा पेन्शन आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख अप्रैल, 82 के पूर्व ही महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा सामूहिक बीमा से सम्बन्धित अभिलेख निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा, लखनऊ को स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त भुगतान में विलम्ब का कारण क्या है और कब तक भुगतान हो जायगा ?

श्री लोकपति—

पेन्शन एवं ग्रेच्युटी सम्बन्धी सभी कागजात 14-12-82 को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे गये थे बाद में महालेखाकर की आपत्तियों का निवारण कर वांछित सूचनायें भी उन्हें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

सामूहिक बीमा की देय धनराशि का चेक चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भटहट को उक्त सेवा निवृत्त फार्मेसिस्ट को भुगतान हेतु 5-2-83 को भेज दिया गया है। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश की अथारिटी प्राप्त होने पर ही ग्रेच्युटी एवं पेन्शन का भुगतान सम्भव हो पावेगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को निर्देशित किया जा रहा है कि वे इसका निस्तारण महालेखाकार कार्यालय से शीघ्र करवायें।

श्री देवी शंकर मिश्र, प्रशासक, साधन सहकारी समिति, समैसी, जिला लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र

68—श्री राम आसरे वर्मा, श्री भीखालाल, श्री राम धनी, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवी शंकर मिश्र, प्रशासक साधन सहकारी समिति समैसी ब्लाक मोहनलालगंज, जिला लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार समिति के धन का दुरुपयोग व अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र श्री संत बख्श रावत, सदस्य विधान सभा का दिनांक 23-11-1982 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं और इनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई ? जांच से कौन से तथ्य प्रकाश में आये ? उन पर क्या कार्यवाही की ? क्या श्री देवी शंकर मिश्र को प्रशासक के पद से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां। श्री सन्त बख्श रावत का शिकायती पत्र दिनांक 12-11-82 प्राप्त हुआ है।

[श्री बच्चा पाठक--]

भ्रष्टाचार, समिति के धन का दुरुपयोग, अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति, अनियमित रूप से यात्रा भत्ता लेना, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत चालान, उनके चाचा के पास प्राइवेट मिट्टी के तेल का लाइसेन्स होने के कारण समिति के कोटे का मिट्टी का तेल न मंगवाना आदि मुख्य शिकायतें एवं आरोप हैं। शिकायतों की जांच सहकारी निरीक्षक (सी0 ओ0 बैंकिंग) से कराई गई है। जांच में कोई आरोप सही नहीं पाये गये, जिसे श्री देवीशंकर मिश्र को प्रशासक के पद से हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

69--भगवती सिंह विशारद--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नदेसर पैलेस व मिन्ट हाउस नगर वाराणसी में बनने वाली दुकानों, मकानों के बारे में शिकायती प्रार्थना पत्र

70--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नदेसर पैलेस व मिंट हाउस, नगर वाराणसी में बनने वाली दूकानों, मकानों के बारे में एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्री परमार का प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ दिनांक 20 नवम्बर, 82 को दिया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किससे करायी गयी ? क्या सरकार उक्त मामले की जांच सी0 बी0 आई0 से कराने पर विचार करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ। नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी द्वारा जांच की जा रही है। अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया को दृष्टिगत करते हुए सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

वाराणसी-सिखरोल वार्ड में सूर्या होटल तक सड़क के निर्माण पर व्यय

71--श्री कैलाश टंडन तथा श्री मोहन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सिखरोल वार्ड में सूर्या होटल तक सड़क का निर्माण जो वाराणसी नगर महापालिका ने किया था उस पर कितना व्यय हुआ ? क्या वह सड़क नगर महापालिका की है ? यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कैसे हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस कार्य में 24,359·70 रु0 का व्यय हुआ।

जी हां।

नगरमहापालिका की सड़क होने के कारण निर्माण कराया गया।

मथुरा एवं वृन्दावन को नवें एशियाई खेलों के उपलक्ष में सौन्दर्यीकरण हेतु दी गयी धनराशि

72--श्री सरदार सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवें एशियाई खेलों के उपलक्ष में शासन ने मथुरा एवं वृन्दावन नगरपालिकाओं को कितना धन सौन्दर्यीकरण हेतु दिया ? दिये गये धन से क्या-क्या कार्य उक्त नगरपालिकाओं में किये गये और उन पर कितना-कितना धन व्यय हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

शासन द्वारा प्रश्नगत पालिकाओं को सौन्दर्यीकरण हेतु कोई धनराशि नहीं दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा पचावर व अबैरनी को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव

73--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले की मांट तहसील की ग्राम सभा कारब व सादाबाद तहसील की ग्राम सभा पचावर व अबैरनी को टाउन एरिया घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

ग्राम सभा पचावर व अबैरनी को टाउन एरिया बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ग्राम सभा कारब को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

अग्रवाल आयल ट्रेडिंग कम्पनी, सलेमपुर, जिला देवरिया के द्वारा मिट्टी के तेल की चोरबाजारी की जांच

74--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि अग्रवाल आयल ट्रेडिंग कम्पनी, सलेमपुर, जिला देवरिया ने माह अक्तूबर व नवम्बर, 1982 का मिट्टी तेल का समस्त कोटा चोरबाजारी में बेच दिया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्नगत विषय पर जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं । जांच प्रगति पर है ।

बंजर भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आरोप में बेदखली के मुकदमें तथा जांच

75—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगरपालिका के विस्तार क्षेत्र के कनौसी वार्ड में पारा (देवपुर) के मजरों में नगरमहापालिका, लखनऊ ने कुछ व्यक्तियों पर बंजर भूमि पर नाजायज कब्जा करने के आरोप में कुछ मुकदमें कायम किए हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

76—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या सरकार को मालूम है कि ये मजरे कई पीढ़ियों से बसे हुए हैं, इन मुकदमों के कायम करने का क्या औचित्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इन मुकदमों को वापस करने का आदेश जारी करायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1952 में जमींदारी समाप्त किये जाने के बाद ग्राम देवपुर में कुछ व्यक्तियों ने बगैर ग्राम सभा की अनुमति प्राप्त किये हुए ग्राम सभा की भूमि पर मकान बना लिये थे । वर्ष 1959 के बाद ग्राम सभा की भूमि लखनऊ नगर महापालिका में निहित हो जाने पर जो अतिक्रमण कर्त्ता मिलते गये उन पर बेदखली हेतु मुकदमें चलाये गये । इसी प्रकार ग्राम पारा में वर्ष 1971 में चकबन्दी होने के बाद जिन व्यक्तियों ने नगर महापालिका की ऊसर, बंजर आदि भूमि पर जो अनाधिकृत रूप से कब्जा कर के मकान बना लिये हैं उन पर बेदखली के लिये नगर महापालिका द्वारा मुकदमें कायम किये गये हैं । भूमि अभिलेखों में जो आवासीय भवन बने दर्ज थे तथा आबादी दर्ज थी, उनके सम्बन्ध में मुकदमें नहीं चलाये गये ।

चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा ।

जनपद गोरखपुर में लेवी सीमेन्ट की आवंटित मात्रा

77—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितम्बर, 1982 तक जनपद को कुल कितनी लेवी सीमेन्ट की मात्रा आवंटित की गयी थी ? आवंटित मात्रा में से लेवी के स्टाकिस्टों द्वारा सूचीवार कितनी-कितनी मात्रा में लेवी सीमेन्ट फैक्टरियों से उपर्युक्त अवधि में आयात की गयी ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर को एक अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की अवधि में कुल 7,280 मी0 टन लेवी सीमेंट आवंटित की गयी थी तथा आवंटित

मात्रा में से लेवी सीमेंट लाइसेंसियों द्वारा फैक्ट्रियों से आयात की गई सीमेंट की मात्रा की लाइसेंसीवार सूची (क) संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 1918 पर ।)

मध्य गोरखपुर, महानगर में कार्यरत लेवी सीमेन्ट लाइसेन्सियों को लेवी सीमेंट का आवंटन

78—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य गोरखपुर महानगर में सीमेन्ट स्टाकिस्टों को इस अवधि के अन्तर्गत कुल कितनी मात्रा में लेवी सीमेन्ट आवंटित की गयी एवं महानगर के लेवी स्टाकिस्टों ने पूर्ण ब्योरेवार किन-किन परमिटों के विरुद्ध कितनी-कितनी मात्रा में परमिटधारकों को लेवी सीमेन्ट उपलब्ध कराई गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

एक अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 के मध्य गोरखपुर महानगर में कार्यरत लेवी सीमेन्ट लाइसेन्सियों को कुल 3,178 मी0 टन लेवी सीमेंट आबंटित की गयी थी । महानगर के लेवी लाइसेंसियों की दुकानों से उक्त अवधि में संस्थाओं के लिए जारी परमिटों पर बेची गयी लेवी सीमेंट का वितरण संलग्न सूची (ख) में अंकित है । नव निर्माण कार्य हेतु जारी परमिटों से सम्बन्धित अभिलेख खाद्य प्रकोष्ठ के जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिये जाने के कारण नव निर्माण के लिए दी गई सीमेंट के सम्बन्ध में सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1920 पर ।)

जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर श्री गोवरधन लाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र तथा जांच

79—श्री हरिवंश सहाय—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जून, 82 से लेकर 30 अक्तूबर, 82 तक वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर, श्री गोवरधन लाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन, स्थानीय जिला प्रशासन, मंडलायुक्त, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, मंडल गोरखपुर एवं सहायक आयुक्त, खाद्य गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं व्यवसायिक संगठनों के कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये । यदि हां, तो प्राप्त शिकायती-पत्रों के आधार पर क्या जांच की गई । यदि नहीं की गयी तो उसके क्या कारण थे ?

श्री वासुदेव सिंह—

कथित अवधि में प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों से 38 शिकायती-पत्र मिले हैं जिनमें कुछ शिकायती-पत्रों की एक-एक से अधिक वे प्रतिलिपियां भी शामिल हैं, जो कई अधिकारियों को भेजी गयी हैं :

सभी पत्रों पर जांच करायी जा रही है । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है ।

श्री राम औतार सिंह कनौजिया का स्थानान्तरण तथा अवशेष बिलों का भुगतान

80—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई प्रसवोत्तर केन्द्र कार्यरत पुरुष समाज कार्यकर्त्ता श्री राम औतार सिंह, कन्नौजिया का स्थानान्तरण जनपद झांसी से जनपद हरदोई का माह जुलाई, 1978 में हुआ था : यदि हां, तो उनकी सेवा पुस्तिका, चरित्र पंजिका एवं एन0 एस0 सी0 अभी तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई को न भेजे जाने के क्या कारण हैं । क्या यह सही है कि इसी वजह से उन्हें अवकाश एवं वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा नये वेतनमान के निर्धारण में आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है । यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति—

जी हां, श्री राम औतार सिंह कनौजिया के झांसी जनपद से स्थानान्तरण के उपरान्त झांसी जनपद में उनके नियुक्ति स्थल पर उपलब्ध अभिलेख व्यक्तिगत पत्रावली, सेवा पुस्तिका, आर0 डी0 पासबुक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी द्वारा दिनांक 4-7-79 को भेज दी गई थी । तत्पश्चात श्री कनौजिया की सर्विस बुक उनकी सेवाओं के सत्यापन तथा उनके दो अवशेष बिलों पर महालेखाकार की आपत्तियों के निराकरण हेतु जनपद हरदोई तथा झांसी के मुख्य चिकित्साधिकारियों के मध्य आती जाती रही । श्री कनौजिया के अवशेष बिलों पर आपत्तियों का निराकरण करके उनके अवशेष बिलों तथा उनकी सेवा पुस्तिका को पूर्व सम्प्रेक्षण की स्वीकृति हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दिनांक 21-2-83 को भेज दिया गया है ।

वाराणसी में भेलपुर आवास योजनाओं हेतु भूमि के एक्यूजीशन के नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन, किसानों की भूमि-धरी तथा मुआवजा

81—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि सन् 49-50 में इम्प्रूवमेन्ट वाराणसी के लिए आवास योजना के अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन भेलूपुर आवास योजना नं0 1 से लगायत 6 तक के लिए किया गया था और जोन नं0 3 को इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, वाराणसी ने एक्वायर करके पचहत्तर रुपया बिस्वा मुआवजा दिया और उक्त स्कीम 59 में नगर महापालिका वाराणसी का गठन होने से उसकी हो गयी है । क्या यह भी सत्य है कि उक्त नोटिफिकेशन का एक्सटेंशन 31 दिसम्बर, 82 तक कर दिया गया है और पहले कई बार ऐसा किया गया । यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भी सही है कि स्कीम नं0 2 भेलूपुर वाराणसी को नगर-महापालिका वाराणसी ने आवास विकास परिषद् को सन् 68 में दे दिया और मुआवजा सिर्फ एक्सग्रेसिया लगाकर ही दिया । यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

भेलूपुरा हाउसिंग एकोमोडेशन एन्ड जेनरल डेवलपमेन्ट स्कीम का प्रकाशन वाराणसी इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा यू0 पी0 टाउन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट 1919 की धारा 36 के अन्तर्गत 1949 में तथा धारा 42 के अन्तर्गत 1-9-51 को किया गया था ।

"जोन नं0 3 को एक्वायर करके भूमि अध्यापित अधिकारी ने 56 रु0 बिस्वा भूमि का प्रतिकर निर्धारित किया था लेकिन कुछ लोगों की प्रार्थना पर जिला जज ने 500 रु0 बिस्वा और अन्य कुछ व्यक्तियों की प्रार्थना पर उच्च न्यायालय द्वारा 750 रुपये प्रति बिस्वा की दर से मुआवजा निर्धारित हुआ था।"

"नगरमहापालिका का गठन होने पर स्कीम नगरमहापालिका को हो गई। पुनः विकास प्राधिकरण के गठन होने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण को हो गई।"

"यह सही है कि नोटिफिकेशन का एक्सटेन्शन शासन द्वारा 31-12-1982 तक किया गया।"

इसके पूर्व एक्सटेन्शन करने के प्रशासकीय कारण थे जिनमें अध्याप्ति की कार्यवाही मुख्य थी।

यह सही है कि स्कीम सं0 2, भेलूपुरा को नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा वर्ष 1968 में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद को दे दिया गया।

मुआवजा एक्सग्रेसिया लगाकर देने का कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि थी।

82—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास योजना नं0 2, भेलूपुर, वाराणसी को नगर महापालिका, वाराणसी ने सन् 68 में आवास विकास परिषद्, वाराणसी को दे दिया। यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त जोन की जमीन दिसम्बर, 72 में आवास विकास परिषद् ने एक्वायर करायी है और 49 50 के नोटिफिकेशन के आधार पर किसानों को जमीन का मुआवजा दिया है। यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां।

भेलूपुरा योजना संख्या—2, नगर महापालिका वाराणसी से स्थानान्तरित होकर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को दिनांक 25-6-68 को प्राप्त हुई। उक्त योजना में समाविष्ट भूमि का कब्जा परिषद् द्वारा वर्ष 1974 से 1977 में (दिसम्बर 72 में नहीं) प्राप्त किया गया। 49 50 के नोटिफिकेशन के आधार पर आंकलित मुआवजे पर एक्सग्रेसिया लगा कर मुआवजा दिया गया है।

83—श्री ऊदल—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा किसी काश्तकार ने नहीं लिया क्योंकि नोटिफिकेशन के वक्त शहरी जमींदारी टूटी नहीं थी, जमींदारी 56 में खत्म हुई। क्या यह सही है कि जमींदार हिस्सा चाहते हैं। यदि हां, तो इसका निराकरण करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री राम सिंह खन्ना—

यह सही नहीं है। कुछ काश्तकारों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया है। मुआवजे में जमींदारों के हिस्से सम्बन्धी विवाद अभी न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

84--श्री ऊदल--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्कीम नं0 2 भेलूपुरा वाराणसी आवास विकास परिषद् ने दिसम्बर, 72 को एक्वायर करायी तो क्या यह सही है कि सन् 67 में ही किसानों ने दस गुना जमा करके भूमिधरी हासिल की थी। क्या यह सही है कि जोन नं0 1 व 4 भेलूपुर के एक्यूजीशन की कार्यवाही 49/50 के नोटिफिकेशन के आधार पर की जा रही है। यदि हां, तो क्यों। क्या सरकार बतायेगी कि 32 वर्ष तक उक्त नोटिफिकेशन देने का क्या औचित्य है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

भेलूपुरा योजना संख्या--2 की भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा वर्ष 1974 से 1977 (वर्ष 72 में नहीं) प्राप्त किया गया है। जोन सं0--1 व 4 भेलूपुर के एक्वीजीशन की कार्यवाही 49/50 के नोटीफिकेशन के आधार पर नहीं की जा रही है क्योंकि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के लागू होने पर उक्त योजना विकास प्राधिकरण की हो गयी। चूंकि अध्यापित कार्यवाही दिनांक 31-12-82 तक नहीं हो सकी थी इसलिए 49-50 के नोटीफिकेशन के अनुसार भूमि अर्जन का प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो गया है। योजना के बहुत बृहत् होने के कारण जोनवार अध्याप्ति की कार्यवाही हुई। उसमें वैधानिक तथा अन्य अड़चनों के कारण देर हुई लेकिन इससे भूमि स्वामियों का अनहित न होगा क्योंकि अब भूमि अध्यापित नये सिरे से होकर प्रतिकर का भुगतान लघु बाजार दरों के अनुसार किया जायगा।

जनपद चमोली में सहकारी भूमि विकास बैंक की खोली गई शाखा तथा मैनेजर का रिक्त पद

85--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में सहकारी भूमि विकास बैंक कब खुला और इस बैंक द्वारा 15 नवम्बर, 1982 तक कितना ऋण काश्तकारों को दिया गया है ? इस बैंक में मैनेजर पद कब से रिक्त है और कब तक नियुक्ति किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बच्चा पाठक--

जनपद चमोली में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक लि0 की शाखा दिनांक 1 जनवरी, 1978 को खोली गई और दिनांक 15 नवम्बर, 1982 तक इस शाखा द्वारा कोई ऋण किसानों को नहीं वितरित किया गया। इस शाखा में पूर्णरूप से शाखा प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया है बल्कि शाखा प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, शाखा देहरादून को आदेश दिया गया है कि वह शाखा चमोली का भी कार्य करें। पूर्णकालिक शाखा प्रबन्धक नियुक्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

श्री अव्वल सिंह बर्त्वाल, पूर्ति निरीक्षक के लापता हो जाने से उत्तराधिकारियों को अवशेष देयों का भुगतान

86--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अव्वल सिंह बर्त्वाल जो कि पूर्ति निरीक्षक के पद पर चोपटिया क्षेत्र, लखनऊ में कार्यरत थे दिनांक 1 दिसम्बर,

1973 से लापता हैं उनका देय वेतन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं पेन्शन आदि के भुगतान उनके वारिस को किए जाने की क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह--

श्री अव्वल सिंह बत्वाल, पूर्ति निरीक्षक का माह नवम्बर, 1973 का वेतन आहरित किया गया था परन्तु दि0 1-12-73 से लापता हो जाने पर इनके वेतन की धनराशि टी0 सी0 नं0 38, दिनांक 25-1-74 द्वारा कोषागार में जमा करा दी गई थी। श्री बत्वाल के विषय में अब तक कोई जानकारी नहीं है तथा इनके उत्तराधिकारियों द्वारा इनको देय धनराशि के भुगतान एवं पारिवारिक पेन्शन आदि के सम्बन्ध में विधिवत् मांग प्रस्तुत न किये जाने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी।

यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संचालक मंडल की कथित बैठक में लिया गया निर्णय

87--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 23-9-82, जो यू0 पी0 स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के संचालक मंडल द्वारा लिए गये निर्णय दिनांक 24-1-82 की अवहेलना कर अधिकारियों को प्रोन्नति किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का पत्र दिनांक 23-9-1982 प्राप्त हुआ था। दिनांक 24-1-82 को अधिकारियों को प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में निगम के संचालक मंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी, अतः निर्णय की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री महराज सिंह, बेसिक हेल्थ वर्कर, जनपद हरदोई की समाप्त सेवाएं तथा वेतन का भुगतान

88--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महराज सिंह, बेसिक हेल्थ वर्कर, प्रा0 हेल्थ सेन्टर, बावन, जनपद हरदोई की सेवायें 26 जून, 1971 को एक महीने का अग्रिम वेतन देने की नोटिस के साथ समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें एक महीने का अग्रिम वेतन भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि उन्हें मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1971 का डियूटी वेतन भुगतान उनके कई प्रार्थना-पत्र देने एवं तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आदेशों के बावजूद भी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उनका वेतन का भुगतान कराने का अविलम्ब कोई आदेश देंगे ?

श्री लोकपति--

सूचना एकत्र की जा रही है।

वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के रिक्त स्थान

89—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1981-82 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को पुनरीक्षित रणनीति के अन्तर्गत वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों के स्थान इस समय रिक्त हैं ? यदि हां, तो उन मलेरिया निरीक्षकों की पदोन्नति क्यों नहीं की गयी ?

श्री लोकपति—

जी हां, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के स्थान इस समय रिक्त हैं । उक्त पदों पर मलेरिया निरीक्षक संवर्ग से पदोन्नति किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों एवं मलेरिया निरीक्षकों के पदों को स्थायी किये जाने हेतु कार्यवाही

90—श्री हरगोविन्द वर्मा—

क्या यह भी सही है कि स्थायीकरण के शासनादेश अन्तर्गत वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों एवं मलेरिया निरीक्षकों के 33 प्रतिशत पदों को स्थायी किए जाने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो उनमें से कितने वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों एवं मलेरिया निरीक्षकों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

जी हां, वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षकों एवं मलेरिया निरीक्षकों के 33% पद शासन द्वारा स्थायी घोषित किये जा चुके हैं । उक्त पदों पर पदधारकों के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

91—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में सहायक मलेरिया अधिकारी का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण तथा वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही

92—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने सहायक मलेरिया अधिकारी हैं, जो कि एक ही जिले में आठ या आठ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? उपरोक्त अवधि वाले सहायक मलेरिया अधिकारियों का अब तक स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है ? इन लोगों के स्थानान्तरण करने में शासन की क्या नीति है ?

श्री लोकपति—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

93—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ऐसे-ऐसे कितने मुस्लिम मलेरिया निरीक्षक हैं जोकि पिछड़ी जातियों के हैं और उनकी पात्रता होते हुए भी उनकी पदोन्नति वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के पद पर अभी तक क्यों नहीं की गयी है ? सरकार इस पदोन्नति के विषय में कब तक सुनिश्चित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति—

पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है । अतएव उन मुस्लिम मलेरिया निरीक्षिकों के लिए जो पिछड़ी जाति के हैं अलग से पात्रता निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता है । वैसे वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा श्री हरी लाल को मिट्टी के तेल का अधिक आवंटन किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही

94—श्री मोहन सिंह—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा अवैध रूप से मिट्टी के तेल के जो लाइसेन्स श्री हीरालाल, वि0 खं0, गोला बाजार को 10 कि0 ली0 मिट्टी के तेल के स्थान पर 20 कि0 ली0 मिट्टी का तेल सन् 1981 से शासनादेश का उल्लंघन करके दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर के तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा श्री हरी लाल मिट्टी के तेल के लाइसेन्सी को न कि श्री हीरा लाल, वि0 खंड, गोला बाजार को 10 कि0 ली0 मिट्टी तेल के स्थान पर 20 कि0 ली0 मिट्टी तेल का आवंटन किया था । जो हरी लाल को 10 कि0 ली0 मिट्टी तेल दिए जाने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्था के अनुसार था । इस बिन्दु पर कोई शासनादेश नहीं दिया गया था । मामले में जांच के फलस्वरूप श्री हरी लाल को 10 कि0 ली0 के स्थान पर 20 कि0 ली0 देने का औचित्य नहीं पाया गया । इनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति विउर के सचिव श्री देव नारायण सिंह के विरुद्ध ऋण के घपले बाजी के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

95—श्री विजय सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति, विउर के सचिव (देव नारायण सिंह)

द्वारा किए गए ऋण के लेन-देन में घपले बाजी के सम्बन्ध में दिनांक 10-7-82 का प्रश्नकर्ता का लिखा हुआ पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दीर्घाकार साधन सहकारी समिति के सचिव (श्री देव नारायण सिंह) के खिलाफ सहायक निबन्धक, मिर्जापुर को सम्बन्धित रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विडर लैम्प्स के सदस्यों द्वारा सचिव देव नारायण सिंह के द्वारा ऋण के लेन-देन में घपले बाजी के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र दिनांक 26-2-82 को भेजा हुआ जिला सहायक निबन्धक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका में नए वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पथकर निरीक्षकों का वेतनमान

98--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पथकर निरीक्षकों का वेतनमान नगरपालिका के टैक्स सम्बन्धी कार्य करने के बावजूद भी नए वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तृतीय श्रेणी लिपिक से कम रखा गया है । यदि हां, तो शासन ने इस असंगति को दूर करने के लिए क्या निर्णय लिया है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगरपालिकाओं में नए वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पथकर निरीक्षकों का वेतनमान लिपिक के वेतनमान से कम अवश्य रखा गया है किन्तु इसमें कोई असंगति नहीं है क्योंकि लिपिकों की शैक्षिक योग्यता पथकर निरीक्षकों का शैक्षिक योग्यता से उच्चतर है ।

श्री एस० एन० माथुर, मुख्य अभियंता (निर्माण) लखनऊ के विरुद्ध कथित घोटाले की जांच

99--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस० एन० माथुर, मुख्य अभियन्ता (निर्माण), उ० प्र० जल निगम, लखनऊ जब देहरादून में 2 वर्ष पूर्व क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के रूप में कार्यरत थे तथा केन्द्रीय भंडार देहरादून के सामानों की खरीदारी के तहत जो करोड़ों रुपए के घोटाले से सम्बद्ध है पर सतर्कता विभाग की जांच चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें मुख्य अभियन्ता किस प्रकार से बना दिया गया ? क्या सतर्कता की जांच विभाग को मिल गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन से आरोप हैं ? यदि नहीं, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मपुर, महराजगंज, खोराबार, सरदारनगर एवं निठौरा में कार्यरत दाइयां तथा उनका नियमितीकरण

100--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मपुर, महाराजगंज, खोराबार, सरदारनगर, निठौरा में इस समय कितनी दाइयां (पार्ट टाइम व नियमित) कार्यरत हैं ? इनमें से कितनी व कौन-कौन अनुसूचित जाति की पार्ट टाइम दाइयां हैं और इनको कब तक नियमित कर दिया जायगा यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ब्रह्मपुर, महराजगंज, खोराबार, सरदारनगर एवं मिठौरा में इस समय अंशकालिक दाइयों की संख्या 32 तथा नियमित दाइयों की संख्या 18 है । इनमें से अनुसूचित जाति का 16 अंशकालिक दाइयां हैं जिनकी सूची संलग्न है । चूंकि नियमित दाइयों के रिक्त पद उपलब्ध नहीं हैं अतः अंशकालीन दाइयों को नियमित पद देने का प्रश्न अभी नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1925 पर)

ग्राम मझगवां शरीफ, जनपद बाराबंकी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने की योजना

101--श्री जमुना प्रसाद--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मझगवां शरीफ, तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जाने की योजना स्वास्थ्य विभाग के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी नहीं ।

अब ग्रामीण क्षेत्रों के नये आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना जिला सेक्टर योजना में आती है । जिला योजना समिति बाराबंकी ही मझगवां में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का निर्णय ले सकती है ।

आवास विकास परिषद्, झांसी में मुहल्ला तालपुरा में आवास निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

102--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का दिनांक 26 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1982 के बीच में आवास विकास परिषद्, उ० प्र०,

झांसी में मुहल्ला ताकुरा में आवास निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

चूंकि भूमि कैन्टूनमेंट बोर्ड की है इसलिए बोर्ड से सम्पर्क स्थापित किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ब्लाक महराजगंज के ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) के विरुद्ध शिकायती-पत्र

103—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित ब्लाक महराजगंज के ए0 डी0 ओ0 (सहकारिता) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 8-11-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक मामले में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं, दिनांक 6-11-82 का पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है । मामले की जांच कर ली गयी परन्तु शिकायत की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं मिला फिर भी प्रशासकीय दृष्टिकोण से सम्बन्धित कर्मचारी को विकास खंड सरदारनगर (गोरखपुर) को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

साधन सहकारी समिति दुबौली, खुटहा एवं बरौली आदि के सचिवों के विरुद्ध शिकायती पत्र

104—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सहकारिता मंत्री को यह भी ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में ब्लाक महराजगंज से सम्बन्धित साधन सहकारी समिति दुबौली, खुटहा एवं बरौली आदि के सचिवों के विरुद्ध माह नवम्बर, 1982 में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बच्चा पाठक—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज (मुरादाबाद) में कुल सीटें तथा रिक्त स्थान

105—श्री रामकृष्ण माहेश्वरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0 जी0 के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज (मुरादाबाद) में वर्ष 1981 व 1982 में कुल कितने छात्रों के स्थान थे उनमें से कितने छात्र शिक्षा पा रहे एवं कितने स्थान रिक्त हैं ?

रिक्त स्थान पर प्रवेश हेतु क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता ने आपने पत्र दिनांक 25-8-82 को लिखा था ? यदि हां, तो रिक्त स्थान पर प्रवेश न देने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति--

के0 जी0 के0 होम्योपैथिक कालेज मुरादाबाद में शैक्षिक सत्र 1981-82 में 50 सीटें थीं । उक्त 50 सीटों के समक्ष सी0 पी0 एम0 टी0 1981 की प्रतीक्षा सूची से छात्रों का प्रवेश हेतु आवंटन किया गया जिनमें से कुल 9 छात्रों ने प्रवेश लिया ।

दिनांक 25-8-82 का पत्र जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है । इस पत्र में सी0 पी0 एम0 टी0 1981 की परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिये जाने का सुझाव दिया गया था । सी0 पी0 एम0 टी0 1981 के चयन से शैक्षिक सत्र 1981-82 में प्रवेश दिया गया है । शैक्षिक सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात् उस सत्र में प्रवेश देने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ।

106--श्री शंकर सिंह--

(8वें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

नन्दनपुरा योजना, झांसी में पेयजल एवं सड़कों पर प्रकाश हेतु कार्यवाही

107--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्दनपुरा, झांसी में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्मित कालोनियों में पेयजल एवं सड़कों पर प्रकाश का अभी तक प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नन्दनपुरा योजना, झांसी में पेयजल की व्यवस्था परिषद् ने आंशिक रूप से कर दी है । दो हैण्ड पम्प तथा 11 स्टैन्ड पोस्ट लगा दिये गये हैं और कुएं से पम्पिंग करके आवंटियों को पानी दिया जा रहा है । परिषद् द्वारा यह वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई गई है और जल संस्थान द्वारा आगे कार्यवाही की जायेगी । अभी तक 66 पोल लगाये गये हैं जिनमें 26 पोलों पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था कर दी गयी है । बिजली का शेष कार्य भी यथाशीघ्र पूर्ण हो जायेगा ।

जनपद आगरा में किरावली को टाउन एरिया में घोषित किया जाना

108--श्री बदन सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद के कस्बा किरावली को इस वर्ष (1982) टाउन एरिया घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या टाउन एरिया, किरावली में अभेदोंपुरा ग्राम को भी सम्मिलित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

आगरा जनपद में किरावली को टाउन एरिया 1981 में घोषित किया गया था । ग्राम अमेदोंपुरा अंशतः टाउन एरिया किरावली में सम्मिलित है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से बी0 एच0 सी0 क्रय करने में गम्भीर अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

109--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा टेन्डर के अन्तर्गत बी0 एच0 सी0 50 प्रतिशत डब्लू0 डी0 पी0 क्रय करने में गम्भीर अनियमिततायें करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 5-10-82 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी द्वारा एवं तिथि को की गई ? जांच के दौरान कौन-कौन से आरोप सही पाये गये ? जांच रिपोर्ट क्या है और अब तक जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

जी हां ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से बी0 एच0 सी0 क्रय हेतु टेन्डर प्राप्त होने पर शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में अन्ततः क्रय का निर्णय शासन स्तर पर नियमानुसार लिया गया । अतः स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा टेण्डर में अनियमितता करने का प्रश्न नहीं उठता । कर्मचारियों के प्रति शिकायतें सामान्य प्रकार की पायी गई फिर भी ऐसे कर्मचारियों को जो केन्द्रीय औषधि भंडार में काफी अर्से से तैनात हैं अथवा पहले रह चुके थे और पुनः वापस आ गये हैं उनके स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने के निर्देश स्वास्थ्य सेवा निदेशक को 18 दिसम्बर, 1982 को दिये जा चुके हैं ।

110--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 4-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 101 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ नगर के सिनेमा गृहों का क्षेत्रफल तथा मास्टर प्लान के सम्बन्ध में छूट

111--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ मास्टर प्लान के अनुसार पार्किंग स्थल को सम्मिलित करते हुए सिनेमा हाल के लिए 0.50 एकड़ से 0.75 एकड़ तक का क्षेत्रफल आवंटित किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मास्टर प्लान की स्वीकृति लखनऊ नगर में जिन दस सिनेमा गृहों अर्थात् शिल्पी, तुलसी, गुलाब, लीला, जयभारत, उमराव, अलंकार, प्रतिमा, माधव और अंजुमन सिनेमा गृहों के भवनों की स्वीकृति तथा स्थिति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दी गई, उनमें से किन-किन सिनेमा गृहों का क्षेत्रफल 0·50 एकड़ से कम था और उन्हें किन परिस्थितियों में और किस के द्वारा लखनऊ मास्टर प्लान के उक्त उपबन्ध में छूट दी गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां । मास्टर प्लान में ऐसा प्रस्तावित है जिसके अनुसार ही सभी सिनेमा भवन जिनका क्षेत्रफल 0.50 एकड़ से ज्यादा है की स्वीकृत प्रदान की गई । केवल अलंकार, शिल्पी तथा जय भारत सिनेमा जो नगर के पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित हैं उनका क्षेत्रफल अवश्य कम है । इन सिनेमा भवनों के मानचित्र सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दिये जाने के पश्चात् नियत प्राधिकारी ने स्वीकृत की हैं ।

हरदोई मार्ग चौक, लखनऊ पेट्रोल पम्प के सामने नजूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

112--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई मार्ग चौक, लखनऊ पेट्रोल पम्प के सामने स्थित नजूल की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा कब से किया गया है क्या यह सत्य है कि उक्त अवैध कब्जे को हटाने के लिये के आदेश दिनांक 21 जनवरी, 1980 को तत्कालीन नजूल अधिकारी द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा अब तक न हटाये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

चूंकि मामला बहुत पुराना है अतः निश्चित तिथि बताया जाना सम्भव नहीं है ।

जी नहीं । धारा 27(1) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के बाद अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिये गये थे । दिनांक 13-7-81 को डिमालिशन नोटिस जारी की गई थी जिसके विरुद्ध श्री रहीम बख्श ने दिनांक 25-7-1981 को आयुक्त लखनऊ मन्डल के यहां अपील कर दी जिसके कारण अवैध कब्जा हटाया नहीं जा सका ।

स्टेशन रोड, लखनऊ पर तीन स्टार होटल का निर्माण

113--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्टेशन रोड, लखनऊ पर हाल ही में निर्मित एक तीन (3) स्टार होटल का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्देशों के प्रतिकूल किया गया है ? जिन पर प्राधिकरण ने होटल स्वामियों पर 80 लाख रुपये का दन्ड के रूप में नियत किये ? यदि हां, तो दन्ड की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां ।

जी नहीं । नियत किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण विभाग में पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता को देय नया वेतनमान

114--श्री जटा शंकर सिंह--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 300-500 रु0 के वेतनमान पाने वाले परिवार कल्याण विभाग में पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता अब नया वेतनमान 515-860 रु0 पायेंगे और 1966 के पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता अब परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक जो 300-500 रु0 के वेतनमान में थे को नये वेतनमान के अनुसार 515-860 रु0 वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

परिवार कल्याण विभाग में 300-500 रु0 के वेतनमान पाने वाले पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 515-860 रु0 का नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। 300-500 रु0 के वेतनमान पाने वाले स्वास्थ्य सहायकों को 470-735 रु0 का नया वेतनमान स्वीकृत किया गया है। ये दोनों वेतनमान वेतन आयोग की संस्तुति पर आधारित हैं।

115-116--श्री बाबू सिंह--

[6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 89-90 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

117--श्री राम आसरे पासवान तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया।]

118--श्री राम आसरे पासवान--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

जनपद मथुरा में उथले नलकूप लगाने की योजना

119--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में खारे पानी की समस्या को हल करने के लिए व्यापक पैमाने पर उथले नलकूप लगाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कितना व्यय आयेगा और शासन कब तक इस योजना को कार्य रूप में परिणित करेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हां।

इन योजनाओं पर दस करोड़ रुपये व्यय आने का अनुमान है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पेयजल व्यवस्था किया जाना सम्भावित है।

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, हरदोई के जिला प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

120--श्री हरी शंकर--

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि भू0 वि0 बैंक लि0, हरदोई के जिला प्रबन्धक प्रतिदिन लखनऊ से 12 बजे सियालदह एक्सप्रेस से आकर 4 बजे

सियालदह एक्सप्रेस से चले जाते हैं और कार्यालय का काम नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बच्चा पाठक--

इस आशय के शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0, हरदोई के जिला प्रबन्धक श्री सैय्यद मोहम्मद अहमद का स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया है ।

मेडिकल कालेज, झांसी के कुप्रबन्ध एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

121--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता की शिकायत के आधार पर तथा मेडिकल कालेज, झांसी के कुप्रबन्ध एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में मास सितम्बर, अक्तूबर 1982 में संयुक्त निदेशक (चिकित्सा विभाग) श्री एस0 के0 श्रीवास्तव ने शासन के निर्देश पर जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और शासन ने उक्त जांच के आधार पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री लोकपति--

जी हां । संयुक्त निदेशक डा0 एस0 के0 श्रीवास्तव द्वारा जांच की गई थी । उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 18-2-83 में इंगित दैनिक समाचार-पत्र 'स्वतन्त्र भारत' में प्रकाशित अधिकांश शिकायतें सही नहीं पाई गयीं । जांच रिपोर्ट में मेडिकल कालेज के डाक्टरों द्वारा अनियमित रूप से प्राइवेट प्रैक्टिस करने तथा एक्सरे एवं पैथालोजी क्लीनिक्स चलाने सम्बन्धी शिकायत की अग्रेतर जांच कराने का सुझाव दिया गया है जो विचाराधीन है ।

झांसी नगर की मलिन बस्तियों में नालों की सफाई तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर व्यय

122--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर की मलिन बस्तियां खुशीपुर, तारापुर, नई बस्ती, गुदड़ी उन्नाव गेट के अन्दर तथा बाहर नन्दनपुरा के नालों की सफाई तथा सड़कों में प्रकाश की सुविधा के लिए वर्ष 1980-81 के बीच तथा 1981-82 के लिए कितना धन आवंटित किया गया था और इस सम्बन्ध में कितना खर्च हुआ ?

श्री राम सिंह खन्ना--

झांसी नगरपालिका के बजट में सम्पूर्ण पालिका क्षेत्र, जिसमें तथा कथित मुहल्ले भी सम्मिलित थे, के लिये नाले नालियों के निर्माण, उनकी सफाई तथा मरम्मत हेतु वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में क्रमशः रु0 25,000 तथा रु0 1,60,000 का प्राविधान किया गया था । इसी प्रकार मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु उक्त वर्षों में क्रमशः रु0 3,17,721 तथा रु0 3,77,900 का प्राविधान पालिका बजट में किया गया था । किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1926 पर)

123--श्रीमती कमला साहनी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सीतापुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 के दूध के नमने की जांच

124--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1982 में सीतापुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0, सीतापुर का जो दूध जांच के लिए क्षेत्रीय सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा लिया गया उसमें जांच के परिणाम स्वरूप फैट 29 प्रतिशत कम पाया गया ? यदि हां, तो इस बारे में संघ के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

जी हां, दिनांक 17 अगस्त, 1982 को क्षेत्रीय सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा लिए गये सीतापुर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 के दूध के नमूने की जन विश्लेषक, लखनऊ द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप लगभग 29 प्रतिशत फेट तथा लगभग 35 प्रतिशत नान-फेटीसालिड्स कम पाया गया। इस सम्बन्ध में संघ के अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 13 अक्तूबर, 1982 को वाद प्रस्तुत किया जा चुका है।

टाउन एरिया पीपीगंज (गोरखपुर) में गांव साहबगंज को सम्मिलित किए जाने हेतु कार्यवाही

125--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाउन एरिया पीपीगंज (गोरखपुर) में गांव साहबगंज को सम्मिलित करने हेतु स्थानीय जनता एवं जन-प्रतिनिधियों का कोई प्रतिवेदन शासन को वर्ष 1979 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना --

जी नहीं। टाउन एरिया पीपीगंज में गांव साहबगंज जारी अधिसूचना सं0 7956-टी/9-1-79, दिनांक 28 सितम्बर, 1979 के अनुसार सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य सचिव को जे0 बी0 फ्लोर मिल्स, सीतापुर की ओर से दिया गया ज्ञापन

126--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8-10-82 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन खाद्य सचिव को जे0 बी0 फ्लोर मिल्स, सीतापुर की ओर से इस आशय का कोई ज्ञापन कि नान-रोलर फ्लावर मिल्स को गेहूं का कुछ स्टाक बढ़ाने की अनुमति दे दी जाय, मिला ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही एवं निर्णय लिया गया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां, उक्त ज्ञापन पर विचारोपरान्त नान-रोलर फ्लावर मिल्स के लिए गेहूं की स्टाक सीमा को बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया परन्तु पंजाब तथा हरियाणा से आयातित गेहूं को कतिपय शर्तों के अधीन स्टाक सीमा से परे रखने का निर्णय लिया गया है। इससे नान-रोलर फ्लावर मिलें भी लाभान्वित होंगी।

श्री मूल चन्द्र शर्मा, मैनेजर सर्वोदय आदर्श विद्यालय, पिलखुआ, जिला गाजियाबाद को कन्या विद्यालय की स्थापना हेतु दी गयी धनराशि को वापस किये जाने की नोटिस

127--श्री राजेन्द्र कमार गुप्त--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वोदय इंटर कालेज, पिलखुआ जिला गाजियाबाद के प्रबन्धक श्री मूलचन्द्र शर्मा को नगरपालिका पिलखुआ में अपनी प्रस्ताव सं० 205 दिनांक 19-10-1982 द्वारा जो धनराशि कन्या विद्यालय की स्थापना के लिए भूमि खरीदने हेतु दी गयी थी उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो जिस कार्य के लिए धन दिया गया था क्या वही कार्य हुआ ? यदि अन्य कार्य किया गया तो सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगरपालिका पिलखुवा के प्रस्ताव संख्या 205 दिनांक 19-10-1963 न कि दिनांक 19-10-1982 के अन्तर्गत श्री मलचन्द्र शर्मा, मैनेजर सर्वोदय आदर्श विद्यालय को तथा कथित प्रयोजन हेतु सहायता के रूप में दी गयी 10,000 रु० की धनराशि का उपयोग उक्त संस्था द्वारा बजरिये बनामा भूमि क्रय करके किया गया था।

उक्त प्रयोजन हेतु भूमि तो क्रय की गयी थी तथा उस पर कुछ निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु धनाभाव के कारण उसे रोक दिया गया। तत्पश्चात् क्रय की गयी उक्त भूमि 1979 में विक्रय कर दी गयी तथा उससे प्राप्त धनराशि से अन्य स्थान पर कन्या विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। पालिका द्वारा उक्त संस्था के मैनेजर को 10,000 रु० मय सूद के वापस किए जाने का नोटिस दिया गया है। सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद गोरखपुर के रुस्तमपुर मलौनी बांध मार्ग का निर्माण

128--श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद की रुस्तमपुर मलौनी बांध मार्ग का निर्माण दयनीय दशा को देखते हुए इस वर्ष करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो कारण क्या है और कब तक इसे निर्मित किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सीमित संसाधनों के कारण इस वर्ष कराया जाना सम्भव नहीं है। अगले वित्तीय वर्ष के निर्माण कार्यों की सूची में इसे सम्मिलित किया जायगा।

केन्द्रीयित सेवा में 'ए' और 'बी' श्रेणी में जलकल अभियन्ताओं के सृजित पद तथा आरक्षण कोटा

129--श्री शंकर सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केन्द्रीय सेवा में 'ए' और 'बी' श्रेणी जल कल अभियन्ताओं के कितने पद सृजित हैं, जो अभियन्ता इस समय कार्यरत हैं उनमें अनुसूचित जाति के कितने हैं ? क्या उक्त पदों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लिए कोई कोटा है ? यदि हां, तो क्या वह पूर्ण है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

केन्द्रीयित सेवा में 'ए' और 'बी' श्रेणी जल कल अभियन्ताओं के क्रमशः 10 और 57 पद सृजित हैं। इस समय कार्यरत जल कल अभियन्ताओं में से 'बी' श्रेणी के केवल 2 जल कल अभियन्ता अनुसूचित जाति के हैं। शासन के आदेशानुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में से 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में से 15 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण कोटा है। यह पूर्ण नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के तत्कालीन डा0 हलीम के खिलाफ कथित शिकायती-पत्र

130--श्री दूधनाथ राजभर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र, जहानागंज, जनपद आजमगढ़ के तत्कालीन डा0 हलीम के खिलाफ दिनांक 27-11-1681 को कोई शिकायती-पत्र उन्हें तथा स्वास्थ्य विभाग को लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति--

प्रश्नकर्ता का दिनांक 27 नवम्बर, 1981 का शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में दाइयों को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति कम दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

131--श्रीमती गौरी देवी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर वर्ष 1981-82 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली दाइयों को 300 रुपये के स्थान पर 200 रुपया (स्टाइपेण्ड) दिया गया और लगभग 80 हजार रुपया प्रा0 स्वा0 केन्द्र के चिकित्सक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घपला कर दिया गया ? क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त, 1982 के प्रथम सप्ताह में एक लिखित शिकायत कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कौड़ीराम, गोरखपुर के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध स्वस्थ्य मंत्री जी से की गयी थी ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गयी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति—

जनपद गोरखपुर में वर्ष 1981-82 में कुछ दाइयों को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति 300 रुपये के स्थान पर 200 रुपये दी गई। प्रश्नकर्त्ता द्वारा 9 अगस्त, 1982 के दैनिक जागरण की कटिंग सहित एक पत्र दिनांक 26 दिसम्बर, 1982 का प्राप्त हुआ जिसकी जांच डा० बी० एन० दास, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई। जांच आख्या के अनुसार मलांव गांव की 23 दाइयों को केवल 200 रुपये भुगतान किया गया। जांच आख्या पर कार्यवाही की जा रही है।

दाई प्रशिक्षण के लिए जनपद गोरखपुर में किया गया भुगतान

132—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से मार्च, 1982 तक दाई प्रशिक्षण के नाम पर करीब 7 लाख रुपया का भुगतान दिखलाया गया है ? यदि हां, तो प्रशिक्षित दाइयों का नाम एवं पता क्या है तथा किन-किन तारीखों में भुगतान किया गया है ? ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। जनवरी से मार्च, 1982 तक दाई प्रशिक्षण के लिए जनपद गोरखपुर में केवल 3,5500 रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रशिक्षित दाइयों के नाम और उनके पते आदि का अपेक्षित विवरण उक्त जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं। सूची में 1 200 से भी अधिक नाम होने के कारण उसे यहां सलग्न करना व्यावहारिक नहीं है।

सिविल चिकित्सालय, डेरापुर, जिला कानपुर के चिकित्साधिकारी को वेतन का कथित भुगतान

133—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला परिषद् सिविल चिकित्सालय, डेरापुर, जिला कानपुर के चिकित्साधिकारी को दिनांक 1 नवम्बर, 1973 से इन्ट्रीगेटेड चिकित्साधिकारी घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय के उक्त चिकित्साधिकारी को 1 नवम्बर, 1973 से 14 अप्रैल, 1975 तक का वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती कलावती की शल्य चिकित्सा के सरकारी अभिलेखों पर एन० एन० एम० का नाम दर्ज होने के सम्बन्ध में निदेशालय को लिखा गया पत्र

134—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 7 मई, 1931 को हुयी श्रीमती कलावती, पत्नी श्री अंगनू राम, निवासी मो० झारखंडी, शहर फैजाबाद को परिवार कल्याण सम्बन्धी शल्य चिकित्सा के

सरकारी अभिलेखों पर वास्तविक प्रेरक डा0 आर0 के0 श्रीवास्तव, एच0 आई0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, सोहावल, फैजाबाद का नाम काट कर प्रसार शिक्षक, एस0 डी0 सिंह ने एक एन0 एन0 एम0 का नाम दर्ज करने के बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद ने निदेशालय को लिखा है ? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री लोकपति--

इस विषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी फैजाबाद ने कोई पत्र निदेशालय को नहीं लिखा है ।

महिला डाक्टर को आवास गृह खाली करने का आदेश

135--श्री राम आसरे वर्मा--

द्वितीय सत्र 1982 के 2रे गुरु के अता0 प्र0 सं0 54 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित आवास गृह खाली करने हेतु सम्बन्धित महिला डाक्टर को आदेश कब दिये गये और कितने दिनों के अन्दर खाली कर देने को कहा गया है ? आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री लोकपति--

सम्बन्धित महिला डाक्टर को आवास गृह खाली करने के आदेश दिनांक 4 जनवरी, 1982 को दिये गये थे । तत्पश्चात् उन्हें तीन बार स्मरण पत्र भेजे गये ।

आदेशों की अवहेलना करने के कारण सम्बन्धित महिला डाक्टर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

श्री वनमाली टंडन, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में उपलब्ध कराये गये भवन

136--श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वनमाली टंडन, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में कितने भवन जनता को उपलब्ध कराये गये एवं कितनी भूमि अर्जित की गई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री वनमाली टंडन, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यकाल में 1271 आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय के, 4 अल्प आय वर्ग एवं 3 मध्यम आय वर्ग के भवन जनता को उपलब्ध कराये गये ।

जहां तक भूमि अर्जन का प्रश्न है श्री वनमाली टंडन के कार्यकाल में प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं की गई ।

श्री हरमेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बरेली ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कराया गया कार्य

137---श्री सुरेन्द्र कुमार--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 80 में सूखा कार्य में श्री हरमेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम बरेली को जनपद हमीरपुर में श्री जी0 सी0 राय, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा विशेष रूप से भेजा गया था, उन्होंने हमीरपुर की पेयजल योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की थी ? तथा कितने गांवों को पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध करायी थी? क्या इनके द्वारा डाली गयी पाईप लाइन में गैप (फासला) है ? यदि हां, तो इस लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

श्री हरमेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, बरेली को जनपद हमीरपुर में वर्ष 1980 में जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी, भेजा गया था । श्री हरमेन्द्र कुमार द्वारा सूखा राहत कार्य में सहायता उपलब्ध कराई गई तथा पहले से चल रही निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर कार्य कराया गया । उनके द्वारा कुल 20.324 लाख रुपये व्यय किये गए किन्तु किसी ग्राम को पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी । जी हां, श्री हरमेन्द्र कुमार द्वारा जिन पाइपों को बिछवाया गया था उनमें गैप थे, जिसके सम्बन्ध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

लघु सीमान्त कृषकों को उर्वरक क्रय करने में अनुमन्य छूट

138--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

क्या विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु0 के अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 व 1980-81 में लघु/सीमान्त कृषकों को उर्वरक क्रय कर जो अनुमन्य अनुदान (छूट) दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका पूरा-पूरा विवरण क्या है ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां । वर्ष 1979-80 में 1748 लघु/सीमान्त कृषकों को 59,251 रुपये तथा वर्ष 1980-81 में 1908 लघु/सीमान्त कृषकों को 79,977 रु0 की अनुदान (छूट) दी गई ? शेष कृषकों को अनुमन्य अनुदान देने का मामला विचाराधीन है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री जैदत्त सिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भूतपूर्व सदस्य स्वर्गीय जैदत्त सिंह के सम्बन्ध में अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं । श्री जैदत्त सिंह का निधन 10 फरवरी, 1983 को प्रातः गांधीनगर, बस्ती में हो गया । इधर वे कई बीमारियों के कारण अस्वस्थ थे । मृत्यु के समय उनकी आयु 62 वर्ष की थी । श्री जैदत्त सिंह 1967 में इस माननीय

सदन के सदस्य निर्वाचित हुये थे भारतीय जनसंघ पार्टी से। सदन में उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भी खोले। वे कुशल राजनीतिज्ञ और कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने क्षेत्र में जनहित के बहुत से कार्य किये। उनके निधन से एक बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा अपनी दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि हमारी शोक सम्वेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

अध्यक्ष महोदय, श्री जैदत्त सिंह जी की मृत्यु पर जो शोकयुक्त शब्द माननीय नेता सदन ने व्यक्त किए, मैं उनसे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, श्री जैदत्त सिंह उस समय चुन कर आए थे जब मैं पहली बार निर्वाचित होकर इस सदन में आया था। जाहिर है कि मेरा उनका साथ पहली बार यहां हुआ था। उनके निधन से एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्त्ता का विच्छोह हुआ है। मैं और मेरा दल उनके निधन पर शोक प्रकट करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे यह शोकोद्गार उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जैदत्त सिंह के निधन पर जो उद्गार नेता सदन और उप नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की भावनाएं पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, स्वर्गीय जैदत्त सिंह जी के सम्बन्ध में जो शोकोद्गार अभी नेता सदन, उप नेता विरोधी दल तथा नेता लोकतांत्रिक समाजवादी दल ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मेरे उनसे निकट के सम्बन्ध थे क्योंकि वह भारतीय जनसंघ के निष्ठावान कार्यकर्ता थे। वह अपने क्षेत्र में बड़े ही लोकप्रिय, निष्ठावान, क्रियाशील कार्यकर्ता समझे जाते थे राजनीतिक क्षेत्र में, तथा सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यों में उनकी रुचि थी। शिक्षा के क्षेत्र में वे विशेष रुचि रखते थे। उनके न रहने से सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में एक रिक्तता हुई है। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति शोकोद्गार प्रकट करता हूं तथा आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री जैदत्त सिंह जी के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि आप हमारी शोक--संवेदना को उनके शोक--संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री भोला लाल--

अध्यक्ष महोदय, जी जैदत्त सिंह जी के निधन से हम लोगों को काफी हार्दिक क्लेश पहुंचा है। उनके सम्बन्ध में माननीय नेता सदन उप नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उससे अपने और अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं और स्वर्गीय श्री जैदत्त सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध है कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, माननीय नेता सदन और उप नेता विरोधी दल की ओर से श्री जैदत्त सिंह के आकस्मिक निधन पर जो विचार प्रकट किये गये हैं, उनसे मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिंह प्रदेश के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके निधन से जो रिक्तता हुई है उसकी पूर्ति हो पाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे दल की ओर से संवेदना का संदेश उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

श्री जैदत्त सिंह जी के निधन पर माननीय नेता सदन, उप नेता विरोधी दल और अन्य माननीय नेताओं ने जो अपने शोकोद्गार व्यक्त किए हैं, मैं भी उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री सिंह 1967 में पहली बार इस सदन में आये थे और जहां तक उनके कार्य का सम्बन्ध है वे हमेशा सामाजिक कार्य करते थे। इसके अलावा उन्होंने शिक्षण-संस्थाओं में भी काम किया और बहुत से काम जो उन्होंने अपने दल में किए उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं, आदरणीय सदन के माननीय नेताओं ने उनके प्रति जो भावनायें प्रकट किए हैं, उनको उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा।

अब हम दो मिनट मौन खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

(12.25 अपराह्न)

कल्क्टरगंज बस-स्टेशन (कानपुर) पर बसों के खड़ी होने का समुचित स्थान तथा शौचालय आदि की सुविधा न होने से उत्पन्न कठिनाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत मुझे 19 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 5 को स्वीकार किया है। सर्वश्री राम करन, अकबाल हुसैन, हरगोविन्द वर्मा, मुईद अहमद, किरन पाल सिंह जी की सूचनाओं को अस्वीकार किया है क्योंकि ये सूचनायें 200 शब्द से अधिक थीं। सर्वश्री मोती लाल देहलवी, राजेन्द्र कुमार गुप्त, नन्द राम, अकबर हुसैन एवम् लाल प्रताप सिंह जी की सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। बाकी सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें जो आयी हैं, अस्वीकार किया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, प्रदेश में जनपद कानपुर सबसे बड़ी आबादी का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। इस नगर का प्रमुख बस-स्टेशन, कलक्टरगंज में स्थित है। इस बस-स्टेशन से प्रत्येक दिन कई सौ बसों का आवागमन प्रमुख नगरों के लिए होता है, जिनमें कई हजार यात्री यात्रा करते हैं। इस बस-स्टेशन में प्रत्येक दिन लगभग एक लाख रुपए की आय परिवहन निगम को हो रही है। यह एक अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण एवं शोचनीय स्थिति है कि इस बस-स्टेशन पर पर्याप्त स्थान होते हुए भी बसों को व्यवस्थित ढंग से खड़ी करना दूभर बना हुआ है।

विवशतः सड़क के दोनों ओर अव्यवस्थित दूभर ढंग से बसें खड़ा करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति क्षण आवागमन जाम हो जाता है और गिरहकट पाकिट मारी करते रहते हैं। इस स्थान पर अक्सर पानी भर जाता है और कीचड़ बना रहता है। महत्वपूर्ण बस-स्टेशन होने और स्थान के रहते हुए भी न तो विश्रामालय है और न शौचालय. हर समय एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। धन खर्च करने के बावजूद यात्रीगण सुविधा से वंचित हैं और घुटन महसूस कर सरकार को कोसते हैं। यदि सरकार चाहे तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस दुःखद समस्या का निराकरण न हो सके।

ग्राम सहसापुर और ननोइया (सीतापुर) के 6 नलकूपों के बेकार पड़े रहने से सिंचाई की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, सीतापुर जनपद में नलकूप निगम की कंगाली तथा उसमें व्याप्त दुर्व्यवस्था के कारण सिंचाई की अतीव क्षति हो रही है। मान्यवर, विकास खंड औराबाद, जिला सीतापुर के ग्राम सहसापुर तथा ननोइया सहित जिले के 6 नलकूप ऐसे हैं जिनकी 2 वर्ष पूर्व बोरिंग हो चुकी है, परन्तु बालू अधिक आने से बेकार पड़े हैं। अभी तक आ0 पी0 यूनिट से उनकी सफाई नहीं कराई जा सकी। निर्माण ठप पड़ा है। इसी प्रकार मऊपुरवा, उनसिया तथा उमरिया आदि लगभग 15 नलकूप ऐसे हैं जहां पम्प हाउस तथा नालियां आदि एक वर्ष से बन कर तैयार हैं परन्तु बिजली लगवाने के लिए इस्टीमेट में आवश्यक धन नहीं है जो कि बिजली विभाग को दिया जा सके। बार-बार स्थानीय नलकूप निगम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है परन्तु वह हतप्रभ दिखाई देते हैं।

सरकार का लाखों रुपया लगने के बाद भी सिंचाई न हो पाने से जनता में भीषण असंतोष है।

अतएव, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व की यह समस्या शासन के संज्ञान में लाकर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं।

आवास विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा नई गंज गृह स्थान योजनान्तर्गत (जौनपुर) से 40 दलित परिवारों के समक्ष उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्दराम--

मान्यवर, शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि आवास विकास परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा जौनपुर में नईगंज गृहस्थान योजना में एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालोनी बनाने के नाम पर उमरपुर हरिबंधनपुर के लगभग 40 दलित परिवारों की आबादी उनके जीविकोपार्जन के साधन स्वरूप 500 से अधिक फलदार वृक्षों व उनकी छोटी-छोटी कृषि जोतों को धोखाधड़ी के आधार पर अधिग्रहीत कर उन्हें गृहहीन, भूमिहीन तथा बेरोजगार बनाकर भूखों मरने के लिये बाध्य किया जा रहा है।

इन अनुसूचित वर्ग के भाइयों में तीव्र असंतोष है। 3 फरवरी से यह जौनपुर में अनशन कर रहे हैं। इनकी मांग को उचित समझकर डी0 एम0, जौनपुर तथा आयुक्त, वाराणसी मंडल ने शासन को जमीन छोड़ देने के लिये क्रमशः 14 तथा 21 फरवरी को लिखा। मान्यवर, आपने स्वयं 17 फरवरी, 1983 को आवास आयुक्त को पत्र लिख कर राहत देने की संस्तुति की है। परन्तु सरकार द्वारा अभी तक कोई समाधान कारक कार्यवाही न किये जाने से भीषण असंतोष है। मैं शासन से उक्त भूमि छोड़ने की मांग करता हूं।

ग्राम रनकीपुरवा, थाना गिलौला (बहराइच) में हुए गोहत्या कान्ड को लेकर लूटपाट एवं आगजनी की घटना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन--

ग्राम रनकीपुरवा, थाना गिलौला, जनपद बहराइच में दिनांक 19 फरवरी, 1983 को एक गौ हत्या का कान्ड हुआ था। गाय एक खेत में मिली थी, परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर रनकीपुरवा, मजरा कोलामार-कन्चनी दो गांव के अल्पसंख्यक वर्ग के मकानों को लूटा और आग भी लगा दी, इस तरह से दोनों गांवों को बरबाद कर दिया है। कुछ लोग गम्भीर रूप से घायल भी हुए और लगभग 10 लाख रुपये की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी है। मकान जलने के कारण वे लोग बेघर हो गये हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 20 फरवरी, 1983 को थाना गिलौला जनपद बहराइच में धारा 147, 148, 149, 323, 436, 395 के अन्तर्गत रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है। यह रिपोर्ट 62 व्यक्तियों के विरुद्ध है परन्तु खेद का विषय है कि अभी तक कोई भी प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस गम्भीर घटना के कारण जनपद बहराइच के सभी अल्पसंख्यक वर्गों में व्यापक रूप से भय, असुरक्षा और अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन के माध्यम से माननीय गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बकुलाही नदी (प्रतापगढ़) की चपेट से हर वर्ष हजारों एकड़ भूमि के बरबाद हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाल प्रताप सिंह--

निवेदन है कि मैं माननीय सदन एवं आपके संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे जनपद प्रतापगढ़ के मेरे क्षेत्र से एक नदी जो बकुलाही के नाम से प्रसिद्ध है, जाती है, यह नदी बहुत ही तबाहकुन है, हर वर्ष हजारों एकड़ भूमि इस दरिया के पेट में समा जाती है, जिसके कारण हजारों लोग बेघरबार हो जाते हैं। इस दरिया के प्रकोप से जन और धन की बहुत बड़ी हानि होती है और किसानों को बहुत बड़ी क्षति होती है जिसका अनुमान लगाना कठिन है और उनकी भूमिउनके लिए उपयोगी नहीं रह जाती है। यह दरिया हर वर्ष उर्वर भूमि पर बालू डालती है, जिससे हजारों एकड़ भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है। इस दरिया का कटाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगले 2-3 वर्ष में सौ से अधिक गांव दरिया के पेट में समा जायेगा। इस दरिया के प्रकोप, इसके कटाव, इसकी बाढ़ और इसको बालू के आने से वहां के किसान जनसाधारण लोग बहुत ही चिन्तित हैं। इस सम्बन्ध में तुरन्त ही कदम उठाने की आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने व अपनी-अपनी 301 की सूचनाओं की ग्राह्यता पर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं अब किसी को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं 200 शब्द से ज्यादा थी, इसलिए उन्हें अस्वीकार कर दिया गया, इसके अतिरिक्त सभी सूचनाएं स्वीकार नहीं हो सकती हैं, केवल पांच सूचनायें ही स्वीकार की जा सकती हैं। इसलिए आप लोग शांति बनाये रखें और कृपया बैठ जायें।

दिनांक 2 मार्च, 1983 को इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब होने सम्बन्धी वक्तव्य के स्थगित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक औचित्य के प्रश्न की सूचना आपको दी है। मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि कल जब यह आदरणीय सदन करीब-करीब समाप्ति पर था, उसी समय जब आपने मद संख्या 11 को आपने बुला लिया, जिसमें इलाहाबाद जनपद में 200 सरकारी नलकूप खराब हो जाने के सम्बन्ध में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रेवती रमण सिंह द्वारा दी गई सूचना पर माननीय सिंचाई मन्त्री जी का वक्तव्य था। और आपने इस पर माननीय सिंचाई मन्त्री को बुलाया, वह इस सदन में मौजूद नहीं थे, अर्थात् आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया। और मान्यवर, मैं आपके इस तर्क को भी स्वीकार करता हूं कि माननीय मंत्रियों की एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है, यदि वह किसी वजह से नहीं थे, तो किसी अन्य माननीय मन्त्री को उपस्थित हो जाना चाहिये, उनमें से भी कोई खड़ा नहीं हुआ वक्तव्य पढ़ने के लिए और मान्यवर, जबकि वक्तव्य की कापी हम लोगों में बांटी जा चुकी थी तो मान्यवर, इससे इस आदरणीय सदन की खुली अवमानना हुई है। इससे पूर्व के ऐसे ही मामलों से सम्बन्धित आप पूर्व के दृष्टांत मान्यवर, देखने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के सहित संकलन नामक पुस्तिका के पृष्ठ 257 को आप देखने की कृपा करें कि इससे पहले भी जब इस प्रकार की समस्या देखी हुई तो आपके पीठ से जो व्यवस्था दी गई उसे मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं कि "सरकारी कार्य किस क्रम से किया जाय, इसका निश्चय सरकार करती है किन्तु एक बार उसके सदन के सामने आ जाने पर उसमें परिवर्तन अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकता है" अब अगर सिंचाई मंत्री जी को पता था कि यह मद आज न हो या इस पर विचार आज न किया जाय तो इसकी लिखित अनुमति आपसे वे ले लेते। इस तरह से आपको भी पता चल जाता कि यह मद आज नहीं होगा। यदि आपसे आदेश कल ले लिया गया होता तो इसकी नौबत न आती। साफ जाहिर है कि उन्होंने आपसे अनुमति नहीं मांगी। तो फिर इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि सिंचाई मंत्री जी द्वारा जानबूझ कर इस सदन की अवज्ञा और अवमानना की गई है। बार-बार उनके द्वारा इस तरह की घटनायें होती रही हैं।

अभी तीन दिन पहले सीतापुर के सीवेज के सम्बन्ध में जो मामला था, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया और न स्वयं सदन में उपस्थित हुए और न आपको ही सूचित किया और आपने यहां वह मद काल कर लिया। फिर दूसरे दिन जब आपने उसे लिया तब भी वे नहीं आये और उनकी जगह संसदीय कार्य मंत्री ने उनकी ओर से वक्तव्य को पढ़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंचाई मंत्री ने जानबूझ कर मान्यवर आपकी अवज्ञा की है और इस सदन की अवमानना की है, इसलिये वे दोषी हैं।

मेरे खिलाफ एक बात कही जा सकती है कि मद में परिवर्तन करने का किसी को भी अधिकार हो सकता था। इस सम्बन्ध में भी मैं आपके सामने एक पूर्व दृष्टान्त रख देना चाहता हूं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 257 पर ही लिखा हुआ है कि "अगर कोई सदस्य इसका विरोध करता है तो परिवर्तन नहीं होगा। यदि एक मत सदन का हो जाता है तो किसी भी फैसले में परिवर्तन हो सकता है।" इसे माननीय सदस्य डिफेन्ड करते तो भी परिवर्तन नहीं हो सकता है क्योंकि नियमानुसार पूर्व दृष्टान्त की दृष्टि से सिंचाई मन्त्री ने जानबूझ कर सदन की अवमानना की है और आपकी अवज्ञा की है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि यह सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है और किस तरह से जाइन्ट रिसपान्सिबिलिटी होती है कि किसी मंत्री का कोई प्रश्न सदन में है और वह मंत्री किसी कारणवश या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाय कि वह सदन में उपस्थित न हो सके और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय--]

दूसरे मंत्री को यह अधिकार है कि वह उस मन्त्री के कार्य का सम्पादन करे या वह कर सकता है। कल मान्यवर, जब आपने मद संख्या 11 ली उस समय सिंचाई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। आपके बुलाने के तत्काल बाद ही संसदीय कार्य मन्त्री उठ कर ज्यों ही मद संख्या 11 पर बोलने के लिए खड़े हुए, मान्यवर, आपने उस समय तक सदन को उठने के आदेश दे दिये और कहा कि यह मद अगले दिन होगी। इसलिए यह प्रश्न अवमानना का बनता नहीं है। संसदीय कार्य मन्त्री उसका उत्तर देने के लिए खड़े हुए थे इसलिये सदन की कोई अवज्ञा या अवहेलना नहीं हुई है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा जब आपने कल मद संख्या 11 बुलाया उस समय सिंचाई मन्त्री उपस्थित नहीं थे, उनके अतिरिक्त और माननीय मन्त्री उपस्थित थे, जो कि खड़े नहीं हुये, तब आपने कहा कि इसे स्थगित किया जाता है और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री यह देखें कि जिन मन्त्री का प्रश्न यहां रहे, वह यहां मौजूद हों। उन्होंने आपको सूचित भी नहीं किया कि किस कार्य से वे व्यस्त थे। मान्यवर, आप नियम 300 के खंड 2 को देखें, "परन्तु अध्यक्ष किसी के कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरा के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्य विन्यास के सम्बन्ध में हो।" तो मान्यवर, यह साफ-साफ औचित्य का प्रश्न बनता है। मैं चाहता हूं कि आज ही आप रूलिंग दें कि आपके भी खिलाफ इन्होंने बात कही है और वह सही बात नहीं है तो पूरे सदन की अवमानना किया है।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने एक बात कह दी आपके विरुद्ध भी एक चीज कही गई है, तो मान्यवर, इस तरह की बात नहीं है। मान्यवर, जो नियम....

श्री अध्यक्ष--

अगर मेरे विरुद्ध कहा होता तो मैं फौरन ही रोकता।

श्री अम्मार रिजवी--

तो माननीय सिंचाई मन्त्री जो रास्ते में थे। इस तरह के मामले में इन्टेन्शन देखा जाता है। मान्यवर, सिंचाई मन्त्री जो रास्ते में थे। बजट जल्दी समाप्त हो गया। जब वह आये तो आपने कहा कि हम कल मिलेंगे, मैं जल्दी से स्टेटमेंट लेकर खड़ा हुआ, जो आपका आदेश हो जाता है वह मुझे शिरोधार्य रहता है, सिंचाई मंत्री जी का या किसी मन्त्री या इस दल के किसी सदस्य का यह भावना नहीं रहती है कि सदन की अवमानना की जाये, तो मान्यवर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। सिंचाई मन्त्री जी स्वयं मौजूद हैं, लेकिन प्राइमाफेसी नहीं हूं, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

*सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया, मुझे तो बहुत दिनों से इस माननीय सदन के सदस्य के रूप में और मन्त्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। कल यहां पर उपस्थित न होने की बात है, मैं फाइल लेकर आया मुझे मालूम हुआ कि विद्युत विभाग का बजट चल रहा है और इतना महत्वपूर्ण विषय था, यह बजट 5 बजे तक होना था और तब मेरा वक्तव्य आना था। 5 बजने में 5 मिनट कम ही थे, जब मैं सदन में आ रहा था तो यह पता चला कि यह सदन बन्द हो गया है और यह वक्तव्य कल होगा। जानबूझ कर न आने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे वक्तव्य देना है। तो यह कहना कि जानबूझ कर सदन की अवहेलना की गयी है ऐसी कोई बात नहीं है। विद्युत विभाग का बजट बड़े महत्व का था और जैसी परम्परा है यह 5 बजे तक चलता है, और हमें यह मालूम होता कि यह पहले ही समाप्त हो जाता तो मैं आधा घंटा एक घंटा पहले ही आकर बैठ जाता। आज इस पर वक्तव्य है। भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रेवती रमण सिंह तथा संसदीय कार्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी की बात को सुना। जहां तक कल की बात है, यह सही है कि गलतफहमी हुई। जहां तक बजट का सम्बन्ध है, वह हमारे नियमों में है उसके आधार पर 5 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। जब उनका नम्बर आया तो मैंने सिंचाई मंत्री को बुलाया, यह सही नहीं है कि सिंचाई मंत्री जी मौजूद नहीं थे तो कोई मंत्री संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर खड़े होकर वक्तव्य पढ़ भी देता। इसको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। वह तलाश कर रहे थे कागज को मैंने इसीलिए स्थगित किया था, क्योंकि जो मंशा है जो इसका उपयोग होना चाहिए था वह न होता। तो हमारा जो उद्देश्य है, कि इस सदन को अधिक से अधिक फायदा हो उसके आधार पर वह नहीं हो सकता था। इसलिए मेरे विचार में यह बात आई और मैंने उठते समय यह निर्णय दिया कि हम इसको कल लेंगे, इस समय इसको स्थगित करते हैं। जहां तक कार्यसूची का सम्बन्ध है मैंने सिंचाई मंत्री से इस बारे में बातचीत की, उन्होंने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया, वे किसी कारण यहां नहीं आ पाये, हो सकता है कहीं काम कर रहे हों, लेकिन वे पहले से ही राज्य मंत्री को भेज देते। इसी मंशा से मैंने कहा कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इसलिए इस मद को रोक लिया जाये और कल इस पर बहस हो जायेगी। माननीय गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस आदरणीय सदन के माननीय मंत्रियों से यह निवेदन करूंगा कि वे सदन में ऐसे मामलों में 15 मिनट पहले आ जाया करें जिससे इस प्रकार की स्थिति पैदा न होने पाये और सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर तथा थानाध्यक्ष, हदल हाट मिर्जापुर ने क्रमशः अपने रेडियो संदेश एवं पत्र दिनांक 1 मार्च, 1983 जो दिनांक 2 मार्च, 1983 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दिनांक 1 मार्च, 1983 को 7.00 बजे प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इस समय जिला जेल, मिर्जापुर में रखा गया है ।

इसी विषय में जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के वायरलेस संदेश जो 2 मार्च, 1983 को प्राप्त हुआ है, में सूचित किया गया है कि श्री यदुनाथ सिंह को धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत 3 मार्च, 1983 तक निरुद्ध किया गया है ।

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के धंधे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, इसके पूर्व कि मैं बयान पढ़ूं एक व्याकरण की अशुद्धि जोकि बयान के दूसरे पैराग्राफ में है तथा जहां-जहां भी शब्द छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन को आये हैं उन्हें इन्वर्टेड कामाज में रख दी जाय । क्योंकि यह हमारा कहना नहीं है, यह उनका कहना है ।

(व्यवधान)

व्याकरण की शुद्धि का तो मुझे अधिकार है ।

श्री विजय सिंह राना--

आप अपने कथन को उनका कथन क्यों बताना चाहते हैं ?

श्री हुकम सिंह--

श्रीमन्, दो प्रोफेसरों की बात है--एक इस तरफ से हैं और दूसरे उस तरफ से हैं ।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से प्रोफेसरों की बात होगी तो सदन का कैसे काम चलेगा ?

श्री वासुदेव सिंह--

दिनांक 17 फरवरी, 1983 को माननीय श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने निम्नलिखित नियम 56 की सूचना दी है--

"हजारों कुन्तल गेहूं तथा चावल रोज बिहार होते हुए चीन जा रहा है । यह हो रहा है कि फर्जी परमिट बनवाकर बरतो गोरखपुर, देवरिया स्थानों

में तमकुही रोड, भाटपाररानी, 'छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन' जा रही है। ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के देवरिया जिले में गेहूं का भाव 4 रु0 किलो से ऊपर चला गया है। यह क्रिया रोज हो रही है, जिसमें पुलिस विभाग और खाद्य विभाग के बड़े से बड़े अधिकारियों की सांठ-गांठ से हो रहा है। देवरिया जिले में 20 लोगों की भोजन की समस्या के कारण मौत हो गयी है।"

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर तथा जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद देवरिया के स्थान तमकुही रोड, भाटपार रानी तथा "छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन" को गेहूं तथा चावल की तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय स्तर से मंडलीय सचल दस्ता, उप संभागीय विपणन अधिकारियों, केन्द्र प्रभारियों एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से निरन्तर अवैध खाद्यान्न के संचरण की चेकिंग कराई जा रही है। दिनांक 17 फरवरी, 1983 को क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर के निर्देशानुसार मंडलीय सचल दस्ता द्वारा छितौनी में कराई गई चेकिंग के फलस्वरूप 162-71-000 कु0 चावल व 8-74-000 कु0 धान अनियमित रूप से बिहार जाते हुए बरामद किया गया तथा 14 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया, 12 डनलप बैलगाड़ी, 24 बैलों को थाना खड्डा, जनपद देवरिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए खाद्यान्न, बैल, डनलप गाड़ी आदि थाने के सुपुर्दगी में दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त माह जनवरी, 1982 से 15 फरवरी, 1983 तक बिहार सीमा पर लगभग 1,76,882.00 रु0 मूल्य का खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं पकड़ी गयीं।

2--जहां तक इस कथन का सम्बन्ध है कि देवरिया में गेहूं का मूल्य उक्त तस्करी के कारण 4 रुपया प्रति किलो से ऊपर है, यह कहना है कि सामान्य औसत श्रेणी (एफ0 ए0 क्यू0) गेहूं का जनपद देवरिया में वर्तमान बाजार भाव थोक में 270 रु0 प्रति क्विंटल तथा फुटकर में 2.75 रु0 से रुपया 2.80 प्रति किलो चल रहा है जो विगत पूरे वर्ष के भाव से उच्चतम है। इससे अधिक भाव पर देवरिया में गहूं कहीं नहीं बिक रहा है।

3--जहां तक भोजन की समस्या से देवरिया जिले में 20 लोगों की मृत्यु हो जाने का प्रश्न है, जिलाधिकारी, देवरिया ने शासन को सूचित किया है कि भोजन की समस्या के कारण उनके जनपद में कोई भी सूचना मृत्यु के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई है अतएव यह भी आरोप निराधार सिद्ध होता है।

4--यहां पर यह उल्लेखनीय है कि बस्ती, गोरखपुर एवं देवरिया के स्थानों तमकुही रोड, भाटपार रानी तथा "छितौनी होकर बिहार के रास्ते से चीन" जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य अथवा नेपाल के लिए खाद्यान्न के संचरण की चेकिंग के लिए सम्भागीय विपणन अधिकारी, गोरखपुर, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, बस्ती के सचल दस्ता एवं क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक द्वारा चेकिंग समय-समय पर की जाती रही है।

5--शासन की जानकारी में यह तथ्य लाया गया है कि चावल से लदे कुछ ट्रक जिनके साथ दिल्ली से लदान के कागजात पाए गए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार जा रहे हैं। चूंकि भारत सरकार के आदेशानुसार पूरा भारत खाद्यान्न का एक जोन है, इसलिए इस प्रकार ट्रकों द्वारा चावल के संचरण पर कोई रोक नहीं है। दिल्ली प्रदेश में चावल पर लेवी नहीं है और दिल्ली प्रशासन से केवल बिक्रीकर के कागजात ही लेकर चावल लाने की अनुमति है। परन्तु पूर्व में राज्य

[श्री वासुदेव सिंह--]

सरकार की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि उपर्युक्त चावल की ट्रकें दिल्ली प्रशासन के बिक्रीकर के कागजात के साथ खाली ही उत्तर प्रदेश में आती हैं और वहां पर वे इस प्रदेश का चावल अपनी ट्रकों में लादते हैं और उसे बिहार ले जाते हैं। इसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार में तथा दिल्ली प्रशासन को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे कृपया इस प्रकार जाली कागजातों के साथ इस प्रदेश के चावल को बिहार आदि को ले जाने से रोकें। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना

(खाद्य मंत्री के वक्तव्य के उपरान्त दर्शक दीर्घा से नारे लगाये गये तथा पर्चे फेंके गये।)

भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के धन्धे में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य (क्रमागत)

श्री मोहन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य शासन की ओर से यहां पर पढ़ा है। जो व्याकरणाचार्य मंत्री हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में चीन जाने का जो रास्ता है वहां जो तस्करी हो रही है उसका प्रतिवाद नहीं किया, खंडन नहीं किया। इन्होंने पैरा दो में लिखा है तमकुही रोड, भाटपाररानी तथा छितौनी होते हुए चीन को गेहूं और चावल की तस्करी रोकने के लिए, तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं जो तस्करी हो रही है नेपाल की ओर जो कि छितौनी तमकुही होकर बिहार गेहूं जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यह चीन जा रहा है कि नहीं ?

दूसरी बात मंत्री जी ने पूरे वक्तव्य में कहा है कि एक वर्ष में एक लाख 76 हजार रुपये का खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं को पकड़ा गया जिसमें 12 बैलगाड़ियों को थाना खड्डा, जनपद देवरिया में थाने में सुपुर्दगी में दिया गया। इसमें एक जगह भी उल्लेख नहीं है कि पूरे साल में कितनी ट्रकें, कितनी ट्रालियां, जिनके माध्यम से हजारों टन जो गेहूं वहां जा रहा है, के चालान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख वक्तव्य में नहीं किया है। जो इनका चेकिंग है वह मामूली तौर पर दिखावे के रूप में बैलगाड़ियों के लिये कहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि तस्करी का माल बैलगाड़ी, इक्का से नहीं जाता है, इसीलिये तस्करी के नाम पर छोटे जो बनिये हैं, पुलिस उनको तस्कर के नाम पर गिरफ्तार करती है और बड़े तस्करों को जिनसे उनकी सांठगांठ होती है और उनसे रिश्वत लेकर उनके ट्रकों को वह पास कर देते हैं तो इसके सम्बन्ध में मंत्री जी और विभाग ने क्या कार्यवाही किया है ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उनकी उनको जानकारी हो सकती है लेकिन मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि उनका चीन जाने वाला सूत्र क्या है ? ताकि हम इसके आधार पर जांच करा सकें।

मान्यवर, आज माननीय सदस्यों द्वारा मालूम हुआ है कि चीन में गेहूं ज्यादा खाया जाता है, जबकि वहां चावल ज्यादा चलता है, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि गेहूं यहां से बिहार जाता है, इसके अलावा जो जानते हैं उसको माननीय सदस्य बतायें, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जो गतिविधियां हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, उनको लिखकर हम कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मैं मंत्री जी से साफ जानना चाहता हूं कि जो छोटे इक्का, तांगा और बैलगाड़ियों में जाने वाले, आस-पास के ग्रामीण बाजारों में जाने वालों को यह तस्कर घोषित करते हैं, साल भर में कितनी ट्रकों का आपने चालान किया, कितनी तेज सवारियों और ट्रकों एवं ट्रालियों को आपने चालान एवं जब्त किया है उसका ब्यौरा आप दें? चूंकि बैलगाड़ियों को तो फर्जी, पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि वह तस्कर नहीं हैं।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने, वक्तव्य को मालूम पड़ता है कि नहीं पढ़ा है, इसलिये उसको पुनः पढ़ लें। हमने कहा है कि जो ट्रक वहां से फर्जी बिक्री-कर के कागज बनवाकर जो यहां से लादकर ले जाते हैं चूंकि भारत एक जोन है और कोर्ट के फैसले हैं, भारत सरकार इस पक्ष में नहीं है कि उनको यहां से होकर जाने से रोके और फिर ट्रकों को कैसे रोकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शांत रहें। आप लोग स्पष्टीकरण के लिये पूछें।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, मेरा आरोप है कि ट्रक द्वारा खाद्यान्न बिहार से चीन जा रहा है। सरकार का वक्तव्य झूठा है। बैलगाड़ियों पर छोटे किसान जो अपना सामान लादकर ले जाते हैं उनको पुलिस ने फर्जी पकड़कर जेलों में बन्द किया है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छोटे किसानों को मुकदमें में फंसाया गया है और जेलों में बन्द किया गया है, उनके ऊपर से मुकदमे उठाने एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य यदि किसी विशिष्ट बात को कहेंगे कि किसी किसान के साथ कोई ज्यादती हुई है तो निश्चय ही किसान के पक्ष में अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया है कि तस्करी होती है, लेकिन वह अपने पाप को केन्द्रीय सरकार पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा है कि दिल्ली से ट्रक चलती हैं, जो इन्टरस्टेट बिक्रीकर की पर्ची लेती हैं, वहां से खाली ट्रक चलती हैं और उत्तर प्रदेश में आकर चावल खरीदते हैं, और उसको लेकर वह बिहार में चले जाते हैं। इस पर मंत्री जी ने कहा कि हमने भारत सरकार को लिखा है। हमारे नियमों में यह व्यवस्था है कि दिल्ली में भी जब उसको गेट-पास व पर्ची बिक्रीकर का मिलता है तो अब उत्तर प्रदेश में आ गया, तो उसने कहां परचेज किया, यह मालूम होना चाहिए। तो स्पष्ट है कि बिना अधिकारियों के मिले हुए वह खरीद नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार को जब यह साफ-साफ पता चल गया कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े-बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए रमगोलिग हो रही है। तो यह समस्या मंत्री जी के जानकारी में कब आई और उसके बाद उन्होंने कितने पत्र केन्द्र को लिखे और यदि उनका कोई जवाब आया तो वह क्या है? यदि नहीं आया है तो इतनी गम्भीर समस्या के हल के लिए क्या कभी उन्होंने दिल्ली जाकर दिल्ली सरकार से बातचीत की है?

श्री वासुदेव सिंह--

जिस दिन प्रश्न किया गया था, उस दिन भी किया है और आज भी किया है गुप्त जी बड़े पूंजीपतियों की बात कह रहे हैं, इसमें बड़े पूंजीपतियों का सवाल नहीं, बड़े खाद्यान्न व्यापारियों का सवाल है, वह बड़े तिकड़मी भी हैं उनको पकड़ने में जो कठिनाई है वह मैंने आपके सामने रख दी। उसके निराकरण के लिए कोशिश की जा रही है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं, अब...

(व्यवधान)

श्री नन्द किशोर सिंह---

आपने वक्तव्य में कहा कि दिल्ली से लेकर चले जाते हैं, तो हमें ट्रक वालों ने बताया है कि हम आसाम ले जाते हैं बिहार में 20-25 किलोमीटर ले जाकर उतार देते हैं। मैंने इस सम्बन्ध में मंत्री जी को और आर० एफ० सी० को लिखा है, फिर भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आर० एफ० सी०, गोरखपुर के लोग ही दिल्ली से आकर गोरखपुर से चावल ले जाते हैं, तो क्या मेरी सूचना को सही मानकर खाद्य मंत्री जी आर० एफ० सी०, गोरखपुर को हटाकर उसके विरुद्ध जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह--

वह आर० एफ० सी० अभी गया है। पुराना आर० एफ० सी० नहीं है। उसने जो-जो कार्यवाही की है, उसका भी ब्यौरा मेरे पास है और यह भी है कि किस-किस का चालान उसने किया है। अब प्रश्न माननीय सदस्य ने किया वह सही है, यह उनकी भी चिन्ता है और मेरी भी है कि तस्करी रुके। इसके लिए जो कठिनाई है तकनीकी किस्म की उनको दूर करना पड़ेगा। अब

जो हम प्रतिबन्ध लगाते हैं, उसको सदन को विश्वास में लेकर कर सकते हैं। यह जो हो नियमानुकूल हो, क्योंकि कोई हाईकोर्ट चला जाए, सुप्रीमकोर्ट चला जाए और हमारे खिलाफ फैसला हो जाए, ऐसी बात न होने पाए। अब इसकी हमें पूर्व से जानकारी है जब यह सदन भी नहीं था, उसके पूर्व से हमारी जानकारी है। जहां तक रोकने का सवाल है, आप अगर चाहते हैं रोकना, तो आपसे ज्यादा हम रोकना चाहते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

देखिए इस पर काफी स्पष्टीकरण हो गया है, इसमें ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मुझे भी अवसर दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय ओझा को पुकार लिया है। आप बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, 9 कुंटल, 99 के0 जी0 गेहूं अन्तर प्रान्त को जा सकता है, इनके विभाग ने एक निर्देश दिया है कि यह गेहूं रेल के द्वारा भेजा जायगा, जब इसको एस0 एम0 आई0 सर्टिफिकेट देगा। हर एस0 एम0 आई0 10 रु0 पर बोरा लेकर ही सर्टिफिकेट देता है। वहां से करीब 100 किलो मीटर नेपाल की दूरी और 100 किलोमीटर बिहार की दूरी। 33 साइकिल वाले जिनको तस्कर कहा जाता है, ये इतनी दूरी कैसे तय कर सकते हैं और एक या आधा बोरी पर बंदिश कैसे हो गई? उनको एशेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत वहां के आर0 एफ0 सी0 ने चालान कराया। जो तस्करी हो रही है वहां का केन्द्र बिन्दु आर0 एफ0 सी0 है, या तो माननीय मंत्री जी यह एलान कर दें कि इन्टर स्टेट गेहूं के व्यापार को पूर्णतया बन्द कर देंगे और नहीं तो 9 कुंटल 99 किलो ग्राम की छूट के लिए एस0 एम0 आई0 की सर्टिफिकेट की आवश्यकता क्यों? साइकिल वाले जो आधा बोरा गेहूं ले जाते हैं, वह भूमिहीन, गरीब लोग हैं, वह खाने के लिए ले जाते हैं।

श्री वासुदेव सिंह--

मैंने यह कह दिया है कि गठरी से मंड़ पर जो छोटे-छोटे से गट्ठर ले जायें, उनका चालान न किया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

बोडरवार डिस्ट्रिक्ट देवरिया में 32 जो साइकिल वाले थे, वह गेहूं ले जा रहे थे, आर0 एफ0 सी0 के स्टाफ ने उनको एशेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट में बन्द करवाया। जो बन्द हुए हैं, उनके साथ गेहूं बेचने वाले छोटे-छोटे किसान भी थे। आर0 एफ0 सी0 के माध्यम से बोरा का बोरा गेहूं ट्रकों में तस्करी हो रही है, उसको नहीं पकड़ा जा रहा है। ऐसे अधिकारी को तुरन्त बरखास्त करने की कार्यवाही करें।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, माननीय ओझा जी बड़े जोश में आ गये। यह बिहार के रास्ते से होता हुआ चीन जाने का प्रश्न है। नैपाल की सीमा इतनी लम्बी और इतनी व्यापक है कि उस पर कोई सिर पर ले जाय, साइकिल पर ले जाय कौन पता पा सकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं यह सूचना दे रहा हूं कि साइकिल वालों की गिरफ्तारी हुई है।

श्री वासुदेव सिंह--

यहां मान्यवर, हम नीति और उसके कार्यान्वयन के बारे में मोटे तौर पर चर्चा करते हैं। अगर कोई विशिष्ट बात माननीय ओझा जी की जानकारी में आवे कि किसी किसान के बारे में ज्यादती हो रही है, तो मैं आर0 एफ0 सी0 या किसी को बख्शूंगा नहीं।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था, जिसमें गेहूं, चावल की जो तस्करी बिहार और चीन को होती है, उसका इस वक्तव्य में जिक्र नहीं है। बस्ती और नैपाल की सीमा पर पुलिस की और कस्टम की चौकियां बनी हुई हैं, वहां पर अक्सर शिकायत होती है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी गाड़ियों पर बैठकर यहां से अवैध सामान ले जाते हैं और बिक्री करते हैं और वहां से सामान लाकर यहां बिक्री करते हैं। आपकी पुलिस चौकी और कस्टम चौकी उसको रोकने में असमर्थ रही है। तो क्या गुप्त रूप से यह पता लगायेंगे ? अगर ऐसी स्थिति है तो इसको रोकने की व्यवस्था की जाय और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, मैं इससे सहमत हूं। अगर ऐसी बात है तो देखेंगे। दोनों देशों पर जो चौकियां हैं अगर गड़बड़ी वहां है तो उसको देखेंगे। यहां भाव कम हैं और नैपाल में ज्यादा हैं तो यह थोड़ा बहुत तो रहेगा। हम इसको देखेंगे।

(शोर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मुझे एक स्पष्टीकरण का मौका दे दें।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मुझे अनुमति दे दें।

(शोर)

श्री धुपराय--

मान्यवर, तमकुही रोड से होते हुए गल्ला गोपालगंज ले जाया जाता है। छोट–छोटे लोग अपने जीवनयापन के लिए ले जाते हैं। इसका तस्करी से कोई संबंध नहीं है। गोपालगंज डेफिसिट एरिया है वहां यहां से गल्ला जाता है, वह यहां के गल्ले पर जीवित रहते हैं। तो क्या मंत्री जी यह आदेश पारित करेंगे कि इन छोटे लोगों को पुलिस वाले या कोई कर्मचारी न पकड़े और प्रताड़ित न करें।

श्री वासुदेव सिंह--

मैं बिल्कुल सहमत हूं।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, स्पष्टीकरण की बात थी लेकिन इसको चर्चा का विषय बना दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें।

श्री वासुदेव सिंह--

इनकी भावना से मैं सहमत हूं। ऐसी कार्यवाही जरूर करेंगे कि जो गरीब आदमी हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, उनका उत्पीड़न न हो, इसको देखेंगे।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र नैपाल की सीमा से लगा है। जनपद गोंडा से वहां जाने के दो रास्ते हैं जिससे तस्करी होती है। एक रास्ता है जरबल होते हुए और दूसरा रास्ता है बढ़नी होते हुए। मैं कहना चाहता हूं कि इनके विभाग के अधिकारी छोटे लोगों का उत्पीड़न करते हैं और व्यापारियों से 5 रुपये बोरी के हिसाब के लेकर ट्रक के ट्रक माल नैपाल चला जाता है। तो क्या इस पर रोक लगाने के लिए ऐसी चेक पोस्ट पर सचल दस्तों द्वारा समय–समय पर पकड़वाने का प्रबंध करेंगे ताकि तस्करी की रोकथाम हो सके?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, पूरी कोशिश की जायगी। अगर माननीय सदस्य कहें तो ड्यूटी लगा दी जाय, जहां कहीं वह रोकने की कोशिश करें, माननीय सदस्य जिस चेकपोस्ट की जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम अधिकार दे सकते हैं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि यह एक नाजुक विषय है। जिन-जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें हों वह सदन में न कहें, मंत्री जी से मिलकर बता दें।

(1 बज कर 20 मिनट अपराह्न)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटा शंकर सिंह, श्री विद्या सागर नौटियाल की आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के ऐतिहासिक भवनों के आसपास लाल पत्थर निकालने में ठेकेदार द्वारा विस्फोटक का इस्तेमाल किये जाने के सम्बन्ध में। श्री मोहन सिंह की प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के बारे में आन्दोलन के सम्बन्ध में। श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की प्रदेश के होम्योपैथिक कालेजों के प्रति सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में। श्री रेवती रमण सिंह की इलाहाबाद में लिफ्ट नहरों के सूख जाने के सम्बन्ध में, श्री जटाशंकर सिंह की बहराइच के मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस द्वारा एक वकील को अपमानित करने के सम्बन्ध में। श्री नंदराम की बरेली के तहसील फरीदपुर की हरिजन कालोनी में जाटवों का निवास होने के सम्बन्ध में। श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री रामआसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री परमाई लाल विद्युत् की कटौती से बुनकरों के समक्ष उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में। श्री अकबाल हुसैन की जनपद गोंडा में किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में। श्री कुबेर भंडारी की प्रदेश में गन्ना मिल मालिकों द्वारा किसानों पर डेढ़ रुपया भाड़ा बढ़ाने के सम्बन्ध में है। मैंने इन सबको विस्तारपूर्वक देखा है। जहां तक, माननीय श्री अकबाल हुसैन की सूचना का सम्बन्ध है, उसपर इस आदरणीय सदन में चर्चा हो चुकी है। जहां तक श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री रामआसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री परमाई लाल की सूचना का सम्बन्ध है, उस पर वक्तव्य निधारित है तथा चर्चा भी स्वीकृत है। जहां तक श्री मोहन सिंह की सूचना का सम्बन्ध है, उस पर वक्तव्य निर्धारित है, उसमें कोई न कोई तिथि भी लगी हुई है इन तमाम नियम 56 की सूचनाओं को देखने के बाद मैंने यह निश्चय किया है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री जटा शंकर सिंह, श्री विद्या सागर नौटियाल तथा श्री रेवती रमण सिंह एवं श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी को उनकी सूचनाओं के बाबत सुनूंगा और सुनने के बाद मैं आखिर में इस पर निर्णय दूंगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने कार्यस्थगन के प्रस्ताव की जो सूचना दी है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं उसकी ग्राह्यता पर ही बोलूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के जो ऐतिहासिक भवन हैं, वे हमारे पुरातत्व की उच्चकोटि की निधि हैं। इसके साथ वहां पर सुप्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती की मजार भी है, जिसे देखने के लिए हजारों-लाखों पर्यटक जाते हैं, यह स्थल राष्ट्रीय एकीकरण के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, सरकार के द्वारा लाल पत्थर के उत्खनन का ठेका दिया गया है। यह ठेकेदार जमीन से पत्थर निकालने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कम्पन पैदा होता है, इस कम्पन से मान्यवर, ऐतिहासिक भवनों को क्षति पहुंच रही है। जहां तक मेरी जानकारी है--लाल पत्थर के किले की दो दीवारें गिर चुकी हैं। वहां राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री जी द्वारा सुलहकुल का आयोजन किया गया था, जिसके बारे में पुरातत्व विभाग का कहना था कि ऐसा न किया जाय, ऐतिहासिक भवनों को क्षति हो रही है, लेकिन वह कार्यक्रम हो गया। मान्यवर, ठेकेदार लाल पत्थर के उत्खनन के लिए डायनामाइट का प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो कम्पन हो रहा है, उससे हमारे ऐतिहासिक भवनों को नुकसान पहुंच रहा है। मान्यवर, जो सरकार ने बड़े-बड़े पूंजीपतियों को उत्खनन के लिए जो ठेका दिया है, जिसके कम्पन से ऐतिहासिक भवनों को क्षति पहुंच रही है, उससे आगरा की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में, सरकार की इस उदासीनता के प्रति, विद्वेष एवं रोष की भावना उत्पन्न हो रही है। सरकार के हाथ बहुत बड़े हैं, वैज्ञानिक हैं, तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता, जिससे लाल पत्थर को खोदने के लिए डायनामाइट का प्रयोग न किया जाता। मैं स्वयं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय, जिससे इन पुरातत्व की अमूल्य निधियों को क्षति न पहुंचे, जो असंतोष है वह दूर हो। इसलिए मान्यवर, इस पर चर्चा कराना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मैं भी फतेहपुर सीकरी से आता हूं, मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, जिले के अधिकारी शासन को गलत सूचना भेजते हैं। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, आपका तो इसमें नाम भी नहीं है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, मुझे सुन लें...

श्री अध्यक्ष--

माननीय बदन सिंह जी, आपका इसमें नाम नहीं है। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप बैठें, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

(श्री बदन सिंह के बोलते रहने पर)

मैं कोई आज्ञा नहीं दे रहा रहा हूं। आप बैठें।

श्री सरदार सिंह--

यह निर्णय लिया जा चुका है कि जिले के लोगों को सुना जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

सबको नहीं सुना जा सकता है । कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग होने जा रही है उसमें रखवा दीजिये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, फतेहपुर सीकरी के आस-पास के पत्थरों की खुदान के बारे में जो बात माननीय गुप्त जी ने कही है । वहां खुदान हुई है यह बात सही है । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने और केन्द्र सरकार ने इस बारे में बहुत सख्ती से आदेश किया कि खुदान न की जाय । क्योंकि इस खुदान से पुराने किले के कुछ हिस्से को नुकसान पहुंचा है । उसकी आउटर वाल को नुकसान पहुंचा है । उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती से यह बात कही थी । माननीया प्रधान मंत्री जी जब 29 अक्तूबर, 1980 को वहां गई थी तो उन्होंने भी आदेश दिया था कि यह खुदान बिल्कुल रोक दी जाय इससे पुराने ऐतिहासिक किले को खतरा है । इन आदेशों के खिलाफ कुछ ठेकेदार कोर्ट में चले गये और सरकार के आदेश के खिलाफ स्टे ले आये । अब श्रीमन् जो स्टे है उसको वैकेट कराने के लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रयत्नशील है । भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री खुर्शीद आलम साहब ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में शीघ्र प्रयास करें । हमारे टूरिज्म विभाग द्वारा कमिश्नर और जिलाधिकारी को लिखा गया है कि शीघ्र से शीघ्र स्टे को वैकेट करायें ताकि खुदाई रोक दी जाय । किसी कीमत पर इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा कि पुरानी इमारतों को नुकसान हो । मान्यवर, इसलिए गुप्ता जी ने जो इस प्रस्ताव को कार्यस्थगन के रूप में दिया है वह न्यायालय से सम्बन्धित है, यह कार्यस्थगन का मामला तो नहीं बनता लेकिन गम्भीर विषय है शासन पूरी तत्परता से इस पर कार्यवाही कर रही है और गुप्त जी ने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूं और इस पर और अधिक तत्परता से कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसमें जो स्टे वैकेट कराने की बात है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वह टाइम बार हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जानबूझकर कोई काउन्टर एफ डेविट नहीं दिया गया ताकि स्टे वैकेट न हो । स्टे वैकेट कराने का प्रयास सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, सन् 81 में हमारे प्रदेश में 2 होमियोपैथिक महाविद्यालयों का प्रान्तीयकरण किया गया किन्तु आज तक वहां सरकार की ओर से न अध्यापकों की व्यवस्था है और न वहां का जो छात्र है उसकी पढ़ाई की व्यवस्था है । वहां पर प्रैक्टिकल और डिमान्स्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है । कई छात्र कालेज को छोड़कर चले गये । माननीय अध्यक्ष महोदय, सी0 पी0 एम0 टी0 की कम्बाइन्ड परीक्षा से लड़के आते हैं । परन्तु कहीं पर भी छात्र की संख्या 10-15 से ज्यादा नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई भी छात्र वहां पर अव्यवस्था के कारण पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। 9 कालेज हैं। इन कालेजों में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग वेतन अध्यापकों का है। जबकि समान कार्य के लिए समान वेतन की नीति सरकार की है। वहां पर प्रत्येक चीज की कमी की वजह से जो शिक्षा प्रणाली बड़ी सरल थी। इसकी वजह से, सरकार की उदासीनता, अवहेलना की वजह से वहां के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा अवश्य करा दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया इस पर चर्चा अवश्य करायें। पिछले डेढ़ महीने से करछना तहसील में तीनों नहरों में, रजबहे में पानी की एक बूंद नहीं आ रही है। 51 में सूचना दी थी और आपने शासन को भेजी थी कार्यवाही के लिए लेकिन मुझे खेद है कि 10 दिन के बाद भी आज वे नहरें सूखी हैं। करछना तहसील और इलाहाबाद 3 सालों से सूखा और ओले से पीड़ित रहा है। अगर इस साल भी वही हालत हो गई तो वहां के 5 लाख आदमी भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस सदन में कृपया इस बात की व्यवस्था करा दें कि वहां तत्काल पानी पहुंच जाये और मंत्री जी जो वक्तव्य यहां दें उसकी पुष्टि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से करा कर दें।

*सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह—

हमारे सिंचाई विभाग की जितनी नहरें हैं उनकी इस तरह की शिकायत नहीं है कि पानी एकदम नहीं आ रहा है। नहरें अच्छी तरह से चलती हैं और एक-एक बूंद पानी का इस्तेमाल हो रहा है। आप जानते हैं मान्यवर, जनवरी और फरवरी के मास में नदियों में पानी कम हो जाता है इसलिए यह हो सकता है कि जितनी पानी की आवश्यकता है उतना नहीं रहता हो। यह भी हो सकता है कि रोस्टरिंग जो की जाती है उसमें वह क्षेत्र आ गया हो। इसको मैं नहीं कह सकता। वैसे मैं इसको दिखवा लूंगा। जहां तक जानबूझ कर ऐसा किये जाने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं।

श्री रेवती रमण सिंह—

करछना की नहरें बिजली से चलती हैं, लिफ्ट से और इन्होंने बताया कि नदियों में पानी कम हो जाने के कारण, रोस्टिरिंग कर दी गई है। मेरा कहना है कि बिजली नहीं मिल रही है इसलिए उनमें पानी नहीं दिया जा सकता है। कारण कुछ है और मंत्री जी बता कुछ रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप दुबारा न बोलें। ग्राह्यता पर आप कह चुके हैं अब मुझको निर्णय करने दें।

*श्री कुबेर भंडारी—

किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है। जो ढुलाई ली जाती थी आठ आना अब उसका डेढ़ रुपया लिया जा रहा है। यह सरकार किसानों के साथ दुश्मनी कर रही है....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप प्राह्यता पर बोलें ।

श्री कुबेर भंडारी--

प्राह्यता यह है कि गन्ना ढुलाई सेन्टर से डेढ़ रुपया ले रहे हैं । परसाल आठ आना थी । हर साल बढ़ाते जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात को सुन लिया है । आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

सदन में जिस विषय पर चर्चा हो चुकी है उस पर पुनः चर्चा नहीं हो सकती है । मैं किसी को बोलने के लिये इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके बैठें । माननीय वर्मा जी बैठिये, माननीय अकबाल साहब बैठिये, यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(इस समय श्री अकबाल हुसैन और श्री गोपीनाथ वर्मा दोनों एक साथ बोलते रहे और श्री अध्यक्ष बार-बार बैठने के लिये कहते रहे ।)

श्री अकबाल हुसैन के सदन की सेवा से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय अकबाल हुसैन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री अकबाल हुसैन के न बैठने पर तथा श्री अध्यक्ष द्वारा मना करने पर भी बोलते रहने पर)

आप कृपया सदन छोड़े । मैं आपको इंगित करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी--)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय अकबाल हुसैन को आज के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया सदन छोड़ें, माननीय अकबाल साहब आप सदन छोड़िये । मार्शल माननीय सदस्य को बाहर ले जायें ।

(मार्शल गार्डों की सहायता से श्री अकबाल हुसैन को सदन से बाहर ले गये ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप कृपा कर बैठें ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा अपने स्थान पर बैठ गये ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के बारे में सभी नेताओं ने निश्चय किया है । आज या कल में पुनः कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी । आप उसमें स्वयं निर्णय कर लीजियेगा, यह सदन सक्षम है इस बात के लिये । आप सबको यह शोभा नहीं देता ....

(श्री गोपीनाथ वर्मा के खड़े होकर बोलना प्रारम्भ करने पर) कृपया बैठिये मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । अगर इस तरह से नियमों का पालन नहीं होगा तो सदन कैसे चलेगा, 13-15 सूचनाओं पर नियम 56 में कैसे बुलवा सकते हैं । यह संभव नहीं है । क्या पद्धति अपनाई जाये, तय कर लें ।

श्री जटाशंकर सिंह--

महत्वपूर्ण सूचना है ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे तय करना है या आपको तय करना है । सभी माननीय सदस्य कहने लगें कि उनकी सूचना महत्वपूर्ण है तो यह कैसे हो पायेगा ?

कृपया बैठिये, मैं खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

ऐसे किस प्रकार निर्णय हो सकेगा । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है । पुनः तय कर लिया जायेगा । सदन आपका है । सदन का कितना समय किस मद में लगना है, तय कर लें । अनुदानों के लिए बहुत थोड़ा समय मिलता है ।

(व्यवधान)

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे सुनने के लिये कहा है । बहराइच के न्यायालय में पुलिस ने घुसकर पिटाई की है ।

(व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । आपको इजाजत नहीं दी गयी । निर्णय लिया गया था कि तीन से अधिक सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी । तीनों के नाम ले लिये हैं जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण हैं ।

(व्यवधान)

श्री जटाशंकर सिंह--

सुन लें, मान्यवर आपने कहा है कि जटाशंकर सिंह की बहराइच सम्बन्धी सूचना मिली । आप कार्यवाही को देख लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही को देख लूंगा । अगर मैंने कहा है तो फिर से विचार कर लूंगा । (श्री गोपीनाथ वर्मा के खड़े होने पर) बैठिये वर्मा जी, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । (कई सदस्यों के खड़े होन पर) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठें । आप लोगों को आज्ञा नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)

नियम 56 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं सभी को अस्वीकार करता हूं । सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, विद्यासागर नौटियाल, जटाशंकर सिंह की जो सूचना है इस पर जो वक्तव्य दिया है, उसको देखने के बाद निर्णय लेंगे । जहां तक श्री रेवतीरमण सिंह जी की सूचना का सम्बन्ध है, इसके विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं । नियम 56 की सभी सूचनायें अस्वीकार की हैं ।

(व्यवधान)

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, जमानत करा रहे लोगों को पुलिस ने न्यायालय में घुस कर पीटा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठें । सदन की गरिमा बनाये रखें ।

(व्यवधान)

1983-84 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया ।

78- सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,02,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, बुनकरों को वसूली किस्तों में करेगी या पुलिस द्वारा वारन्ट जारी करके, उनको मार-पीट करके सरकार उनसे वसूल करेगी । इस सम्बन्ध में बुनकरों के साथ यह मौजूदा सरकार न्याय करना चाहती है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप लोग बैठ जांय । आगे नोट नहीं किया जायेगा ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा जी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(व्यवधान)

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या--/8 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपने क्या ग्रान्ट पेश कर दी है ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी नहीं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ग्रान्ट तो माननीय मंत्री जी ने पेश कर दी है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आपने ग्रान्ट पेश कर दी है या नहीं ? आप आगे और कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां, ग्रान्ट पेश कर दी है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इसके लिये आधे दिन का समय निर्धारित है उसके अनुसार माननीय सदस्यों को उस पर कार्य करना चाहिये ।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, सूचना एवं प्रसारण विभाग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है। श्रीमन्, प्रजातंत्र में इस विभाग का इतना महत्वपूर्ण काम है कि जनता को सरकार की नीतियों से जागृत करना और फिर जनता में होने वाले कामों की प्रतिक्रिया भी शासन तक पहुंचाना इस विभाग का काम है। मान्यवर, यदि मैं पिछले बजटों का उल्लेख करूं तो आपको आश्चर्य होगा। 1977-78 में केवल 1 करोड़ 73 लाख रुपए रखा गया था। 1978-79 में केवल एक करोड़ 45 लाख रुपया रखा गया था लेकिन हमने इसे बढ़ाकर 2 करोड़ 43 लाख रुपए रखा है। इस जम्हूरियत में, इस प्रजातन्त्र में शासन की ओर से प्रदेश में जो प्रगति हो रही है, उससे हर एक व्यक्ति वाकिफ हो जाय कि प्रगति के चरण कहां तक पहुंचे हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाय, इस चीज की महत्ता को समझते हुए हमने यह बजट बढ़ाया है।

(इस समय 1 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम सूरत उपाध्याय पीठासीन हुए।)

मान्यवर, सबसे पहले अगर आप देखें कि हमने 14 जिलों में टेलीप्रिन्टर लगा दिये हैं। वे इसलिये लगाये हैं कि विशेष रूप से, जहां छोटे-छोटे स्ट्रीट पत्र निकलते हैं, उनको देश और प्रदेश की सूचना नहीं मिल पाती है और वे पीत पत्रकारिता करते हैं, उसे रोकने के लिये हमने सोचा कि इनको सूचनाओं का मसाला पहुंचाने के लिये, कम से कम उनको देश और प्रदेश की महत्वपूर्ण सूचनायें प्राप्त हों, इन टेलीप्रिन्टरों को लगाया गया है।

पीठ पत्रकारिता के लक्षण हैं--आरोप, प्रत्यारोप, चरित्र हत्या। इसको इस उद्देश्य से किया गया है कि टेलीप्रिन्टर लगाकर देश विदेश की सूचना प्राप्त हो जाय। 8 जिलों को प्रस्तावित किया गया है कि टेलीप्रिन्टर सेवा और देंगे।

पत्र सूचना शाखा द्वारा समाचार-पत्रों के प्रकाशनार्थ, 3614 संवाद हिन्दी तथा उर्दू में प्रसारित किये गये तथा 355 सचित्र लेख हिन्दी तथा उर्दू में प्रसारित हुए। पत्रकारों को विशेष रूप से प्रदेश में चलने वाली योजनाओं से अवगत कराने के लिये 20 टूर विशेष रूप से अरेन्ज किये गये, जिसमें सभी प्रमुख समाचार-पत्र तथा समाचार एजेन्सियों के पत्रकारों एवं सम्पादकों ने भाग लिया।

प्रकाशन ब्यूरो ने करीब-करीब प्रत्येक विभाग पर योजनाओं के विस्तृत विश्लेषण के साथ 28 फोल्डर जनता तक पहुंचाये, 13 पुस्तिकाएं विभिन्न विषयों पर विभिन्न विभागों पर 3 पुस्तिकायें और 4 पोस्टर और एक कैलेन्डर निकाला, जिससे लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और नीतियों का दिग्दर्शन हो सके।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

कैलेन्डर इन्दिरा गांधी का है, 20 सूत्री कार्यक्रम का नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा--

वह तो देश की नेता हैं, इन्दिरा गांधी हैं, आपने तो सूचना प्रसार विभाग को 78 में होली के निमंत्रण के लिये और एक मन्त्री ने अपनी साली की शादी

के निमन्त्रण पत्र छपवाने के लिये प्रयोग में लाये । श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने होली पर एक अभिनन्दन ग्रन्थ छापा, जिसमें उनकी फोटो थी गुलाल वगैरह लगाये हुए । हमने तो सूचना प्रसार विभाग को विज्ञापन का माध्यम ही बनाया है । हम चाहते हैं कि 20 सूत्री कार्यक्रम, आपके विकास के लिये जो कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव तक पहुंचे, इसका हमने संकल्प लिया है ।

आलोचना करना आसान है । अपने पिछले कारनामों को मेरे लायक दोस्त मोहन सिंह जी नहीं देख रहे हैं ।

उर्दू शाखा के बारे में बता दूं । उर्दू से हमें प्यार है । इसीलिये विभाग की ओर से उर्दू में एक विख्यात मासिक पत्रिका "नया दौर" भी गत 37 वर्षों से प्रकाशित हो रही है । इसमें माइनारिटीज की समस्याओं का और उर्दू भाषा की कितनी ही चीजों का समावेश किया गया है ।

पिछले वर्ष विशेष रूप से भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मन्डप की स्थापना का कार्य सूचना विभाग द्वारा किया गया था, जिसमें हमारे पन्डाल की प्रशंसा हुई थी ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तो आप कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

लेकिन यह एक अलग बात है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको मौका मिलेगा, आप बैठें ।

श्री गुलाब सेहरा--

जिन शहीदों ने स्वतन्त्रता संग्राम में 1857 से 1946 तक काम किया है, नकी एक स्मारिका शहीदों की स्मृति में निकाली गयी । रानी झांसी समापन मारोह" हेतु एक सचित्र स्मारिका का मुद्रण कराया गया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा ई । दूसरा उल्लेखनीय काम विशेष रूप से रेडियो का और टेलीविजन के प्रसार का किया, जिससे कि गांव-गांव में यह पहुंचे और चौपाल पर योजना की समीक्षा टेलीविजन द्वारा हो। इसमें हमने 1982-83 में 150 रेडियो सेट लगाये और दूरदर्शन के 631 टी0 वी0 सेट लगाये तथा रंगीन टी0 वी0 की भी व्यवस्था उन संस्थाओं एवं चौपालों के लिए की गयी । दूसरे मान्यवर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो राष्ट्रीय पर्व दिल्ली में हुआ उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि सूचना एवं प्रसार द्वारा 26 जनवरी को बेगम हजरत महल की जो झांकी दिल्ली में निकली थी, उसको देश में द्वितीय पुरस्कार मिला है । दूसरे मान्यवर, झांसी की विस्तृत आख्या जितने बाहर के अखबारों ने निकाली है, वह भी अपनी जगह अद्वितीय है ।

[श्री गुलाब सेहरा--]

साथ ही मान्यवर गीत नाट्य के 525 कार्यक्रम हमने शुरू किये ।

श्रीमन्, एक बात और उल्लेखनीय है कि 8 न्यूज रील तथा डाकुमेंट्री फिल्म बनायीं तथा राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम के अन्तर्गत सुब्रह्मणयम भारतीय पर एक फिल्म बनायी । इस डाकुमेंट्री को भारत सरकार ने इसलिए स्वीकार कर लिया कि इसे पूरे इन्डिया में दिखाया जायगा। साथ ही और 3 डाकुमेंट्री फिल्म्स बनी जो पूरे देश स्तर पर स्वीकृत हुयी हैं जिसे दूरदर्शन के लिए जारी कर दिया गया है, वह हैं श्री रामचन्द्र, गंगोत्री-यमुनोत्री तथा प्रेमचन्द्र । साथ ही श्रीमन्, हमने पत्रकारों के लिए भी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये हैं जिसमें पहले चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा है जिसके प्रमाण पत्र जारी करने के काम तेजी से किये जा रहे हैं तथा रु0 7,800 का प्राविधान अन्य कार्यों के लिए किया गया है तथा इन पत्रकारों की एक जिला समिति भी गठित की गयी है, जिसे प्रदेशीय कमेटी से जोड़ दिया गया है ताकि इनकी समस्त समस्याएं चाहे वह जिला स्तर की हों या स्टेट लेबिल की, उनका निराकरण हो सके ।

श्री कुबेर भंडारी--

इनके लिए लाठी चार्ज व्यवस्था भी की गई अथवा नहीं ?

(विरोध पक्ष की ओर से एक जोरदार हंसी व तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री गुलाब सेहरा--

दूसरे श्रीमन्, हमारे चलचित्र निगम द्वारा देहातों में जो वहां पर 80 फीसदी आबादी रहती है, को देश में हो रही प्रगति से सिनेमाओं द्वारा वाकिफ कराने के लिए फिल्म्स बनाई हैं । श्रीमन्, एक बात हम आपको बतला दें । श्रीमन्, इस सदन में जब सांस्कृतिक बजट पेश हुआ था, जब हम यहां उप नेता थे तो उस बजट में 60 लाख का प्राविधान था उसे हमने कटवा दिया था और उसे 30 लाख का कर दिया था । हमने कहा कि नाटक, संगीत, ललित कलाओं के समझने के लिये आप के पास बुद्धि नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, ललित कलाओं के नाम पर ये तीन दिन से रवीन्द्रालय में नौ--टंकी करा रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा--

जी हां, नौटंकी भी इस देश की कला है । आज राम मंडली और नौ--टंकी इस देश का गौरव हैं ।

पिछले साल हमने 33 सिनेमा बनाये थे । दूसरों की नौटंकी हमें अच्छी नहीं लगती है । आप जो रोज यहां नौटंकी कर रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं । तो मैं कह रहा था कि 33 सिनेमा हमने बनाये हैं इसके अतिरिक्त 15 सिनेमा 30-6-83 तक हमारे तैयार हो जायेंगे । इस साल हमने विशेष रूप से सर्वे कराकर कि जहां पर सिनेमा बन सकते हैं, सर्वे करा रहे हैं । हमारा केवल

इतना कहना है कि सूचना प्रसार विभाग जिसमें हमारे दो काम हैं कि जनता तक देश की प्रगति को पहुंचाना और उससे कितना लाभ हो रहा है उसमें हमारे इनफारमेशन आफिसर लगे हुए हैं। वे जनता का प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद नई नीतियों को देखें कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गयी है। इसमें दो चीजें की जा रही हैं। एक नई चीज जो की जा रही है वह टेलीवीजन का विस्तार, इस सिलसिले में हम लखनऊ टेलीवीजन से 8 जिलों को कवर कर रहे हैं। मसूरी दूरदर्शन से 9 जिले कवर हो जाते हैं। कानपुर-उन्नाव का जो टावर है उससे 8 जिले कवर होते हैं। पूर्वान्चल के लिये देवरिया में एक टावर की स्थापना का प्रस्ताव है, हमने उसे केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

श्री मोहन सिंह--

इनको पता ही नहीं है। मान्यवर, मैं इनको सूचित कर दूं कि वह हो गया है।

श्री गुलाब सेहरा--

दूसरे हमारे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिये हमने प्रस्ताव किया है जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी तथा अलीगढ़ ये पांचों जिलों के लिये है। यहां के लिये हमने एक टी० वी० टावर के लिये रिकमन्डेशन भेजी है। अब वह टावर चाहे आगरा में हो या मथुरा में। आगरा में एक जगह है।

सतोरा वहां माइक्रोवेव का यंत्र लगा हुआ है और वहां यह टावर बनने से भरतपुर और ग्वालियर तक सब कवर हो जायेगा। इसीलिए संस्तुति हमने केन्द्र सरकार से की है। मथुरा में भी एक टावर की स्थापना करने की योजना है।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ..

श्री गुलाब सेहरा--

पर्वतीय क्षेत्र के बारे में भी बतला रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

केवल आधा दिन तक ही इस पर चर्चा होनी है इसलिये आप कम समय लें।

श्री गुलाब सेहरा--

अब मैं समाप्त कर रहा हूं। पर्वतीय जिलों के लिए भी कई योजनायें हैं। इनका सर्वे होगा। उसकी भी संस्तुति केन्द्रीय सरकार को कर दी जायेगी। विशेष रूप से 2-3 योजनायें हम वहां पर शुरू करने वाले हैं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

आजकल मुख्तार अनीस बेकार हैं, किसी योजना में लगा दें।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, फिल्म दिखाने का कार्य हमने प्रारम्भ कर दिया है। हमने विधायकों के लिए पहले रखा है। विधायकों को देखने के लिए अरेन्ज किया है, तीन फिल्में हैं गांधी, जुनून और शतरंज के खिलाड़ी, इनको दिखाने की व्यवस्था की है। सेशन के दौरान हम विधायक निवास में इनका प्रदर्शन करने की व्यवस्था करेंगे। यह महीने में दो बार हम दिखलायेंगे। प्रदेश में तमाम बांध बन रहे हैं, तमाम कृषि के कार्य हो रहे हैं, इन सबकी न्यूज रीलें हम दिखायेंगे। दूसरी चीज यह है कि बीच में 1977 से 1980 तक भाई मोहन सिंह आ गये। आल इंडिया मुशायरा, लखनऊ में होता था, इन्होंने बन्द कर दिया। इनके पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। आपको विविध कलाओं से कोई सरोकार नहीं है। हमने इसकी आवश्यकता को महसूस किया है।

श्री मुख्तार अनीस--

आपकी नायिकाओं का उपयोग हो जायेगा।

श्री गुलाब सेहरा--

तो हमने उन फिल्मों के प्रदर्शन के लिए व्यवस्था किया है...

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

कहते हैं कि नायिकाओं का समावेश हो जायेगा। मेरा ख्याल है कि यह नायिका विशेषज्ञ हैं। पुरानी नायिकाओं का तो रजिस्टर है उनके पास, क्या और नहीं लाये हैं जिनकी इन्ट्री कराना चाहते हैं अगर ऐसा है तो बता दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

तो इस साल इसको लखनऊ में व्यवस्था हम कर रहे हैं। जो पहले यह चलता था और बीच में ब्रेक हो गया है, उसको हम फिर प्रारम्भ कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति को कायम रखना चाहते हैं, बनाये रखना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

श्री बाजपेयी जी, आप व्यवस्था बनाये रखें।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मैं पूरी व्यवस्था बनाये हुए हूं।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, जो उल्लेखनीय बातें थीं उनको मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। और उनको देखते हुए माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको नहीं रखना चाहिए था। मैं एक चीज और सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो कि एक नयी चीज है जिले में सूचना अधिकारी सभी विधायकों से मिलेंगे और उनकी कान्सटीटुएन्सी की प्राब्लम्स को प्रेस में देंगे और जो प्रगति हुई है उसको भी प्रेस में देंगे, जिससे विधायकों की छाप अपने जिले में बने। तो श्रीमन्, मैंने

कुछ उपलब्धियों का बताया । मेरा नम्र निवेदन है कि यह विभाग हमारा ही नहीं आपका भी विभाग है । इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होना चाहिए । माननीय मोहन सिंह जी हमारे मित्र हैं, जो तज्जन कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे चुपचाप बैठे रहें और मुझसे अकेले में बात कर लें । विशेष रूप से देहलवी साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं वे अपनी समझदारी का परिचय दें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात रखता हूं और आपसे अनुरोध है कि मेरे बजट प्रस्ताव को स्वीकार करें ।

श्री मुहम्मद आज़म खां––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78––सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है । मान्यवर, मंत्री जी ने हमें एक दावतनामा दिया है कि मैं उनको अकेले में मिल कर कोई बात तय कर लूं । माननीय मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि रामपुर के लोगों की कुछ खास रिवायात हैं और आज भी रामपुर उन रिवायातों के लिये मशहूर है । यहां पर उम्र का कोई फर्क नहीं देखा जाता है । आपकी क्या उम्र है इसका रामपुर के किसी भी नौजवान से कोई ताल्लुक नहीं है । (व्यवधान) मैं अकेले में आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं तो उसके लिये मैं सोचूंगा ।

मान्यवर, सूचना विभाग के सम्बन्ध में अभी माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है और हमारी एक विपक्ष के नाते यह जिम्मेदारी है कि उनमें जो कमियां हैं उन पर रोशनी डालें । यह सच बात है कि सूचना विभाग खासा अहम है । लेकिन यह बदकिस्मती इस प्रदेश की है कि एक ऐसी सरकार इस प्रदेश पर थोपी हुई है, एक ऐसी भ्रष्ट सरकार, एक ऐसी निकम्मी सरकार और एक ऐसी सरकार जिसके सामने कोई नैतिकता नहीं है, कोई वसूल जाबता, नहीं है । (व्यवधान) अगर हाउस की यह कार्यवाही जिसमें नौटंकी भी होती है, इन्सानों और जानवरों की मिली–जुली आवाजें अक्सर सुनाई देती हैं इसमें सूचना विभाग का यह काम होना चाहिए कि हम जहां पर प्रदेश के इन्सानों का नसीब बनाने के लिये विचार करते हैं, यहां पर यह भी शोर होता है कि यहां पर कौन मर्द है कौन नामर्द है और कौन इन दोनों के बीच का है.... (व्यवधान) । सूचना विभाग का सबसे अहम काम यह है कि जिससे प्रदेश की जनता को यह मालूम हो कि वह पक्ष जो सरकार बनाये बैठी है उसके सोचने के ढंग क्या हैं । मान्यवर, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सरकार से और सूचना मंत्री जी से यह मांग करूंगा कि यहां पर एक नया तरीका लागू किया जाय टी0 वी0 फिल्मस कैमरा लगाकर यहां की जो रिपोर्टिंग हो, यहां पर जो आवाजें उठायी जायें, और जितने फैसले यह सरकार जनता के विरुद्ध लेती है वह रेडियो पर आ जायें और उनकी तस्वीर टेलीविजन पर दिखाई जायं ताकि अवाम को यह मालूम हो सके कि उनके चुने हुए नुमाइन्दे क्या करते हैं ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुछ मुद्दे उठाये हैं । मसलन, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में सुब्रह्मण्यम भारती की जगह सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम लिया इससे मालूम हो जायेगा कि मंत्रियों की मालूमात कितनी बढ़ती जा रही है । इसका अन्दाजा आप यहां पर भी लगा सकते हैं कि आपके मंत्रीगण रफी अहमद किदवई को मुहम्मद रफी कहते हैं । इस तरह से उन्होंने रफी अहमद

[श्री मुहम्मद आजम खां]

किदवई की तो छुट्टी कर दी लेकिन आज भी सुब्रह्मण्यम भारती को सुब्रह्मण्यम स्वामी कहकर पुकारा जाता है.... (व्यवधान) मंत्री जी ने सुब्रह्मण्यम भारती को सुब्रह्मणय स्वामी कहकर कम से कम उन्होंने इतना तो करम किया कि जैसे रफी अहमद किदवई को मोहम्मद रफी कहा था, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जो कि एक गवैये के बराबर हो। इसके लिये मैं उन्हे मुबारकबाद देता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से शुरू में ही एक स्पष्टीकरण चाहता था। माननीय मंत्री जी मेरे स्पष्टीकरण पर नहीं बैठ सकते थे और वे नहीं बैठे। यहां पर बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कुछ अमुक चेहरों पर एतराज हुआ, आपकी पीठ से भी एतराज हुआ माननीय मंत्रियों की ओर से भी हुआ मैं नहीं कह सकता, वजह क्या है? वह बात अब कह देता हूं अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक नया दौर हमने निकालना शुरू किया है। मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि वह रिसाला 37 साल पहले से निकल रहा है। 37 साल पहले के इश्यू मंगा कर आप देख लें और आखिर का इश्यू मंगा कर देख लें आपको खुद अंदाजा होगा कि इन दोनों के स्टैण्डर्ड में कितना फर्क आ गया है उसके अंदर वह अदबी नियार नहीं मिलता जो होना चाहिये आज वह इनकी पार्टी का भोंपू बनकर रह गया है। उसका काम इनके 20 सूत्री प्रोग्राम को छापना, इनके मंत्रियों और उनके चहेतों की तस्वीरें छापना, उनके लेख अपना उससे उनको पैसे लेकर उनको पालने का काम रह गया है। (व्यवधान) उसका असली मकसद खतम हो गया है। तो यह है इनका यह रिसाला जिसका इन्होंने जिक्र किया।

पिछले साल जब माननीय काशीनाथ मिश्र जी सूचना विभाग के मंत्री थे और मैं सूचना कमेटी का मेम्बर था तो वहां जब मैं मीटिंग में जाता था तो वहां पर इस बात का अंदाज होता था कि उनकी कितनी अहमियत है। यहां पर आपकी जितनी कुर्सी ऊंची है उससे भी एक ऊंची कुर्सी होती थी जिस पर सूचना विभाग के डायरेक्टर बैठते थे और माननीय मंत्री जी की कुर्सी उससे दो फिट नीचे होती थी। माननीय मंत्री जी अपने विभाग के डायरेक्टर से कितने ऊंचे थे यह इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ हो और उसका कद मंत्री जी से दो फीट ऊंचा हो, तो वहां मंत्री की क्या वकत होगी? माननीय मंत्री जी अक्सर कहा करते थे कि मेरे फैसले नहीं माने जाते। मान्यवर, उस कमेटी की प्रोसीडिंग निकलवाकर देख लें। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं वह अपनी इज्जत बचाकर रखें जिसके काम को वह देख रहे हैं (व्यवधान) हर रोज काशी नाथ मिश्र जी की यह शिकायत रहती थी कि मेरे आदेश जो जाते हैं वे नहीं माने जाते। इसकी वजह यह थी कि ठाकुर प्रसाद सिंह ठाकुर थे और इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी ठाकुर थे और मंत्री जी उनकी बिरादरी के नहीं थे। मान्यवर, उस जमाने में इस प्रदेश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसी फिल्म पर खर्च किया गया था जो एक बहुत की जलती शख्शियत पर बनी थी (व्यवधान)।

डाक्टर ब्रज किशोर मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों में प्राविधान है कि जो व्यक्ति इस माननीय सदन का सदस्य न हो उसके विषय में कोई बात नहीं कही जायेगी तो फिर यह कैसे यह बात कर रहे हैं?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो यहां के मुख्य मंत्री थे उनका रेफरेंस दे रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर मैथ्य--

माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये वह अभी यहां के सदस्य हैं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं कह रहा था इस प्रदेश में तकरीबन पौने दो करोड़ का पिछले साल का बजट इस विभाग का था उसमें से 7 लाख रुपया एक तस्वीर को प्रदेश भर में दिखाने के लिए खर्च हो रहा था एक रंगीन फिल्म उनकी बन रही थी ।

एक दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको यदि होगा आप भी यहां के पुराने सदस्य हैं, मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था हरिजनों के संबंध में । यह सरकार हरिजनों का उद्धार करने वाली सरकार अपने को कहती है अपने को उनका मसीहा बताती है और यह सरकार कहती है कि हमारी जैसी उनका तहफुज करने वाली सरकार न कभी आई न आयेगी (2 बजकर 20 मिनट अपराह्न से) लेकिन आपके ही सूचना विभाग में एक केवल कुमार नाम का हरिजन व्यक्ति है जिसको आपने बराबरी का दर्जा नहीं दिया है, अफसोस है कि इस सदन में जो फैसले हों और जो मंत्री एलान यहां सदन में करें उनका एहेतराम हो लेकिन उसके बावजूद अल्पसूचित तारांकित प्रश्न में मंत्री जी ने आश्वासन दिया केवल कुमार जो कि ढाई साल सूचना अधिकारी रहा, उसको डिग्रेड किया गया, अपने पद से उसको हटाया गया, यह इसलिये किया कि ठाकुर प्रसाद ठाकुर थे, मुख्य मंत्री ठाकुर थे तो वह हरिजन कैसे सूचना अधिकारी बनता ? मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि विद इन नो टाइम हम उसका एप्वाइन्टमेंट कर देंगे परन्तु आज तक, उस आश्वासन के एक साल के बाद भी, उस पद पर नहीं रखा गया । तो यह सरकार जो अपने को हरिजनों का दोस्त होने और उनकी हमदर्द होने को कहती है सच यह है कि हरिजन दुश्मनी का इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिलता । इसलिये मान्यवर, मेरी मांग है कि यदि यह सरकार हरिजनों की दोस्त है तो केवल कुमार को वर्षों से जो कुचला जा रहा है उसको सूचना अधिकारी बनाने का एलान अभी दुबारा मंत्री जी करेंगे ।

मान्यवर, अखबारों की बात आयी है । अखबारात में जो विज्ञापन दिये जाते हैं उनका रेशियो किस हिसाब से दिया जायगा इसका निर्णय आज तक नहीं किया गया । कौन अखबारात ऐसे होंगे जिन्हें ज्यादा विज्ञापन देंगे और किसको कम विज्ञापन देंगे । मान्यवर, छोटे अखबारात की बदकिस्मती है कि उनके पब्लिकेशन का कोई प्रबन्ध नहीं है । छोटे अखबार छपाई के लिये दूसरे प्रेसों पर निर्भर करते हैं और प्रेस पहले अपना कमर्शियल काम करते हैं, यदि समय बचता है तो अखबार छापते हैं, इसलिये छोटे अखबारात को जिन्दा रखने के लिये उनको विज्ञापन मिलना चाहिये लेकिन इस विभाग ने विज्ञापन देने की कोई नीति अभी तक निर्धारित नहीं की है ।

मान्यवर, विज्ञापन की व्यवस्था के संबंध में पिछले साल यह बात यहां सदन में आयी थी और सरकार की ओर से कहा गया था कि नेशनल हेराल्ड

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

नवजीवन और कौमी आवाज हमारी औलादें हैं, इसलिये ज्यादा विज्ञापन हम उनको देते हैं और दूसरी औलादें जो नाजायज होंगी उनको हम विज्ञापन नहीं देंगे। इसलिये सरकार की यह नीति गलत है लिहाजा नीति होनी चाहिये कि छोटे, अखबारों को जिन्दा रखने के लिये हम उनको भी विज्ञापन देंगे और मान्यवर, इसलिये इस संबंध में आज मंत्री जी को अपनी नीति छोटे अखबारों, के संबंध म एलान करना चाहिये कि छोटे अखबारों, साप्ताहिक या पाक्षिक, को उसी प्रकार विज्ञापन देंगे जैसे कि नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज को देते हैं।

मान्यवर, पालेकर एवार्ड का बड़ा हंगामा मचाया गया और सरकार श्रेय लेती है कि पालेकर एवार्ड को हमने लागू कराया है। मान्यवर, मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि पालेकर एवार्ड का नाम लेकर सिर्फ इसलिये कि प्रेससेक्शन को इक्स्प्लाइट किया जाय, प्रेस गैलरी को इक्स्प्लाइट किया जाये, अपना भाषण और अपनी तकरारें अखबारों में छपवाई जायें, अपना नाम अखबारों में निकलवाया जाये इसके अलावा कुछ नहीं है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में कौमी जंग नाम का एक अखबार निकलता है जिसका मालिक राज्य सभा का मेम्बर है, वह आपकी पार्टी कांग्रेस आई के राज्य सभा के मेम्बर हैं, इससे पहले वह एम0 एल0 सी0 भी इसी पार्टी से थे, इसलिये आपकी सरकार ने उनको उर्दू का अलमबरदार बनाकर उर्दू दुनिया को धोखा दिया है और उर्दू के नाम पर उन्हें राज्य सभा का सदस्य बनाया है। इस अखबार की रामपुर में अन्य तमाम अखबारों से कम जिंदगी है लेकिन फिर भी इसको सबसे ज्यादा विज्ञापन सरकार इसलिये देती है कि चूंकि वह आपकी पार्टी का राज्यसभा का मेम्बर है और पार्टी की औलाद है।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त करें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 15 मिनट कर दें। तो 'कौमीजंग' अखबार जिनको आप सबसे ज्यादा विज्ञापन देते हैं, दें, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसी हिसाब से दूसरे अखबारों को भी विज्ञापन दें। यह ऐसा अखबार है, जहां पर एक भी कर्मचारी पर पालेकर अवार्ड लागू नहीं किया गया है। इसलिए कम से कम वहां पर इसे लागू किया जाए। एक दुखद सूचना जो अखबार में दे चुके हैं, मैं यहां पर देकर अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। मान्यवर, आपके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, हम आप सभी लोग उन के उसूलों की बड़ी रट लगाते हैं, उनकी रट लगाते थकते नहीं हैं, जिनके पैरों में टूटी हुई चप्पल हुआ करती थी और जिनके तन पर आवश्यकता से जरा सा भी अधिक कपड़ा नहीं होता था। इसके बरखिलाफ मैंने देखा है कि इस प्रदेश के जिम्मेदार वजीरेआला इतना कीमती जूता पहनते हैं, जिससे कीमती और कोई जूता बाटा कम्पनी का नहीं होता है। अगर वह बाटा कम्पनी का 425 रुपये की कीमती जूता पहनकर इस हाउस में आएं जिसे पहनकर उनसे चला भी न जाए, तो मैं कहूंगा कि मुख्य मंत्री के पैरों में जो जूता है, वह बिलकुल शोभनीय नहीं है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

देखिये इनकी नजर गई तो कहां गयी-जूतों पर गयी ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

वह जूता कीमती पहनते हैं, उसी से हाय-हाय मची हुई है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

नैतिकता का जहां तक सवाल है । उसूलों का सवाल है, यह मुल्क गरीबी के कगार पर खड़ा है, इस तरह के कीमती जूते से देश का उद्धार नहीं हो सकता । मैं इसलिए यह कहता हूं कि जो नैतिकता और किफायतशारी की बात करते हैं उनके लिए यह कतई शोभा नहीं देता है ।

मान्यवर, झांसी में अभी एक प्रोग्राम हुआ है और देश की प्रधान मंत्री उसके लिए वहां गई थीं । इसमें किसी के बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वह झांसी तशरीफ ले गयीं और वहां पर इस प्रोग्राम में 6 लाख रुपया खर्च किया । पहले से यह तय था कि यह शहर चूंकि झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, इसलिए उस प्रोग्राम का नाम उनके नाम से झांसी की रानी रखा गया, जब तहरीके आजादी का जिक्र आता है तो आपका सर फक्र से बुलन्द हो जाता है उन नामों को लेकर । लेकिन जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां गईं तो उन्हें इस बात का अफसोस हुआ कि झांसी की रानी क्यों इन्दिरा गांधी से ज्यादा देशभक्त और वफादार थीं.....

(व्यवधान)

मान्यवर, एक ड्रामा "झांसी की रानी" होना था उस पर 6 लाख रुपया खर्च होने के बाद भी वह नहीं हुआ और 'यहूदी की लड़की' हुआ, क्योंकि यहूदी के लड़के से वजीरे आजम की शादी हुयी थी ...।

(व्यवधान)

मान्यवर, सदस्यगण सही कह रहे हैं, कार्ड में छपा था "झांसी की रानी" ही, 6 लाख रुपया उसके लिए ही खर्च हुआ था, लेकिन उस नाम से हुआ नहीं, हुआ "यहूदी की लड़की" ।

श्री मोहन सिंह--

इस अवसर पर एक ड्रामा खेला जाना था, उसका मंचन होना था जिसका नाम था--'झांसी की रानी, लेकिन उसके स्थान पर 'यहूदी की लड़की' नामक नाटक मंचन किया गया, जो उसकी भावना के विपरीत था ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं आपके माध्यम से, मुहम्मद आजम खां और मोहन सिंह जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि जो प्रोग्राम फिक्स किया गया था, उसी के हिसाब से प्रोग्राम हुआ । 'यहूदी की लड़की, की बात करते हैं, तो नेशनल इन्टीग्रेशन के सम्बन्ध में उससे बेहतर अन्य कोई ड्रामा हो ही नहीं सकता है । आगा हम काश्मीरी का वह नाटक है । उन्होंने हिन्दी में भी लिखा है और उर्दू में भी लिखा है । वह उर्दू से पहले और हिन्दी के बहुत अच्छे ड्रामानिगार थे । इसका प्रोग्राम था और कोई प्रोग्राम नहीं था, उन्होंने यह बात कही है, शायद उनकी सही सूचना नहीं थी, इसलिए मैंने इसे स्पष्ट कर दिया है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया सदन को, मालूम भी है, कार्ड्स भी मिले हैं, तीन फिल्में यहां दिखाई जा रही हैं । तीसरी आज दिखाने वाले हैं । एक गांधी, दूसरी मुनूर, जो कल दिखाई जानी थी, वह आज दिखाई जायगी और शतरंज के खिलाड़ी जो आज दिखाई जाने वाली थी, वह कल दिखाई जा चुकी । इससे आपके निरंकुश होने का और नाअहल होने का सबूत मिलता है । मैं इसे जहनी ऐयाशी कहता हूं ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

ये [× × ×] चाहते हैं ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

असल में कुछ आवाजें ऐसी निकल रहीं हैं, जो इन्सानी आवाजें नहीं लगती, तब मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कहां खड़ा हूं ? मान्यवर, जहनी ऐयाशी के तीन शो दिखाये जाने वाले हैं और इसमें दुखद बात तो यह है कि प्रदेश की गाढ़ी कमाई का पैसा और ऐसे विभाग का पैसा जिसके पास बहुत कम बजट है, यह वाकई में यह बजट नाकाफी है । यह पैसा बजाय इसके कि सही मकसद में खर्च किया जाय, क्योंकि नहीं खर्च हो सकता, लिहाजा इस पैसे का इस हद तक दुरुपयोग होता है, अधिकारी खा जाते हैं, कुछ मंत्री के चेले-चपाटे खा जाते हैं । मान्यवर, एक तो यह गलत बात हुई कि विधायकगण जिनको अपने कामों से फुरसत नहीं मिलती, आप उनको, उनके सही मकशद से हटाकर फिल्म की तरफ ले जाना चाहते हैं और जो समय उन्हें उनको सही काम के करने में खर्च करना चाहिए, उसे फिल्म की तरफ ले जाते हैं । मान्यवर, आपने देखा होगा कि फिल्म दिखाने के लिए जो कार्ड छापे गये हैं, वह भी इस विभाग की जहनी ऐयाशी का सबूत है । आपने देखा होगा कि एक कार्ड कम से कम दो रुपये की कीमत का होगा और एक विधायक को 6 कार्ड्स दिए गये हैं । इस तरह एक विधायक को 12 रु0 के कार्ड्स मिले हैं । और यही मामूला कागज पर छपे होते, तो इस पैसे का दुरुपयोग न होता । मान्यवर, क्योंकि यह कार्ड्स अधिकारीगणों ने छपवाये हैं और उन्हें यह कार्ड्स अपने दोस्तों को और अपने दोस्तों की पत्नियों को भेजने होते हैं और उन पर नक्शा जमाना होता है कि देखिये हम कितने शानदार विभाग में काम करते हैं, जिससे सूचना विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की शान-बान बढ़ती है । मैं दो-एक बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करा कर अपनी बात खत्म कर दूंगा ।

मान्यवर, उर्दू के सिलसिले में माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बी-चौड़ी बात कही । उर्दू के लिए यहां काफी एलान हुए हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने 31 दिसम्बर, 1981 को उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाने का ऐलान किया था और फिर उसे वापस ले लिया था, हांलाकि वह एक मर्द का ऐलान था और वह भी ठाकुर मर्द का । किसी जबान को आगे बढ़ाने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, वह करना चाहिए । उर्दू के नाम पर जितना भी काम हुआ है, मैं उसके इन्तराफ नहीं करता, उर्दू अकादमी, लखनऊ में खोल रखी है, मैं पुरजोर आवाज से यह कहता हूं कि उर्दू अकादमी सिर्फ पैसे को नाजायज इस्तेमाल करने

नोट--(× × ×) यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

का काम करती है । उर्दू अकादमी की इस शक्ल को बिलकुल खत्म करना चाहिए । उर्दू अकादमी का सारा पैसा मंत्री जी के चेले चपाटे खा जाते हैं । यह आजाद इरादा होना चाहिए । उर्दू के नाम पर जो मैगजीन्स निकलती हैं, उनको या तो बिलकुल खत्म कर दीजिये या जिस स्टैंडर्ड से वह निकलनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड से निकाली जाय । मुशायरे के ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि आप मुशायरा और कवि सम्मेलन करायें, लेकिन मुशायरे के नाम पर शायरों को लुटने का काम न करिये । मेरी निश्चित जानकारी है और ऐसे शायरों को जानता हूं, जिन्हें 500 रु0 कहकर बुलाया गया और 200 रु0 देकर भगा दिया गया । मान्यवर, सूचना विभाग का काम अगर इस तरह से होगा, तो पैसे की बरबादी के साथ-साथ बदनामी भी होगी । मान्यवर, जो उर्दू के अखबारात हैं उनको सही तरह से जिस तरह से काशीनाथ मिश्र के चहेते बेटों को मिला करता है सभी को उसी प्रकार से उनको विज्ञापन दिये जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, चलचित्र निगम की बात है, बहुत से पिक्चर हाल उसके जरिये से आपने बनाने की बात की है । हमारे मोहन सिंह जी के यहां बरहज में एक पिक्चर हाल बनाने की बात थी । लेकिन वहां पर राजनैतिक दबाव पड़ा, चूंकि मोहन सिंह जी के यहां बनता तो उनकी बात बनती, चुनांचे काफी राजनैतिक दबाव डालकर वह पिक्चर हाल रोका गया । इसे मैंने जहनी ऐयाशी की बात कही है तो चुनांचे मेरे क्षेत्र में तो उसके बनने की बात ही नहीं हो सकती । इन चीजों पर पैसा सूचना विभाग और हमारी सरकार खर्च करती है ।

पत्रकारों के सिलसिले में एक बात कहना चाहता हूं । आपने ऐलान किया कि उनकी बीमारी में उनके सफर के लिए हमने बहुत सी आसानियां दी हैं । यह सारी बातें झूठी हैं ।

अभी हमारे लखनऊ में विधान सभा रोड पर एक कत्ल हुआ, आप कितने दिनों तक उनको आश्वासन देते रहे । आपने कहा था कि उनकी पत्नी और बच्चों को पैसा देंगे और उनके लिए किसी नौकरी का इंतजाम करेंगे मगर कुछ न हुआ। ना ही उनकी सुरक्षा का कोई इंतेजाम है । मैं यह कहते हुये कि यह बजट जनता विरोधी है, यह बजट जनता को लूटने वाला है, जनता को धोखा देने वाला है । इसके जरिये से जनता के पैसे को मंत्रीगण अपनी जेब में डालने का काम कर रहे हैं । मंत्री जी के अंदर अगर जनता के लिए जरा सी हमदर्दी है तो जिस तरह से मुझसे कह रहे थे कि मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूं उसी तरह मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सरकार के इस बजट को वापस लें, बल्कि वह उस पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जायं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों के लिये 5, 5 मिनट का समय निश्चित किया गया है ।

*श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी--

अधिष्ठाता महोदय, पौने पांच मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सूचना विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत मांगों के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं अपने दिल की गहराइयों से इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज यह बात मुझे ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि यह हमारी जो हिन्दुस्तान में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी है, वह तनहा एक पार्टी है, जिसने जब-जब वायदे किये हैं अपने इलेक्शन के जमाने में उन वायदों को हमेशा पूरा किया है और आज भी कर रही है।

(मेजों की थपथपाहट।)

इस बात पर जितना नाज किया जाय वह कम है। हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि उर्दू को दूसरी जबान बनायेंगे। उस रास्ते पर जितनी भी कार्यवाही मुमकिन थी हो चुकी है। मैं तो आशा करता हूं कि बहुत जल्दी ही शायद कोई बिल हाउस में पेश होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू जबान की तरक्की के लिए जो अखबारात निकले हैं, उनको सूचना विभाग द्वारा जो प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके सम्बन्ध में जिस कदर यह बातें कह रहे हैं वह गलत है। सही बात तो यह है कि हमेशा जो उर्दू के अखबार निकले, उनके लिए कोशिश की गई कि सूचना विभाग की विज्ञापन आदि की सहूलियतें उसी तरह दी जाय जो उनका हक बनता है। मैं भी बनारस में एक उर्दू डेली 12, 15 साल से 'कौमी मोर्चा' निकाल रहा हूं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस भाई साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, वह सूचना विभाग से हटकर अपने क्षेत्रीय विभाग में पहुंच गये और एक अखबार के पीछे पड़ गये। एक तरफ वह उर्दू को तरजीह देने की बात करते हैं, उर्दू के हमदर्द हैं, एक तरफ उनका यह तर्क है तो दूसरी तरफ उनके जिले का एक अखबार निकला तो उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाय, इसलिए उसकी चर्चा कर दी।

(मेजों की थपथपाहट।)

अगर वह इस जबान के हमदर्द थे तो उनको सोचना चाहिये था कि ठीक है उर्दू अखबार तो है, जनता को खबरें तो दे रहा है। मैं समझता हूं कि यह मयार से गिरी हुई बात है। उन्होंने पिक्चर का जिक्र किया। जब उनको कोई एतराज की बात नहीं मिली तो उनको दावत नामे पर एतराज हो गया है कि बहुत महंगा है। मान्यवर, वक्त तो कम है। एक लोकिया याद आता है।

एक साहब ने एक कहानी सुनाई कि एक बुजुर्ग थे, जो वली होने का दावा करते थे, वली उसे कहते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है और जो वह चाहता है, वही होता है। उस बुजुर्ग की इस बात का कि वे वली हैं, उनकी बीबी ऐसा यकीन नहीं करती थी। एक दिन रात में वे अपने बिस्तर से कहीं चले गए, बीबी की आंख खुली तो उसने देखा कि वे बिस्तर पर नहीं थे, उसने मन में सोचा कि पता नहीं कहां चले गये, इधर-उधर देखा, कहीं नहीं मिले, मकान के आंगन में देखा तो देखा कि आसमान से काफी रोशनी आ रही थी, उसने आसमान की तरफ देखा तो पाया कि कोई सफेद लिबास पहने व्यक्ति पूरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मकान की परिक्रमा कर रहा है और उसके बदन से नूर ही नूर बिखरता जा रहा है, इसके बाद रोशनी खत्म हो गई और बीबी जब लौटकर कमरे में आई तो देखा कि उसके शौहर बिस्तर पर हैं। उसने उनसे पूछा कि आप कहां चले गये थे तो शौहर ने कहा, क्यों, तो बीबी ने कहा आपने देखा नहीं अभी आसमान में कोई व्यक्ति हमारे मकान की परिक्रमा कर रहा था और उसके बदन से रोशनी बिखरती जा रही थी, लगता था कि वे कोई बड़े वली थे, तो शौहर ने कहा कि वे मैं ही था, तो बीबी ने कहा कि अच्छा, तभी टेढ़े–टेढ़े उड़ रहे थे। मान्यवर, चूंकि यह विरोध पक्ष के थे, कोई एतराज करना है, कोई विरोध करना है, जहां उनको कोई और बात नहीं मिली तो यह कह दिया कि इन्फारमेशन विभाग का जो निमन्त्रण था, उस पर बहुत खर्च हुआ, वह बहुत महंगा था। मान्यवर, मैं एक अहम बात कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी––

मान्यवर, सूचना विभाग की तरफ से जो गांधी पिक्चर का आयोजन अभी रवीन्द्रालय में किया गया था, इस सम्बन्ध में मुझे 2–1 आवश्यक बातें कहनी हैं। मान्यवर, यह पिक्चर विदेश में बनी है। महात्मा गांधी की जो छवि है, इस पिक्चर में उनकी हैसियत उससे कम हुई है, बढ़ी नहीं है। इस पर मुझे आपत्ति है। मान्यवर, साथ ही साथ यह पिक्चर हम भारतवासियों के खिलाफ एक साजिश है। इसमें यह सीन तो दिखाया है, मुझे जो सुनने का मौका मिला उसके अनुसार कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान का बटवारा होने के बाद जिन्ना के साथ कुछ मुसलमान पाकिस्तान जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां के हिन्दू हिन्दुस्तान में आ रहे हैं, मगर यह नहीं दिखाया है कि जो हिन्दुस्तान में बाकी मुसलमान रह गये, वे क्यों हैं, उनका रहना कैसे जायज है, यह बात छिपाई गई है। इससे हिन्दुस्तान के कुछ लोगों की बातों को बल मिलता है कि अब मुसलमान का हिन्दुस्तान में हो क्या, वे जायं पाकिस्तान, इससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचा है।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्य आप बैठें। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी––

मान्यवर, मौलाना अबुल कलाम आजाद को इस पिक्चर में सिर्फ शोव्वाय के रूप में दिखाया गया है, जबकि वे हिन्दू–मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। मान्यवर, आपसे मैं मांग करता हूं कि गांधी पिक्चर का प्रदर्शन, इन सब बातों को देखते हुये, तत्काल बन्द कर दिया जाना चाहिये, या कम से कम वे भाग अवश्य निकाल दिये जाने चाहिये, जो हमारी एकता के लिए घातक हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य, रामपुर ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

मान्यवर, अभी जो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे, माननीय सदस्य रामपुर, तो उन्होंने चल चित्र निगम की बात शुरू की थी, तो समय समाप्त हुआ। मान्यवर, चलचित्र निगम से ही शुरू करना चाहता हूं। मान्यवर, बताया गया कि चलचित्र निगम के दो उद्देश्य मुख्य हैं, एक तो गवर्नमेन्ट की रेवन्यू को बढ़ाना और दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था करना। लेकिन मेरा आरोप है कि इन दोनों ही उद्देश्यों में निगम पूरी तरह से फेल हुआ है। इसके 35 सिनेमा घर हैं, मेरी जानकारी है, इसमें रेवन्यू बढ़ाने की बात तो दूर रही, खर्च भी नहीं आ रहा है। वे कस्बों के बाहर हैं, इसलिये उसमें कोई सिनेमा देखने नहीं जाता है। इसमें 40 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट है और सरकार ने 40 लाख रुपये की सहायता की है, तो उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। यह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई हिसाब है। न जाने कितने सिनेमा आज बन्द पड़े हैं। मेरठ के 2 सिनेमा बन्द हैं और वह इसलिये बन्द हैं कि उनका रेवेन्यू कुछ नहीं है। मान्यवर, यह घाटा क्यों है? इसके तीन कारण हैं। एक तो जो स्थान का चयन किया गया है वह कस्बों से बाहर चयनित किया गया है। 5–7 जगहों को तो मैंने स्वयं देखा है। श्रीमन्, आज ला एन्ड आर्डर की जो स्थिति है उसकी जानकारी हम सब को है। कस्बे से बाहर कौन पिक्चर देखने जायेगा। दूसरे इस प्रकार के स्थान राजनीतिक चमचों के लिए चयनित किये गये हैं। कहीं–कहीं पर किसी को किसी रूप में लाभ पहुंचाने के लिए और कहीं पर हानि पहुंचाने के लिये। इन स्थानों पर कोई पिक्चर देखने जाने का नाम नहीं लेता है। मान्यवर इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। इसमें खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ा है।

मैंने इस सम्बन्ध में ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ी। जो यह फिल्मों की बुकिंग करते हैं वह यह सीधे नहीं बुक करते बल्कि दिल्ली में इनका एजेन्ट है उस दलाल के माध्यम से यह बुकिंग करते हैं। 35 सिनेमाघरों के लिये फिल्मों की बुकिंग उस दलाल के माध्यम से होती है। मैं कहता हूं कि आप एक आयोग बनायें जो इस चलचित्र निगम की कार्यशैली की जांच करें। इस प्रकार की बुकिंग के कारण जो पिक्चर 5–6 सौ रुपये हफ्ते के लिये बुक हो सकती है वह 15–16 सौ रुपये हफ्ते पर बुक होता है।

एक बात इन्होंने कहा कि फीचर फिल्म बनायेंगे। श्रीमन्, 7 लाख रुपया दिया गया और फिल्म बनी उसका नाम है मृत्युदन्ड टी0 बी0 के लिये। 8 लाख रुपया दिया गया हरिजनों के लिये फिल्म बनाने के लिये उसकी शूटिंग तो दूर कहानी तक नहीं बनी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि निगम की स्थिति की जांच के लिये एक कमेटी बनाई जाय, क्योंकि यह निगम अपने तीनों उद्देश्यों को पूरा करने में फेल रहा है।

माननीय मंत्री जी ने प्रदर्शनी लगाने के बारे में बहुत जोर से कहा और कहा कि 10 का लक्ष्य था लगाई 34 गई। 26 प्रदेश के बाहर और प्रदेश के अन्दर लगीं। श्रीमन्, मैं आपके अनुमति से जो यह पुस्तक है इसके पृष्ठ 13 पर कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है "यह कार्य बहुत कम समय में पूर्ण किया गया था। इसके अतिरिक्त अमेठी, जायस, तिलोई, मुसाफिरखाना में राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया।" मान्यवर, अमेठी को एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने के लिए चुना गया। उस समय संयोग से मुझे भी वहां पर अपनी एक संस्था के कार्य से जाने का मौका मिला। मान्यवर, वह प्रदर्शनी एक पांडाल में नहीं लगी थी बल्कि प्रदर्शनी के माध्यम से लाखों रुपया चार्ज करके बड़ी–बड़ी मीटिंगों का आयोजन कराया गया। बसों और ट्रकों में भर कर लोगों को....

श्री मुईद अहमद—

यह सदन को भ्रमित कर रहे हैं। वहां नुमाइश लगी थी मीटिंग नहीं हुई थी। बिला वजह यह बात कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

चोर की दाढ़ी में तिनका। मान्यवर, वहां पर बड़ी-बड़ी मीटिंगों का आयोजन किया गया इसकी जांच होनी चाहिये कि कितना पैसा उस पर खर्च किया गया....

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

आप सिद्ध कर दें तो....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें आपको मौका मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। इस सरकार ने अघोषित सेन्सरशिप लागू कर रखी है। इसके दो आधार हैं। मान्यवर, एक परिपत्र संख्या 21/82 पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश दिनांक लखनऊ 22/29 अप्रैल, 1982 नरेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसमें लिखा है कोई अधिकारी या कर्मचारी न तो कभी प्रेस सम्मेलन बुलायें और न ही कोई "प्रेस कम्युनिक" जारी करें। जो भी सूचना प्रेस को दी जानी हो उसे जैसा कि उपरोक्त वर्णित शासनादेशों में निर्देशित है जिलों में अधिकारी जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तथा प्रदेश मुख्यालय पर शासन/सूचना विभाग के माध्यम से ही दी जायेगी। मान्यवर, हमारे पत्रकार थानों में जाते थे। दरोगा से जानकारी प्राप्त करके अखबारों में प्रकाशित करते थे जिससे अपराधों की सही जानकारी प्रदेश की जनता को होती थी, उस पर रोक लगा दी गई। वे सही तथ्य न दे दें, जानकारी यहां पहले दें, यहां शासन की नीति के अनुसार सेंसर कर के पत्रकारों को दी जाये। विज्ञापन उन को दिये जाते हैं जो शासन की नीति की विरदावली गाते हैं। जो सही तथ्य देते हैं उन्हें विज्ञापन न दे कर समाप्त करने की कोशिश की जाती है।

अभी 7 अखबारों के नाम लिये कि उनके विज्ञापन बन्द कर दिये गये हैं। आपने उन्हें कोई सूचना नहीं दी, कोई शो काज नोटिस नहीं दी, केवल समाचार प्रकाशित हो गया इसलिए विज्ञापन बन्द कर दिया। अगर कोई समाचार पत्र, जो नियमावली है, उसके अधीन है, तो नियमों के तहत उसको बन्द करते। समाचार-पत्र पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विधि बनी हुई है, कौंसिल है। वह स्वयं काम करेगी। बिना कोई कारण बताये बिना कोई प्रोसीक्यूट किये बन्द कर दिया। इसलिए मैं शासन की निन्दा करता हूं कि पत्रकारों को प्रतिबन्धित करने की चेष्टा न करें, अघोषित सेंसर न लगायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धरमपाल—

मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आजम साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए।

मान्यवर, किसी भी देश और प्रदेश की प्रगति के लक्षण, सूचना विभाग द्वारा आंकड़े दिये जाते हैं। सूचना विभाग महत्वपूर्ण विभाग है और इतना महत्वपूर्ण कि जन-जन तक यह सूचना पहुंचाते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है। केवल यही नहीं बल्कि तुलनात्मक आंकड़े भी प्रस्तुत करता है कि देश के बाहर विदेशों में क्या हो रहा है। इन सब से हटकर आजम साहब ने पता नहीं किस भाषा से कहा कि उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफी की जा रही है। इस सदन में और बाहर भी चौधरी चरण सिंह जी ने कहा है, रिकार्ड उठा कर देख लें कि उर्दू तुर्क और मंगोलों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना साहस नहीं था कि बैठे रहते। फखरे आलम के नेता, हेमवती नन्दन बहुगुणा ने भी यही कहा कि उर्दू शीरी जुबान है। इसको किसी सरकारी सहायता की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को उचित स्थान दिलाया जायेगा, द्वितीय भाषा निश्चित की जायेगी। आने वाला समय बतायेगा और इनके मुंह पर करारा तमाचा होगा। इस विभाग के बारे में थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं मंत्री जी को।

बुन्देलखन्ड की बहादुर धरती, जिसने न जाने कितने बहादुर और वीर पैदा किये, साहित्यकारों को जन्म दिया जिसमें कालीदास तुलसी महान आदि से ले कर आधुनिक युग के मैथलीशरण गुप्त, वृन्दावन लाल वर्मा आदि का जन्म वहीं पर हुआ। वहां दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए, आकाशवाणी की स्थापना भी करें। भारत सरकार से भी हमारी सरकार को दूरदर्शन के लिए अतिरिक्त चैनल की मांग करनी चाहिए। केन्द्र को इस बारे में लिखें कि उत्तर प्रदेश दूरदर्शन का व्यापारिक विज्ञापन के लिए अलग चैनल की व्यवस्था की जाये। आदिवासियों के बारे में, जो बुन्देलखन्ड से लेकर मिर्जापुर और देहरादून की तराई में बसे हैं उनके लिये उन्हीं की भाषा के कार्यक्रम और उन्हीं के प्ले किये हुए ड्रामा टेलीविजन पर दिखाये जाने चाहिये।

उर्दू के विषय में मैं कह ही चुका हूं। यह सरकार काफी कुछ कर रही है। पर इनके नेता अटल विहारी बाजपेयी, जैसा कि अभी मैंने कहा था, उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हैं। चौधरी चरण सिंह उर्दू को तुर्क और मंगोलों की भाषा समझते हैं।

इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध और निन्दा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री विद्या सागर नौटियाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि आखिर यह सूचना विभाग है किसके लिये....

एक सदस्य--

(कांग्रेस पक्ष से) यह टाई गुलामी का प्रतीक है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

अगर मेरी टाई गुलामी का प्रतीक है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि भगवान इनको बुद्धि दे ।

यह सूचना विभाग मान्यवर, जिस तरह से संचालित किया जाता है, हम चाहते हैं कि उसमें सुधार किया जाये । ऐसा प्रतीत होता है कि इस सूचना विभाग को कोई पूछने वाला नहीं है, वरना आज माननीय गुलाब सेहरा जी हमारे सामने इस बजट को लेकर न आते । यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमारे माननीय गुलाब सेहरा जी, वास्तव में गुलाब सेहरा हैं, गुलाब कांटा हैं या क्या हैं ? यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि उनकी मुबारक जुबान से श्री सुब्रमनियम भारती की जगह सुब्रहमण्यम स्वामी का नाम निकल रहा था । इसी तरह का एक किस्सा अभी पढ़ने को मिला था जब इस सरकार के मन्त्री ने स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवई को मोहम्मद रफी कह दिया था और एक बार इस विभाग की पत्रिका में तीन गौरैयों के चित्र छाप दिये गये तो मन्त्री जी ने जवाब तलब किया था कि ये तीन उल्लू कौन हैं ? तो इस तरह की बातें देखने में आती हैं ।

मान्यवर, हमारे पहाड़ों के लिये नजीबाबाद में एक रेडियो स्टेशन है । वहां से केवल घिसे-पिटे गाने सुनाये जाते हैं । जो पहाड़ों की संस्कृति है उसके अनुसार कोई चीज रिले नहीं की जाती है । हमारे यहां जौनसार की अलग भाषा है, भावर की अलग भाषा है, गढ़वाल अलग भाषा है, कुमायूं की अलग भाषा है, जो तिब्बत से वापस आये हैं उनकी अलग भाषा है, उन सब की संस्कृति को विकसित करने के लिये कोई कार्यक्रम उस रेडियो में प्रसारित नहीं किया जाता ।

मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूं । आपके सूचना विभाग से दो-दो मैगजीन्स, मासिक और पाक्षिक, निकलती हैं, उनका उद्देश्य क्या है ? वह क्यों निकल रही हैं ? क्या उनका काम इस उत्तर प्रदेश सरकार के घटिया-बढ़िया कामों का प्रचार करना ही है ? इस सदन की कार्यवाही उसमें क्यों नहीं छापी जाती ? इस सदन में तमाम माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर यहां चर्चा होती है । यह जानकारी भी तो जनता को होनी चाहिये कि यहां पर क्या होता है । इनके मंत्रियों की तो हालत यह है कि यह गौरैया को उल्लू कह देते हैं ।

(व्यवधान)

प्रेस वाले तो छापते हैं जो कुछ यहां होता है, पर आपका सूचना विभाग कुछ नहीं छापता ।

एक सुझाव और देना चाहता हूं । पालेकर एवार्ड को लागू किया जाये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने पालेकर एवार्ड को लागू किया ? मैंने देहरादून में पत्रकारों के बारे में माननीय सूचना मन्त्री जी को कई बार प्रार्थना-पत्र दिये कि उसे लागू किया जाये, लेकिन आज भी देहरादून के अन्दर, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं ।

[श्री विद्यासागर नौटियाल--]

मान्यवर, एक भी पत्र ऐसा नहीं है जिसमें पत्रकारों को वह सुविधा दी हो और एवार्ड को लागू किया हो। (लाल बत्ती जलने पर) एक मिनट और चाहूंगा। एक भी अखबार ने देहरादून के अन्दर पालेकर एवार्ड लागू नहीं किया है। इस पर भी विचार करना चाहिये।

प्रतापनगर टिहरी-गढ़वाल का एक ऊंचा स्थान है। वहां पर टी0 वी0 का टावर लगाये जाने के लिये उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करनी चाहिये।

श्री दूधनाथ राजभर--

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका आभारी हूं। मैं सूचना विभाग के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है। इसके माध्यम से शासन द्वारा किये गये तमाम कामों का विवरण जनता के सामने आता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से सारा प्रशासनिक कार्य और जन-इच्छा उजागर होती है। इसमें लगे हुए हमारे पत्रकार बन्धुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त दुर्दशा, परेशानियों को शासन के सामने लावें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि पीत पत्रकारिता न करें। पीत पत्रकारिता को समाप्त करने की आवश्यकता को शासन के सामने रखा जाये। यह कर्त्तव्य पत्रकार पर आता है। जिस तरीके के साधन उनको मुहैया होने चाहिये उनमें कमी है। पत्रकार गांव में, सुदूर देहात में, बीहड़ में जाता है, अपनी जान को खतरे में डालकर। उसकी जान की, जीवन की सुरक्षा नहीं है। जिला मुख्यालय पर शासन ने थोड़ी सुविधा दिया है। तहसीलों में भी वही सुविधा दिये जाने की आवश्यकता है। पत्रकार गांवों में जाकर प्रशासन के कार्यों की समालोचना करते हैं। उनको उसी तरह की मान्यतायें मिलनी चाहिये जो मुख्यालयों में हैं, जिससे वह निष्पक्ष कार्य कर सकें।

मैं पुनः आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पीत पत्रकारिता की बात समाप्त की जानी चाहिये। पीत पत्रकारिता के मायने होता है समाचारों को तोड़-मरोड़ कर, दूसरे प्रकार से प्रकाशित करना। मैं इस बात का पोषक हूं कि इसको समाप्त होना चाहिये। मैं सरकार से, माननीय सूचना मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को इतनी सुविधायें, इतनी सुरक्षा होनी चाहिये कि पीत पत्रकारिता की बात वहीं समाप्त हो जाये। जहां तक मुझे जानकारी है इस क्षेत्र में काम करने से निष्पक्ष समाचार प्रकाशन में बहुत बाधायें आती हैं। तरह-तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। कुछ को मैं जानता हूं, जनपद आजमगढ़ में श्री सुखराम सिंह हैं, जो "आज" अखबार में पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने एक समाचार लिखा। समाचार सही लिखा परन्तु उसके एवज में उनको लोहे की छड़ों से पीटा गया और बुरी तरह से उनकी तुड़ाई की गई। उसकी रपट दर्ज कराई गई लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

दूसरा उदाहरण मेरे सामने है। गांडीव के सम्वाददाता श्री धर्मदत्त गुप्त जी ने भी इसी तरह से समस्या को सामने रखने की कोशिश की तो उनकी भी बुरी तरह से पिटाई की गई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्रकार बन्धु स्वेच्छा और निष्पक्षतापूर्वक समाचारों को हमारी जनता और हमारे समाज तक पहुंचायें। समाचारों के संकलन में और पत्रकारिता के पुनीत काम में

लगे हुए लोगों के लिए व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा उनके लिए तमाम साधनों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। ताकि जो पीत पत्रकारिता होती है वह समाप्त हो सके। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्य श्री धरमपाल जी ने कहा उर्दू भाषा के बारे में कि बहुगुणा जी ने उर्दू भाषा के विकास में कोई रुचि नहीं दिखाई है। लगता है उनका दिमाग कल की तरह ही है क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे अभी भी उनकी मानसिकता वही है। वे खुद भी जानते हैं कि वे बहुगुणा जी के चेले रहे हैं। सच तो यह है कि बहुगुणा जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने 22 हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करने का लक्ष्य बना रखा था।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के आदेशों से 22 हजार उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश थे। सत्य को कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

3 हजार अध्यापकों की नियुक्ति भी हो गई थी। विज्ञापन के बारे में यहां पर कहा गया है। सचमुच सत्ता पार्टी ने तो विज्ञापनों को हथियार बना दिया है। जो बड़े-बड़े अखबार होते हैं उनको विज्ञापन भेजे जाते हैं लेकिन गांवों में जो छोटे-छोटे अखबार छपते हैं उनको विज्ञापन कम दिया जाता है और जो विज्ञापन दिए भी जाते हैं तो बहुत ही कम रेट के दिए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जो अखबार छपते हैं, उनको कागज बहुत मंहगा मिलता है और इनकी प्रिंटिंग भी बहुत मंहगी होती है। अतः मेरा सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो छोटे-छोटे अखबार छपते हैं उनके लिए विज्ञापन की दर को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, यहां पर शासन की ओर से नौकरियों हेतु अखबारों को विज्ञापन दिया जाता है किन्तु ये लखनऊ के अखबारों में छपते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के अखबारों को ये विज्ञापन नहीं दिए जाते हैं। वहां पर यहां के अखबार 2-3 दिन बाद पहुंचते हैं यदि वह भी किसी ने मंगवाया तो। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जो भी इस प्रकार के विज्ञापन हों उनको प्रत्येक अंचल में छपने वाले अखबारों को भेजा जाय। माननीय श्री सेहरा जी ने अपने समाज कल्याण विभाग में कुछ नौकरियों हेतु पदों को छपवाया और केवल 7 दिन का समय दिया गया और यह विज्ञापन भी लखनऊ के अखबारों में ही छपवाया गया, फलस्वरूप हमारे पर्वतीय क्षेत्र का कोई भी लड़का उसमें शामिल नहीं हो सका।

मान्यवर, यहां पर पालेकर एवार्ड की सिफारिशों के बारे में कहा गया। बड़े अखबार के मालिक पालेकर एवार्ड का बिलकुल भी परिपालन नहीं कर रहे हैं फलस्वरूप इससे मिलने वाला लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि उसकी ओर ध्यान दें। मान्यवर, आपकी जो फिल्म व डाक्यूमेन्टरी बनती हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठें ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे विरोधी दल के नेता ने कटौती का प्रस्ताव रखा । इस प्रस्ताव से मुझे तो कोई अफसोस नहीं है लेकिन क्योंकि इनका काम ही है, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, इनकी प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए । अफसोस तब होता है जब इन गैलरियों में भोले-भाले लोग आ जाते हैं और भ्रमित होते हैं । माननीय विरोधी दल के नेताओं ने जो अपने जमाने में किया था, सारी सूचना मशीनरी को और प्रसार को हो नहीं, हमारी जनप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे लगा दिया था । आज हमारे प्रदेश के नेता और श्रीमती इंदिरा गांधी इनके पीछे न पड़कर देश की समस्याओं की ओर सूचना विभाग को लगा रहे हैं । यह चाहते हैं कि हम अपना ध्यान इनकी ओर करें और देश की गरीब जनता की ओर से अपना ध्यान हटा लें । लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी किसी बहकावे में नहीं आ सकती ।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के सूचना विभाग ने समस्त 56 जिलों में जिला सूचना कार्यालय स्थापित किए हैं । हमारी नीति यह है कि पत्रकारों को जितना फायदा पहुंचाया जा सके, पहुंचाया जाय । जैसा दूधनाथ जी ने कहा है कि सुरक्षा के अभाव में इन्हें पूंजीपतियों के हाथों में फंसना पड़ता है, तो वही है कि कुछ पत्र पूंजीपतियों के हाथ में हैं । बैन पत्रकारों पर नहीं लगाया है बल्कि उन पत्रों पर लगाया है जो सरकार को ब्लैकमेल करना चाहते हैं । सरकार इनके द्वारा ब्लैकमेल नहीं होगी । प्रजातांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिए सरकार का सूचना विभाग उसका सामना करेगा । मैं यह बता देना भी चाहता हूं कि तहसीलों में सूचना केन्द्र भी स्थापित किए जा रहे हैं । आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तहसील मंझनपुर में एक सूचना केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग करता हूं क्योंकि वहां पर समाचारों को पहुंचाने में दिक्कत होती है ।

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना विभाग के बजट पर, जो आजम साहब ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, बोलने का मौका दिया ।

सूचना विभाग सरकार की दृष्टि और लेखनी का कार्य करता है, लेकिन देखने में यह आता है कि सूचना विभाग अपने सही रोल को अदा न करके सिर्फ सरकार की भाटगिरी का काम करता है ।

चूंकि समय बहुत कम है, अतः सिर्फ अपने जिले की घटना के बारे में आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । पिछले दिनों हमारे जिले में कांग्रेस (आई) के महामंत्री श्री कन्त राम भाटी हमारे यहां के जिलाधिकारी से मिले, दिसम्बर का महीना आ चुका था, उन्होंने कहा कि आप पन्नी जी शुगर मिल को चलवा दीजिए और पैसे का इंतजाम करवा दिये । जिलाधिकारी ने उत्तर दिया कि आप इंदिरा गांधी को बुला लाइए और इंदिरा गांधी मिल को चला देंगी और पैसा दे देंगी ।

मान्यवर, इस सूचना को कांग्रेस (आई) के जो महामंत्री हैं, उन्होंने लिखकर दिल्ली के एक न्यूज एजेंसी के पत्रकार हैं उनको दे दी और उन्होंने उसका छपवा दिया। इस सूचना के छपने बाद जिला सूचना अधिकारी को बहुत डांटा और धमकाया गया कि इस सूचना का खंडन करवा दो, उस पत्रकार ने कहा कि नहीं हमको यह सूचना दी है और यह सूचना सही है। फिर भी जिलाधीश ने जिला सूचना अधिकारी को बुलवाकर उस सूचना का खंडन करवाया तो इस प्रकार जिला सूचना अधिकारी, जिलाधीश का पालतू पिल्ला बनकर जिलों में रहता है, उसका अपना कोई रोल नहीं रहता।

दूसरे सिर्फ पत्रकारों को मेडिकल सुविधाएं देने व बसों में पास इत्यादि देने से कुछ होने वाला नहीं है, इन्हें अन्य विशेषाधिकार दिए जायें, क्योंकि इन्हें हर जगह जाना पड़ता है जाड़े, गर्मी और बरसात में फोटो आदि खींचने पड़ते हैं व अन्य अधिकारियों द्वारा इन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, उन सब से निपटने के लिए इन्हें प्रिविलेज दिए जायें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री किरनपाल सिंह--

दूसरे मान्यवर, समय कम है मैं पाकेर एवार्ड के बारे में कहना चाहता हूं कि इसका हमारे जिले में ठीक तरह से पालन नहीं किया जा रहा है और इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठ जायं, आपका समय हो गया है।

श्री किरनपाल सिंह--

छोटे-छोटे जिलों में जो सम्वाददाता हैं, वह अपना कुछ निजी बिजनेस भी छोटा-मोटा करते रहते हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिए, अब समय आपका नहीं है, मैंने श्री मुहम्मद आजम खां को बुला लिया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों की बातें सुनीं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं। बहुत से हमारे साथियों ने कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और बहुत से साथियों ने उसके विपक्ष में बातें कहीं हैं, जिनमें बहुत सी बातें, मैं समझता हूं कि सही भी हैं वह विभाग के लिए कारगर साबित होंगे अगर उन्हें माना जाये और सही तौर पर माना जाये सही

[श्री मुहम्मद आजम खां--]

मानते हुये, तब कुछ हल निकल सकता है, इसी सिलसिले के कुछ सुझाव मैं दूंगा और कितने सही हैं, इसका फैसला आप खुद करके इन पर गौर करें एक तो यह कि रेडियो सुनने वालों की यह एक मुस्तकिल शिकायत रही है कि सदन की कार्यवाही का पूरा हिस्सा ब्राडकास्ट नहीं किया जाता। यह शायद इसलिए होता है कि समय की कमी होती है, इसलिए कुछ समय यदि आप बढ़ा दें तो यह शिकायत दूर हो सकेगी दूसरे यह सदन की कार्यवाही जो टी० वी० पर सिर्फ न्यूज की शक्ल में आप देते हैं, उसके साथ अगर पूरी कार्यवाही सदन की टी० वी० पर दिखाने का कोई जरिया निकालें ताकि लोग सदन में क्या हो रहा है, उसकी पूरी सूचना हर शहरी को हो सके तो बेहतर हो।

तीसरी बात यह है कि रेप केसेज में आप देखें जो हमारे पत्र-पत्रिकायें बड़े जोर-शोर से छापती हैं, उनमें तबदीली की जाय क्योंकि हमारा समाज उसमें चाहे किसी भी मजहब के लोग हों हिन्दू का घराना हो या मुसलमान का हरेक के लिए शर्म, हया और गैरत का परदा रहना जरूरी है यह हमारी तहजीब है। मगर इन चीजों को यहां बेलिए ताक रख दिया गया है और इसको मेनली प्रोफेशनल समझकर छापा जा रहा है, इसको देखकर इसका असर हमारे घरों की मां-बहनों पर बहुत बुरा पड़ता है। इस तरफ सोचना हमारा और आपका एक अखलाकी और बुन्यादी फर्ज है, इसमें बगैर पार्टी किसी का इम्तियाज रक्खे इन चीजों पर रोक जरूर लगनी चाहिये।

(3.20 अपराह्न से)

जिस तरह से कहानियों को रंग कर और गन्दी तस्वीरें लगती हैं इनसे लड़कियों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। मैं कहता हूं कि ऐसा न करके बल्कि उन लोगों की तस्वीरें अखबारों में छापी जानी चाहिये जो लोग रेप करते हैं। बार-बार यह बात यहां आयी है कि पुलिस कर्मियों ने औरतों के साथ थानों में रेप किया है, उनकी तस्वीरें अखबारों में आनी चाहिये। जो रेप करते हैं अगर उनकी तस्वीरें समाज के सामने आने लगें तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि रेप की गिनती कम हो जायगी क्योंकि एक अखबार में मैंने देखा था कि रेप करने वाले की फोटू अखबार वालों ने खींच ली तो उस रेप करने वाले ने अपना मुंह अपने स्वेटर से ढक लिया कि कहीं उसका चेहरा न आ जाय। इसके माने हैं कि रेप करने वाला समझता है कि यह बुरा काम है और अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि रेप हो जाने वाले के साथ ही साथ रेप करने वाले की भी तस्वीर अखबारों में जरूर आनी चाहिए। यदि अखबारों में ऐसे लोगों की तस्वीरें छपेगी तो इसमें कमी जरूर आयेगी।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अप्रैल, 1981 में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा था कि एक उर्दू सेल बनायेंगे, पर मुझे अफसोस है कि वह सेल अभी तक बना नहीं है। हमारे भूतपूर्व सूचना मंत्री, श्री काशी नाथ जी बैठे हुए हैं, आप क्या बनाते क्योंकि आप तो पण्डित हैं। खैर, मैं इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि अभी यहां पर ऐसी बातों पर एतराज हो चुका है। मैं आखिरी बात उर्दू के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने उर्दू के बारे में जो बातें कही हैं, वही मैं भी कहता हूं कि उर्दू के विवाद को लेकर प्रदेश के लोगों में काफी जहनी बंटवारा रहा है, जद्दोजहद रही है, कुछ उसके मुआफिक हैं तो कुछ उसकी मुखालफत में हैं। आप यह कहकर छुट्टी पा लेना

चाहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा किया और वैसा किया। जनता सरकार ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। फलां लीडर ने ऐसा किया है, वैसा किया है, चुनांचे सरकार इसे नहीं करेगी।

मैं कहता हूं कि आप उन सब बातों को छोड़िये और यह देखिये कि जनता क्या चाहती है। सरकार ने उर्दू को दूसरी सरकार जबान बनाने का ऐलान किया था। यह आपकी नैतिकता का तकाजा है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसका इलेक्शन मेनिफेस्टों में एलान करके नहीं किया, आप नेकनीयती से इसे करें और उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने का ऐलान करें। मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि आपके सूचना विभाग ने 1981-82 में एक पैसे की उर्दू की किताब नहीं खरीदी है जो उर्दू दोस्ती का सुबूत है मैं इन तमाम चीजों पर बल देता हूं और निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी बातों को मानें और बजट वापस लें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं बहुत आभारी हूं इस पक्ष के और उस पक्ष के माननीय सदस्यों का कि जिनके सुझाव आये और जिन्होंने इस विभाग के बजट पर अपने विचार व्यक्त किये। विचारों के संकलन की बात आयी तो कुछ लोगों ने जो शंकायें उठाई हैं, उसको मैं कहूंगा। कटौती का प्रस्ताव भाई आजम खां ने रखा है। इन्होंने कहा कि नौटंकी और सिनेमा देखना ऐश्याशी है। मैं तो भूल ही गया था कि आप रामपुर के हैं जहां नाटक, सिनेमा नहीं, शारीरिक ऐश्याशी पसन्द की जाती है।

जहां तक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की बात है तो हमने 5 सूचना अधिकारियों की जगहों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्यूजीशन भेज दिया है। अब शासन ने निर्णय लिया है कि एडहाक बेसिस पर यह पद शेड्यूलकास्ट से भर लिए जायं, इसलिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

भाई आजम खां ने पालेकर अवार्ड के बारे में कहा है। शासन ने इसे स्वीकार किया है, सरकार इस बात को गम्भीरता से लेती है कि अखबार वाले इसका परिपालन करें। इसके लिए श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी गई है और जो इसका पालन नहीं करेगा या जो नहीं कर रहा है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया गया है। विशेष रूप से इसे लागू करने का हमारा उद्देश्य है और हमने इसका संकल्प भी किया है और उसे किया जा रहा है। तीसरी चीज आपने उठाई, आपने कार्ड के बारे में। श्रीमन्, किसी चीज का ग्रेस होता है। आपने कहा कि एम0 एल0 ए0 को भेजे गये और श्रीमन्, विधायकों के अतिरिक्त 4 अधिकारियों को भेजे गये, विभाग के थे। आपने कार्ड के मूल्य का जिक्र किया तो इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको निमंत्रण दें और एक पुर्जी पर लिखकर भेज दें, तो अच्छा नहीं लगता है। आप भी कहेंगे कि दिल से नहीं बुलाया है तो किसी चीज में ग्रेस होता है। उस को करना पड़ता है। इस पर आपने जो एतराज किया, वह तो मैं समझता हूं कि वह बौद्धिक पतन वाला और लचीला है।

मान्यवर, 7 अखबारों को विज्ञापन देना बन्द करने की बात कही गई। जनताप्रसार से प्रजातंत्र को लाने का प्रयास किया गया है। इस काम को करने

[श्री गुलाब सेहरा—]

के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से कमेटियां गठित की गई हैं। प्रेस मान्यता समिति, पत्रकार जिला स्तर समिति, उत्तर प्रदेश विज्ञापन मान्यता समिति बनी है। दूसरे प्रेस परामर्शदात्री समिति, पत्रकार कल्याण कोष संचालन समिति।

अभी एक प्रश्न उर्दू के बारे में उठाया गया, तो श्रीमन्, इस बारे में उर्दू सलाहकार समिति का गठन किया गया है, अभी मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि मेरठ के तीन अखबारों को विज्ञापन देना बन्द कर दिया है। मान्यवर, इन तीनों अखबारों ने साम्प्रदायिक दंगों को तेजी से बढ़ाया और वहां के माहौल को खराब किया। जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई है, भारत सरकार की भी रिपोर्ट इन अखबारों के खिलाफ आई, इसलिए विज्ञापन इनको देना बन्द कर दिया गया है। दैनिक "प्रकाश" अलीगढ़ से निकलता है। भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार द्वारा इस पत्र का प्रसार अप्रमाणित कर दिया गया है और उसके आधार पर डी० ए० वी० पी० द्वारा इस पत्र को विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है। चूंकि इस पत्र को डी० ए० वी० पी० के अनुरूप प्रदेश में मान्यता दी गयी थी इसलिए विज्ञापन देना बन्द कर दिया गया है।

श्रीमन्, हिन्दी पाक्षिक 'लोक शक' यह कानपुर से निकलता है, इसको 8 पृष्ठों का निकालना चाहिए, परन्तु यह कभी भी 6 पृष्ठ और 4 पृष्ठ से अधिक का नहीं निकला, इसलिए इसको सूची से निकाल दिया गया है।

इसी प्रकार से हिन्दी साप्ताहिक "नक्कार", जो, मुजफ्फरनगर से निकलता है, उसकी 1,000 प्रतियां छापी जानी चाहिये लेकिन यह कभीभी 400 से अधिक नहीं छपा। हिन्दी साप्ताहिक "आदि शक्ति", जो लखनऊ से निकलता है, यह अनियमित है, इसको भी सूची से निकाल दिया गया है। एक विज्ञापन कमेटी है वही इन सब चीजों पर निर्णय लेती है।

मान्यवर, एक चीज हमने की है जो बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है। हमने सूचना विभाग के कर्मचारियों के लिए सर्विस रूल्स बना दिये, हैं और वह लागू हो गये हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा, श्रीमन्। चलचित्र निगम में 4 व्यक्तियों की एक सेलेक्शन कमेटी है, जो चुनाव करती है। अनुसूचित जाति के लोगों के कोटा पूरा करने की बात कही गयी, 5 जिला सूचन अधिकारियों के पदो पर अनुसूचित जाति के लोगों को एडहाक बेसिस पर नियुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं उठायी गई है और इस पर कोई जिद नहीं होनी चाहिए। मिली-जुली चीज है। मैं उनसे निवेदन करूंगा और बड़े आग्रह के साथ निवेदन करूंगा कि यह जो प्रचार का काम है और इसमें हमने कई घोषणायें भी कर दी हैं। आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, कुछ लचीलापन भी आना चाहिए। रामपुर के चाकू की तरह कड़ा मत बनिये, उसके फल को ढीला कीजिये और अपने प्रस्ताव को वापस लीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मुहम्मद आजम खां से)—आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, क्या कोई शरीफ आदमी अपनी बात को वापस लेता है ?

अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,02,48,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग तथा अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग

राजस्व तथा न्याय राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,43,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, इससे पहले कि इस पर विचार प्रारम्भ हो, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा । जहां तक अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग का सम्बन्ध है उसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन खरीदने की बात है जिसमें एक मशीन के ऊपर 5,300 रुपये लगेंगे । भारत निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया है कि वह तीन वर्ष के अन्दर इलेक्ट्रोनिक्स वोटिंग के द्वारा चुनाव करना चाहता है । इसलिये इस मद पर 11 करोड़ 29 लाख रुपये इस वर्ष रखा गया है । इलेक्ट्रानिक्स मशीन के द्वारा चुनाव कराने से बहुत फायदे हैं । एक तो यह है कि कोई वोट इन्वैलिड नहीं होगा । दूसरी बात यह है कि मत-पत्रों के छपाने पर जो अधिक व्यय होता है वह भी करीब-करीब समाप्त हो जायेगा । इसके अतिरिक्त अधिष्ठाता महोदय इसके प्रयोग से बहुत कम लोगों की जरूरत होगी, बहुत कम गाड़ियों की जरूरत होगी ।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

फिर चोरी कैसे करेंगे ?

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

बोलने दीजिये जरा कानून की बात समझिये ।

श्री राम नरेश शुक्ल—

उस मशीन में ऐसा है कोई गड़बड़ी कर सकता है । जब एक आदमी अन्दर जायेगा और वहीं पर मशीन में बैलेट पेपर रहेगा और जहां पर चिन्ह लगाना चाहेगा उसमें बटन दबायेगा और उसका वोट पड़ जायेगा एक "सू" की आवाज आयेगी तो फिर दूसरी जगह बटन नहीं दबा सकता है । तो इसका परीक्षण कर्नाटक और आंध्र के चुनावों में हुआ उसके बाद दिल्ली में भी हुआ । इसके अलावा इसमें क्षेत्रीय परिषदों, जिला परिषदों, नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं के चुनावों के लिए भी धनराशि रखी गयी है । मेरा निवेदन है कि यह अनुदान संख्या 28 ऐसा अनुदान है जिसमें कोई विवाद शायद ही हो, हां अगर कोई जिद्दत विवाद करना चाहे तो दूसरी बात है ।

जहां तक न्याय का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि वर्ष 1982–83 में 15 करोड़ 15 लाख 43 हजार रुपया रखा था और इस वर्ष 17 करोड़ 62 लाख 52 हजार रखा है जो थोड़ा सा फर्क है । वह इसलिए हुआ कि वेतन आयोग के बाद वेतन में वृद्धि हुई और कुछ आकस्मिक व्ययों में वृद्धि के लिए है । 1982–83 में नये पदों के सृजन हुआ उसमें थोड़ा सा 3 लाख 49 हजार है । इसके अलावा एक एम्बेसेडर गाड़ी उत्तरकाशी के खर्च के लिए है और 50 हजार रु0 महाधिवक्ता को किताब खरीदने के लिए है । इसी तरह न्यायालयों में एक बहुत जरूरी चीज थी अग्नि संकेत–फायर एलार्म के लिए और उसके साथ-साथ फायर इक्सटेंग्युशर–अग्निशमन के लिए तो इससे थोड़ा बड़ा है । इस तरह से थोड़ा सा खर्च उच्च न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, सरकारी न्यास आदि पर व्यय होगा ।

एक जरूरी चीज और है जिसमें आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का सहयोग चाहता हूं वह लीगल सैल की, जिसको हमने हाईकोर्ट, इलाहाबाद तथा लखनऊ बेंच में स्थापना की तथा सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वाटर पर भी यह सुविधा है । मैं बताना चाहता हूं कि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक इसमें कामयाबी नहीं हो सकती है । जहां–जहां यह रुपया दिया गया वहां पर पूरा क्या आधा भी खर्च नहीं हुआ है । इस लीगल एड के लिए 6 लाख 13 हजार रु0 रखा गया है । मान्यवर, इस वर्ष मैं दौरे पर अलीगढ़ गया था तो वहां बताया गया कि जिले में कानूनी सहायता और परामर्श समितियों में काम करने के लिये कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं हैं, इसलिये अंशकालिक कर्मचारियों को शुल्क दिये जाने हेतु आय–व्ययक में 53 हजार रुपये रखे गये हैं कि 2–3 घंटे कोर्ट में पार्ट टाइम काम करें ।

अधिष्ठाता महोदय, लम्बित वादों की संख्या पहले से अधिक है इसलिये इस दिशा में सरकार ने प्रयत्न किये हैं लेकिन उसके बावजूद भी पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके अनेक कारण हैं जैसे बढ़ती हुई आबादी,

नगरीकरण, इंडस्ट्रीलाइजेशन हुआ, इसके अलावा नैतिकता का ह्रास हुआ। जब गांव में जाते हैं तो पंचायतों में सुना है कि पंडित जी यहां सही बात कहेंगे, कचेहरी थोड़ी है कि गलत कहेंगे। इसलिये नैतिकता इस हद तक पहुंच गयी है कि कचेहरी में झूठ बोलना जायज मान लिया गया है। लेकिन इस लम्बित वादों को निपटाने के लिये कचेहरियों की संख्या बढ़ाई गयी है और आप देखें तो 1971 में 600 के लगभग थीं, 1974-75 में 871 थीं और पहली जनवरी, 1983 को 1350 न्यायालय इस समय हो गये हैं।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अपराधों के शीघ्र निर्णय हों, तो 6 पर्वतीय जिलों और कानपुर (देहात) को छोड़कर प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायाधीश यानि 50 जगहों पर उनकी नियुक्ति कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त डकैती प्रभावित जिले जो 12 हैं वहां स्पेशल कोर्ट्स खोल दिये हैं और वहां जजेज की नियुक्ति हो गयी है और 10 जिलों में एक-एक, इटावा और कानपुर देहात में पहले एक था, अब दो-दो और बढ़ा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत उ0 प्र0 में उत्पन्न मामलों के निस्तारण हेतु इलाहाबाद में न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय खोल दिया गया है।

मान्यवर, अब मैं एक खुशी की बात आदरणीय सदन को बताना चाहूंगा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1093 की धारा--61 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके कृषक की किसी उपज के दो तिहाई भाग को डिक्री निष्पादन में कुर्की या विक्रय के दायित्व से छूट प्रदान की गयी है।

अधिष्ठाता महोदय, दूसरी चीज यह है, वह भी खुशी की बात है। अभी तक जो इस प्रदेश के निवासी थे, उनको न्याय नहीं मिल पाता था, गरीब थे, उनकी आमदनी की सीमा अब 5 हजार रुपये तक बढ़ा दी गई है, यह पहले 35 सौ रुपया थी। इन लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श दिया जाएगा। यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति और आदिवासी जाति के हों या महिला अथवा बच्चे हों, उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो कोर्ट-फीस हैं, उसका राशनलाइजेशन करने के लिए यह प्रदेश भी केन्द्र के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और इस सम्बन्ध में ला मिनिस्टर्स की कान्फ्रेंस हो रही हैं, उसका निर्णय शीघ्र आ जाएगा तो कितनी किस हद तक कोर्ट फीस से मुक्ति दी जाएगी, इसका निर्णय शीघ्र हो जाएगा।

इस विषय में मैं आपके द्वारा सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा करके अपने सुझाव हमारे यहां तक पहुंचाने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी नीति यह है, हमारे मुख्य मन्त्री की नीति यह है कि हम न्याय को गांवों तक पहुंचावें। तहसीलों को हम पहले डेवलप करना चाहते हैं और इस समय जो 38 तहसीलें हैं, उनमें 79 कोर्ट्स हैं, जो पूरे तौर पर फंक्शन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त 30 तहसीलों में न्यायालय भवन इस समय निर्माणाधीन हैं और हमें आशा है कि वे शीघ्र बन जायेंगे और हम वहां पर मुंसिफों को फौरन नियुक्त कर देंगे। विकेन्द्रीकरण की यह श्रृंखला हम जल्दी से जल्दी पूरा करने के प्रयास में हैं। एक बात मैं और कहूंगा, जि

[श्री राम नरेश शुक्ल--]

सदस्यगण प्रसन्न होंगे । एक प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में छुवाछूत सम्बन्धी मुकदमों और हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी मुकदमों को निपटाने के लिए अलग से नियुक्त कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मैं इस सदन का और ज्यादा समय नहीं लूंगा । अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी सदस्यों के रचनात्मक सुझाव आमन्त्रित करता हूं । यह बात सही है और हम यह मानकर चलते हैं कि हमारा विभाग ऐसा है, जैसे रस्सी पर चलना होता है । हम अपनी कमियों को भी जानते हैं और उनको अपने ढंग से ठीक करने की फिक्र में रहते हैं मैं तो यह सोचता था कि यह एक ऐसा विभाग है, न्याय विभाग, जो किसी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी का विभाग नहीं है और इसमें अगर कोई कटौती न दे, तो एक बड़ी अच्छी परम्परा बनेगी । न्याय विभाग, एक्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर में से एक तीसरा विभाग है, जो सभी विवाद से परे हैं । इस धारणा से अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे सदस्य और खासकर हुकम सिंह जरूर राजी होंगे, क्योंकि वह कानून के जानकार हैं और वह इस पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं लायेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29--न्याय विभाग, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज आम आदमी का विश्वास इस देश की न्याय प्रणाली से उठता जा रहा है । जनतन्त्र में गरीब आदमी, आम आदमी की अन्तिम आशा न्याय पालिका होती है । लेकिन आज वह आशा भी धूमिल ही नहीं बल्कि प्रायः समाप्त होती जा रही है । आज आम आदमी गरीब आदमी अच्छी तरह से जानता है कि इस देश और प्रदेश में न्याय को पैसे के बल पर खरीदा जा सकता है और खरीदा जा रहा है । मान्यवर, हमारे संविधान निर्माताओं ने न्याय पालिका को कार्यपालिका और विधायिका के साथ में बड़ा सम्मानपूर्ण स्थान दिया था और यह जानते हुये दिया था कि प्रजातन्त्र जनतन्त्र तभी जीवित रह सकता है जब निष्पक्ष, सुलभ और स्वतन्त्र न्याय पालिका हमारे देश में हो । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज वह आस्था टूटती और समाप्त होती जा रही है । इसके बहुत से कारण है । आजादी से पहले और उसके बाद न्यायपालिका की ख्याति हमारे देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी थी । लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से केन्द्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी का राज्य हुआ है, न्याय में ह्रास बराबर प्रारम्भ हो गया । पिछले कुछ वर्षों में, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं, कांग्रेस (आई) के नेताओं ने, कमिटेड, जुडीशियरी, प्रतिबद्ध न्यायपालिका की बात की । इनका जो कमिटड जुडीशियरी का कांसेप्ट था यह संविधान के प्रति कमि-

टेड जुडीशियरी का नहीं बल्कि इनकी पार्टी और इनकी पार्टी की नीति के प्रति कमिटेड होने की इन्होंने बात कही। जब से न्यायपालिका में राजनीति घुसी है तब से न्याय पालिका की प्रतिष्ठा समाज में प्रायः समाप्त होती जा रही है जिसके लिये सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। मैं इस बात की पुष्टि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री वी० डी० तुलजापुर कर के बयान की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने पूना में जो भाषण दिया था उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा।

"दि रिसेन्ट प्रैक्टिस आफ अप्वाइंटिंग जजेज विद ए पोलिटिकल बैक ग्राउन्ड इज क्वाइट डिस्टर्बिंग एन्ड फिनीसेज जस्टीफियेबुल ग्राउन्ड्स फार रेजिंग दि फन्डामेन्टल क्वेश्चन ह्वेदर दि कन्ट्री सुड हेव पोलिटिशियन ऐज जजेज।"

जस्टिस तुलजापुर कर ने इंडियन ला इंस्टीट्यूट में बोलते हुए एक बात और कही कि :--

> "इफ जजेज स्टार्ट सेंडिंग बंकेट एन्ड कांग्रेचुलेटरी लेटर्स आफ ए पोलिटिकल लीडर आन हिज पोलिटिकल विक्टरी एनलोजिसिंग हिम आन एजम्पशन आफ ए हाई आफिस दि पिपूल्स कान्फीडेन्स इन दि जुडिशियरी शैल बो शेकेन।"

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, इसका हिन्दी में अनुवाद करा दें।

श्री नरेन्द्र सिंह--

मैं हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं। आज देश को ऐसे न्यायाधीशों की आवश्यकता है जो राजनीति से दूर हों और अपने कार्य के प्रति सच्चे हों। राजनैतिक पृष्ठ भूमि के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्तियों की प्रथा बहुत चिंताजनक है। और इसी कारण यह मौलिक प्रश्न उठाया जाना न्यायसंगत हो गया है कि "क्या देश में राजनैतिक व्यक्तियों को न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिये।"

"अगर न्यायाधीश किसी राजनैतिक व्यक्ति को, उसकी राजनैतिक विजय के अवसर पर फूलों के गुलदस्ते तथा बधाई पत्र भेजते हैं और उनके उच्च पद ग्रहण करने पर उनकी प्रशंसा करते हैं तो आम जनता का विश्वास न्यायपालिका की निष्पक्षता में समाप्त हो जायेगा।"

मान्यवर, अभी हाल ही में जो हुआ उसको कहना असंगत नहीं होगा। अभी एक प्रसिद्ध केस जो "पटना कोआपरेटिव बैंक फाड केस" के नाम से प्रसिद्ध है... जिसमें कि बिहार के मुख्य मंत्री उस केस में इन्वाल्व थे। शर्म आती है मान्यवर, एक न्यायाधीश, जो आज कांग्रेस (आई०) के माननीय संसद सदस्य हैं। चुनाव लड़ने का नोटिफिकेशन हो चुका था, उसके बावजूद भी उस निर्णय को दिया, अच्छा होता कि वह उस बेंच से अलग हो गये होते, कम से कम जुडिशियरी की न्यायपालिका की गरिमा बनी रहती उसके बावजूद जो सारे समाचार पत्रों की टिप्पणी है। ट्रिब्यून ने लिखा है--

"ला एन्ड दि पोलीटिशियन" पोलिटिकल डेलिगनेन्सी हैज रीच्ड ए लेवेल ह्वेयर फियर आफ दी ला सीम्स टु बी अबसेन्ट दि अन्तुलेज, दी गुन्डू रावज, दि जगन्नाथ

[श्री नरेन्द्र सिंह---]

मिश्र आफ दि लैंड स्टिल स्ट्रीट एबाउट विद इम्पोरिटी बिकाज दि ला आन प्रासीक्यूसन आफ पोलिटिकल अफन्सेज रिमेन्स, टू ब्हेन दि नेशन्स हाइएस्ट बाडी नाऊ हैज ए चांस टु हेल्प रिमूव दिस लीगल अब्सरडिटी ।"

मान्यवर, स्थिति इस स्तर पर पहुंच गयी कि वहां पर कानून का भय समाप्त हो गया है । अन्तुले, जगन्नाथ मिश्र, गुन्डूराव, बिना किसी भय के स्वच्छंद घूम रहे हैं । सजा देने वाले कानून के दांत नहीं हैं । अब ऐसी स्थिति में कानून की विसंगति को दूर करें । मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेन्ट हो गया, अब भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को कोई भय नहीं रहा । मान्यवर, माननीय मित्रसेन का झूठा 395 में चालान हो सकता है । एक 307 का मुकदमा मुझ पर और कई अन्य संसद सदस्यों पर ढाई वर्ष से चल रहा है । यह मापदंड है कांग्रेस (आई0) के लोगों का न्यायपालिका के प्रति आज न्यायपालिका पर पूरी तरह से कांग्रेस (आई0) हावी हो गयी है । अपने प्रदेश में देखें, दो जजेज ने इस्तीफा दे दिये, के0 एम0 दयाल, आर0 सी0 श्रीवास्तव इसी तरह से पहले भी कई लोगों को इस्तीफा देना पड़ा । ऐसा क्यों हुआ, कारण कि उससे कनिष्ठ जो जूनियर जजेज थे, उनको परमानेंट जजेज बना दिया गया और चूंकि सरकार इनसे खुश नहीं थी, लिहाजा इन लोगों को एडहाक जज बनाये रखा गया । जाने और अनजाने में यह सरकार जूडिशियरी की गरिमा समाप्त करती जा रही है और जिसका बहुत ही भयावह परिणाम हम लोगों के सामने आने वाले हैं ।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो ऐसे जजेज हैं, जो सरकार को खुश करते हैं, एक ऐसी परम्परा हो गयी है कि रिटायरमेंट के बाद उन सभी जजों को या तो लोक आयुक्त बना दिया जाता है या किसी कमीशन में एप्वाइंट कर दिया जाता है । मैं जानता हूं कि मिस्टर जगमोहन लाल सिनहा, अगर यह सरकार रही, तो वह कभी किसी कमीशन में एप्वाइंट होने वाले नहीं हैं तो मान्यवर, मैं पहली बात यह कहना चाहता था कि आज देश और प्रदेश में न्याय पालिका में जजों की नियुक्तियां तथा ट्रान्सफर तथा सुपरसीड करके हस्तक्षेप किया जा रहा है ।

दूसरी बात मैं बहुत महत्व की कहना चाहता हूं वह सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में है । माननीय राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, मुझे उनके दर्शन आज पहली बार हुए हैं । उन्होंने एक विशेष जाति के लोगों को सरकारी वकील के पद पर नियुक्त किया है, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है । आज सारे प्रदेश में एक विशेष जाति के लोग सरकारी वकील बने हुए हैं । हो यह रहा है कि आज सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए जितने विधायक हैं, शायद मंत्री जी के पास सैकड़ों विधायक आये हों, और हजारों लोगों ने सिफारिश की होगी सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए । वकील लोग विधायकों के पीछे-पीछे लगे हुए हैं । तो मान्यवर, इस प्रकार की स्थिति सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में है । मान्यवर, अभी इनके लीगल सेल के कोई सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट के के0 एन0 मिश्रा, उनका एक बयान अभी हाल में पायनियर में छपा है 11 फरवरी को, उनका कहना है---

"रिजिगनेशन आफ ए0 जी0 डिमान्डेड-यू0 पी0 सी0 सी0 (आई0) लीगल सेल सेक्रेटरी के0 एन0 मिश्र डिमांडेड दि रिजिगनेशन आफ यू0 पी0 एडवोकेट जनरल एन0 सी0 उपाध्याय गिविंग रीजन्स फार हिज डिमांड आफ दि रिजिगनेशन आफ

दी पार्टी मिस्टर मिश्रा एलेज्ड दैट आल दि काउन्सेल्स हूज नेम्स हैव बीन एनाउन्स्ड दिस वीक हैड डाउटफुल एलीजिएन्स टू दि कांग्रेस (आई0) ऐज सच ही एपील्ड दि चीफ मिनिस्टर टू गेट दि रांगफुल एप्वांइन्टमेंट कैन्सिल्ड। मान्यवर, मैं हिन्दी अनुवाद किये दे रहा हूं--

यू0 पी0 सी0 सी0 (आई0) के कानूनी सेल के मंत्री श्री के0 एन0 मिश्रा ने एडवोकेट जनरल एन0 सी0 उपाध्याय से इस्तीफा मांगा है और आरोप लगाया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सभी स्टैंडिंग काउन्सेल्स की कांग्रेस (आई0) के प्रति वफादारी संदेहयुक्त है और उन्होंने मुख्य मंत्री से अपील की है कि अनुचित नियुक्तियों को समाप्त कर दें।

मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में स्टैंडिंग काउन्सेल्स की जगहें हैं, किन्तु इनकी नियुक्ति में राजनीतिक आधार लिया जाता है, इनकी योग्यता एवं अनुभव तथा इन्टीग्रीटि के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ यह देखा जाता है कि इनके ऊपर कांग्रेस (आई0) का बैज लगा हो। यही इनका मापदंड है, उक्त पदों पर नियुक्ति का। इस प्रकार से लोगों को जो लाभ इनसे मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, बल्कि हानि ही हो रही है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज श्री के0 एन0 सिंह का एक बयान दिनांक 19 जनवरी, 1983 के पायनियर में छपा है, जो इस प्रकार है :

मिस्टर जस्टिस के0 एन0 सिंह आफ दि इलाहाबाद हाई कोर्ट टुडे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड यू0 पी0 गवर्नमेन्ट ला डिपार्टमेन्ट एंड इट्स स्टैंडिंग काउन्सेल्स फार नाट परसूइंग गवर्नमेंट केसेस डिलिजेन्टली।

मान्यवर, मैं हिन्दी अनुवाद किये दे रहा हूं--

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति श्री के0 एन0 सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार के कानून विभाग तथा स्टैंडिंग काउन्सेल्स की कड़ी आलोचना की है कि वे सरकारी वादों की पैरवी में कोई परिश्रम नहीं करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जस्टिस के0 एन0 सिंह के इस स्ट्रिक्चर के बाद आपने दोषी पाये जाने वाले काउन्सेल्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की? कुछ नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी से सम्बन्धित हैं। उनका बयान है कि सैकड़ों रिट पिटिशन्स सरकार की तरफ से कोर्ट से हाईकोर्ट से खारिज हो रही हैं। इस हाईकोर्ट के न्यायाधीश इतने वरिष्ठ न्याय धीश, उनके बयान की पुष्टि में मैं कहना चाहता हूं कि यह स्थिति आपकी है, यह पक्षपात की वजह से है। मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं, आपका मापदंड क्या है। मान्यवर, मेरठ की मिसाल देना चाहता हूं। एक वेद प्रकाश शर्मा हैं, यह ए0 डी0 जी0 सी0 थे, उन्होंने डी0 जी0 सी0 क्रिमिनल के लिए एप्लाई किया था। जज द्वारा भेजे गये पेनल में इनका टाप पर नाम था। लेकिन इनका नाम माननीय मंत्री जी के यहां से वापस हो गया, क्योंकि इनके पिता शिवचरण 1930 में, 50-52 साल पहले चौधरी साहब के मुन्शी थे। तो उस का यह दुर्भाग्य है कि उसके पिता चौधरी साहब के मुन्शी थे, इसलिए राजनैतिक द्वेष से उसका नहीं हो सका। यह इनका मापदंड है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आगरा में एक ए0 डी0 जी0 सी0 बन गये हैं श्री वीरेन्द्र कटारा। यह एक हत्या केस के मुल्जिम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें दंड मिल गया, अपील में छूटे।

एक दूसरे हैं श्री मुन्नी लाल यह डकैती स्पेशल न्यायालय में वकील के रूप में काम करते हैं। मान्यवर, इनके बारे में इनके न्यायाधीश ने यह लिखा है कि यह

[श्री नरेन्द्र सिंह--]

कुछ नहीं जानते हैं, अयोग्य व्यक्ति हैं, इनको हटा दिया जाय, लेकिन ये अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं। मान्यवर, इसलिए मेरा यह कहना है कि यह परम्परा गलत है जो हमारे पिछले शासन में हुआ, उसमें भी इस परम्परा को गलत मानता हूं। इसके लिए मेरा सुझाव है कि अगर न्यायपालिका को ठीक से चलाना है तो इसके लिए एक स्थायी समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें आपके एडवोकेट जनरल हों, एल० आर० हों, हाईकोर्ट के सिटिंग जजेज हों। मान्यवर, डी० जी० सी० की नियुक्ति के लिए जिलाधीश की राय हो, और यह नियुक्तियां 5 वर्ष के लिए हों। तो मान्यवर, अगर परमानेंट कमेटी बनेगी तो उसमें छंट कर लोग आयेंगे उससे आम जनता का काफी भला हो सकता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अपने कार्यकाल में वे इस कार्य को अवश्य करें, यह बहुत बड़ी बात होगी। आप स्थायी समिति का गठन करें।

इस वक्त हाई कोर्ट में एक लाख 85 हजार 962 केसेज हैं। पिछले साल 1 लाख 55 हजार 629, और इसमें एक लाख 10 हजार केसेज हैं। एक हजार केसेज ऐसे हैं जो 10-12 साल से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं। श्रीमन् यह हाई कोर्ट की हालत है। मान्यवर, न्याय प्रशासन की जो पुस्तिका मिली है इसमें 13 लाख केसेज पेन्डिंग दिखाये गये हैं और ला डिपार्टमेंट बड़ी होशियारी से एक शब्द लिख देता है कि इसके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मान्यवर, असलियत यह है कि कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से इन लम्बित वादों को समाप्त करने के लिए।

मान्यवर, संविधान के तहत यह अधिकार है कि एडहाक जजेज की नियुक्ति की जा सकती है। उनकी संख्या को बढ़ाकर इसको किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि सरकार 3 साल 5 साल का एक टाइम बाउन्ड प्रोग्राम रखें और उस समय के अन्दर इन लम्बित वादों का निस्तारण कर दें। मान्यवर, आज हालत क्या है हाई कोर्ट में 10 एडीशनल जजेज के और 6 परमानेन्ट जजेज के स्थान खाली हैं। यह बात नहीं है कि इनको कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। बल्कि बात यह है कि इनको कोई कमिटेड आदमी नहीं मिल रहे हैं। जो इनको बान्ड भर कर दे और इनकी मर्जी का काम करें।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कितना समय लेंगे आप ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। मेरा निवेदन है कि सरकार का ध्यान बिल्कुल इस तरफ नहीं है और सरकार बराबर इसकी उपेक्षा कर रही है। 1978 में जस्टिस खन्ना ने ला कमीशन आफ इन्डिया 77 रिपोर्ट डिले एन्ड एरियर्स इन ट्रायल कोर्ट्स में बड़े विस्तार से बताया कि किस-किस स्टेज पर डिले होता है और किस प्रकार इनका निस्तारण किया जाय। मेरा सुझाव है कि यू० पी० सरकार इसकी समरी बनाकर सभी जजों से निवेदन करें कि वह इस प्रकार लम्बित वादों का निस्तारण करें। कभी पुलिस, कभी सरकारी वकील और कभी वकील झूठी ग्राउन्ड्स पर डिले करते हैं। मेरा सुझाव है इस प्रकार झूठे ग्राउन्ड्स पर जो मुकदमों में डिले करते हैं इनके ऊपर पेनाल्टी होनी चाहिये। ताकि इस प्रकार की जो डिले होती है उस पर रोक लगाई जा सके।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि यह सरकार भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकती है क्योंकि यह सरकार स्वयं पूरी तरह से भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। भ्रष्टाचार को यह सरकार दूर करेगी ऐसी आशा मैं नहीं करता। लेकिन कम से कम एक बात यह सरकार कर दे जो इतना छोटा बजट लाया गया है 14 करोड़ कुछ का। यह इतने बड़े प्रदेश के लिए, जिसकी आबादी 12 करोड़ है, जनसंख्या के आधार पर इसको 4 गुना होना चाहिये था। आज हालत क्या हो रही है। हाई कोर्ट के जो अच्छे जजेज थे उन जजों ने इस्तीफा देकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसकी जांच होनी चाहिये कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाई कोर्ट के जजों का पद इतना आकर्षक होना चाहिये कि देश में कोई पद उससे बढ़कर न हो। हाई कोर्ट के जजों के पद की गरिमा को बढ़ाया जाना चाहिये। मान्यवर, आप देखें बी0 डी0 ओ0 और सब इंस्पेक्टर के लिए थाने में जीप की व्यवस्था है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि इन जजों की इम्युनिटीज और एलाउन्सेज बढ़े तो मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है।

माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया निर्बल वर्ग को मुफ्त कानूनी सलाह और परामर्श के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि यह योजना 3 साल से चल रही है। अगर आप सर्वे करा लें तो आप देखेंगे कि इसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि सलाहकार समितियों का गठन भी राजनीतिक आधार को लेकर किया गया है। उसमें योग्य कौंसिल नहीं है इसलिए यह योजना ठीक प्रकार से नहीं चल रही है यह मेरा सुझाव है।

मान्यवर, निर्वाचन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। वह विभाग की तो ऐसी स्थिति है कि इस सरकार से इसके सुधार की कोई आशा नहीं है। आज आसाम का चुनाव हमारे सामने है। निर्वाचन में कितना कालाधन का दुरुपयोग होता है, कितनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है और विशेषकर इस उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि निर्वाचन विभाग के अन्दर जो स्थिति है उन्होंने पैदा कर दी है, आगे आने वाले समय में कोई अच्छा आदमी, भला आदमी चुनाव लड़ने का नाम नहीं ले सकता। एक उदाहरण देना चाहता हूं, पी0 सी0 कक्कड़, डी0 आई0 जी0 हैं गढ़वाल में, बागपत काण्ड के समय वहां थे, गढ़वाल चुनाव आ गया बहुगुणा जी का, उनको सुपरसीड कर दिया गया। बहुत आनेस्ट, बहुत बढ़िया डी0 आई0 जी0 हैं, बहुगुणा के खिलाफ मदद करने के लिए कहा गया, और इसी के लिए उनको सुपरसीड कर दिया गया। उन्होंने इस्तीफा भी कन्डीशनल दिया। तो इस विभाग से क्या आशा की जा सकती है? इसलिए मुझे उम्मीद है, मंत्री जी, हमारा यह कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आप लोग समय का जरूर ध्यान रखें।

*श्री श्याम लाल वाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, निर्वाचन और कानून विभाग का बजट माननीय न्याय राज्य मन्त्री द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, आपको विदित है कि यह विभाग माननीय मुख्य मन्त्री जी से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम लाल वाजपेयी--]

सम्बन्धित है और पिछले काफी समय से इसका संचालन माननीय न्याय राज्य मंत्री द्वारा किया जा रहा था। मान्यवर, अभी हमारे विद्वान साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उसे मैं ध्यान से सुन रहा था। मैंने सोचा था कि उनके द्वारा कोई मौलिक बातें रखी जायेंगी परन्तु वही कुछ अंग्रेजी के पन्नों से उतार कर लाये और वही रख कर पढ़ दिया। इससे न तो कोई सदन को आकर्षित कर सके और न कटौती के प्रस्ताव को सजीव बना सके। मैं आपके समक्ष सदन में गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि जो हमारे वर्तमान न्याय राज्य मन्त्री हैं....

(श्री हुकम सिंह द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

हुकम सिंह जी विश्वास करें, अच्छे हैं। मैं अन्तर्मन से कहता हूं अच्छे हैं। 80 में इस विधान सभा का गठन हुआ था। आये दिन चर्चा सुनने को मिलती थी कि न्याय विभाग में यह डी0 डी0 सी0 नहीं हो पाया, कहीं वह नहीं हो पाया लेकिन यह गौरव राज्य मंत्री को हासिल है कि उन्होंने बहुत थोड़े समय में हर चीज को, समझ-बूझ कर जिले-जिले की बातों को ध्यान में रख कर बड़ी सुनिश्चितता के साथ, निर्धारित किया। आपने समय की सीमा बांध दी है मान्यवर, कानून से अपना भी सम्बन्ध था, है और हमेशा रहेगा। कुछ चन्द सुझाव भी हैं इस विभाग के बारे में। यह हर जिले में जो ए0 डी0 जी0 सी0, पैनल लायर या डी0 जी0 सी0 आदि की नियुक्तियां होती हैं, इस सम्बन्ध में शासन से नम्र निवेदन है कि इन नियुक्तियों को अल्पकालिक या दैनिक मजदूरी के आधार पर नहीं बल्कि पूर्णकालिक करना चाहिए। चाहे उन विद्वान वकीलों के बीच से ही चयन की पद्धति सोंचे। इससे इस सम्मानित सदन के सदस्यों का बहुत बोझ हल्का हो जायेगा। जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है, उसी के पीछे-पीछे एक रेला चला आता है और यह कोशिश करता है कि उनको डी0 जी0 सी0 बनवा दिया जाये या लाइयर्स के पैनेल में रख दिया जाये। तो यह चीज दूर होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि शासन स्तर पर इस पर गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिये और इस प्रथा को बजाये अल्पकालिक या दैनिक मजदूरी प्रथा के पूर्णकालिक करना चाहिये।

मान्यवर, न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है और जनता के हृदय में न्यायपालिका के लिये अभी भी सम्मान बना हुआ है। पर जिस प्रकार से समाज के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आई है, वैसे ही न्यायपालिका में भी गिरावट आई है। आज जो नये-नये लोग जूडिशियल मैजिस्ट्रेट और मुंसिफ आये हैं उनका हाल वैसा ही है जैसा कि इन नये-नये आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 बछड़ों का देखने में आता है। वे बहुत जल्दी लखपती और करोड़पती बनना चाहते हैं। आज जब वे थाने के इन्सपेक्टर से सिनेमा के टिकट मंगाते हैं, घूमने के लिये जीप मंगवाते हैं, तो समझ लीजिये कि इसका क्या असर होगा। इसलिये इनकी ऐसी व्यवस्था मान्यवर, मंत्री जी करें ताकि इन बातों पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त, आप कृपया समाप्त करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

लखनऊ का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । यहां पर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं जो कि हर वक्त अपनी अदालत में बैठकर माननीय वकीलों से बदजबानी करते हैं । इसके खिलाफ सारे वकीलों ने कोर्ट का बहिष्कार किया, हड़ताल भी की, मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, मगर आज तक वह मैजिस्ट्रेट हटाये नहीं गये । सम्मानित वकीलों को रोजाना अपमानित होना पड़ रहा है । मेरा निवेदन है कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वकीलों का सम्मान बना रहे ।

हमारी सरकार का एक मुख्य लक्ष्य है कि निर्बल और गरीब लोगों की सहायता करना और उसके लिये मुफ्त कानूनी सलाह दिलवाना । इसके लिये जो आपने धनराशि 3,300 रुपये रखी थी जिसे बढ़ाकर 5,000 हजार कर दिया है, यह सराहनीय कार्य है, मगर मेरा अनुरोध यह है कि आप कोई ऐसा व्यवहारिक कदम भी उठायें जिससे कि निर्बल वर्ग तक सहायता वास्तव में पहुंच सके ।

एक सुझाव यह और है कि मुख्यालयों पर जो मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की अदालते हैं, उनको आप तहसील स्तर पर ले जायें, जब वे तहसीलों में होंगी तो तहसील के आदमी को दौड़ कर मुख्यालय नहीं आना पड़ेगा ।

अंत में मैं माननीय न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और अपने साथी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, अपने संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के लिये व्यवस्था है । पर देखना यह है कि न्याय व्यवस्था में हमारे सामने क्या-क्या दिक्कतें हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ।

न्याय व्यवस्था के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा मौजूदा पुलिस प्रशासन है । इसके लिये मैं एक उदाहरण बाराबंकी का देना चाहता हूं । बाराबंकी में एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, आर्थिक अपराधों की अदालत के वे न्यायाधीश हैं, उनका नाम है मिस्टर त्यागी ।

(4·20 अपराह्न से)

मान्यवर, उनकी अदालत में एक मुकदमा सरकार बनाम मोनुद्दीन चल रहा था दफा 25 में.....

श्री अधिष्ठाता--

यहां किसी मुकदमें के बारे में बहस न करें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, अनाचार किया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

मुकदमा गलत हुआ या सही, इसकी चर्चा इस सदन में नहीं कर सकते ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, अदालत में पुलिस के अधिकारी चढ़ गये और मजिस्ट्रेट को आतंकित किया, प्रताड़ित किया । 14-4-82 को अदालत में आया । गवाही के लिये गवाह आते हैं और उनका खर्चा निकाला जाता है । थोड़ी देर बाद जब गवाह की पुकार कराई जाती है तो वह गायब मिलता है । ए0 पी0 पी0 ने अदालत को लिखकर दिया कि गवाह बिना बताये कहीं चला गया । अदालत ने गवाह के खिलाफ नोटिस जारी कर दी और तीन बजे उसी दिन वह हाजिर होता है । इस पर अदालत यह निर्देश देती है कि इसको कस्टडी में ले लिया जाये । अदालत वहीं पर यह (इस समय 4 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।) भी आदेश देती है कि अगर यह 1,000 रु0 की जमानत दें तो इन्हें हिरासत से छोड़ा जा सकता है । कोर्ट मुहर्रिर को उसे लाक-अप में ले जाने के आदेश होते हैं । कोर्ट मुहर्रिर सियाराम ने लाक-अप में न बन्द करके सी0 ओ0, फतेहपुर के कार्यालय में ले जा कर उसे बैठाया । जब यह अदालत को मालूम हुआ तो अदालत ने कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की नोटिस मुहर्रिर के खिलाफ जारी कर दी और 16 तारीख लगा दी । यह एस0 पी0, बाराबंकी, पनलवेल साहब को मालूम हुआ । 16-2 को हाजिरी थी । पनलवेल जिले भर के सारे दरोगाओं को बुलाकर असलहों से लैस होकर, सी0 ओ0, फतेहपुर के साथ, 40 बन्दूक से लैस सिपाहियों को लेकर अदालत की डायस पर आ गये और वहां जाकर मजिस्ट्रेट को आतंकित करने लगे कहने लगे कि हम देखते हैं कि कैसे कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट का मुकदमा चलाते हैं । यह हालत है अदालत की ।

अगर कोई गरीब आदमी अदालत में जाकर निष्पक्ष न्याय मांगता है तो यह होता है । मान्यवर, यह आवश्यक है कि अदालत की सुरक्षा की जाये । बता दूं कि अदालत सुरक्षित नहीं है, निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकते । आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि बार एशोसियेशन, बाराबंकी ने इस मामले को उठाया, शासन को जानकारी दी, फिर भी इतना समय बीत जाने के बाद, पनलवेल, जो बाराबंकी का भू0 पू0 एस0 पी0 है, के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? जानना चाहता हूं कि एस0 पी0 और सी0 ओ0, फतेहपुर के खिलाफ तथा जितने भी सिपाही इस घटना में शामिल थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । हमारे माननीय राज्य न्याय मंत्री जी ने, जो समयोपयोगी एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिये बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता

हूं । इसके साथ ही साथ विपक्ष के माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं । इसमें कोई दो राय नहीं हैं, वह कटौती का का प्रस्ताव रखने के लिये अधिकृत हैं लेकिन न्याय के साथ तो कटौती न करते, तो ज्यादा अच्छा होता । मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे और वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

इसके साथ ही साथ मैं अधिक समय न लेकर माननीय न्याय मंत्री जी को आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । क्योंकि मैं भी व्यावसायिक दृष्टि से वकालत करता हूं ।

मान्यवर, प्रथम सुझाव तो मेरा यह कि न्यायालय में जो हमारे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट होते हैं, जहां पर गवाही सबूत लिये जाते हैं, उनको स्टेनो नहीं दिया गया है जिससे बड़ी दिक्कत होती है । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को भी स्टेनो दिया जाना चाहिये । एडीशनल जज, जो हमारे अपर जिला अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील सुनते हैं, की तनख्वाह अपर जिला अधिकारी से भी कम होती है । इसी प्रकार जुडीशियरी को अन्य सुविधायें भी नहीं मिली हैं जबकि एक्जीक्यूटिव को सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, तो मैं चाहूंगा कि एडीशनल जजेज और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की तनख्वाह बढ़ायी जानी चाहिये ।

मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जिस तरह से हाई कोर्ट्स में अभिवक्ताओं के लिये चेम्बर्स बने होते हैं, चाहे उनको आप कन्सल्टेशन रूम कह दीजिये, उसी प्रकार जिला स्तर पर अभिवक्ताओं के लिये चेम्बर बनाये जाने चाहिये और यदि सरकार का इस पर आर्थिक अभाव होता है तो वहां पर छोटे-छोटे प्लाट उनको दे दीजिये ताकि वे वहां पर चेम्बर्स बना लें और उसकी कटौती उनकी तनख्वाह से कर ली जाय, जैसा कि कुछ जनपदों में ऐसा है । मैंने कानपुर में देखा है इसके लिये एक योजना प्रत्येक जिला स्तर पर होनी चाहिये । कोर्ट्स में अक्सर लिखा देखा गया है कि "वादकारी हित सर्वोच्च है" जिस प्रकार वादकारी का हित न्यायालय के ऊपर है उसी प्रकार न्यायालय का हित अभिवक्ताओं से सम्बद्ध है । जिस तरह से हमें न्यायालय की सुविधा देखनी है, वादकारियों की सुविधा देखनी है उसी तरह से हमें अभिवक्ताओं की सुविधा व हित को देखना है । अतएव मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, अभी एक विशेष बात और है जिस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि समाज के निर्बल वर्ग के लिये जो कानून परामर्शदात्री सहायता की योजना बनाई गई है उसका वास्तव में लाभ निर्बल वर्ग को नहीं मिल पा रहा है । इसके लिये हमारे न्याय मंत्री जी ने शुरुआत में ही स्वीकार किया था कि इसमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता है । मान्यवर, इसमें एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं । लीगल एड कमेटी जनपद स्तर पर बना दी गई लेकिन जब कोई वाद आता है तो इसकी न कोई बैठक होती है और न कोई लीगल राय होती है । एडीशनल जज के कार्यालय में उसकी कभी-कभी औपचारिक मीटिंग हो जाती है देखने को यह लीगल कमेटी है और गरीबों तथा निर्बल वर्ग को सहायता पहुंचाने के लिये है लेकिन वास्तव में यदि देखा जाय तो जनपदों से आप इसका रिकार्ड मंगवा लें, बहुत ही कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें इसने अपनी कोई एड दी हो । यह योजना जो हमारी जनप्रिय सरकार और माननीय न्याय मंत्री जी ने तैयार की है, बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाती है । इसके लिये एक निर्धारित जगह हो,

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--]

इसके लिये एक निर्धारित समय हो तथा इसके लिये लायर्स का एक निर्धारित समय पर बैठना हो चाहे वह क्रिमनल का हो, चाहे वह फौजदारी का हो, इन सबके वकीलों के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिये बैठने के लिये ।

[सदन में बिजली चली गयी]

[बिजली आने पर]

यह परिस्थिति जो भी हो लेकिन हमेशा न्याय होता है । यह अन्याय नहीं है बल्कि मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अपने विपक्षी भाइयों को बताना चाहता हूं कि न्याय हो एक ऐसा विषय है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं है अपितु हमेशा न्याय देता है । अन्त में न्यायपालिका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है और इस दृष्टि से भी है कि आपके प्रजातांत्रिक ढांचे की बुनियाद न्यायपालिका के सहारे ही रहती है ।

मैं एक व्यवहारिक सुझाव देना चाहूंगा कि अक्सर अफसर कालोनीज जहां बनी हैं, वहीं मुन्सिफ और जुडिसियरी के अफसर रहते हैं, वहीं हमारे पी0 डब्लू0 डी0 के जूनियर इन्जीनियर और इन्जीनियर भी रहते हैं । जुडिशियरी के अफसर भी इन्सान हैं । इस ढांचे को देखकर कुछ अलग प्रभाव पड़ रहा है । जुडिशियरी के लोगों के निवास के लिये अलग व्यवस्था होनी चाहिये । इसी के साथ ही, आपने जो समय दिया उसके प्रति आभार प्रगट करते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष (श्री फखरे आलम से)---

आप केवल 5 मिनट लेंगे ।

श्री फखरे आलम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 5 मिनट का समय मुझे दिया है, मेरी समझ में नहीं आता है कि प्याले में समन्दर को कैसे भर दूं ? न्यायपालिका के बगैर जम्हूरियत किसी प्रदेश में, देश में कामयाब नहीं हो सकती । हमारे उत्तर प्रदेश का न्यायपालिका, सारी जुडिशियरी, दूसरे तमाम प्रदेशों में और मुल्कों में मिसाल के तौर पर पेश की जाती रही है । मगर उसके साथ-साथ जुडिशियरी के साथ ज्यादती होती रही । आजादी के पहले हाईकोर्ट के जज की तनख्वाह 4,000 रु0 थी, जो आज 3,500 रु0 मिलती है । आज के रु0 की वैल्यू के हिसाब से उनकी तनख्वाह, जो उस समय 4,000 रु0 थी, आज 3,500 रु0 ही रह गया है । जुडिशियरी के जो सबार्डीनेट जज हैं, मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं, उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है । मैं राज्य मन्त्री को सुझाव दूंगा कि इसको बढ़ाने की तरफ ध्यान दें । एक तरफ और इशारा करना चाहता हूं, हमारे यहां पैन्डिंग केसेज बहुत हैं । जिस जमाने में सर ग्रिमवुड मियर्स चीफ जस्टिस थे, बड़े-बड़े एडवोकेट्स को हाई कोर्ट के एडहाक जज के रूप में मुकर्रर कर दिया करते थे ताकि मुकदमों का निपटारा हो सके और जल्द से जल्द मुकदमों का फैसला होता था ।

सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज यह पोलीटिकल पोस्ट हो गयी है । इसको अगर आप चाहते हैं कि वह सही

तरीके से काम करे और जिस काम के लिये मुकर्रर किया जाता है, उसको अन्जाम दें तो आप जिला सरकारी वकील, असिस्टेन्ट सरकारी वकील और पैनल लायर्स को इस बात की गारन्टी दें कि उनको काम करने का मौका मिलेगा और यह पोस्ट पोलीटिकल पोस्ट नहीं होगी । मैं देखता हूं कि मंत्री जी के पीछे फौज भागती रहती है, कोई डी0 जी0 सी0 बनना चाहता है, कोई एडीशनल डी0जी0सी0 बनना चाहता है । मुझे सौभाग्य रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट काउंसेल रहा और 16 साल तक रहा, लेकिन यह बात कभी नहीं हुई कि उसे पोलिटिकल पोस्ट बनाया गया हो और डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति इस तरीके से की जाती हो, जैसे आज की जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में किसी जगह इन्साफ की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे यहां इन्साफ को बेचा जा रहा है क्योंकि इसकी प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है । कोर्ट फीस को एबालिश कर दिया जाय ताकि गरीब आदमी भी इन्साफ का दरवाजा खटखटा सके और उसके साथ ज्यादती न हो ।

जो हमने फैसला किया था कि जुडिशियरी और एक्जेक्यूटिव को अलग-अलग कर दिया जाय और इसीलिये क्रिमिनल केसेज और सिविल केसेज जुडिशियरी के पास आ गये थे तो रेवेन्यू केसेज भी सिविल कोर्ट्स में आने चाहिये और उसी तरह से रेवेन्यू केसेज के भी फैसले हों और साथ ही साथ रेवेन्यू मैनुअल ऐक्ट, जे0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट यह सब भी अमेंड किये जाएं और सिविल कोर्ट प्रोसीजर में भी यह दे दिया जाए ताकि ऐसे केसेज का निपटारा हो सके । स्माल फार्मर्स ऐक्ट नं0 4 आफ 1977 तथा यू0 पी0 अर्बन बिल्डिंग ऐक्ट नं0 72 आफ 1972 आदि में भी अमेंडमेंट जरूरी है ताकि यह सारी सुविधाएं जो शहर के काश्तकार हैं, उनको मिल रही हैं तो जो देहात के काश्तकार हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

अभी माननीय सदस्य ने जो कटौती के प्रस्ताव पर बातें कहीं, उन्हें मैंने बहुत गौर से सुना और इससे यह नतीजा निकाला कि माननीय सदस्य कमिटेड जुडिशियरी के लिए बड़ी गलत फहमी में हैं । हमारी सरकार और हमारे देश की प्रधानमंत्री कमिटेड जुडिशियरी नहीं चाहती हैं । कांस्टिट्यूशन में स्वतन्त्र न्याय पालिका की व्यवस्था की गयी है और किसी भी देश में अगर स्वतन्त्र न्याय पालिका मजबूत नहीं होगी तो लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता है । और यही चीज कभी-कभी पालिटिकल थ्योरी में पैदा होती है । एक राजनीतिक दल होता है, उसके कुछ प्रोग्राम्स, पालिसीज होती हैं, उन प्रोग्रैम्स और पालिसीज को लेकर वह पालिटिकल पार्टी जनता के सामने अपना मैनडेट लेकर आती है और शासन में उनके क्रियान्वयन के लिए प्रयास करते हैं और अगर यह पालिटिकल पार्टीज उन पालिसीज का क्रियान्वयन नहीं करती है, तो वहीं पर कंफ्लिक्ट पैदा हो सकता है । तब पहले इस सिचुएशन की ओर आपको सोचना पड़ेगा । कानून भी पक्षधर होता है । हमारे सिस्टम में एक कोडीफाइड ला है, इसके इन्टरप्रेट करने वाले आफिसर्स ट्रेन्ड होते हैं और मैं तो कहूंगा कि ला भी पक्ष लेता है और विवाद भी वहीं पर पैदा होता है, जहां पर ला का इन्टरप्रिटेशन जनहित में नहीं होता है और जहां तक मर्यादा का प्रश्न है जुडिशियरी, उसकी रक्षा की बात कही गयी तो इस सिलसिले में मैं यही कहूंगा कि हमारी यह सरकार और हमारी प्रधानमंत्री संसार भर से ज्यादा रक्षा में अग्रणी कोई और देश नहीं है । साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह—]

ही मैं यह भी कहूंगा कि जैसाकि एक साहब ने कहा किसी भी स्पेशल कानून के लिए कांस्टिट्यूंट असेम्बली ही बुलाई जाए, तभी कानून तरमीम किया जा सकता है एसा नहीं है, कांस्टिट्यूशन में पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है, लेकिन एक जजमेंट हुआ, जिसके द्वारा यह कहा गया स्पेशल कांस्टिट्यूंट असेम्बली बुलाई जाए, तभी ऐसे मामलों में विवाद का स्रोत पैदा हो जाता है। इस सिचुएशन पर भी गौर करने की आवश्यकता है।

दूसरे अ.ज अच्छे कानून की यही मंशा है कि 10 अपराधी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए और यह भी है कि अपने यहां कि कोई भी बयान पुलिस के सामने साक्ष्य में मान्य न होगा और साथ ही यह भी है कि किसी ला एक्स पोस्ट फैक्टो ऐप्लीकेशन नहीं होगी। इसके विरुद्ध हंगरी में 1956 में बगावत हुयी तो वहां के कानून के मुताबिक 18 साल से नीचे की उम्र के लड़कों को सजाए मौत नहीं दी जा सकती थी, चाहे अपराधी कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किये हो। और 18 साल के बाद सजाए मौत देने की बात अगर होगी, तो हो जायगी। उस जमाने में छोटे-छोटे 14 साल के 16 साल के किशोरावस्था के बच्चे पकड़ लिए गए और जेल में बन्द कर दिए गए और जब वे 18 साल के हो गए तो उन्हें सजाए मौत दे दी गई। तो यह न्याय है। न्याय का कन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कन्सेप्ट आफ जस्टिस बराबर है। एक बात बतलाता हूं कि डाक्टर दिवैको ने एक किताब डौरिस पेस्टर्न लिखी है। उसको बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया और किताब कहां गई खत्म हो गई। स्टेली ने कहा है कि कुछ डाक्टर मुझे पकड़ने के लिये षड्यन्त्र कर रहे हैं, पर वहां के न्याय ने नहीं माना।

न्याय एक ऐसी चीज है, जिसके माध्यम से हम सारी दुनियां को एक कर सकते हैं, न्याय के माध्यम से हम समाज में क्रान्ति ला सकते हैं, न्याय के माध्यम से हम क्रान्ति में परिवर्तन कर सकते हैं और लड़ाई-झगड़ों का निपटारा करके अमन कायम कर सकते हैं।

माननीय मन्त्री जी ने बहुत सी बातें कहीं और हमारे अनुभवी बुजुर्गवार वकील साहब ने भी बहुत सी बातें कहीं। यह एक बात तो मैं भी कहता हूं कि कोर्ट फीस बिलकुल खत्म कर देना चाहिये। कोर्ट फीस ऐक्ट इतने दिनों का पुराना है और माननीय मन्त्री जी अब अभी तक उसमें अमेन्डमेन्ट नहीं करा पाये हैं। कोर्ट फीस ऐक्ट में अमेन्डमेन्ट करके कोर्ट फीस को बिलकुल समाप्त कर देना चाहिये। आपका विभाग इसको जरूर देखें।

यह जो आप डी0 जी0 सी0 और ए0 सी0 जी0 का एप्वाइन्टमेन्ट करते हैं, इसको आप पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराइये। इसमें किसी तरह के पक्षपात की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा मैं अन्त में यह कहूंगा कि आबादी वगैरह के झगड़े जो रेवेन्यू कोर्ट के हैं, इसे आप सिविल कोर्ट में कर दें। हर जिले में हाई कोर्ट का जज जाकर जिले का मामला जिले में ही फैसला कर दिया करें। बजाये इसके कि कोई आदमी न्याय पाने के लिये इलाहाबाद दौड़ रहा है, कोई आदमी लखनऊ भागा चला जा रहा है। जज लोग दौरे पर जायं और वहां पर जिले के मुकदमें जिले में ही फैसला कर दें इससे लोगों को न्याय पाने में सुविधा रहेगी।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जजेज की सुविधा की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये । उनकी तनख्वाह के बारे में और उनके रहन-सहन के बारे में जो हिसाब-किताब होना चाहिये, वह उचित रूप से उन्हें मिलना चाहिए। इसके साथ ही मैं मन्त्री जी द्वारा पेश किए गए बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, मैंने दो मिनट का समय बोलने के लिए आपसे मांगा है, तो मैं दो मिनट में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।

हमारे न्याय मन्त्री जी जानते हैं कि हर सीनियर वकील अपने साथ कुछ जूनियर वकील को रखता है और उसको सिखाता है । एक सीनियर वकील था, वह अपने जूनियर को नसीहत देने लगा कि मुकदमा में बहस कैसे शुरू की जाती है । उन्होंने कहा कि अगर मुकदमें का कानूनी पक्ष मजबूत है तो "हैमर दि ला फर्स्ट" । तो जूनियर ने पूछा कि अगर कानून का पक्ष कमजोर हो तो ? तो उन्होंने जवाब दिया कि 'हैमर दि फैक्ट्स फर्स्ट' । तो फिर जूनियर ने पूछा कि यदि दोनों कमजोर हों तो क्या करें ? तो फिर उन्होंने नसीहत दी कि 'हैमर दि डेस्क फर्स्टस्' ।

तो मैं कह रहा था कि हमारी सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था में जो अदालतें बनी हुई हैं, उनका कोई भी पहलू मजबूत नहीं है । न्याय मन्त्री जी ने खुद बजट प्रस्तुत करते समय मेज पीटी है, तो न्याय व्यवस्था में मौलिक सुधार करने की आवश्यकता है ।

(श्री नरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, हम असहाय लोगों को भी एक मिनट का समय आप दे दिया करें । मैं दो मिनट में ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप बैठिये । आपकी कोई चीज लिखी नहीं जाएगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैंने माननीय नरेन्द्र सिंह को बुला लिया है । अब आप बैठिए ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। आपका नहीं लिखा जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की बेंच खोलने पर शासन विचार कर रहा है। जिस पर एक कमीशन ने भी उस क्षेत्र का दौरा किया था, तो माननीय मन्त्री जी जब उत्तर देने लगें तो कृपया इस बात को बता दें कि वहां पर हाई कोर्ट कब और कहां पर खोला जा रहा है ?

श्री नरेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समस्त माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने किसी न किसी रूप में मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। माननीय श्याम लाल वाजपेयी, प्रदीप कुमार यादव, फखरे आलम और लाल प्रताप सिंह जी ने जो अपने सुझाव दिए हैं, वे सब मेरे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में हैं। मान्यवर, मैं थोड़े से समय में 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। उरई जिले में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में बड़ी जबरदस्त धांधलेबाजी हुई है। उरई में 6 सरकारी वकीलों की नियुक्ति होनी थी। श्री कृष्ण कान्त रावत, श्री राजा राम चतुर्वेदी, श्री शिव बालक पान्डेय, श्री भारती शरण व्यास, श्री शिव बालक पान्डेय और मलखान सिंह। 5 ब्राह्मण हैं और एक हरिजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री कृष्ण कान्त रावत के बारे में एल० आई० यू० ने लिखा है कि साधारण ख्याति अच्छी नहीं है, व्यवसाय का ज्ञान कम है, डी० सी० डी० एफ० के डाइरेक्टर रहे हैं, हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। श्री राजा राम चतुर्वेदी के बारे में रिपोर्ट है कि डकैतों को शरण देते हैं, साधारण ख्याति अच्छी नहीं है। श्री शिव बालक पान्डे के बारे में रिपोर्ट है कि अपराधियों को शरण देते हैं, ख्याति अच्छी नहीं है और श्री भारती शरण व्यास के बारे में रिपोर्ट है कि क्रय-विक्रय समिति के डाइरेक्टर हैं, गबन के आरोप हैं, हिन्दी का ज्ञान कम है, साधारण ख्याति अच्छी नहीं है। आप इसकी जांच करा लें। सारे अपराधी लोगों को नियुक्त किया है।

अभी मान्यवर, फ्री लीगल एड के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कहा। इसका जो फन्ड है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं एक्स-पेरीमेन्ट के आधार पर चल न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिये, जिससे निर्बल और गरीब वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। इस चीज को एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर यदि आप जिलों में प्रारम्भ कर दें तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जनता को सस्ता न्याय मिल सकता है। इसमें न तो पुलिस दखल दे पायेगी और न ही गवाहों के टूटने का डर रहेगा। इसलिए मैं सुझाव के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि इस प्रणाली को न्याय विभाग के अन्दर शुरू करें।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अब मैं थोड़ा सा कोर्ट फीस के बारे में कहना चाहता हूं । सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का एक कौशल पैनल बैठा था और उसने कोर्ट फीस के टोटल समाप्त करने की बात कही थी । आप भी उसे रेशनलाइज करने की बात कहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्याय विभाग में तो कम से कम आप व्यापार न करें । करोड़ों और अरबों रुपया कोर्ट फीस से आप कमा रहे हैं, यह नहीं होना चाहिये । इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कोर्ट फीस को समाप्त होना चाहिए ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जैसा कि अभी हमारे ए माननीय सदस्य श्री सत्यपाल जी सिंह जी ने कहा कि एक जसवन्त सिंह कमीशन पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच खोलने पर विचार करने के लिए बैठा था । उस कमीशन को 6 महीने से अधिक का समय हो गया है । पूरे हिन्दुस्तान का वह कमीशन दौरा कर रहा है । गोवा और कर्नाटक और न जाने कहां-कहां वह कमीशन घूम रहा है, वह क्या निर्णय देगा । यह सरकार का दायित्व है । सरकार दो बार इस बारे में प्रस्ताव पास कर चुकी है और बनारसी दास सरकार ने भी इसको सिद्धान्तरूप में स्वीकार किया था । इसलिए मान्यवर, मेरी अपील है कि उत्तर प्रदेश की वृहद्त्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मेरठ, गोरखपुर और उत्तरी अंचल में इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड पीठ की स्थापना की जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, इस बजट के सम्बन्ध में सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं....

श्री दलगंजन सिंह--

उरई में जो डी0 जी0 सी0 की नियुक्ति हुई है, उसके बारे में भी आप बता दें ।

श्री राम नरेश शुक्ल--

आप मेरी बात सुनें । सभी सुझावों को मैंने नोट कर लिया है और समय आने पर उन पर कार्यवाही की जायेगी । जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की एक बेंच खोलने का प्रश्न है उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार को इस विषय में लिख दिया है, आवश्यक लेजिस्लेशन बनाने के लिए । केन्द्र ने जसवन्त सिंह कमीशन नियुक्त कर दिया है और वह उस पर विचार कर रहा है । उसकी रिपोर्ट आने पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

दूसरी बात माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कही कि जुडीशियरी में राजनीति हावी है । यह कितना तथ्य के तहत है इस पर अध्यक्ष जी मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि सदन विचार करे । हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेट एसाइड किया । जिस समय इलेक्शन पिटीशन मंजूर हुआ था उस समय सारी दुनियां स्तब्ध रह गई कि ऐसा निष्पक्ष न्याय भारत के अन्दर है । तीसरी चीज जो नरेन्द्र सिंह जी ने कही और एक प्रश्न उठाया....

(व्यवधान)

वे छपरौली से आते हैं....

(व्यवधान)

उनका सम्बन्ध रहा होगा....

श्री नरेन्द्र सिंह--

आपने कहा कि सम्बन्ध रहा होगा, बता दें क्या सम्बन्ध था ?

श्री राम नरेश शुक्ल--

एक चीज माननीय नरेन्द्र सिंह जी ने कही जिससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मान्यवर, मेरा काफी समय गांधी जी के साथ गया और जवाहरलाल जी के साथ गया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

व्यवधान न करें उनको बोलने का अधिकार है। कृपया शान्ति से बैठें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

शब्दों पर न जायं, भाव पर जायं।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मान्यवर, मैंने छपरौली की हवा में सांस नहीं ली। यह संयोग की बात है कि मैं आज तक छपरौली नहीं गया। जातिवाद छपरौली में हो सकता है लेकिन मेरे विभाग में नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह --

जरा उरई के बारे में बता दें।

श्री राम नरेश शुक्ल--

वह मेरे चैम्बर में आयें और इसे साबित करें मैं उनको बता दूंगा।

श्री हुकम सिंह--

आप छपरौली चले जायं।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मैं सभी माननीय सदस्यों के सुझावों का आदर करता हूं।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

आप उनके चैम्बर में चले जायं वहां हल निकल आयेगा।

श्री राम नरेश शुक्ल--

मैं आपके द्वारा माननीय नरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नरेन्द्र सिंह जी, आप क्या कटौती के प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह––

कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28––निर्वाचन विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28––निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,37,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29––न्याय विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या––29 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,43,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष––

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 4 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री जटाशंकर सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री जटाशंकर सिंह को बहराइच में मुंसिफ मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस द्वारा एक वकील को अपमानित करने के सम्बन्ध में है । तीसरी सूचना श्री रियासत हुसैन एवं श्री अकबर हुसेन की इलाहाबाद शहर के अलोपीबाग के निकट एक ड्राइवर तथा उसके मित्र की हत्या के सम्बन्ध में है । और चौथी सूचना श्री अकबाल हुसैन की जनपद अलीगढ़ में ग्राम मुकुटपुरा के एक कुयें में 6 व्यक्तियों के दब जाने से मृत्यु के सम्बन्ध में है । इसमें से मैंने श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त एवं श्री जटाशंकर सिंह की लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है बाकी को अस्वीकार कर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, वक्तव्य कौन सी तारीख को होगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, जो तारीख तय कर दें अगले सप्ताह रख लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बता दें किस दिन रखें ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अगले मंगलवार को रख दें ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है ।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके जाने की घटना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

मैं आदरणीय सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि--

आज दिनांक 3 मार्च, 1983 को अपरान्ह 1 बजे, जिस समय कि माननीय खाद्य मन्त्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, सभा-मंडप की शासन पक्ष की ओर की दर्शक दीर्घा नं0 4 से एक व्यक्ति ने, जिसके पास से दर्शक दीर्घा का सुरेन्द्र कुमार के नाम से जारी हुआ प्रवेश पत्र (सं0---3842) प्राप्त हुआ और जो कि श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा संस्तुति की गई पर्ची के आधार पर बनाया गया प्रतीत होता है, दीर्घा से "आयुर्वेद अमर रहे" नाम से नारे लगाये और सदन में नीचे कुछ पर्चे फेंके जिससे सदन की कार्यवाही में कुछ क्षण के लिए व्यवधान उत्पन्न हुआ । दीर्घा में तैनात रक्षकों ने बीच की पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति को तुरन्त अपने कब्जे में करके वहां से हट दिया । वह व्यक्ति उस समय से मार्शल की हिरासत में बैठाया हुआ है । अमुक व्यक्ति के पास से प्राप्त हुआ प्रवेश-पत्र संख्या 3842, दिनांक 3 मार्च, 1983 एवं प्रवेश-पत्र जारी करने के निमित्त मांग-पत्र की पर्ची संलग्न है ।

यह मैंने मार्शल को भेजा था कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दें तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं इस पर निर्णय सदन के सम्मुख देना चाहता हूं ।

उपरोक्त व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर तथा पर्चे फेंक कर इस सदन की कार्यवाही में विघ्न डालने का प्रयास किया है । यह कार्य सदन की अवमानना का आधार बनता है, किन्तु ऐसे उच्छृंखल व्यक्ति को अनावश्यक महत्व देना उपयुक्त न होगा । अतः यदि माननीय सदन सहमत हो तो उपरोक्त व्यक्ति को, जो मार्शल की अभिरक्षा में हैं, पर्याप्त दंड मानकर रिहा कर दिया जाय ।

प्रश्न यह है कि सुरेन्द्र कुमार, जितनी देर वह मार्शल की अभिरक्षा में रहा है, को पर्याप्त दंड मानकर रिहा कर दिया जाय ?

(सदन की सहमति प्राप्त हुई)

---

†छापी नहीं गई ।

श्री धरम पाल--

इसमें मुझे आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, यह प्रजातन्त्र प्रणाली के विरुद्ध ।

(व्यवधान)

प्रतिपक्ष वाले रोज दो तीन आदमियों को दर्शक दीर्घा में बिठलवा देते हैं जो सदन में पर्चे फेंक कर कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसमें कुछ कार्यवाही होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर निर्णय हो चुका है । आप बैठ जायं ।

जनपद इलाहाबाद में लगभग 200 राजकीय नलकूपों के खराब होने के कारण उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

इलाहाबाद जनपद में वर्तमान समय में 872 राजकीय नलकूप कार्यरत हैं । इनमें से 21-2-1983 की स्थिति के अनुसार 77 राजकीय नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 14 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से तदनुसार कुल 91 राजकीय नलकूप कार्यरत नहीं हैं । राजकीय नलकूपों की यह बन्दी यांत्रिक दोष से 8.8 प्रतिशत तथा विद्युत दोष से 1.6 प्रतिशत है तथा कुल बन्दी 10.4 प्रतिशत है । यद्यपि राजकीय नलकूपों की बन्दी का यह प्रतिशत सामान्य से कुछ अधिक है, परन्तु कोई भी नलकूप 3-4 माह से बन्द नहीं है । वर्तमान समय में केवल 2 राजकीय नलकूप संख्या 106 पी0 से हुआ डीह तथा 101 पी0 भैया एक माह से अधिक अवधि से बन्द हैं । उपरोक्त दोनों नलकूप बोर में पम्पिंग सेट गिर जाने के कारण बन्द हो गये थे, जिन्हें अब निकाल लिया गया है तथा इनकी मरम्मत की जा रही है । आशा है कि यह दोनों नलकूप मार्च, 1983 में अवश्य चालू हो जायेंगे ।

उपरोक्त अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों के अतिरिक्त 10 नलकूप आंशिक अथवा पूर्णरूप से विफल हो गये हैं । इन नलकूपों का सुधार करने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा आवश्यकता होने पर इनका पूर्ण निर्माण किया जायेगा । इसके अतिरिक्त 2 राजकीय नलकूप शारदा सहायक परियोजना की फूलपुर ब्रान्च के कमांड क्षेत्र में आ गए हैं तथा नहर द्वारा सिंचन क्षमता उपलब्ध हो जाने के कारण इनकी अब उपयोगिता नहीं रही है व इनको परित्याग किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद इलाहाबाद में 70 राजकीय नलकूप जो 3/82 तक छिद्रित किये गये थे निर्माणाधीन हैं । इनका उर्जीकरण अभी नहीं हो पाया है ।

[श्री वीर बहादुर सिंह--]

गत 4 वर्षों में 15 फरवरी तक रबी फसल में जनपद इलाहाबाद में राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र तथा चलित घंटों का विवरण निम्न प्रकार है :--

वर्ष	फसल के प्रथम दिन चलित नलकूपों की संख्या	सिंचित क्षेत्र हेक्टेयर में	औसत सिंचित क्षेत्र प्रति नलकूप हेक्टेयर में	चलित घंटे	औसत चलित घंटे प्रति नलकूप
1	2	3	4	5	6
1979-80	698	21240	30.4	359923	515
1980-81	756	27291	36	530844	702
1981-82	830	28725	34.5	496226	598
1982-83	869	30346	35.0	591924	635

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इलाहाबाद जनपद के राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचन की स्थिति गत वर्षों की तुलना में खराब नहीं रही है बल्कि कुछ सुधार ही हुआ है । उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद जनपद में 39 नलकूप और गत वर्ष की तुलना में ऊर्जीकृत हो गये हैं इन नलकूपों पर अभी वितरण प्रणाली नहीं बन पाई है । इस कारण इन नलकूपों की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होने के बावजूद भी सिंचन स्थिति गत वर्ष की तुलना में अच्छी है ।

सुपर इनामेल्ड कापरवायर बियरिंग तथा चैनपुली ब्लाक की आपूर्ति में समय लगने के कारण दोषों को ठीक कराने में कुछ विलम्ब हुआ है । सभी क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि वे राजकीय नलकूपों के दोषों को तत्परता से दूर करके कृषकों को अधिकतम सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करें ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, आपको याद होगा उस रोज मैंने आपसे आग्रह किया था । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा आपने मंगवाई है--सिंचाई विभाग द्वारा या उसकी पुष्टि इलाहाबाद के जिलाधीश ने भी की है ? फिर आपने स्वयं कहा है कि 91 नलकूप खराब हैं, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि वास्तव में 200 ट्यूबवेल खराब हैं और जो बनते भी हैं, वे एक दिन बन जाते हैं और दूसरे दिन फिर खराब हो जाते हैं । एक तरफ मिस्त्री या इंजीनियर बनाकर आते हैं, दूसरे दिन वह खराब हो जाते हैं, लेकिन आप उनको ठीक में जोड़ देते हैं । बहुत से दो-दो, तीन-तीन महीने तक खराब पड़े रहते हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह जो रिपोर्ट है यह विभाग से बराबर आती रहती है, उसी से यह रिपोर्ट बनाई गई है। जहां तक कहा गया है कि बहुत से ट्यूबवेल 200 खराब हैं, तो उसके अनुसार केवल 91 खराब हैं। केवल दो ट्यूबवेल ऐसे हैं जो दो महीने से ज्यादा के हैं, बाकी दो महीने से कम के खराब हैं। मैंने बताया है कि कुछ कारण पड़ गये थे-कापर वायर की कमी थी आदि, इसलिए उसमें विलम्ब हुआ है। अब मैंने इसके लिए कहा है कि जहां से भी हो उसको लेकर, लाकर उसको जल्दी से जल्दी से ठीक किया जाए और इस काम में तेजी लाई जाए। आशा है खराब ट्यूबवेलों में ज्यादा से ज्यादा मरम्मत कराई जाएगी।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

मैं सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बिलकुल असत्य है, कम से कम 50 नलकूप इलाहाबाद में ऐसे हैं, जो साल भर में 50 घंटे भी नहीं चले हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने ट्यूबवेल इलाहाबाद में ऐसे हैं जो साल भर में 50 घंटे भी नहीं चले हैं और क्या ऐसी स्थिति में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? और निर्देश करने से ट्यूबवेल नहीं बनेंगे क्योंकि 70 ट्यूबवेल्स में मार्च, 1982 में उनके अनुसार बोरिंग हो गई है, लेकिन आज तक उनकी सफाई नहीं हुई, पम्प हाउस नहीं बना और विद्युतीकरण नहीं हुआ, तो निर्देश देने से बनेगा नहीं, क्योंकि वहां के अधिकारी कहते हैं कि एक पैसा भी हमारे पास सफाई आदि के लिए नहीं है। तो क्या वह इनको चलवाने के लिए इलाहाबाद में स्पेशल फन्ड का प्राविधान करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा यह बात सही है, पैसे का अभाव है। बहुत से ट्यूबवेल काफी दिनों से बने हुये हैं, लेकिन जितना धन चाहिये, नहीं मिलने के कारण, उनको जितनी जल्दी चाहिये नहीं बनवा पा रहे हैं। यह बात सही है कि हमने जो नियम बनाया था कि 6 महीने के अन्दर जो ट्यूबवेल बोर किया जायगा और वह 6 महीने के अन्दर सिंचाई करेगा, तो मान्यवर, सबसे बड़ा बाधक हमारे सामने यह धन का अभाव रहा है, जिससे जो माननीय सदस्य को दिक्कत है, यह केवल इलाहाबाद में ही नहीं है, यह सब जगह है। धन के अभाव में हम ट्यूबवेल को जितनी जल्दी हम बनाना चाहते थे, वह नहीं बन पा रहा है। माननीय सदस्य को जो शिकायत है, उसकी मैं जांच करा लूंगा और जांच के पश्चात् कार्यवाही की जायगी।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने, जैसा श्याम सूरत उपाध्याय जी ने कहा यह गलत रिपोर्ट यहां पर बताया। मैं यह आग्रह करूंगा कि क्या यहां से कोई जांच करने के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी को माननीय मंत्री जी भेजेंगे जिससे इसकी सत्यता का पता चल जाय और माननीय मंत्री जी इसकी भी व्यवस्था करेंगे कि यह जो ट्यूबवेल खराब हो रहा है, सिंचाई नहीं हो पा रही है, 70 ट्यूबवेल जो हैं, उर्जित न होने के कारण, जिसके लिए कहा है कि धन का अभाव है, यह कब तक सिंचाई करने की स्थिति में हो जायेंगे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसा माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा, सही कहा है, हम कब चाहते हैं कि हमारे ट्यूबवेल कम चलें। हम पैसे के अभाव में उसको नहीं कर पा रहे हैं। यह पूरे प्रदेश की बात है, केवल इलाहाबाद में ही नहीं है। पूरे प्रदेश में 1800 ट्यूबवेल हैं, जिनको हमें चालू करना है। यह पूरे प्रदेश की बात है, इलाहाबाद में तो केवल 70 ही ट्यूबवेल की बात है।

जनपद आजमगढ़ के कस्बा कोपागंज में अनेक दुकानों को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

दिनांक 11-2-83 के लगभग 12·30 बजे अपरान्ह को हाजी खुदाबख्श उर्फ गोबर हाजी, निवासी मोहल्ला फुलेतपुरा, कस्बा एवं थाना कोपागंज, जिला आजमगढ़ के परिवार के लोगों और उसी मोहल्ले के बिहारी खटिक व अन्य खटिक के बीच नाली साफ करने व कीचड़ को गली में जमा करने के प्रश्न को लेकर गाली-गलौज, मारपीट तथा पथराव की घटना घटित हुई। बिहारी खटिक ने हाजी मोहम्मद नोमान तथा उनके पुत्र इबरार सहित नौ नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोपागंज में एक अपराध संख्या 29/83 धारा 147/148/149/323/325/395/337/436/427, भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज कराया। दर्ज करायी गई सूचना के अनुसार कुछ लोगों द्वारा नाली से कीचड़ निकाल कर मन्दिर के सामने जमा की जा रही थी और जब उन्हें ऐसा करने से मना किया गया तब उन्होंने मारपीट की खटिकों के घरों में आग लगायी, लूट पाट की और मन्दिर का फाटक तोड़कर उसमें स्थापित मूर्ति की दोनों आंखें जो सोने की थी, निकाल ले गये।

2--इसी घटना के संबंध में हाजी मोहम्मद नोमान ने बिहारी खटिक तथा उसके लड़के जगदीश सहित बारह नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोपागंज में एक अपराध संख्या 29-ए धारा 147/148/149/323/324/395, भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अंकित कराया। हाजी मोहम्मद नोमान द्वारा दर्ज कराई गयी रिपोर्ट के अनुसार जब वे नाली का कीचड़ व कूड़ा साफ करा रहे थे तब बिहारी खटिक आदि आये और पूरी नाली साफ करने को कहने लगे उनके द्वारा यह कहने पर कि पूरी नाली साफ कराने के लिये टाउन ऐरिया से कहें, बिहारी आदि हथियारों से लैस होकर आये और उन पर हमला किया और 2500 रुपये का सामान लूट ले गये।

3--घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी, मऊ तथा जिला मुख्यालय से उच्चाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये। पी0ए0सी0 पुलिस की एक टुकड़ी घटना स्थल पर लगा दी गयी और प्रभावित क्षेत्र में पुलिस/पी0ए0सी0 की गश्त प्रारम्भ कर दी गयी। बिहारी व उसके लड़के जगदीश को तथा हाजी मोहम्मद नोमान एवं उसके लड़के इबरार को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। परगनाधिकारी और क्षेत्राधिकारी, मऊ को कोपागंज में तैनात कर दिया गया था।

4--दिनांक 12-2-83 को कुछ संगठनों द्वारा कस्बा कोपागंज के दुकानदारों से दुकान बन्द करने की अपील की गयी। लाउडस्पीकर से उत्तेजनापूर्ण एलान होने पर कुछ लोग उत्तेजित हो गये और अपनी दुकानें बन्द कर थाने के पास एकत्र हो गये। लगभग 250/300 व्यक्तियों का एक जुलूस निकला जो उड़ियाना के

मैदान में पहुंच कर सभा के रूप में परिवर्तित हो गया। इस सभा में वक्ताओं ने खटिकों पर किये गये कथित अत्याचार की निन्दा की तथा अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार कर जेल भेजने एवं घटना की न्यायिक अथवा सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की मांग की।

5--दिनांक 13-2-83 को 10 बजे दिन से थाने के पास खटिक टोले के चार औरतें और एक व्यक्ति क्रमिक अनशन पर बैठे एक सभा में खटिकों का मदद करने एवं अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग दोहराई गयी। जिलाधिकारी के आश्वासन पर 8'30 बजे रात को अनशनकारियों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। घोसी एवं मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत आदेश लागू किए गए। दिनांक 13-2-83 को घटी 4 छिटपुट घटनाओं के बारे में थाना कोपागंज में दोनों पक्षों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराये गये।

6--दिनांक 11-2-83 एवं 13-2-83 की घटनाओं में डाक्टरी परीक्षण के अनुसार कुल 15 व्यक्ति घायल हुये। अब तक 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। दिनांक 11-2-83 एवं 13-2-83 को हुई घटनाओं के संबंध में जो रिपोर्ट लिखायी गयी हैं उनकी विवेचना चल रही है।

7--कोपागंज में शांति हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है और स्थिति सामान्य है।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार 11 तारीख को जो घटना घटी वह 2 व्यक्तियों के बीच में थी, श्री हाजी मोहम्मद नोमान और बिहारी खटिक के बीच में हुयी। उस दिन शिवरात्रि था और मेला हुआ, बाजार खुला रहा और सारी चीजें होती रहीं। 12 तारीख को आपके कथन के अनुसार वहां कुछ दल विशेष के लोगों ने उत्तेजित सभायें कीं और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया और जुलूस निकाला। 13 तारीख को जो असल घटना है साम्प्रदायिक दंगे की, वह घटी है जिसमें करीब-करीब 17-18 आदमी घायल हुये और 8-10 आदमियों के मकान-दुकानें लूटी गयीं। उसी का नतीजा था कि कांग्रेस (आई) के श्री वीर भद्र प्रताप सिंह को थाने पर रोका गया और जिसके कारण वह घटनास्थल पर नहीं जा सके। मैं यह जानना चाहता हूं कि 12 तारीख को वह दल विशेष कौन थे और उनको रोकने के लिये पुलिस प्रशासन ने कौन सा इंतजाम किया? अगर इंतजाम किया था तो दंगे ने सांप्रदायिक रूप कैसे ले लिया? माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, पुलिस को जितनी एहतियात करनी चाहिये थी वहां पूरी एहितयात किया। 13 तारीख को दफा 144 लगायी गयी और 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन सी0 ओ0 को भी वहां मुकर्रर कर दिया गया।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि 12 तारीख को कुछ दल विशेष के लोगों ने सभा किया और भाषण किया और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया तो वह कौन लोग थे?

श्री गुलाब सेहरा--

इसमें विवरण कुछ संगठनों के हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, 11 तारीख को 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा था और 12 तारीख को जो आशंका पैदा हो गयी थी कि दो संप्रदायों के बीच में यह घटना झगड़े का रूप ले सकती है । वक्तव्य के अनुसार वहां पर पुलिस और पी0ए0सी0 की व्यवस्था कर ली गयी थी । तो इतनी व्यवस्था के बावजूद 12 तारीख को सभा आयोजित की जाती है और सभा में उत्तेजनापूर्ण भाषण दिये जाते हैं जिनका नतीजा यह हुआ कि 13 तारीख को झगड़े ने सांप्रदायिक रूप ले लिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि 12 तारीख को इतनी व्यवस्था के बाद भी 13 तारीख की पृष्ठ भूमि तैयार होने का मौका क्यों दिया गया ? दूसरी बात यह है कि 12 तारीख को जो सभा हो रही थी क्या यह सही नहीं है कि उस सभा के साथ स्थानीय पुलिस की सांठ-गांठ थी ? मान्यवर, मैं इसका उत्तर चाहूंगा ।

(5·20 अपराह्न से)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैंने प्रारम्भ में ही जिक्र किया कि 12 तारीख को कुछ संगठनों ने दुकानें बन्द करायीं और एक आम सभा की । श्रीमन्, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख के घटनाक्रम में गिरफ्तारियां की गयीं वहां दफा 144 लगायी गयी, पी0 ए0 सी0 तैनात की गयी, सी0 ओ0 एवं अन्य सीनियर अफसरों को वहां मुकर्रर किया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे क्या इस मामले की जांच करा लेंगे कि 12 तारीख को आपने वहां पर सब व्यवस्था करा दी, फिर जो यह उत्तेजनात्मक जलसे हुए, तो कहीं उन अधिकारियों ने लापरवाही तो नहीं बरती, तो यदि जांचोपरान्त यह पाया जाय कि उनकी लापरवाही थी, तो क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं घटनाक्रम को फिर समझाये देता हूं । 11 तारीख को जो बिहारी खटिक ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी, उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों द्वारा नाली से कीचड़ निकाल कर मंदिर के सामने जमा की जा रही थी और जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने मारपीट की, घरों में आग लगायी, लूटपाट की और मन्दिर का फाटक तोड़कर उसमें स्थापित मूर्ति की दोनों आंखें जो सोने की थी, निकाल ले गये । दूसरी एफ0 आई0 आर0 जो हाजी मोहम्मद नोमान ने दर्ज करायी, उसमें उसने यह कहा कि जब वे नाली का कीचड़ व कूड़ा साफ करा रहे थे तब बिहारी खटिक आदि आये और पूरी नाली साफ करने को कहने लगे उनके द्वारा यह कहने पर कि पूरी नाली साफ कराने के लिए टाऊन एरिया से कहें, बिहारी आदि हथियारों से लैस होकर आये और उन पर हमला किया और 2500 रुपए का सामान लूट ले गये । तो दोनों एफ0 आई0 आर0 सूचनाओं में, एक में 10 आदमी नामजद हैं, दूसरे में 15 आदमी नामजद हैं ।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में विरोधी पक्ष के लोगों ने घटना करने की साजिश की थी, वह मुख्य मंत्री जी की सूझबूझ से समाप्त हो गयी थी, इस घटना के पीछे लोकदल और आर0 एस0 एस0 वालों का हाथ तो नहीं है ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, आप इसकी जांच करा लीजिए ..

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह शासन की नीति है और जिससे हम सब सहमत हैं कि कहीं उपद्रव या घटना होती है, जिससे मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जो हमारे उपासना के स्थान हैं, उनकी कोई क्षति होती है, तो शासन स्वयं दिलचस्पी लेकर तुरन्त उसे ठीक कराता है । तो इसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण यह भी है कि उसको सही कराने में देरी बरती गयी, जिसके कारण यह बात हुई । मान्यवर, 12 तारीख को वहाँ पर प्रदर्शन हुआ, उसमें मांग की गयी । उसके बाद अनशन भी हुआ, उनकी केवल इतनी मांग थी कि अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार किया जाय और मामले की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष--

आप सूचना न देकर स्पष्टीकरण पूछें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कुछ लोग वहां पर भूख हड़ताल पर बैठ गये । फिर उसके बाद जिलाधिकारी वहां गये, जिलाधिकारी ने उनको आश्वासन दिया, उस आश्वासन के बाद अनशनकारी अपना अनशन समाप्त करके अपने-अपने घर चले गये । तो क्या इस बात की जानकारी है कि जो अनशनकारियों की जिलाधिकारी से बात हुई, वे क्या हैं और जिलाधिकारी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जिस दिन घटना हुई उसी दिन पुलिस क्षेत्राधिकारी और जिला मुख्यालय के उच्चाधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये । पी0 ए0 सी0 और पुलिस की टुकड़ी लगा दी गयी और एफ0 आई0 आर0 हुई थी उसके अनुसार गिरफ्तारी हो गई । 12 तारीख को जो घटना बता रहे हैं उस दिन उन्होंने केवल मांग करके

[श्री गुलाब सेहरा---]

सभा विसर्जित कर दिया । 13 तारीख को फिर 4 हरिजन औरतें अनशन पर बैठीं । जिलाधिकारी गये और इसकी पूरी तरह से जाँच की जायगी और अगर आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो उसको देखा जायगा । जिलाधिकारी के आश्वासन पर अनशन समाप्त हो गया ।

कानपुर के मगरासा गांव में एक ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में एक के बाद दूसरी सामूहिक हत्याओं का दौर चल पड़ा है । इसे यूं कहा जा सकता है कि अब हमारा यह प्रदेश दुर्भाग्य से सामूहिक हत्याओं के युग में पहुंच गया है । सामूहिक हत्याओं के युग में अब तक जितनी सामूहिक हत्यायें हुई हैं मैं समझता हूं उन. .

श्री रियासत हुसैन--

समय के बारे में हम लोगों का भी ध्यान रखेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी--

जितनी सामूहिक हत्यायें हुई हैं उनमें सबसे वीभत्स यह घटना है और यहां बैठकर चर्चा करते समय सिहरन पैदा करने वाली यह घटना कानपुर में मगरासा ग्राम में हुई है । वैसे तो शायद मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में इसे न लाती लेकिन इस घटना को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है और जो आप सत्ता पक्ष के विधायकों से मुझे जानकारी मिली है, मेरी जानकारी नहीं आप विधायकों की है, वह बात इसको और ज्यादा स्पष्ट करती है कि कानपुर में थाना विधनू की पुलिस इस मामले को नाटकीय मोड़ देने की कोशिश कर रही है, जैसा कि जो शक्ल सामने रखी गयी है । इस घटना पर पर्दा डालने के लिये है । कहा गया कि ठाकुर गुलाब सिंह का परिवार भूखों रहता था खाने को नहीं रहता था और वह परेशान और द्रवित था । इस वजह से गुलाब सिंह ने अपनी पत्नी और 8 बच्चों को जान से मार दिया । यह चर्चा स्थानीय पुलिस ने चला दिया है । मुझे आज जानकारी हुई है कि स्थानीय पुलिस ने 5-6 पालतू लोगों को गांव में इसलिये डाल रखा है कि अगर कोई नेता और मंत्री या मुख्य मंत्री आये तो उनको हमारी लाइन पर चलाने की कोशिश करें ।

श्री राम औतार दीक्षित---

एक दिन घूम आये होते ।

श्री मोती लाल देहलवी---

मेरे पास हेलीकाप्टर नहीं है ।

(व्यवधान)

उनकी आर्थिक दशा खराब बताते हैं । मुझको जानकारी हुई है कि उसके पास एक बोरा चावल, गुड़, आटा, दाल था । वो पीकर भी उस दिन खाना बना था ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, समय की हत्या न हो जाये ।

श्री मोती लाल देहलवी--

तो कैसे कहा जा सकता है कि गुलाब सिंह का परिवार आर्थिक स्थिति से परेशान था और उसी से मजबूर होकर 4 माह की उस बच्चा तक को मार दिया जा स्तनपान कर रही थी । एक दम गलतरूप, गलत शक्ल देने की कोशिश की जा रही है । मुझे बताया गया कि इसी प्रसंग में माननीय राज्य मंत्री, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा, उस गांव गये थे । वहां के एस० एस० पी० से पूछा कि क्या कारण है ? तो फौरन उस एस० एस० पी० ने कह दिया कि भुखमरी से गुलाब सिंह ने यह कान्ड किया । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि श्री शिवनाथ सिंह ने उसको डांटा कि तुम झूठ बोलते हो, घटना को तोड़ना मरोड़ना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, आटा दाल, चावल, सब रखा था, कौन कह सकता है कि भुखमरी से यह कान्ड हुआ ।

दूसरी चीज यह मालूम हुई कल तक जो दबी थी, कल तक प्रचारित था कि हत्यारे हत्या करके बाहर से कुन्डी लगा कर के चले गये । मुझको मालूम हुआ कि मुख्य मंत्री जी जब गये तो एक कमरे का ताला खुलवाया उसके अन्दर एक सीढ़ी पायी गयी, उस सीढ़ी में भी खून के निशान, दाग थे । उसे एक जगह लगवा कर देखा गया तो उस दीवार में भी खून लगा हुआ था ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

ये सब सुनी सुनायी बात कह रहे हैं, इसे तो हम भी कह सकते हैं ...

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

आप नहीं सुनायेंगे, आप में हिम्मत नहीं है ...

(व्यवधान)

आपके युग में हो रहा है । आप सुनायेंगे क्या ?

श्री प्रमोद कुमार--

आप मौका तो दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

इस तरह से बात न करें । कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी--

मुझको यह भी जानकारी हुई कि उनके पास भैंस व दूकान थी और वे कुछ दिन पहले उसी गांव के किसी व्यक्ति के कुछ बर्तन भी गिरवी रखे थे । ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि गुलाब सिंह अगर सम्पन्न नहीं था तो विपन्न भी नहीं था । मैं कहना चाहूंगा कि ..

(श्री प्रमोद कुमार द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री दल गंजन सिंह--

अजीब [×] हैं आप ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय दलगंजन सिंह, माननीय सदस्यों के प्रति इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना आप को शोभा नहीं देता । आप इसको वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री दल गंजन सिंह--

आप इसको मजाक रूप में ले रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष --

आप सदस्यों के बारे में इस प्रकार की बात नहीं कह सकते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप वापस ले रहे हैं या नहीं ?

*श्री दल गंजन सिंह--

मान्यवर, मैंने जो बात कही यह मेरे दिल की भावना निकली । इस घटना को देख कर, इस घटना को सुन कर और यह लोग जिस तरीके से मजाक में ले रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया । अगर आप नहीं हैं और आपको बुरा लगा तो मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूं ।

नोट--[× ××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं आपको बहुत थोड़े शब्दों में अवगत करा देना चाहता हूं। जिस तरह शव पाये गए। पहली चारपाई पर सुरेन्द्र सिंह का शव था जिसकी आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, दूसरी चारपाई पर गुलाब सिंह की पत्नी और उसकी चार माह की बच्ची साथ में थी, उस बच्ची के मुंह में स्तन था, उसका मुंह स्तन में लगा रहा, तीसरी चारपाई पर दूसरा लड़का था, बगल में तखत पड़ा था। तखत में चार भाई बहन लेटे थे। बड़ी लड़की का पैर तखत पर लटका था, आधा धड़ उनका चारपाई पर था। इस रोशनी में देखने से यह सवाल पैदा होता है कि जब उस लड़की के पैर तखत पर गया तो उनसे क्या उसके दूसरे भाई बहन, जो उस चारपाई पर लेटे थे जग नहीं सकते थे। जब सोते समय आंखें बन्द हो जाती हैं तब सुरेन्द्र सिंह की आंखें खुली पायीं गयीं? इस तरफ क्या कारण है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक जगह चार-चार लाशें पायीं गयीं क्या कारण है कि चिल्लाहट नहीं हुई। गांव प्रधान का मकान लगा है गुलाब सिंह के मकान से। दीवार से दीवार लगी है। उनको कोई खबर नहीं हुई। कोई न कोई वजह हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

एक लड़की के पैर में जखम थे। जाहिर है कि उसने प्रतिरोध किया होगा। चिल्लाहट तो हुई होगी लेकिन गांव प्रधान के कान पर, उसके परिवार वालों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष--

नियम 54 को देखें। उसके अन्तर्गत चर्चा हो रही है। आप जो कुछ कहेंगे संक्षेप में कहेंगे। काफी समय हो गया है और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है इसलिए मैं कह रहा था।

श्री अध्यक्ष--

शीघ्र समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

इस घटना को कैसा रुख दिया जा रहा है। उसकी साइकिल भी गायब है। यह पुलिस की अकर्मण्यता है। इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी है। जिस हथियार से यह हत्या की गई वह कहां गया? आखिर हत्यारा अपने साथ हथियार तो ले नहीं गया होगा। कहा जाता है कि गुलाब सिंह फरार है, भाग गया। गुलाब सिंह को ही अगर हत्या करने वाला मान लिया जाये

[श्री मोती लाल देहलवी--]

तो जिस हथियार से हत्या की गई, वह तो अपने साथ ले नहीं गया होगा। आज भी उस औजार का पता पुलिस नहीं लगा पायी। मान्यवर, यदि गुलाब सिंह साइकिल से जायेगा तो दक्षिण की तरफ भागने में वहीं थोड़ी दूर पर थाना बिधनू पड़ता है। उस थाने के बाहर पहरेदार खड़ा रहता है, गश्त वहां पर जारी रहती है तो उसे वहां पकड़ लिया जाता। मान्यवर, यह साइकालोजी होती है कि जो अभियुक्त होता है वह वरदीधारी को देखकर वैसे ही घबरा उठता है। यदि वह उत्तर की तरफ जायेगा तो कानपुर शहर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्री देहलवी जी आप संक्षेप में कहें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी दस्तमपुर काण्ड को सुनकर बहुत द्रवित हुए थे और शायद उन्होंने इसी से द्रवित होकर अपना त्याग-पत्र मुख्य मंत्री पद से दे दिया था।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आपको कितनी उत्तेजना है अपना त्याग-पत्र देने में ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय देहलवी जी अब आप समाप्त करें।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं नहीं कह सकता कि मुख्य मंत्री जी द्रवित हुए कि नहीं। जो कुछ दृश्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने देखा है मेरा विश्वास है कि वे द्रवित जरूर हुए होंगे, मान्यवर, इस वजह से मैं आशा करता हूं कि वह भी आदर्श प्रस्तुत करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हो गया है अब मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा।

(मुख्य मंत्री के पुकारे जाने तथा हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के खड़े होने पर)।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक गम्भीर मामला है और मुझे दुख है कि इस गम्भीर मामले को बड़े हल्के ढंग से लिया जा रहा है। मान्यवर, आपको याद होगा कि इसी वजह से सदन में उत्तेजना हुई थी, उस समय माननीय नेता सदन और प्रभारी मंत्री, गृह विभाग उपस्थित नहीं थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैंने यह बात कही कि वे यहां आये थे। थोड़ी बात में फर्क पड़ गया। माननीय मुख्य मंत्री जी पौने एक बजे गये थे और बात एक बजे की थी। लेकिन आज मुख्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं वहां से होकर आ गये हैं। मान्यवर, मेरे को सूचना दी गई है कि श्री गुलाब सिंह का शव मिल गया है और पुलिस को यह सब साजिश खुल गई है।....

(व्यवधान)

*मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य और निश्चित रूप से माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी यह अवश्य जानते हैं और वे नियमों से काफी परिचित हैं। जब चर्चा प्रारम्भ होती है तब उसके बाद दूसरी तरफ से, अर्थात् शासन की तरफ से संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है और उस संक्षिप्त उत्तर के बाद माननीय सदस्य उस विवाद में शामिल होते हैं फलस्वरूप अन्तिम उत्तर शासन की तरफ से दिया जाता है। इस पर जब माननीय देहलवी जी ने चर्चा प्रारम्भ की तो उसका संक्षिप्त उत्तर देने के लिए माननीय श्री गुलाब सेहरा जी उठ गये, आपको वे उत्तर देते और आप उस पर कुछ कहते तब मैं उसका उत्तर देता। लेकिन आपकी व्यग्रता को देखते हुए यदि आपकी आज्ञा हो और यदि माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा हो तो इसका उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूं। जैसा आप आदेश दें वैसा मैं करने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हम माननीय मुख्य मंत्री जी को सुनना चाहेंगे।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा।

(व्यवधान)

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, यह घटना इतनी दुखद घटना है कि इससे हम भी दुखी हैं। अगर हमारे भाई देहलवी जी दुखी हैं तो हम भी दुखी हैं। यह एक लोमहर्षक घटना है। किसी संघर्ष के बाद यह घटना नहीं हुई। इस घटना में, जिसमें मासूम बच्चे 13 साल के, 7 साल के और 5 साल के तथा 3 साल के थे, वे मारे गए। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी कल वहां गए थे और जो प्रदेश की सर्वोच्च जांच एजेन्सी हैं, उनको जांच के लिए लगाया है। दो बातें इसमें सामने आयी हैं, मैं दोनों तथ्यों से परिचित करा देता हूं।

पहली बात यह है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इसमें दो चीजें जानने वाली हैं। पहली चीज यह है कि कुमारी बेबी, राजेन्द्र तथा महेन्द्र के पेट में कोई खाना नहीं मिला और यह भी पाया गया कि मृतकों के शरीर पर सारी चोटें किसी भारी लम्बे धारदार शस्त्र से पहुंचाई गयीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा--]

दूसरी यह कि जिससे कुट्टी कटती थी, वह गंड़ासा गायब है। तीसरा यह कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के बाद यह भी साबित हो गया कि किसी के साथ कोई बलात्कार वगैरह का केस नहीं हुआ। चौथी बात यह है कि इस बात की चर्चा है कि गुलाब सिंह ने 10-11 साल पहले 7 बीघा जमीन बेची थी 28,000 रु0 को, लेकिन उसकी पास बुक कहीं नहीं है, एक और पास बुक मिली है, जिसमें 1978 में उसने एक खाता खोला था 4,000 रु0 से, जिसमें इस समय 9.45 रु0 थे। एक सब से बड़ी बात यह है कि मकान में कोई लूट नहीं हुई और कोई सामान नहीं गया। गुलाब सिंह, जो घर का मुखिया था, उसके जूते भी गायब हैं, सायकिल भी गायब है और गंडासा भी गायब है। कुछ लोगों का यह कहना कि कुछ समय पूर्व उसकी बड़ी लड़की राम कुमारी के साथ किसी शंकर नामक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की गयी थी, जिससे मनमुटाव हो गया था इस सम्बन्ध में शंकर के बारे में गांव के लोगों का यह कहना है कि इस परिवार का शंकर से बड़ा मधुर सम्बन्ध था।

दूसरी बात अभी कल जांच में मटर के खेत की पगडन्डी पर खून के बिन्दु 50-60 गज तक पाये गये। उन्हें कब्जे में ले लिया गया है ताकि उनका कैमिकल एग्जामिनेशन कराया जा सके कि वे मृतकों के रक्त ग्रुप से सम्बन्ध तो नहीं रखते। गांव में कोई गिरोह या कोई गिरोहबन्दी नहीं है और विगत दिनों में कोई कागनीजिबिल आफेन्स भी वहां नहीं हुई है, जिससे यह बात पता चल सके कि गांव के लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। यह सब तो हमारे समक्ष है। इसके अलावा दो वर्जन्स हैं, मैं किसी के साथ अपने आपको सम्बद्ध नहीं कर रहा हूं। यह दोनों वर्जन्स जांच अधिकारियों के समक्ष मौजूद हैं। यह सही है कि घटना बहुत दुखद है, लेकिन इसमें कोई ला एन्ड आर्डर इन्वाल्व्ड नहीं है। किसी साजिश के द्वारा आत्म हत्या की या हत्या की गयी, प्रश्न यह है और मेरा भी यही विचार है कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के रूप में कोई बात न कहें, क्योंकि अभी जांच चल रही है। प्रत्येक मौके को और हर मुद्दे को, जो भी प्राप्त हो रहा है, जैसा देहलवी साहब ने कहा कि उधर पुलिस नहीं देख रही है और उधर भी हम देख रहे हैं और जो भी सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त हो सकती हैं, उसके लिए प्रयास जारी हैं और इस मामले में सबसे ज्यादा ईमानदार, कुशल और अच्छे से अच्छे सूक्ष्म निरीक्षण करने वाले एक्सपर्ट जांच के लिए लगाये गये हैं पूरे प्रदेश के अन्दर से क्योंकि इसमें हमारी भी मर्यादा का प्रश्न इन्वाल्व है क्योंकि इतना जघन्य अपराध है और ऐसे अपराध के लिए शासन किसी को भी नहीं बख्शेगा, चाहे इसमें कोई भी हो।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, यह सही है कि सभी माननीय सदस्य इस दुखद घटना के प्रति और स्वयं माननीय मन्त्री जी तथा सम्पूर्ण शासन दुखी है घटना गुत्थियों से भरी हुई है और जिसके लिए माननीय सेहरा साहब ने प्रदेश के एक्सपर्ट्स लगा दिये हैं कि गहराई से छानबीन करें। लेकिन एक बात है इस ओर जो स्थानीय पुलिस प्रचार कर रही है कि गुलाब सिंह ने स्वयं हत्या की है व और कुछ इधर-उधर की बातें छाप रहे हैं उन्हें रुकवाइये और यदि ऐसा हाई अथारिटीज द्वारा हो रहा है, तो उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है।

दूसरे एक बात यह जो ज्यादातर सुनने में आयी कि श्री गुलाब सिंह और वहां के प्रधान से कुछ अनबन थी परन्तु जब माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां गये

तो पुलिस ए0 पी0 द्वारा प्रधान का उनसे परिचय कराया गया कि श्री गुलाब सिंह व वहां के प्रधान से मधुर सम्बन्ध थे, लेकिन गांव वाले जो वहां के 24 घंटे साथ रहने वाले हैं, उनका कहना है कि श्री गुलाब सिंह की प्रधान से अनबन थी और जो इस तथ्य को, कि गुलाब सिंह के पड़ोस का रहने वाला एक लड़का था, वह भी संदिग्ध रूप में गायब है, दूसरे अखबारों में भी यह है और माननीय मन्त्री जी ने स्वयं भी कहा है कि उस लड़की का जो कत्ल हुआ है, वह किसी धारदार औजार से किया गया है और साथ ही उसके शरीर पर कुछ और भी चोटों के निशान पाये गये हैं जिससे यह शक पैदा होते हैं कि किसी आदमी ने उसके ऊपर बर्बरीयता से हमला किया हो और उसने प्रतिरोध किया हो। साथ ही जैसा कि अभी सेहरा साहब ने कहा कि यह मामला हत्या का भी हो सकता है और आत्महत्या का भी, ऐसा नहीं है, यह मामला पूरी तरह हत्या का है,। इसके पीछे तथ्यों से जानकारी जो मिल रही है कि लड़की के शरीर पर चोट के निशानात थे तथा कुछ अन्य सूत्र मिल रहे हैं उनसे सिद्ध है कि मामला आत्म-हत्या का नहीं हो सकता है। यदि यह भी मान लिया जाए कि श्री गुलाब सिंह ने सबकी हत्या की हो तो भी हत्या है, आत्महत्या नहीं है।

इसलिए अगर इस मामले की जांच सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि प्रदेश की समस्त जनता की चिंता का समाधान भी हो सके और साथ ही हम सब तथा शासन भी, जो चिंता महसूस कर रही है, उसका भी समाधान हो सकेगा इसलिए इस मसले को सी0 बी0 आई0 के सुपुर्द अवश्य किया जाए।

श्री श्रीपति मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप अन्त में बोलें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अभी कुछ माननीय सदस्यों को 2-2 या 3-3 मिनट का समय और दे दें और तब माननीय नेता सदन बोलें तो उचित रहेगा, अभी ठीक नहीं है। हां यदि सी0 बी0 आई0 के सम्बन्ध में कुछ घोषणा करना चाहें तो अवश्य कर दें।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण सदन आज इस दुखद दुर्घटना पर विचार कर रहा है।

मात्र दो दिन पूर्व यह घटना हुई है। इस घटना के सम्बन्ध में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि पहली बार सामूहिक हत्या धारदार हथियार का प्रयोग करके की गयी है जो कि साधारणतया डकैती के दौरान हत्या में नहीं इस्तेमाल किया जाता है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति आया हो और उसने आकर किसी की हत्या कर दी हो एक-एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रमोद कुमार--]

करके । मान्यवर, इस घटना में 8 लोगों पर वार किया गया है, कोई तो चौकता, कोई तो जागता, कोई तो उसे रोकने का प्रयत्न करता लेकिन रेजिसटेन्स कहीं से नहीं हुआ तो लगता है कि यह हत्या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गयी है जो घर में आता-जाता रहा हो और घर में आसानी से प्रवेश कर सकता हो । उसने पहले से ही कल्पना कर रखी हो, यह सब चीजें हैं । यह भी हो सकता है कि खाने में कोई चीज मिला दी हो जिसके कारण वे सब बेहोश हो गये हों । यह सब सम्भावनायें हो सकती हैं ।

दूसरी चीज जब तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या विसरा की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

एक और चीज सामने आती है कि एक व्यक्ति हत्या की रात में साधारण-तया जूते पहन कर नहीं सोता है और जबकि जूता पहने उसे ले जाया गया है । कमजोर से कमजोर व्यक्ति और सख्त से सख्त व्यक्ति जिसने अपने परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी हो, यदि उसे रात में जगाया जाता तो आस-पास के लोग जागते जरूर । तीसरी बात कि आप अभी इनीशियल गाईड लाईन्स पर हैं, किसी नतीजे पर पहुंचने के लिये अभी यह अर्ली स्टेज है । पुलिस बराबर प्रचारित कर रही है तो हो सकता है कि इसमें भी इनक्वायरी एजेन्सी की कोई राय हो । इस पर निष्पक्ष रूप से पूरी जांच आने दीजिये । पहले पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच आय । अभी माननीय मोती लाल देहलवी बोल रहे थे तो उनके बोलने से लगता था कि जैसे जब हत्या हो रही थी तो वे वहां पर कैमरा और दूरबीन लेकर मौजूद थे जो उन्होंने देख लिया कि किसकी कैसे हत्या की गयी और कौन कैसे दूध पी रहा था ? आप अच्छे से अच्छा प्रबन्ध कर लें परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा और समय लगना लाजिमी भी है । शासन की ओर से सर्वोच्च व्यक्ति हमारे मुख्य मन्त्री जी जो हैं वे स्वयं वहां हो आये हैं । इस समय हम इस पर ध्यान दें कि पुलिस कोई नतीजे पर पहुंच सके ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने जितनी भी मालूमात थीं, सदन के सामने रखीं । खेद का विषय है कि उनको अभी तक यह नहीं मालूम है कि गुलाब सिंह की लाश मिल गयी है ।

श्री गुलाब सेहरा--

अभी नहीं मिली है ।

श्री रियासत हुसैन--

आप इस बात को तस्दीक अपने विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट से किसी तरह से करा सकते हैं कि वहां खेत के पास....

श्री गुलाब सेहरा--

यहां चर्चा शुरू करने से पहले नवजीवन अखबार ने लिखा था, वह बात असत्य है ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, इस वाक्य के ऊपर हम लोग जितना भी दुख करें, कम है। इसके साथ ही साथ हमारा सर इस वारदात पर जितना झुकना चाहिये वह कम है। इसीलिये मैं कह रहा हूं यह जो वारदात है इसमें शुकूफ ही शुकूफ हैं। शुरू से आखिर तक। न कोई व्यक्ति अपने परिवार के इतने आदमियों को एक साथ मार सकता है। एक को मार देगा, दो को मार देगा। आखिर कलेजा है। अगर पत्नी को मारा तो दूसरे को मारने में कलेजा कांप जायेगा। इसके लिये बड़े दिल और गुर्दे की जरूरत है। मैं समझता हूं कि पूरे परिवार के लोगों को मार देना आसान काम नहीं है और न यह कभी सम्भव हो सकता है। यह गैर मुमकिन है। एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं यह असम्भव है कि घर का आदमी अपने परिवार के इतने आदमियों को आगे-पीछे मार डाले। इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिस एजेन्सी द्वारा या आपके द्वारा जो भी बातें आती हैं वह शक से भरी हुई हैं। प्रधान से कैसा ताल्लुक था, अपने भाई से कैसा ताल्लुक था, फूल सिंह उसका भाई है, यह कहा गया कि 28 हजार रुपया जमा है। लड़की शादी के लायक हो गयी थी। यह सब चीजें जो आ रही हैं सभी शक से भरी हुई हैं। फिर कहा जाता है कि गुलाब सिंह अपने परिवार की हत्या करके साइकिल पर बैठकर चला गया। यह सारी थ्योरी पुलिस ने आपके सामने रख दी। 9 आदमियों का मारा जाना, दिल को झकझोर देता है। मुझे कहना पड़ता है कि मुरादाबाद में जब 25 जुलाई को लज्जावती कांड हुआ था..

श्री अध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

यह इसी से सम्बन्धित है, इसी से लिंक है। श्री विजय नाथ सिंह, एस0 एस0 पी0, मुरादाबाद में थे, उन्होंने केस को थ्योराइज कर दिया कि मुस्लिम लोग वालों ने कर दिया, आज वही एस0 एस0 पी0 कानपुर में हैं और उन्होंने केस को थ्योराइज कर दिया कि गुलाब सिंह ने मारा और मार कर साइकिल पर चढ़कर चला गया। उन्होंने अपना वर्जन दे दिया कि उसने गरीबी के कारण उसने मर्डर कर दिया। एकदम पुलिस ने केस को डिक्लेयर कर दिया। मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि गरीबी के कारण हुई या अन्य किसी कारण से हुई यह घटना। मुख्य मंत्री जी इसकी डिनाई करेंगे, गुलाब सिंह ने गरीबी के कारण अपने परिवार की हत्या की, इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। मैं भीखा लाल जी की बातों से इत्तिफाक करता हूं। उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी एजेन्सी नहीं है जो इसकी सही ढंग से इंक्वायरी कर सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस केस की की जांच सी0 बी0 आई0 द्वारा करावें। वह भी आपकी ही एजेन्सी है, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की एजेन्सी है। इसलिए आप इसकी इंक्वायरी उसी से करावें।

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस घटना पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल]--

मंत्री जी घटना स्थल पर गए थे और उनको स्थिति का पता चला है, वह इतने द्रवित हो गये और उन्होंने उसकी मां को 5,000 रुपए की मदद दी है और वह रुपया डाकखाने में जमा कर दिया गया है उसके ब्याज से उसकी मां का खर्चा चलेगा। पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि गुलाब सिंह गरीब था, वह कमजोर था। मान्यवर, उसने अपने बच्चों को कभी एक थप्पड़ भी नहीं मारा था, और वह उनकी हत्या करके फरार हो गया यह समझ में नहीं आता है। उसके आंगन में कोठरी थी, रात्रि में उसका ताला तोड़ा गया तो उसके अन्दर काफी चावल, धान, 15-20 किलो आटा और कुछ बरतन निकले। वे बरतन ऐसे थे जिसको 20 दिन पहले उसने गांव के एक व्यक्ति से गिरवी रखा था। यदि उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती तो उसके पास इतना सामान न होता। इसके अतिरिक्त उसके पास एक भैंस भी थी जोकि 5 किलो दूध देती थी। मान्यवर, गांव का अच्छा से अच्छा सम्पन्न व्यक्ति गांवों में दूध बेचता है इसलिए कि पैसा मिले लेकिन गुलाब सिंह एक बूंद भी दूध नहीं बेचता था वह उसे बच्चों और बीबी के लिए खर्च करता था। अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती तो उसके बच्चों के बदन में फटे कपड़े होते। हम लोगों ने जब उन बच्चों को देखा तो उनके बदन में टेरिलीन के कपड़े थे। मैं उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए गया था मैंने देखा था कि उनके बच्चों की अच्छी तन्दुरस्ती थी। इससे साफ जाहिर है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। अब सवाल उठता है कि आखिर हत्या क्यों हुई ? इसके कुछ कारण हो सकते हैं। जर, जोरू और जमीन। धन का तो उसके पास कोई सवाल नहीं था। जोरू की जगह उसकी लड़की आती है। एक लड़की उसकी 17 साल की थी और दूसरी 15 साल की थी। डेढ़ महीने पहले गांव के एक नवयुवक ने जब यह लड़की दिशा मैदान गई हुई थी तो उसने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन लड़की की आवाज सुनकर गांव के और लोग दौड़ पड़े। घर आकर उसने अपने पिता से शिकायत की जिसका नतीजा यह हुआ कि लड़की के परिवार के साथ उस नवयुवक के परिवार की अनबन चलने लगी थी।

दूसरी बात यह कही गई की प्रधान से उसका सम्बन्ध ठीक था। यह गलत है। उसका भतीजा जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की तो कैसे सम्बन्ध ठीक हो सकते हैं। एक बात यह है कि प्रधानों के चुनाव में उसने इसका विरोध किया था और अपनी बीबी और अपना वोट दूसरी पार्टी को दिया था। इस बात को प्रधान जानता था। अब प्रश्न यह उठता है कि हत्या कैसे हुई ? सामने के दरवाजे पर जंजीर लगी थी पीछे की तरफ, गुलाब-सिंह के घर से उत्तर की तरफ उसके सगे भाई का मकान फूलसिंह के नाम का है और पीछे एक नाई का मकान है। प्रधान के मकान की छत से उसके मकान तक उतरने का रास्ता है जिसको देखकर कहा जा सकता है कि उधर से कोई आसानी से आ सकता है। दो ही रास्ते घर के अन्दर जाने के थे। क्या यह सम्भव नहीं हो सकता है कि दरवाजे पर जंजीर बन्द करके और पीछे के दरवाजे से आकर उसे भी बन्द करके यह स्थिति आ सकती थी ? मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार रुपए दाह-संस्कार के लिए भी तुरन्त स्वीकार किए हैं। मान्यवर, आस-पास की जनता भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आर्थिक स्थिति की वजह से उसने अपने परिवार की हत्या की है।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि यह जो घटनाक्रम हुआ है यह एक योजना के तहत हुआ है जिसमें कि थाना इंचार्ज विधनू और प्रधान भी शामिल हैं। विधनू का थाना-इंचार्ज और प्रधान दूर-दराज के रिश्तेदार हैं। मेरी जानकारी है और जैसा कि माननीय देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल ने कहा है वह सत्य है। एक घटना गुलाब सिंह की लड़की के साथ हुई है और जब उसने आवाज लगाई तो गांव के लोग वहां आ गए। गुलाब सिंह ने उनके भतीजे को जूतों से मारा। तब से वह बुराई मानते हैं और प्रधानी के चुनाव में भी उसने उनके विरुद्ध वोट दिया। तो यह जो सारा घटनाक्रम है इसके जिम्मेदार प्रधान विधूना थाना इंचार्ज तथा प्रधान के भतीजे हैं जिनको बचाने के लिए प्रयास थाना इंचार्ज कर रहा है। यह मेरी निश्चित जानकारी है कि गुलाब सिंह की तीन हजार कीमत की भैंस थी जो 5 किलो दिन में दोनों बार दूध देती थी लेकिन उसने कभी आज तक उस दूध को बेचा नहीं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो वह कह दिए हैं।

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

यह बात बिलकुल नहीं है अगर वह गरीब होता तो दूध बेच लेता। मान्यवर, जो मेरी जानकारी है गुलाब सिंह के मासूम बच्चों को मारने के सम्बन्ध में जो निशान पाए गए और दिवालों में निशान पाए गए उससे यह सिद्ध होता है कि यह बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से की है। यदि यह मान लिया जाय कि गुलाब सिंह ने यह घटना की है तो अकेले गुलाब सिंह कैसे मार सकता है सारे लोग जाग जाते और शव इधर-उधर पड़े होते। योजना बनाकर वह लोग गुलाब सिंह को पकड़ ले गए और दूसरी जगह मर्डर कर दिया इसलिए उसको घटनास्थल पर नहीं मारा, नहीं तो राज खुल जाता। प्रधान और उसके भतीजे ने यह घटना की है।

इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसकी सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जाय। यह इतनी दर्दनाक घटना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह जहां जान देने की बात करते हैं वहां इस्तीफा दे नहीं सकते हैं। अगर उनको जरा सा भी दुख है तो आज घोषणा करनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, हमको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे देंगे, उससे तमाम सदस्यों को फायदा होगा ताकि चर्चा आगे कर सकें। जब इसमें जांच हो रही है तो इसकी समाप्त करिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वलोकन नहीं किया।

*श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से इस चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। इस चर्चा का या किसी भी चर्चा के तीन उद्देश्य होते हैं। एक तो ध्यान आकर्षित होता है ताकि सतर्कता से उस घटना या विषय में शासन ध्यान दे, दूसरा यह कि आधिकारिक रूप से तथ्य इस सदन में सामने आयें ताकि उसके सम्बन्ध में तत्काल ऐसी कार्यवाही की जा सके, उचित ढंग से, उचित माध्यम से जांच हो सके और तीसरा यह उद्देश्य होता है कि ऐसे सुझाव आयें जिनसे जांच ठीक हो ही और भविष्य में भी ऐसी घटनायें न हों।

यह परसों इस सदन में जब मामला आया, इस बात की सूचना माननीय नेता विरोधी दल ने दी उसके पहले भी इसका पता चल गया था। मैंने उनकी सूचना में जवाब में यहां कहा था कि मैं स्वतः स्थल पर जाकर देखूंगा और जो भी तथ्य होंगे सदन में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। परसों की यह बात थी और कल ही मैं वहां गया। मेरे माननीय सदस्य को बड़ा दुख हुआ कि मैं यहां एनैक्सी में काम करता रहा। मैं उम्मीद करता था कि थोड़ा आतुर होने से रुकते। यह सारे काम होते रहते हैं लेकिन उनके बीच में यह सबसे महत्वपूर्ण काम था कि वहां जाना था लेकिन उसके बावजूद भी काउन्सिल में चुनाव था, 12 बजे तक चुनाव का अन्तिम समय था पर्चे दाखिल करने का मैं वहां जाने के लिये तैयार बैठा था और 12 बजे तक नेता होने की हैसियत से इन्तजार करना चाहिये था कि क्या दाखिल हो रहा है और जैसे ही चुनाव के बारे में 12 बजे का टाइम बीत गया मैं फौरन वहां गया। लापरवाही हुई या तत्काल मैं गया ऐसी परिस्थितियों में आप क्या कर सकते थे यह आपके सोचने की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है कि ऐसी घटना जब घटी तो क्या शासन की तरफ से इस घटना का पता लगाने के लिये, इसमें जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की गयी, तत्काल की गयी या देर से। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इस घटना की सूचना मिली, यह घटना निर्विवाद सत्य है, आपको भी विवाद नहीं है इस घटना में, पता तो सुबह 8 बजे के लगभग चल गया था लेकिन जैसा बताया कि मैं 12 बजे के बाद फौरन गया। मान्यवर, यह घटना 28 फरवरी की रात में हुई है किन्तु कब घटना हुई, समय अभी तक इन्वेस्टीगेशन के हाथ में है कि कब हुई। लेकिन पोस्ट मार्टम से माननीय सदस्य और हम भी जानते हैं कि, डेढ़ दिन हो सकता है, दो दिन हो सकते हैं, इसलिये प्वाइन्ट आफ टाइम फिक्स करना पोस्ट मार्टम के लिये बड़ा मुश्किल काम है। मान्यवर, सुबह जैसे ही यह पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के सारे अधिकारी, और उच्च अधिकारी जो हो सकते हैं वह वहां पहुंचे। ऐसी घटना के लिये सबसे पहले कदम जो उठाया जा सकता था वह उठाया गया कि गुलाब सिंह गायब है तो वह कहां है जिसको तलाशने के लिये 4 किलोमीटर के घेरे में जितने तालाब और कुयें थे उनमें गोताखोरों से छानबीन की गयी, और डाग स्क्वैड जो ऐसे मौके पर भेजा जाता है वह वहां भेजा गया।

मान्यवर, ऐसे समय में आवश्यक होता है कि क्राइम करने वालों के अंगुलियों और पैरों की छाप जो मिल सकते हैं उसको लेने के लिये वरिष्ठ अधिकारी वहां गये कि छाप लें। इसलिये हमने तलाशी का प्रबन्ध किया, व मनो-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वैज्ञानिक ढंग से जांच का प्रबन्ध किया। इसके साथ ही साथ बात बिगड़े न, इसलिये पोस्ट मार्टम के समय दो डाक्टरों का प्रबन्ध किया और जो डा0 सिंघल स्पेशलिस्ट हैं उनको वहां भेजा गया ताकि पोस्ट मार्टम के बाद वह भी देख लें कि कार्यवाही ठीक हुई है कि नहीं।

मान्यवर, जो बुनियादी इसमें जांच को सही दिशा में ले जाने के लिये हमको मदद कर सकते थे वह सारी कार्यवाही तत्काल की गयी। यदि तत्काल न की जाती तो नुकसान हो सकता था।

मान्यवर, अब इन तथ्यों के बाद कुछ विवादक तथ्य सामने हैं कि रात का वाक्या था, 9 आदमियों की हत्या हुई है। एक व्यक्ति घर का मालिक गायब है। यह भी तथ्य झुठलाया नहीं जा सकता है और मौके पर देख सकते हैं कि एक घर का पार्टीशन हुआ है, उसमें एक गुलाब सिंह रहता है, दूसरे में उसका सगा भाई रहता है। उसी घर के पीछे एक नाई का मकान है वह रहता है, उसके पीछे नरेन्द्र सिंह रहते हैं जिन्होंने पहली बार उसके मकान की कुंडी खोलकर झांक कर देखा कि अब तक दुकान क्यों नहीं खुली है। श्री नरेन्द्र सिंह पान की दुकान पर आये थे जो उनका दूसरा भाई पान की दुकान रखता है। नरेन्द्र सिंह के पास एक लड़की आयी जिसने बताया कि कुंडी गुलाब सिंह की नहीं खुली है और उनका घर बन्द है, तो उन्होंने पहली बार कुंडी खोलकर देखा तो यह वीभत्स दृश्य देखा।

उसके बगल में, (6·20 अपराह्न से) दूसरे बगल में प्रधान का घर है उसके घर की छत पर जाकर मैंने देखा तो यह सही है कि प्रधान के घर की छत से उसके घर में उतरने का रास्ता है, सीढ़ी है और उस वक्त गुलाब सिंह की तरफ से उसमें ताला बन्द था। लेकिन उधर से रास्ता है और यह सही है कि जो पर्दे वाली दीवाल है, वह भी बहुत ऊंची नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि घटना कैसे हुई और यह मेरा काम भी नहीं है और यह कहना आपका काम भी नहीं है। सी0 आई0 डी0 की जांच हो रही है, और उसमें सारे आवश्यक लोग जांच के लिये लगाए गये हैं। सी0 बी0 आई की जांच के बारे में आपने कहा है, लेकिन वह कितने दिन में होगी, कब होगी, कैसे होगी, यह विचारणीय होता है। इस पर किसी ने नहीं सोचा। मैं आगे एक-दो बातें और कहना चाहूंगा कि यह जहां तक उसके घर जाने का सवाल है, उसके घर की सारी बातें देखने का सवाल है, मैं यहां से गया। यह मेरे पास उसके गरीबी की जो बात कही गई, अभी उसकी आर्थिक स्थिति का अन्दाज पूरे का पूरा तो है नहीं कि वह गरीब था, अमीर था, कमजोर था। कुछ तथ्य जो सामने आए हैं, उसके आधार पर लोगों ने वहां कहा और यह किसी ने नहीं कहा कि यह हो सकता है।

जब कोई जांच प्रारम्भ होती है तो एक सूत्र, दो सूत्र, तीन सूत्र, जितने भी सम्भावित सूत्र होते हैं, सभी पर ध्यान इन्वेस्टीगेशन करने वालों का जाता है और जाना भी चाहिए और यदि नहीं जाता है तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टीगेशन-मशीनरी ठीक नहीं है। चाहे वह सूत्र सही निकले या गलत निकले, लेकिन ध्यान सभी पर जाता है। ऐसी हालत में जब यह बात निर्विवाद है कि गांव में कोई शोर-होहल्ला नहीं हुआ, किसी तरह की आवाज सामने नहीं आई, जब तक लड़की नहीं आई गांव के किसी आदमी ने घटना का कोई जिक्र नहीं किया है। तो यह निश्चित हो जाता है कि घटना चाहे कैसे भी हुई हो, किसी बड़े दल या गिरोह की ओर से नहीं हुई, जिससे शोर शराबा होकर पूरे गांव को

[श्री श्रीपति मिश्र---]

पता चल जाता। फिर भी यह हुआ और कुछ न कुछ उस घर के कांफिडेंस में किया गया और बच्चों को ऐसी हालत में करके यह व.किया किया कि स्वतः उनकी भी आवाज नहीं आ सकी, वह चाहे जिस कारण हो। हो सकता है कि इस बारे में विभाग के एक्जामिनेशन के बाद कोई बात सामने आ जावे कि उसके पहले क्या हुआ था। यह कोई भी बात हो सकती है, वह अलग अपनी जगह हो सकती है। उसके दो पास बुक निकली हैं। उसने 7 बीघा जमीन बेची थी, उसमें 25 हजार रुपया जमा करने की बात निकली थी। जांच से पता चला कि उसकी जमीन 10/11 साल पहले बिकी थी। उसकी जांच हो रही है, वह प्रधान भी मौजूद था और एक शिवबली सिंह हैं वह उस वक्त नहीं मौजूद थे।

प्रधान ने बताया कि मैं गुलाबसिंह व शिवबली सिंह को लेकर गया था, उसी दिन उस जमीन की रजिस्ट्री हुई थी और उसी दिन उसने पैसा भी जमा किया था। रजिस्ट्री होने की वजह से विलम्ब हो गया था, इसलिए जब पैसा जमा करने का समय आया वह बड़े डाकखाने में गया, क्योंकि देर हो जाने के कारण बैंक में जमा नहीं किया जा सकता था पोस्ट आफिस में जमा हुआ, वहां पर 15 हजार से ज्यादा नही जमा हो सकता है, इसलिए उनके नाम से 15 हजार वहां पर जमा किया गया और शिवबली सिंह के नाम से 11 हजार रुपया वहीं जमा किया गया बाद में पता चला कि शिवबली सिंह ने अपना 11 हजार ड्रा कर लिया है। पोस्ट आफिस से पता लगाने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे उस वक्त के कई खाते हैं, आप डेट और समय बतायें या खाते रखे हैं, उसमें से देख लीजिए। लेकिन अब एक सूत्र और पता लगा है कि रजिस्ट्रेशन भी उसी दिन हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन विभाग में आदमी लगा दिये गये हैं कि किस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है तो रजिस्ट्रेशन विभाग से यह पता लग जायगा कि 15 हजार 20 हजार या 30 हजार का रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे यह पता लग जायगा कि क्या जमा है दूसरी पास बुक में पता चली दूसरी पास बुक का, एक पास बुक जो वहां मिली, उस पास बुक का नम्बर ए-895173 और दिनांक 16-6-78 है। उस वक्त उसमें एक बैलेंस कैरी आउट हुआ था, मालूम होता है, दूसरी पास बुक से, जो 4 हजार रुपये का था, वह बैलेंस घटते-घटते आखिरी ड्रा जब हुआ है 1-9-82 को तो 25 रुपया उसने विदड्रा किया और 25 रुपया विदड्रा करने के बाद 5 रु0 20 पैसे शेष बचे थे, 2 रु0 25 पैसे सूद जुड़ा था कुल मिला कर 7 रु0 45 पैसे का उसका एकाउन्ट था। उसके घर पर दूध देने वाली भैंस है। परचून की उसकी दूकान है। उसके घर पर मैं गया था, उसके घर की स्थिति को देखा कि जिस तरह से उसके घर की स्थिति पहले थी, उसी तरह की है। जिस किसी भी माननीय सदस्य को उसकी स्थिति के बारे में जानकारी करना हो माननीय नेता विरोधी दल या अन्य जो नेता जाना चाहें, जांय और जा करके देखें कि उसके घर की स्थिति कैसी है। वह जब भी जाना चाहें, वहां के अधिकारियों से कह दूंगा कि आप हमारे विधायक हैं, आपको देखने में कोई असुविधा नहीं होगी। आपका देखना हमारे लिये बल मिलेगा। आप जब उसको देखकर आयेंगे, तो आपको उसकी स्थिति के बारे में सही जानकारी हो जायगी।

दूसरी बात प्रधान के सम्बन्ध में कही जाती है। मैं उसकी मां से भी मिला था। मैं गुलाब सिंह के भाई की बीबी से भी मिला था और उसकी मां और उसकी बीबी से जो कुछ मैंने पूछताछ की, जाहिर है कि मैं वहां जिरह करने नहीं

गया था कि सवालात करता और न मैं इस मूड में था कि सवालात करता। पूछने पर वह सिर्फ यह कहती है कि हमको यह दुःख है कि वह चले गये और हमको कुछ पता नहीं है और सबके बारे में वह कहती थी कि हमको किसी पर संदेह नहीं है। हो सकता है कि ऐसे दुःखी वातावरण में वह अपने मन की बात न कही हो। उस वक्त जो उन्होंने कहा, उनका जो मूड था, उन्होंने यह बात कही।

अभी यह कहा गया कि 5 हजार दिया गया है, तो एक माननीय सदस्य ने कुछ इस तरह की आवाज में कहा कि रुपया देकर चले आये, तो मैंने यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि उसको दिखाने के लिए दिया गया। एक लड़का उसका भाग गया और एक लड़का उसका पान की दुकान चलाता है। 2 हजार रुपया दाह संस्कार के लिए इसलिए दिया गया कि उसके पास दाह संस्कार के लिए कोई चारा नहीं था। उसके जितने रिश्तेदार थे, उनको भी हिदायत कर दी गयी। जो एक बात कही गयी इसकी कि प्रधान के भतीजे हैं, उनसे अलग रहते हैं और तीन बच्चों के बाप हैं, उनके बारे में यह शिकायत डेढ़ महीने की, तो मेरे सामने नहीं आई, हो सकता है डेढ़ महीने से ज्यादा हो या कम हो। दूसरे लोगों ने तो उस समय कही नहीं, बात करने पर मालूम हुआ कि आज से 7-8 महीने पहले कोई घटना हुई थी, शिकायत हुई थी, जब उसकी मां मौजूद थी और यह बात आपस में डांट-डपट कर शांत हो गयी थी। उसके अलावा से क्या घटना हो सकती है इसकी जांच जरूरी है, इसकी जांच की जायेगी। दूसरी कुछ बातें यहां पर आयीं जिनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं, माफ करेंगे, जब मैं कहूंगा, शायद इस बात को आप दूसरे रूप में लें।

कहा गया कि प्रधान लोकदल का है और यह कांग्रेसी थे इसलिये प्रधान की रंजिश थी। मैं नहीं जानता हूं कि किसी दल में होकर इतनी रंजिश हो सकती है कि एक दूसरे की जान ले। अगर हो सकती है तो आदमी क्या कर सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आदमी कुछ भी कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसकी जांच सी0 आई0 डी0 कर रही है। अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे दोस्त माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कहा कि मैं पोर्टफोलियो छोड़ दूं और एक माननीय विधायक ने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो मैं ओहदे और पद को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें। लेकिन मैं तर्क विचार और तर्क के आधार पर क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं है, यह मैं भली भांति समझता हूं।

(मेजों की थपथपाहट।)

घर में बैठकर कोई घटना हो, कोई किसी को जहर खिला दे, दोस्त बनकर जहर खिला दे, घर में बैठकर अगर ऐसी घटना घटी है, चाहे दुश्मन करे या कोई करे तो यह शासन की व्यवस्था की या कानून की व्यवस्था की इन्क्रोचमेन्ट की घटना नहीं है। कानून और व्यवस्था की घटना तब होती है जब आम रूप से ऐसा लगे कि जैसे डाकू चोर और बदमाश छाये हुए हैं। विधान सभा से निकल कर एक जगह से दूसरी जगह को जाने में परेशानी हो। घर में बैठकर अगर किसी योजना के तहत ऐसा हुआ तो ऐसी योजना जो बनाता है, उसको ढूंढ़कर दंड दिया जायगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

[श्री श्रीपति मिश्र--]

लेकिन आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते हैं कि कोई इस तरह की योजना बना सकता है और अबोध बच्चों की हत्या करेगा और जरूरत कुछ नहीं है ? कौन सी जरूरत थी जिसके पीछे यह हो सकता है ? कोई मोटिव हुये बगैर बतायें कि जिसके पीछे यह योजना हो सकती है ? एक दूसरे की छेड़खानी, एक दूसरे के झगड़े का मामला हो सकता है लेकिन ऐसी छेड़खानी और ऐसे झगड़े के पीछे ऐसा नृशंश अपराध किया जाय और दुधमुहें बच्चों की हत्या की जाय । यह मनुष्य नहीं कर सकता शैतान करेगा, राक्षस करेगा । अगर किसी ने ऐसा किया है तो वह शैतान है राक्षस है ।

(मेजों पर थपथपाहट ।)

श्री भगवान दीन कुशवाहा--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठे व्यवस्था का सवाल नहीं है ।

श्री श्रीपति मिश्र--

एक बात आपने कही कि पुलिस की तरफ से इस बात का प्रचार न किया जाय...

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, शेर की मांद को पीछे चूहों का पिछवाड़ा कब तक चलेगा ।

श्री श्रीपति मिश्र--

मान्यवर, एक बात यह कही गयी कि पुलिस की तरफ से प्रचार पर बल न दिया जाय कि यह गरीबी की वजह से हुआ है । मैं वादा करके जाता हूं । (आप शांत रहें) पुलिस इस तरह का कोई सूत्र, किसी भी निर्णय का प्रचार नहीं करेगी । जितने भी सूत्र आपके ध्यान में हों, और भी सूत्र यहां दें, हर सूत्र पर जांच होगी और कार्यवाही होगी । अभी हाउस चल रहा है किसी स्टेज पर कार्यवाही महसूस हो कि ठीक तरह से नहीं हो रहा है तो यह बात आप यहां उठा सकते हैं । आपकी दूसरी मांग के बारे में हम विचार कर सकते हैं ।

(मेजों की थपथपाहट ।)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है ।

श्री हुकम सिंह---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करा दें ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि अब कोई ऐसी बात नहीं है (व्यवधान) आप लोग शांत रहें । अब सभी तथ्य आ गये हैं । अतः प्रश्न यह है कि यह चर्चा समाप्त की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
3 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1764 पर)

नगरपालिका खैराबाद	सामग्री	संख्या
	1—बल्ब फिलिप्स 60 वाट व 100 वाट	2,430
	2—होल्डर	300
	3—तार (बी0 वी0 सी0)	3.5 क्वायल
	4—रजिस्ट्रेशन	800
	5—ट्यूब लाइट सामग्री (राड, चोक, स्टार्टर)	10
	6—ट्यूब लाइट कम्पलीट सेट (क्राम्टन ग्रोब्ज)	60
नगरपालिका लहरपुर		
	1—बल्ब	1,305
	2—होल्डर	198
	3—सीलिंग फैन	2
	4—मरकरी बल्ब	20
	5—तार	2 क्वायल
	6—कटाउट	4
	7—टैप	5
	8—फ्यूज तार	1 पैकेट
	9—प्लक	2
	10—स्वीच	12

नत्थी "ख"

देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 24 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1770 पर)

राम अवध,
संसद सदस्य,
(लोक सभा)

27 संसदीय क्षेत्र
अकबरपुर, फैजाबाद,
दिनांक 2-11-81

आवश्यक स्मरण-पत्र

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय--भूमि विकास बैंक द्वारा कृषक के साथ की गई घपलेबाजी एवं अनियमितता पर जांचोपरान्त तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं आपका ध्यान राज्य सरकार के सहकारिता विभाग से सम्बद्ध उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 लखनऊ की शाखा बैंक टाण्डा, फैजाबाद में की गई अनियमितता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं जोकि पूर्णतया सत्य एवं निम्नवत् है--

1--यह कि कृषक श्री सीताराम पुत्र श्री टोडी वर्मा, निवासी ग्राम पियारेपुर, पो0 बरौरा, जिला फैजाबाद को भूमि विकास बैंक टांडा, फैजाबाद से सन् 1974 ई0 में बैंक से अप्रूव्ड अमृत डीजल इंजन 8 हार्सपावर नं0 1285 दिया जाना स्वीकृत हुआ था मगर किसान को 7/8 हार्सपावर का अमृत इंजन नं0 1245 दिया गया और उसे भी वापस लेने के बाद अभी तक वह इंजन नहीं दिया गया तथा नान अप्रूव्ड इंजन की सप्लाई के बावजूद भी कृषक द्वारा पृष्ठांकित चेक का भुगतान तत्कालीन शाखा प्रबन्धक ने ग्राम सेवक एवं ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 से फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लगवाकर सम्बन्धित डीलर को कर दिया परन्तु आज तक विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी उक्त शाखा प्रबन्धक से यह पूछने का प्रयास नहीं किया गया कि उसने ऐसा अवैधानिक एवं निकृष्ट कार्य क्यों किया ?

2--यह कि कृषक की शिकायत पर जांचपरान्त प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 22-6-79 को विक्रेता फर्म मै0 रंजीत मशीनरी स्टोर्स अकबरपुर, फैजाबाद की जमानत में से 3,500 रु0 ब्याज के साथ काट कर कृषक के ऋण खाते में समायोजित करने का आदेश दिया था परन्तु अभी तक उसका अनुपालन नहीं हो पाया। इसके साथ ही साथ उक्त आदेश में पुनः प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 25-3-81 को अकारण परिवर्तन करके उक्त धनराशि के साथ दिया जाने वाला ब्याज काट करके कृषक के खाते में निर्माता फर्म मै0 एवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, भक्तिनगर, स्टेशन राजकोट 360002 (गुजराज) की जमानत से कटौती करके केवल

35000 रु0 मात्र समायोजित करने का आदेश दिया और साथ ही साथ कृषक को पुराना किर्लोस्कर इंजन मार्ग भाड़ा देय (फ्रेट पे) पर उक्त निर्माता फर्म को भेजने का निर्देश दिया जबकि उक्त पुराने किलोस्कर इंजन से बैंक द्वारा विक्रेता फर्म को दी गई धनराशि मु0 3500 से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

3--यह कि कृषक का निर्माता फर्म से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है । अतः निर्माता फर्म अपने अधिकृत विक्रेता फर्म से ही कृषक द्वारा वापस किए गये 7/8 हार्स पावर नं0 1245 अमृत इंजन को ही वापस लेने का नियमतः अधिकारी है । चूंकि कृषक से विक्रेता फर्म को 1,980.50 रु0 नकद धन देकर इंजन के साथ अन्य सामान खरीदा था और त्रुटिपूर्ण अमृत इंजन नं0 1245 को वापस करते । समय सम्पूर्ण अन्यसामान भी ठीक न होने की वजह से वापस कर दिया था और नकद धन 1,980.50 रु0 के बदले में भी पुराना किर्लोस्कर इंजन अमानत के तौर पर ले लिया था । अतः जब तक कृषक को विक्रेता फर्म से 1,980.50 रु0 पुनः वापस नहीं मिल जाता है तब तक वह पुराना किर्लोस्कर इंजन निर्माता फर्म को भेजने का कोई औचित्य नहीं होता है ।

4--यह कि सहायक सामान्य प्रबन्धक का यह कहना कि कृषक पुराना किर्लोस्कर इंजन अपने उपयोग में ला रहा है । अतः बैंक से विक्रेता फर्म को दी गई धनराशि 3,500 रु0 पर ब्याज दिलाना सम्भव नहीं है । पूर्णतया ज्यादती एवं पक्षपात से ओतप्रोत है । क्योंकि पुराने किर्लोस्कर इंजन से बैंक द्वारा विक्रेता फर्म को दी गई धनराशि से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके साथ ही साथ क्या विक्रेता फर्म के पास कोई लिखित प्रमाण-पत्र है कि उसने पुराना किर्लोस्कर इंजन कृषक को त्रुटिपूर्ण इंजन नं 1245 के बदले में दिया है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि भेजकर मुझे अवगत कराया जावे ।

5--यह कि उक्त गम्भीर समस्या के निदान हेतु मैंने अपने रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 28-9-81 द्वारा आपसे अनुरोध किया था और कृत कार्यवाही से स्वयं को अवगत कराने का अनुरोध किया था परन्तु अत्यन्त खेद है कि मुझे उक्त संदर्भ में आज तक कोई सूचना आप द्वारा नहीं भेजी गई । ऐसी स्थिति संतोषजनक नहीं है ।

अतः आपसे मेरा पुनः अनुरोध है कि आप उक्त संदर्भ में तत्काल जांच कराकर आवश्यक कठोर कार्यवाही करके दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने का कष्ट करें और कृषक को राहत दिलावें । कृपया मुझे उक्त संदर्भ में कृत कार्यवाही से अवश्य ही अवगत करने का कष्ट करें ।

सधन्यवाद

भवदीय,

राम अवध,

संसद सदस्य, लोकसभा ।

प्रतिलिपि

राम अवध,

संसद सदस्य (लोक सभा)

27 संसदीय क्षेत्र

अकबरपुर, फैजाबाद

दिनांक 1-3-1982

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

महोदय,

(1) आप कृपया अपने पत्र सं0 4573/सी0एम0/एम0एल0C/81, विधान भवन लखनऊ दिनांक 30 नवम्बर, 1981 का अवलोकन करने का कष्ट करें । जिसके द्वारा आपने मुझको सूचित किया है कि मेरा भूमि विकास बैंक टांडा, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायत विषयक पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1981 प्रदेश के सहकारिता मंत्री जी के पास छानबीन हेतु भेज दिया है । खेद है कि इतने अन्तराल के बाद भी मुझे पत्रोल्लिखित शिकायतों की जांच आख्या से अवगत नहीं किया गया ।

(2) कृपया ज्ञातव्य है कि उक्त पत्र में उल्लिखित कृषक श्री सीताराम वर्मा, निवासी ग्राम पियरेपुर, पो0 बरौना, जिला फैजाबाद को उक्त बैंक द्वारा बैंक के कागजात के अनुसार स्वीकृत 8 हार्सपावर का अमृत डीजल इंजन नं0 1285 शाखा प्रबन्धक ने विक्रेता फर्म से न दिलाकर दूसरा त्रुटि पूर्ण इंजन 7-8 हर्सपावर नं0 1245 दिलाया था और नान अपूर्डड इंजन की सप्लाई पर ही सक्षम अधिकारियों के फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लगवाकर इंजन हेतु पृष्ठांकित चेक का भुगतान किया था । जिसके संदर्भ में मैंने अपने पत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1981 द्वारा आपको सूचित किया था और साथ ही साथ विधायक श्री राम जी राम कांग्रेस (आई) ने भी अपने पत्र दिनांक 21 अक्तूबर, 1981 द्वारा माननीय सहकारिता मंत्री जी को सूचित किया था कि उपरोक्त मामलों में वस्तुस्थिति क्या है, परन्तु विधान सभा प्रथम सत्र 1982 के दूसरे गुरुवार दिनांक 28 जनवरी, 1982 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 22, 23, 24 व 25 के संदर्भ में उक्त विधायक को सहकारिता मंत्री जी द्वारा लिखित प्राप्त उत्तर का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार की निगाह में नौकरशाही के मुकाबले जन प्रतिनिधियों की कोई गणना नहीं है और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने उक्त प्रश्नों का उत्तर देने में मेरे तथा क्षेत्रीय विधायक के कथन पर कोई ध्यान न देकर विभाग का एक झूठा कथन सत्य मानकर प्रश्नों का असंतोषजनक उत्तर सदन पटल पर रखकर सदन को गुमराह किया, जिसके लिए अत्यन्त ही खेद है ,

(3) अतएव आपसे विशेष आग्रह एवं अनुरोध है कि उक्त क्षेत्रीय विधायक के अतारांकित प्रश्नों के उत्तर का संदर्भ लेते हुए निम्न तथ्यों के आधार पर अपने स्तर से जांच कराकर पत्र प्राप्ति के विलम्बतम एक माह के अन्दर मुझे जांच आख्या से अवगत करने की अवश्य ही कृपा करें :

1--यह कि विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 706-7/शिकायत टांडा/76-77, दिनांक 13 अगस्त, 1976 के अनुसार दिनांक 20 अगस्त, 1976 को करायी गयी जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये थे और प्राप्त तथ्यों के संदर्भ में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

2--यह कि उक्त संदर्भ में क्या अमुक इंजन के कान्ट्रेक्टिंग फर्म मेसर्स आर0 जे0 लाल एन्ड संस ने मुख्य सामान्य प्रबन्धक को प्रधान कार्यालय के पत्रांक 112005, दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के आधार पर सूचित किया है कि उक्त कृषक को उसके अधिकृत विक्रेता फर्म मेसर्स रंजीत मशीनरी स्टोर्स, अकबरपुर, फैजाबाद ने 7-8 हार्सपावर का अमृत इंजन नं0 1245 दिया है ? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी का यह कथन क्या सत्य है कि कृषक को 7-8 हर्सपावर का अमृत इंजन 1265 नहीं दिया गया था और शाखा प्रबन्धक ने फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लगाकर चेक का भुगतान नहीं किया था ?

3--यदि माननीय मंत्री जी को क्या विभाग से कृषक और विक्रेता फर्म के मध्य लिखित इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र प्राप्त है कि कृषक ने विक्रेता को 8 हार्सपावर का अमृत डीजल इंजन नं0 1285 स्वयं वापस करके उसके बदले में पुराना किर्लोस्कर इंजन प्राप्त किया था ? यदि हां, तो उस पत्र का फोटो स्टेट कापी सत्यापन हेतु मुझे प्रेषित की जाये । अगर ऐसा नहीं है कृषक से पुराना किर्लोस्कर इंजन ज्यादती तौर पर निर्माता फर्म को क्यों दिलाया जा रहा है ।

4--यदि माननीय मंत्री जी का यह कहना कि विभाग को प्रबन्धक निदेशक के पूर्व आदेश दिनांक 22 जून, 1979 के पहले यह जानकारी नहीं थी कि कृषक बिक्रेता फर्म से प्राप्य पुराना किर्लोस्कर इंजन अपने उपयोग में ला रहा है । अतः बाद जानकारी निर्माता फर्म से ब्याज की क्षतिपूर्ति करना उचित नहीं समझा गया उक्त संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि विभाग ने दिनांक 20 अगस्त, 1976 को करायी गयी जांच में किस तथ्य की जांच कराई थी जो कि विभाग के वस्तुस्थिति की जानकारी नहीं थी ?

अतः आपसे पुनः मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त तथ्यों के आधार पर कृषक के साथ कथित भ्रष्टाचार की अपने स्तर पर न्यायिक जांच कराकर कृषक की संपूर्ण क्षतिपूर्ति के साथ इंजन अथवा इंजन का धन दिलवाने का कष्ट किया जावे । कृपया कृत कार्यवाही से मुझे अवश्य ही अवगत किया जावे ।

सधन्यवाद ।

भवदीय,

(ह0) राम अवध,

संसद सदस्य,

लोक सभा, नई दिल्ली ।

राम अवध,

संसद सदस्य,

(लोक सभा)

27 संसदीय क्षेत्र

अकबरपुर, फैजाबाद

दिनांक 6-9-1982

आवश्यक स्मरण पत्र-3

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

विषय : भूमि विकास बैंक की शाखा टांडा, फैजाबाद के भ्रष्ट कर्मचारियों द्वारा की गई गम्भीर अनियमितता एवं घपलेबाजी की शासन स्तर पर निष्पक्ष जांच करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आप कृपया पत्रांक 1471/सी0 एम0/एम0 पी0/82, विधान भवन, लखनऊ दिनांक 8 अप्रैल, 1982 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि उक्त बैंक के विरुद्ध मेरे शिकायत विषयक पत्र दिनांक 1 मार्च, 1982 की छानबीन कराई जा रही है । मैंने उक्त पत्र में अनुरोध किया था कि मुझे उक्त मामले की जांच आख्या से विलम्बतम एक माह के अन्दर अवश्य ही सूचित किया जावे । परन्तु अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने अन्तराल के बाद भी मुझे उक्त संदर्भ में जांच आख्या से आज तक अवगत नहीं किया गया । अतः मैं पुनः विशेष आग्रह के साथ अनुरोध करता हूं कि मेरे उक्त शिकायत विषयक पत्र का संदर्भ लेते हुए अपने स्तर से निम्न तथ्यों के आधार पर जांच कराकर मुझे निर्धारित अवधि विलम्बतम एक माह के अन्दर ही जांच आख्या से अवगत कराने का कष्ट करें ।

1--यह कि विधान सभा द्वितीय सत्र 1982 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0 24, 25, 26 व 27 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्न 25 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद की जांच रिपोर्ट पत्रांक 1316/शिकायत/77-78, दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 के अनुसार कान्ट्रैक्टिंग फर्म द्वारा दी गई सूचना गलत पाये जाने पर फर्म के विरुद्ध उचित कार्यवाही न करके उल्टे ही कृषक के साथ दिनांक 22 जून, 1979 के पूर्व ऋण वसूली की कार्यवाही ज्यादती तौर पर क्यों की गई तथा कृषक को कैद में बन्द कराकर उनके मान सम्मान का अपहरण करके ऋण वसूली का अवैध खर्च क्यों वसूल किया गया ।

2--यह कि क्या यह सत्य है कि संदर्भित कृषक व विक्रेता फर्म के मध्य लिखित समझौता पत्र कान्ट्रैक्टिंग फर्म की मुख्य सामान्य प्रबन्धक को प्रेषित सूचना एवं जांच के दौरान कृषक व विक्रेता फर्म के लिखित बयान में कृषकार को प्राप्त अमृत डीजल इंजन का नं0 1245 अंकित है यदि हां, तो क्या विधान सभा प्रथम सत्र 1982 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न 22 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्ट विभागीय कर्मचारियों का कथन इतने प्रमाण के बावजूद भी सत्य हो सकता है कि कृषक को अमृत डीजल इंजन 1245 नहीं दिया गया था बल्कि कृषक को बैंक पत्रावली में अंकित अमृत इंजन 1285 प्राप्त हुआ था तथा शाखा प्रबन्धक ने फर्जी टेस्टिंग रिपोर्ट लगवाकर चेक का भुगतान नहीं किया था ? यदि नहीं तो क्या सरकार भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों को दन्डित करके भ्रष्टाचार के बढ़ाने को रोकेगी।

3--यह कि क्या यह सत्य है कि विधान सभा द्वितीय सत्र 1982 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न 24 के उत्तरानुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक, फैजाबाद में दिनांक 21 अक्तूबर, 1976 को मुख्य सामान्य प्रबन्धक को सूचित किया था कि कृषक ने फर्म से प्राप्त अमृत डीजल इंजन वापस करके आपसी समझौता द्वारा पुराना किर्लोस्कर पम्प सेट प्राप्त किया था यदि हां, तो क्या विधान सभा प्रथम सत्र 1982 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न 25 के उत्तरानुसार विभागीय बैंक कर्मचारियों का कथन सत्य है कि कटौती के पूर्व आदेश दिनांक 22 जून, 1979 के बाद यह जानकारी होने पर कि कृषक विक्रेता फर्म से आपसी समझौता द्वारा बिना बैंक को सूचित किए हुए प्राप्त पुराना किर्लोस्कर पम्प सेट का उपयोग करता है यह उचित नहीं समझा गया कि इंजन निर्माता फर्म के ब्याज की भी प्रतिपूर्ति करायी जावे और तदनुसार निर्माता फर्म से कटौती के आदेश में संशोधन किया गया? यदि नहीं तो सरकार शासन को झूठी आख्या देने के आरोप में क्या भ्रष्ट कर्मचारियों को उचित दंड देगी ।

4--यह कि क्या विभाग के पास फर्म और कृषक के मध्य लिखित इस प्रकार का कोई प्रमाण-पत्र है कि कृषक ने विक्रेता फर्म को 8 हार्सपावर का अमृत डीजल इंजन नं0 1285 वापस कर के उसके बदले में पुराना किर्लोस्कर इंजन प्राप्त किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार सत्यापन हेतु उस पत्र की फोटो स्टेट कापी जांच आख्या के साथ प्रेषित करेगी यदि नहीं तो सरकार द्वारा निर्माता फर्म को पुराना किर्लोस्कर इंजन फ्रेट-टू-पे आधार पर दिलाने का क्या कारण है ?

सधन्यवाद ।

भवदीय,

दिनांक 6-9-1982

(ह0) राम अवध,

संसद सदस्य, लोकसभा,

नई दिल्ली ।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1674 पर।)

औषधि निर्माताओं से अस्पताल के लिए दवा खरीद हेतु किये गये समझौते की सूची :

1—श्रीमन्त एलवर्ड डेविड लिमिटेड, 4-ए0 पी0 सेन रोड, लखनऊ ।

2—श्रीमन्त मेग्गा रवीन्द्रा लैब इंडिया लिमिटेड, इन्दिरा उद्योग भवन, गाजियाबाद ।

3—श्रीमन्त टैबलेट इंडिया लिमिटेड, 4, नयागंज, गाजियाबाद ।

4—श्रीमन्त एलकली एन्ड केमिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास ।

5—मेसर्स वायोलोजिकल इवान्स लिमिटेड, मौसमबाग, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

6—श्रीमन्त ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल लैब-380/82-जे0 शंकर स्ट्रीट रोड, चीरा बाजार, बाम्बे ।

7—श्रीमन्त बरोज वेलकम ऐन्ड कं0 इंडिया प्रा0 लि0-16, बैंक स्ट्रीट, बाम्बे ।

8—श्रीमन्त डालफिन लैब प्रा0 लि0, मौसमबाग, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

8—श्रीमन्त ईस्टर्न लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0, 6/10, डाक्टर्स लेन, नई दिल्ली ।

10—श्रीमन्त इथिनौर लिमिटेड, 304, फोरजीट स्ट्रीट, बाम्बे ।

11—श्रीमन्त जाफरी मैनर्स एन्ड कं0 लि0, खेतान निवास, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

12—श्रीमन्त जर्मन रेमेडीज लिमिटेड, डा0 ए0 वी0 रोड, वारली, बाम्बे ।

13—श्रीमन्त हेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सी-43/28, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ ।

14—श्रीमन इन्डिस्ट्रियल साल्वेन्ट एन्ड केमिकल प्रा0 लि0, वैलकम हाऊस, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

15—लैब्रास केमिकल, सीतापुर रोड, लखनऊ ।

16—श्रीमन्त लाइका लैब, 77, नेहरू रोड, बाम्बे ।

17—श्रीमन्त मे एन्ड बेकर इंडिया प्रा0 लि0, 23-विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

18--मेडिसिन्स इंडिया-बी-17, सिन्धुनगर, लखनऊ ।

19--श्रीमन्त माइक्रोव लैबोरेट्रीज-39, मंगल मार्केट, नई दिल्ली ।

20--श्रीमन्त माइक्रो लैब प्रा0 लि0, 423, किलपाक गार्डेन रोड, मद्रास ।

21--श्रीमन्त निरुफ लैबोरेट्रीज, 164, सेनापति बपत मार्ग, बाम्बे ।

22--श्रीमन्त रैलिस इंडिया लि0, मल बिल्डिग, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

23--श्रीमन्त सैन्डोज इंडिया लिमिटेड, शाहनजफ रोड, लखनऊ ।

24--श्रीमन्त साराभाई केमिकल, आनन्द भवन, 16, विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

25--श्रीमन्त एस0 जी0 केमिकल व फार्मास्युटिकल्स, 16, विधान सभा मार्ग, लखनऊ ।

26--श्रीमन्त साइमन लैबोरेट्रीज इंडिया, 53, इन्डस्ट्रियल एरिया महरौली रोड, गुरगांव, हरियाणा ।

27--श्रीमन्त तामिल नाडू ढाढा फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, बी-744, महानगर, लखनऊ ।

28--श्रीमन्त यूनिक फार्मास्यूटिकल लैब डा0 एनीबीसेन्ट रोड वारली, बाम्बे ।

29--श्रीमन्त यू0 एस0 विटामिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंण्डिया लि0 43--डा0 वी0 बी0 गिरि गांधी मार्ग, बाम्बे ।

30--श्रीमन्त एलाइड सर्जिकल इम्पोरियम, लालबाग, लखनऊ ।

31--श्रीमन्त आरपाइक प्रा0 लि0--22 ए0 पी0 सेन रोड, लखनऊ ।

32--श्रीमन्त भारत डेण्टल एण्ड मेडिकल सप्लाई कं0 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ ।

33--श्रीमन्त कैमीडाक इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, 170 1, नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद ।

34--श्रीमन्त डेज मेडिकल स्टोर्स मैन्यूफैक्चरिंग लि0 61 सी, सिंगार-नगर, लखनऊ ।

35--श्रीमन्त डिसिनफैक्टो केमिकल इण्डस्ट्रीज, 43--कैन्ट रोड, हुसैनगंज, लखनऊ ।

36--श्रीमन्त ग्लैक्सो लैब इण्डिया लिमिटेड, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।

37--श्रीमन्त इण्डियन केमिकल इण्डस्ट्रीज डा0 बी0 एन0 वर्मा अमीनाबाद, लखनऊ ।

38--श्रीमन्त ल्यूपिन लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

39--श्रीमन्त आरगेनान इण्डिया लिमिटेड, 38, चौरंगी रोड, कलकत्ता ।

40--श्रीमन्त पायनियर एजेन्सीज, लखनऊ होटल बिल्डिंग, अमीनाबाद, लखनऊ ।

41--श्रीमन्त रिकैमको लैबोरेट्रीज, 84 60, अनवरगंज, कानपुर ।

42--श्रीमन्त रोहित फार्मा, भारत निवास, ऐशबाग रोड, लखनऊ ।

43--श्रीमन्त रसल्स फार्मास्यूटिकल्स इण्डिया लिमिटेड, डा0 एनीबीसेन्ट रोड, वारली, बाम्बे ।

44--श्रीमन्त सत्यराज एण्ड कं0, इन्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर, राजस्थान ।

45--श्रीमन्त सीमलेस कैप्सूल प्रा0 लि0, 81 82, अन्धेरी, कुरला रोड, बाम्बे ।

46--श्रीमन्त शिवालिक ड्रग्ज, कनखल, हरिद्वार ।

47--श्रीमन्त सुभाष ब्रदर्स एजेन्सीज, बिरहाना रोड, कानपुर ।

48--श्रीमन्त ट्रिम्फ प्रोडक्ट्स, ट्रिम्फ हाऊस, गोरी गांव, ईस्ट बाम्बे ।

49--श्रीमन्त यूनीवर्सल फार्मेसी, 445, शान्तीनगर, नागपुर ।

50--श्रीमन्त वी0 फार्मा लैब प्रा0 लि0--26, चन्द्रलोक, लखनऊ ।

51--श्रीमन्त वार्डेन फार्मास्युटिकल वर्क्स, गुरगांव, हरियाणा ।

52--श्रीमन्त यू0 पी0 ड्रग्ज फार्मास्युटिकल, 5, इन्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर, रोड, लखनऊ ।

53--श्रीमन्त इण्डियन ड्रग्ज, एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, तेजबहादुर सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ ।

54--श्रीमन्त हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड 173 33, डा0 वी0 एन0 वर्मा रोड, अमीनाबाद, लखनऊ ।

55--श्रीमन्त स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, 15-288, ए, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

56--श्रीमन्त बंगाल केमिकल्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स, लिमिटेड फैक्ट्री, एरिया, फजलगंज, कानपुर ।

57--श्रीमन्त बंगाल इम्युनिटी कं0 लिमिटेड, जगत नारायण रोड, लखनऊ ।

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1774 पर ।)

मुख्य मांगें नगरपालिका अछनेरा से सम्बन्धित

1--नगर में सफाई तुरन्त कराई जाए ।

2--नगर की सभी नालियों और नालों को वर्षागमन से पूर्व ही साफ करा दिया जाये ।

3--मुहल्लों में उखड़ी सड़के, टूटे हुए मार्ग, तुरन्त बनवा दिये जाएं तथा सभी मुहल्लों के कच्चे रास्ते पक्के कर दिए जाएं ।

4--नवनिर्मित सड़कों का समतलीकरण किया जाए और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करके दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए ।

5--नगर में निर्मित सीवर लाइन को तुरन्त चालू कराया जाए ।

6--नगर की पेयजल व्यवस्था को सुधारा जाए ।

7--कमजोर और निर्बल वर्ग के लोगों के मुहल्लों में पाखानों एवं बिजली की सुविधाएं तुरन्त उपलब्ध कराई जाएं ।

8--नगर में नीचे बसे मुहल्लों के जल निकास के लिए नाली सिस्टम को ठीक कराया जाय ।

9--नगरपालिका की भूमि पर नगरपालिका कर्मचारियों को खेती करने से रोका जाए और अब तक की गई खेती के लिए 3,000 रुपया प्रति बीघा के हिसाब से नगरपालिका के खाते में यह धनराशि जमा कराई जाए और भविष्य में नगरपालिका की सभी जमीन आम जनता के सामने उच्च बोली बोलने वाले को देकर नगरपालिका की आय बढ़ाई जाए ।

10--नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का तुरन्त स्थानान्तरण किया जाए, उसके द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराकर उसके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जाए ।

11--बाहर से आने वाले साइकिल वालों से पालिका क्षेत्र में कोई कर न लिया जाए ।

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1789 पर।)

सूची (क)

1 अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक आवंटित लेवी सीमेंट के लाइसेंसियों द्वारा उठान की सूची :

क्रम-सं0	नाम लेवी सीमेंट लाइसेंसी व पता	जनपद के सीमेंट लाइसेंसियों द्वारा फैक्ट्री से उठाई गई सीमेंट की मात्रा
1	2	3
		मि0 टन में
1	मे0 पान्डेय लोह भंडार, जगरनाथपुर, गोरखपुर	327·00
2	मे0 सन्तोष कुमार गुप्ता, धर्मशाला बाजार, गोरखपुर	391·00
3	मे0 अशोक ट्रेडर्स, गोरखनाथ, गोरखपुर	135·00
4	हृदय नारायण गुप्ता, मोहनगंज, गोरखपुर	332·05
5	नेशनल ट्रेडिंग कं0, बेतियाहाता, गोरखपुर	311·00
6	हरि लाल एन्ड ब्रदर्स, मुर्द्दीपुर, गोरखपुर	212·05
7	मे0 सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, पार्क रोड, गोरखपुर	297·05
8	मे0 जमीर अहमद, तुर्कमानपुर, गोरखपुर	96·00
9	मे0 ओम प्रकाश एन्ड ब्रदर्स, नियामतचक, गोरखपुर	212·05
10	मे0 कृष्ण मुरारी जायसवाल, दिलेजागपुर, गोरखपुर	269·05
11	मे0 रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, धर्मशाला, गोरखपुर	247·00
12	मे0 प्रकाश जनरल वर्क्स, सहजनवा, गोरखपुर	47·05
13	मे0 सुरेश चन्द्र जायसवाल, सिकटौर बाजार, गोरखपुर	72·00
14	मे0 शाही ब्रदर्स, महावीर छपरा, गोरखपुर	24·00
15	मे0 राजसेवक प्रसाद जायसवाल, इकला बाजार, गोरखपुर	48·00
16	मे0 काशी लाल बिहारी लाल, पिपराइच, गोरखपुर	84·00
17	मे0 संयुक्त समिति पंचायत उद्योग, सहजनवा, गोरखपुर	36·00
18	जायसवाल हार्डवेयर स्टोर्स, मोहरीपुर, गोरखपुर	97·00
19	दुर्गा प्रसाद श्री भागवत, सहजनवा, गोरखपुर	61·00
20	मे0 लालजी प्रसाद रामजी प्रसाद, भटहट, गोरखपुर	48·00

1	2	3
21	मे0 रामसुभग प्रसाद, हरेराम सिंह, भगवरा, गोरखपुर	36.00
22	मे0 रमेश चन्द्र प्रेम चन्द्र, सहजनवा, गोरखपुर	24·00
23	मे0 कृष्ण मुरारी जायसवाल, कुसमी बाजार, गोरखपुर	74·00
24	मे0 बजरंग लाल मदन लाल, चौरीचौरा, गोरखपुर	60·00
25	मे0 महावीर प्रसाद बनवारी लाल, चौरीचौरा, गोरखपुर	150·00
26	मे0 राधे श्याम खेतान, चौरीचौरा गोरखपुर	36·05
27	मे0 ओम प्रकाश कैलाश नाथ, पिपराइच, गोरखपुर	12·05
28	मे0 सीता राम श्याम सुन्दर, बृजमनगंज, गोरखपुर	149·00
29	मे0 हिन्दुस्तान आयरन ट्रेडर्स, आनन्द नगर, गोरखपुर	321·00
30	मे0 शंकर प्रसाद विजय कुमार, बरगदवा, गोरखपुर	7·00
31	मे0 विश्वनाथ प्रसाद, नौतनवा, गोरखपुर	61·00
32	मे0 हिन्द आयरन स्टोर्स, कम्पियरगंज, गोरखपुर	48·00
33	मे0 कुन्दन लाल जायसवाल, महारजगंज, गोरखपुर	208·00
34	मे0 मनोज कुमार सुनील कुमार, ठठीबारी, गोरखपुर	123·00
35	मे0 हिमांचल सेवा निगम, खुशहालनगर, गोरखपुर	24·00
36	मे0 रमाशंकर एण्ड कं0, निचलौल, गोरखपुर	24·05
37	मे0 उदय नारायण शम्भूनाथ, कौड़ीराम, गोरखपुर	108·00
38	मे0 राम नरेश राय सुरेन्द्र राय, कहजा, गोरखपुर	72·00
39	मे0 भारत सीमेन्ट स्टोर्स, बड़हलगंज, गोरखपुर	72·00
40	मे0 आदर्श लौह उद्योग, अंजनी, गोरखपुर	74·00
41	मे0 जायसवाल ब्रदर्स, उरुदा बाजार, गोरखपुर	61·05
42	मे0 विपिन कुमार पान्डेय, मलाव कौड़ीराम, गोरखपुर	60·05
43	मे0 गुरु प्रसाद जायसवाल, गोला बाजार, गोरखपुर	25·05
44	मे0 गौरी शंकर अनिल कुमार देवकली, गोला, गोरखपुर	61·00
45	मे0 अनन्त लाल योगेश प्रसाद, ढेवरा, गोरखपुर	60·00
46	मे0 गंगा प्रसाद बिहारी लाल, गोला बाजार, गोरखपुर	36·00
47	मे0 अशोक कुमार उमर वैश्य, गोला, गोरखपुर	74·00
48	मे0 न्यू आयरन स्टोर्स बड़हलगंज, गोरखपुर	62·00

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1789 पर।)

सूची 'ख'

1 अप्रैल, 1982 से 30 सितम्बर, 1982 की अवधि में जिला पूर्ति कार्यालय, गोरखपुर में संस्थाओं हेतु क्रमबद्धता के अनुसार प्राप्त/पंजीकृत प्रार्थना-पत्रों पर उपलब्ध कराई गई लेवा सीमेंट की विवरण सूची :

क्रम-संख्या	नाम संस्था	दी गई सीमेंट की मात्रा	परमिट संख्या
1	2	3	4
		बोरी	
	सर्वश्री—		
1	अब्दुल हई, ठेकेदार, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर	40	63501
2	प्यारे लाल ठेकेदार, कलेक्ट्रेट कचहरी, गोरखपुर	35	63502
3	प्रभागीय वन अधिकारी, द0 गोरखपुर	60	63503
4	एच0 सी0 उमा शंकर सिंह, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63504
5	खाटू श्याम मंदिर, रेती चौक, गोरखपुर	25	63505
6	तारा चन्द्र, स्वतन्त्र वार्ता, गोरखपुर	25	63506
7	राजेन्द्र प्रसाद, आकाशवाणी, गोरखपुर	50	63507
8	रघुपति सहाय, देई डीहा, गोरखपुर	25	63508
9	सी0 पी0 मिश्र, डी0 ई0 टी0, गोरखपुर	75	63509
10	प्रबन्धक इन्द्रासन इन्टर कालेज, बाला पार्क, गोरखपुर	75	63510
11	अब्दुल हमीद, पुलिस लाइन, गोरखपुर	70	63511
12	पंजाब शुगर मिल्स, घुघली, गोरखपुर	100	63512
13	कृष्ण मंदिर, समायाबी स्थान, गोरखपुर	75	63513
14	इनरव्हील क्लब, गोरखपुर	75	63514
15	मोहद्दीपुर गुरू तेग बहादुर एजूकेशन ट्रस्ट, गोरखपुर	25	63515
16	जामा मस्जिद कमेटी, उर्दू बाजार, गोरखपुर	75	63516
17	तहसीलदार, तहसील सदर, गोरखपुर	10	63517

1	2	3	4
		बोरी	
	सर्वश्री—		
18	संघन हस्तकर्घा विकास निगम, गोरखपुर	15	63518
19	कृपा शंकर गुप्त, ठेकेदार, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63519
20	मन्त्री, शिव मंदिर, गोरखपुर (पूर्व रेलवे)	60	63520
21	उप-श्रमायुक्त, गोरखपुर	25	63521
22	अब्दुल हमीद, ठेकेदार, पुलिस लाइन, गोरखपुर	60	63522
23	असिस्टेंट एकाउन्ट आफिसर, ई0 पो0 टे0 डि0 गो0, गोरखपुर	20	63523
24	ए0 ई0 पोस्ट एन्ड टेलीग्राफ डि0, गोरखपुर	30	63524
25	प्रधानाचार्य, रा0 अ0 प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर	30	63525
26	मन्त्री जिला रेडक्रास सोसाइटी, गोरखपुर (मोवापाल)	75	63526
27	सत्य प्रकाश ठेकेदार, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63527
28	शिव मंदिर, बक्सीपुर, गोरखपुर	75	63528
29	अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर	20	63529
30	अधीक्षक, अन्ध आश्रित धर्मशाला, गोरखपुर	20	63530
31	सेन्टड्यूज कालेज, गोरखपुर	75	63531
32	मो0 खालिद, सेक्रेटरी मस्जिद, बक्सीपुर	50	63532
33	रघुपति सहाय, देई डीहा, गोरखपुर	50	63533
34	डा0 अम्बेदकर शिक्षा निकेतन, बसारतपुर	50	63534
35	अधीक्षक, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	50	63535
36	अनारी देवी, जटाशंकर, पोखरा, गोरखपुर	50	63536
37	राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, मियांबाजार	20	63537
38	सत्य प्रकाश, ठेकेदार, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63538
39	सूरजन सिंह, आर0 पी0 एफ0 कालोनी, गोरखपुर	50	63539
40	कृपा शंकर, ठेकेदार, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63540

1	2	3	4
		बोरी	
	सर्वश्री--		
41	एच0 सी0 उमा शंकर सिंह, पुलिस लाइन, गोरखपुर	75	63541
42	प्रवीन भरुचा, प्रिंसपल, चिल्ड्रेन्स स्कूल, पुदिलपुर	20	63542
43	मियां साहब इस्लामियां इंटर कालेज, गोरखपुर	50	63543
44	अनारी देवी शंकर देवी, बंलापार्क, गोरखपुर	50	63544
45	कन्हैया लाल, उ0 मा0 विद्यालय, झंगहा	50	63545
46	प्रधानाचार्य, सेन्ट पाल स्कूल, गोरखपुर	100	63546
47	प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर	25	63547
48	श्रीमती इन्द्रवती आयुर्वेदिक औषधालय, शाहपुर	30	63548
49	केदार नाथ तिवारी, नाजिर कलेक्ट्रेट, गोरखपुर	30	63549
50	मो0 खालीद, सेक्रेटरी, मस्जिद, गोरखपुर, बख्शीपुर	50	63550
51	मुस्लिम मुसाफिर खाना, स्टेशन रोड, गोरखपुर	100	63551
52	संयुक्त मंत्री, जिला अपराध कमेटी, गोरखपुर	20	63552
53	सेना नायक, 26 वाहिनी, पी0 ए0 सी0, गोरखपुर	50	63553
54	उप डाकघर, लखलापुर, गोरखपुर	15	63554
55	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, गोरखपुर	30	63555
56	उप-निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर	30	63556
57	सेन्ट पाल स्कूल, चरनगावां, गोरखपुर	100	63557
58	अमर सिंह चिल्ड्रन स्कूल, सिविल लाइन, गोरखपुर	30	63558
59	देवी मंदिर, ब्रह्मचारी मिश्रा, तुर्कमानपुर, गोरखपुर	75	63550
60	कमला पान्डेय, पुजारी, हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन	30	63561
61	सहा0 निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, गोरखपुर	5	63562
62	अब्दुल हई ठेकेदार, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर	5	63563
63	के0 पी0 श्रीवास्तव, पी0 ए0 टू कमिश्नर, गोरखपुर	25	63565

1	2	3	4
		बोरी	
	सर्वश्री--		
64	प्रभारी अधिकारी, कैन्टीन मेडिकल कालेज, गोरखपुर	20	63566
65	अधीक्षक, बाल विकास परियोजना, गोरखपुर	40	63567
66	प्रेसो मय संगी मस्जिद, गोरखपुर	50	63568
67	कन्हैया उ0 मा0 वि0, गोरखपुर	50	63569
68	लाल बहादुर शास्त्री पूर्व मा0 वि0, जगदीशपुर	50	63570
69	रेडक्रास सोसाइटी, भौपापार, गोरखपुर	75	63572
70	कुमार ड्रिंक्स प्रा0 लि0, जंगलसिकरी	75	63573
71	प्रधानाचार्य, राजकीय पालिटेकनिक, गोरखपुर	20	63574
72	प्रबन्धक, श्री मंदिर निर्माण समिति, महेवा चौराहा	60	63575
73	ईस्टर्न ई0 इंटर प्राइसेज, सहानी निवास, मोहद्दीपुर	50	63576
74	महीप नारायण शाही जनता इंटर कालेज, महावीर	50	63577
75	प्रबन्धक, अमर सिंह उच्चतर माध्यमिक वि0 बढ़याचौक, गोरखपुर	75	63578
76	क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, गोरखपुर	1	63579
77	प्रधानाचार्य जूनियर हाई स्कूल, पिपरा खेजनी, गोरखपुर	30	63580
78	असिस्टेंट इंजीनियर, टेलिग्राम, गोरखपुर	02	63581
79	अमर सिंह चिल्ड्रेन स्कूल, सिविल लाइन, गोरखपुर	30	63583
80	ब्रह्मचारी मिश्रा मंदिर, तुर्कमानपुर	60	63584
81	कमला पान्डे, स्टेशन रोड, गोरखपुर हनुमान मंदिर	20	63585
82	राम चन्दर सिंह, प्रबन्धक, डा0 राजेन्द्र प्रसाद पू0 मा0 विद्यालय, राजेन्द्र नगर, परतावल	50	63586
83	कुमार ड्रिंक्स प्रा0 वि0, जंगल सिकरी, गोरखपुर	75	63587
84	प्रधानाचार्य, उ0 मा0 विद्यालय, तकबलिया, गोरखपुर	40	63589

1	2	3	4
		बोरी	
	सर्वश्री--		
85	अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कं0, इस्माईलपुर, गोरखपुर	20	63590
86	मैनेजिंग डाइरेक्टर, सरैया शुगर मिल्स, गोरखपुर	75	63591
87	लियाकत हुसैन, अध्यक्ष मदरसा, खूनीपुर	20	63592
88	इम्तियाज अहमद, सेक्रेटरी, जामा मस्जिद, उर्दू बाजार, गोरखपुर	40	63593
89	प्रबन्धक, दुर्गा प्रसाद, गीता प्रेस, गोरखपुर	20	63594
90	नाजीर, आयुक्त कार्यालय, गोरखपुर	10	63595
91	सेन्टपाल स्कूल, चरगांवा, गोरखपुर	75	63596
92	अमर सिंह त्रि0 स्कूल, सिविल लाइन, गोरखपुर	35	63597
93	एच0 सी0 उमा शंकर सिंह, पुलिस लाइन, गोरखपुर	50	63598
94	उप-निदेशक सांख्यकीय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर	10	63599
95	केदार नाथ सिंह, विधायक, सिविल लाइन, गोरखपुर	60	63600
96	स्थानीय व्यवस्थापक, पत्र आज, बैंक रोड, गोरखपुर	50	63701
97	मैनेजर, पंजाब शुगर मिल्स, बूधलो, गोरखपुर	100	63702
98	पारसनाथ उप-निदेशक, सांख्यकीय, गोरखपुर	10	63703
99	नरसिंह, सचिव, उपभोक्ता सहकारी समिति, नसीराबाद	20	63704

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1797 पर।)

जनपद गोरखपुर में कार्यरत अनुसूचित जाति की पार्ट-टाइम दाइयों के नामों की सूची--

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम		पार्ट-टाइम दाई का नाम
1--ब्रह्मपुर	..	1--केवली
		2--श्यामापती
		3--चानमती
		4--गेना
		5--चन्द्रावती
2--खोराबार	..	1--हिरिया
		2--तेतरी
		3--गुलपति
		4--गायजी
		5--सुरसती
3--सरदारनगर		कोई नहीं
4--महाराजगंज		1--श्रीमती दुलारी देवी
		2--इमरती देवी
		3--मुन्नो देवी
		4--कलावती
		5--सुरसती
		6--सरस्वती देवी
5--मिठौरा	..	कोई नहीं
	योग ..	16

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1803 पर।)

विवरण

नालों की सफाई—

(1) तालपुरा तथा खुशीपुरा मुहल्लों में से बहने वाले एक मात्र कच्चे नाले को सफाई करके उसके 700 फिट भाग को पक्का कराया गया।

(2) शहर के सबसे बड़े नटबली नाम के नाले को खोल कर उसकी सफाई व मरम्मत कराई गई।

प्रकाश व्यवस्था—

(1) मोहल्ला खुशीपुरा तथा तालपुरा में 6 नये बिजली के खम्भे लगवाये गये, फ्यूज बल्बों को बदलवाया गया तथा 25 समुचित स्थानों पर ट्यूब लाइट लगवाई गई।

(2) मुहल्ला नन्दनपुरा में पुरानी ट्यूब लाइटों के स्थान पर नई ट्यूब लाइट लगाई गई।

(3) मुहल्ला नई बस्ती में जहां प्रकाश व्यवस्था नहीं थी, 4 नये खम्भे लगाये गये।

(4) मुहल्ला गुवड़ी तथा उन्नाव गेट अन्दर में बल्ब के स्थान पर समुचित स्थानों पर ट्यूब लाइटें लगाई गई।

पी0 एस0 यू0 पी0—47 वि0 सभा—10-10-83—813 (पी0 डी0)।